

बुक पोस्ट
Book Post



सुपुर्दगी नहीं होने पर, कृपया इस पते पर लौटा दें :
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं 17 से 24, विठ्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081

If undelivered, please return to :
M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad - 500 081

Design and Printed by : Swapna Printing Works Pvt. Ltd. email : office@swapnaprinting.com

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2 0 0 9 - 1 0



यूको बैंक



UCO BANK

भारत सरकार का उपक्रम
सम्मान आपके विश्वास का

प्रधान कार्यालय :

10, बी. टी. एम. सरणी, कोलकाता - 700 001

A Govt. of India Undertaking
Honours Your Trust

Head Office :

10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

हमसे संपर्क करें Visit us at - www.ucobank.com

निःशुल्क दूरभाष संख्या Toll free Help Line - 1800 345 0123

हमारा विज़न

एक ऐसी विश्वस्तरीय
वित्तीय संस्था के रूप में
सामने आना जो अत्यंत विश्वस्त
और प्रशंसनीय
हो तथा जिसे प्रत्येक ग्राहक
व निवेशक बहुत
पसंद करते हों एवं जिस पर उसके
कर्मचारियों को गर्व हो।

OUR VISION

“To emerge as the most trusted,
admired and sought-after world
class financial institution
and to be the most preferred
destination for every
customer and investor and a place of
pride for its employees.”

हमारा मिशन

कर्मचारियों की कार्यकुशलता
बढ़ाकर, उनकी
प्रभावी सहभागिता से एवं
नवीनतम प्रौद्योगिकी के
प्रयोग द्वारा कारबार तथा
लाभप्रदता में सतत वृद्धि
करते हुए एवं सर्वोत्तम ग्राहक
सेवा प्रदान कर
सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को
पूरा करनेवाला
सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का बैंक बनना।

OUR MISSION

“To be a top-class Bank, to achieve sustained
growth of Business and Profitability,
fulfilling socio-economic obligations,
excellence in customer service through
upgradation of skills of staff,
their effective participation and making
use of state-of-the art technology.”



यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.	मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
• सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02	• कार्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	59-84
• निदेशक मंडल Board of Directors	03	• कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditor's Certificate on Corporate Governance	85-88
• वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-19	• तुलन-पत्र 2009-10 / Balance Sheet 2009-10	89-90
• वित्तीय विशिष्टताएं Financial Highlights	20	• लाभ और हानि लेखा / Profit & Loss A/c	91-92
• नामांकन फार्म/घोषणा-पत्र/जीवनवृत्त फार्म Nomination form/Declaration/Bio-data form	21-28	• लेखों से संबंधित अनुसूची/Schedule to Accounts	93-135
• शाखा नेटवर्क /पूर्विकता क्षेत्र ऋण एवं क्षे.ग्रा.बैंक (तालिका I, II एवं III) Branch Network/Priority Sector Credit & RRBs (Table I, II & III)	29	• भारत के राष्ट्रपति को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report to the President of India	136-137
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	30-58	• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	138-139
		• बासेल-II प्रकटीकरण / Basel-II Discloser	140-155
		• परोक्षी फार्म / Proxy Form	156-157
		• ईसीएस अधिदेश / ECS Mandate	158-159
		• उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	160

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तारीखें / IMPORTANT PROGRAMME & DATES

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date	कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date
• निर्वाचन में भाग लेने के लिए हकदारी हेतु विनिर्दिष्ट तारीख Specified Date for entitlement to participate in the Election.	07.06.2010	वार्षिक आम बैठक 2009-10 की तारीख, समय एवं बैठक-स्थल Date, time & Venue of Annual General Meeting 2009-10	12.07.2010 प्रातः 11.00 A.M.
• वार्षिक आम बैठक 2009-10 हेतु बही-खाता बंद रहने की अवधि Period of Book closure for AGM 2009-10	25.06.2010 से to 12.07.2010	पूर्वश्री आडिटोरियम ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106	
• नामांकन के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख Last date for submission of nomination	26.06.2010	Purbashree Auditorium Eastern Zonal Cultural Centre, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106	
• परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy form	07.07.2010		
• नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख Last date for withdrawal of nomination	10.07.2010		



सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

- मे० ए.आर. एंड कंपनी ए-403, गायत्री अपार्टमेंट, एजीएचएस, प्लॉट नं. 27, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110 075
M/s A.R. & CO. A-403, Gayatri Apartments, AGHS, Plot No. 27, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110075
- मे० चटर्जी एंड कंपनी 153, रासबिहारी एवेन्यू, तीसरा तल, कोलकाता-700 029
M/s CHATTERJEE & CO. 153, Rash Behari Avenue, 3rd floor, Kolkata - 700 029
- मे० डी.आर. महनोट एंड कंपनी सी-20, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर-302 015
M/s D. R. MOHNOT & CO. C-20, Bhagwan Dass Road, C-Scheme, Jaipur - 302 015
- मे० गोयल गर्ग एंड कंपनी एच-4, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110 048
M/s GOEL GARG & CO. H-4, Masjid Moth, Greater Kailash-II, New Delhi - 110048
- मे० बंसल एंड कंपनी ए-6, महारानी बाग, नई दिल्ली-110 065
M/s BANSAL & CO. A-6, Maharani Bagh, New Delhi - 110065
- मे० कोठारी एंड कंपनी 1-ई, नीलकंठ, 26बी, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016
M/s KOTHARI & CO. 1-E, Neelkanth, 26B, Camac Street, Kolkata - 700016

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

(इकाई : यूको बैंक)

प्लॉट नं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर

माध्यापुर, हैदराबाद - 500 081

टेलीफोन सं. (040) 44655000

फैक्स सं. (040) 23420814

ई.मेल आईडी einword.ris@karvy.com

वेबसाइट www.karvycomputershare.com

M/s Karvy Computershare Private Limited
(Unit : UCO Bank)

Plot Nos. 17 to 24 Vittalrao Nagar

Madhapur, Hyderabad - 500 081

Telephone No. (040) 44655000

FAX No. (040) 23420814

E-Mail ID einword.ris@karvy.com

Website www.karvycomputershare.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं

The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar in case of need.

- | | | |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुंबई | : | महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023
फोन : 022-2286-2425/2427 |
| At Mumbai | : | Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023
Phone 022-2286-2425 / 2427 |
| चेन्नै | : | 22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017
फोन : 044-2815-1034/3445 |
| At Chennai | : | 22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017
Phone : 044-2815-1034 / 3445 |
| नई दिल्ली | : | 105-108 अरुणाचल भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
फोन : 011-4350-9200 |
| At New Delhi | : | 105-108 Arunachal Building, Connaught Place, New Delhi -110 001
Phone : 011-4350-9200 |
| कोलकाता | : | 49, जतीन दास रोड (देशेप्रिय पार्क के पास), कोलकाता - 700 029
फोन : 033-2464-723132 |
| At Kolkata | : | 49, Jatin Das Road (Off. Deshapriya Park), Kolkata - 700 029
Phone : 033-2464-7231 / 32 |



निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार)



श्री एस. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri S. K. GOEL
Chairman & Managing Director



श्री अजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri AJAI KUMAR
Executive Director



श्री वी. के. ढींगरा
कार्यपालक निदेशक
Shri V. K. DHINGRA
Executive Director



श्री समीर कुमार सिन्हा
निदेशक
Shri SAMIR KUMAR SINHA
Director



श्री एन. पी. सिन्हा
निदेशक
Shri N. P. SINHA
Director



श्री जे. सी. शांडिल
निदेशक
Shri J. C. SHANDIL
Director



श्री संजीव जैन
निदेशक
Shri SANJEEV JAIN
Director



श्री आर. एन. जैन
निदेशक
Shri R.N.JAIN
Director



श्री एस. सी. गुप्ता
निदेशक
Shri S.C.GUPTA
Director



श्री जयदेव गुप्ता
निदेशक
Shri JAIDEV GUPTA
Director



श्री आर. ए. शर्मा
निदेशक
Shri R. A. SHARMA
Director



यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, दिनांक 12 जुलाई, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता-700106 में निम्नलिखित कारबार करने के लिए आयोजित की जाएगी :-

1. दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा, लेखे की अवधि के लिए बैंक के क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखे के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने, उन्हें अनुमोदित एवं अंगीकृत करने हेतु।
2. दिनांक 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी एवं अधिमानी शेयर पर लाभांश अनुमोदित एवं घोषित करने हेतु।
3. केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों में से किसी एक शेयरधारक को निर्वाचित करने हेतु; जिसकी बाबत बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 9 (3) (i) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'योजना' कहा गया है) तथा उक्त अधिनियम की धारा 19 एवं रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना सं.डीबीओडी.सं. बीसी सं.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 (जिसे इसमें भा. रि. बैंक की इसके पश्चात् 'अधिसूचना' कहा गया है) के अनुसरण में बनाए गए यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' कहा गया है) शर्तों के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त किए जाते हैं; तथा निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु :-

"संकल्प किया जाता है कि श्री _____ को केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित किए गए बैंक के एक निदेशक के रूप दि. 01.11.2007 में, जिसकी बाबत "उक्त योजना", विनियम एवं भा.रि.बैंक की अधिसूचना के साथ पठित "उक्त अधिनियम" की धारा 9 (3) (i) के अनुसरण में वैध नामांकन प्राप्त किए जाते हैं, इस बैठक की तारीख यानी 13 जुलाई, 2010 के बाद की तारीख से कार्यग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा वह ऐसे कार्यग्रहण की तारीख से तीन वर्ष पूरा होने तक पद धारित करेगा।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(एस.के.गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28 मई, 2010

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Seventh Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on Monday, the 12th July 2010 at 11 A.M. at Eastern Zonal Cultural Centre, Block IB, 201, Salt Lake, Kolkata – 700 106 to transact the following business:-

1. To discuss approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2010; Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare Dividend on Equity and Preference Shares for the year ended 31st March 2010.
3. To elect one Director from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act 1949 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No.DBOD.No.BCNo.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 issued by Reserve Bank (hereinafter referred to as "RBI Notification") and to pass the following resolution:-

"**RESOLVED THAT** Shri _____ elected as director of the Bank from amongst shareholders (other than Central Government) in respect of whom valid nominations are received pursuant to Section 9(3)(i) of the "Act" read with the "Scheme", "Regulations" and RBI Notification dated 1.11.2007 be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office from the date following the date of this meeting i.e. Tuesday, 13th July, 2010 and shall hold office until completion of three years from the date of such assumption."

By order of the Board
of Directors

Place: Kolkata
Date: 28th May, 2010

(S. K. Goel)
Chairman & Managing
Director



कार्यसूची की मद संख्या 3 के बाबत तात्त्विक तथ्य उपवर्णित करते हुए व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण एवं वित्तीय संस्थान (संशोधन) विधि 2006 में, जो 25 सितंबर 2006 से प्रभावी हुआ, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि उन बैंकों के मामले में, जहां शेयरधारकों द्वारा (केन्द्र सरकार से भिन्न) धारित पूंजी चुकता पूंजी के 32% से अधिक है, शेयरधारक अपने में से तीन निदेशक निर्वाचित करने के हकदार होंगे।

दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार बैंक की चुकता शेयर पूंजी 799.36 करोड़ रु. थी जिसमें केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों की धारिता 200.00 करोड़ रु. थी जो कुल चुकता पूंजी का 25.02% था। दिनांक 22.12.2008 को भारत सरकार ने बैंक की पूंजी पुनर्संरचना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जिसमें उनके द्वारा धारित 250 करोड़ रु. की ईक्विटी पूंजी को समान राशि के पीएनसीपीएस में संपरिवर्तित किए जाने की परिकल्पना की गई थी। पूंजी पुनर्संरचना के कार्यान्वयन पर, भारत सरकार द्वारा यथानुमोदित, बैंक की चुकता ईक्विटी पूंजी घटकर 549.36 करोड़ रु. रह गई है और तदनुसार केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों की धारिता बढ़कर 36.41% हो गई है।

अतः बैंक के शेयरधारक (केन्द्र सरकार से भिन्न) विद्यमान दो शेयरधारक निदेशकों की तुलना में तीन निदेशक निर्वाचित करने के हकदार हैं। तदनुसार दिनांक 03.07.2009 को संपन्न 6वीं वार्षिक आम बैठक 2008-09 में चुनाव के माध्यम से रिक्तियों को भरने हेतु वांछित व्यवस्था की गई। परंतु उक्त निदेशकों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ इसलिए उक्त निदेशकों के पद के लिए कोई चुनाव प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई एवं फलस्वरूप संबंधित रिक्तियां बरकरा रही। निदेशक मंडल ने दिनांक 28 मई, 2010 को आयोजित बैठक में निर्णय किया है कि 12 जुलाई, 2010 को होने वाली बैंक की आगामी वार्षिक आम बैठक में निर्वाचन की प्रक्रिया के जरिए केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक की नियुक्ति की जाए।

इस प्रकार निर्वाचित कोई निदेशक उस तारीख की बाद की तारीख को कार्यग्रहण किया गया समझा जाएगा जिस तारीख को वह निर्वाचित किया जाता है या निर्वाचित किया गया समझा जाता है और वह तीन वर्ष की अवधि तक पद धारित करेगा।

बैंक के निदेशक कारबार की उपर्युक्त मदों से संबद्ध या हितबद्ध समझे जाएंगे यदि वे निर्वाचन लड़ते हैं।

नोट

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार कोई शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक को उसके शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 7 जुलाई 2010 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के किसी शेयरधारक निगमित निकाय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तबतक हकदार नहीं होगा जबतक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे सम्यक् रूप से

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda items No. 3

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking and Financial Institutions (Amendment) Laws 2006 which came into effect from 25th September 2006, *inter alia*, provides that in case of Banks where the capital held by the Shareholders (other than the Central Government) is more than 32% of paid up capital, the shareholders would be entitled to elect three directors from amongst themselves.

The paid up share capital of the Bank was Rs.799.36 crore, as on 31.03.2008, in which holding of shareholders other than the Central Government was Rs 200.00 crore constituting 25.02% of the total paid up capital. On 22.12.2008 the Government of India approved the proposal for restructuring of capital of the Bank envisaging conversion of equity capital to the extent of Rs.250 crore held by them into PNCPS for similar amount. On implementation of capital restructuring, as approved by the Government, the paid up equity capital of the Bank has decreased to Rs.549.36 crore and correspondingly the holding of shareholders other than Central Government has increased to 36.41%.

The shareholders of the Bank (other than the Central Government) are therefore entitled to elect three Directors vis-à-vis two shareholder Directors existing. Accordingly, necessary arrangements were made for filling up the vacancy through the process of election the 6th Annual General Meeting 2008-09 held on 03.07.2009. But as no nomination for the post of said Director was received within stipulated date, election for filling up the vacancy the the post of Director could not be proceeded with and as such the vacancy continues to exist. The Board of Directors in their meeting dated 28th May, 2010 have decided to appoint one director from amongst shareholders other than the Central Government, through the process of election at the ensuing Annual General Meeting of the Bank to be held on 12th July, 2010.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed the office from the date following that on which he/she is elected or deemed to have been elected and will hold office for a period of three years.

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business, in case they contest the election.

Notes

APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself, and such a proxy need not be a shareholder of the bank. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 7th July 2010. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation 2003.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true



नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 7 जुलाई, 2010 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त न हो जाए।

कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक-स्थल पर उसे अभ्यर्पित करें। शेयरधारकों के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास में यथास्थिति 'परोक्षी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' उल्लिखित करना चाहिए।

शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी

शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बही सातवीं वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश के भुगतान के प्रयोजनार्थ शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2010 से सोमवार, दिनांक 12 जुलाई, 2010 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेगी।

लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने (i) निम्नलिखित को 10/- रु. के सांकेतिक मूल्य के प्रत्येक शेयर हेतु वर्ष 2009-10 के लिए 1.50/- रु. के ईक्विटी लाभांश (ii) निर्गम की शर्तों के अनुसार पीएनसीपीएस पर अधिमानी लाभांश की संस्तुति की है- यदि आम वार्षिक बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश के भुगतान की घोषणा की जाती है तो शेयरधारकों को इसका भुगतान किया जायगा।

- क) जो गुरुवार, दिनांक 24 जून, 2010 को कारबार-समय की समाप्ति पर निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करते हैं, या
- ख) जो 24 जून, 2010 को बैंक के कारबार-समय की समाप्ति के पूर्व शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण के अनुरोध को प्रभावी करने के बाद गुरुवार, दिनांक 24 जून 2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों के रजिस्टर में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं।

बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख के 30 दिन के भीतर ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट उनके रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजा जाएगा।

अदत्त/अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10आ के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205इ (1) के अधीन स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

तदनुसार वर्ष 2003-04 और उसके आगे का लाभांश अदत्त लाभांश प्राप्त नहीं किया है। खाते में इसके अंतरण की संबंधित तारीख से सात वर्ष के बाद "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2008-09 तक लाभांश प्राप्त नहीं किया है एवं दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा (वे) प्रस्तुत करें।

copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 7th July 2010.

Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report, Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be.

CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Registrar of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, 25th June 2010 to Monday 12th July 2010 (both days inclusive) for the purpose of Seventh Annual General Meeting and payment of dividend declared at the meeting.

PAYMENT OF DIVIDEND

The Board has recommended (i) Equity Dividend of Re. 1.50/- for the year 2009-10 for each share for nominal value of Rs. 10/- (ii) Preference Dividend on PNCPS as per terms of issue.

Payment of dividend, if declared by the shareholders in the Annual General Meeting, will be paid to those shareholders.

- a) who hold in electronic form, as per the list furnished by the depositories, i.e., NSDL/CDSL as at the close of business hours on Thursday 24th June 2010, or
- b) who hold in physical form in the Register of Shareholders as on Thursday 24th June 2010 after giving effect to the valid transfer requests from the shareholders received before close of business hours of the Bank on 24th June 2010.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz, M/s Karvy Computershare Private Limited within 30 days from the date of declaration of dividend at their registered addresses.

UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1) of the Companies Act 1956.

Accordingly the dividend for the year 2003-04 and onward will be transferred to "Investor Education and Protection Fund" after seven years from the respective date on which it has been transferred to unpaid dividend account.

Shareholders who have not received and claimed their dividend upto the financial year 2008-09 are requested to their valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited.



लाभांश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) हेतु बैंक का अधिदेश

लाभांश वारंट के कपटपूर्ण नकदीकरण से निवेशकों का बचाव करने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक द्वारा लाभांश घोषित किए जाने पर वे अपने बैंक की उस खाता संख्या (चालू/बचत), बैंक का नाम और शाखा का नाम प्रस्तुत करें जिसमें वे नकदीकरण हेतु लाभांश वारंट जमा करना चाहते हैं।

ये विवरण लाभांश वारंट के चेक अंश पर शेयरधारकों के नाम के अतिरिक्त मुद्रित किए जाएंगे जिससे कि शेयरधारकों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन वारंटों का नकदीकरण नहीं किया जा सके।

फोलियो संख्या, धारित शेयरों की संख्या, धारण के ब्योरे आदि सहित उपर्युक्त ब्योरे प्रथम/एकमात्र धारक द्वारा सीधे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास प्रस्तुत किए जाएंगे।

विनिर्दिष्ट नगरों में रहनेवाले शेयरधारकों के लिए बैंक ईसीएस की सुविधा प्रदान कर रहा है। ऐसे शेयरधारक लाभांश जमा किए जाने हेतु बैंक अधिदेश प्रणाली के बदले इस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं जब कभी बैंक लाभांश की घोषणा करता है।

शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

निर्वाचन में भाग लेने के हकदार शेयरधारकों के अभिनिश्चयन के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तारीख

एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा यथाप्रस्तुत शेयरधारकों/हितबद्ध स्वामियों के बैंक के रजिस्टर में सोमवार, दिनांक 7 जून, 2010 को कारबार-समय की समाप्ति पर जिन शेयरधारकों के नाम बैंक के रजिस्टर में हैं वे शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने (नामनिर्देशित करने, निर्वाचन लड़ने एवं मतदान करने) के हकदार होंगे।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित अर्हताएं

अधिनियम की धारा 9 (3ए) की शर्तों के अनुसार बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखनेवाले बैंक के किसी शेयरधारक उम्मीदवार को -

(अ) निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभवप्राप्त होना चाहिए :-

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

(आ) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए; या

(इ) किसानों, कामगारों एवं कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अधिनियम की धारा 9 (3एए) की शर्तों के अनुसार इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखनेवाले बैंक के किसी शेयरधारक उम्मीदवार की "उपयुक्त तथा उचित" हैसियत होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशक को प्रसविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए तथा उससे यह भी अपेक्षित है कि वह इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथाविहित वार्षिक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करे।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्हताएं

अ. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अनर्ह होगा -

BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE

In order to protect the investors from fraudulent encashment of warrants, the shareholders are requested to furnish their Bank Account Number (Current/Savings), the name of the Bank and Branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment, whenever dividend is declared by the Bank.

These particulars will be printed on the cheque portion of the Dividend Warrant besides the name of the shareholders, so that these warrants cannot be encashed by any other than the shareholder.

The above mentioned details should be furnished by the first/sole holder, directly to the Share Transfer Agent of the Bank, quoting the folio number, number of Shares held, details of the holdings etc.

The Bank is offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. Such shareholders can also avail this facility instead of Bank mandate system for receiving the credit of dividends, whenever the Bank declares the Dividend.

ELECTION OF SHAREHOLDERS' DIRECTOR

SPECIFIED DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION

Those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL at the close of business hours on Monday 7th June 2010 shall be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the election of Directors from amongst the shareholders (other than the Central Government).

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - agriculture and rural economy;
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small scale industry
 - Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and would desire to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director



- क) यदि किसी समय वह दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो या उसने ऋण अदा न किया हो या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया हो; या
- ख) यदि उसे विकृत चित्त पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा
- ग) यदि उसे दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष पाया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्गर्स्त हो; या
- घ) यदि वह पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ड) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद को धारित करने के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो, और
- आ. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीपीओडी सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 की शर्तों के अनुसार उसके "उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति" नहीं होने का निष्कर्ष हो।

निदेशकों की पदावधि

इस योजना के खंड 9 (4) के अनुसरण में कोई निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारित करेगा और पुनर्निर्वाचित किए जाने का पात्र होगा ;

परंतु ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार पद धारित नहीं करेगा।

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9 (3आ) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिकार है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अधीन निर्वाचित किसी ऐसे निदेशक को अपने पद से हटा सकता है जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।

आगे अधिनियम की धारा 9(3)(झ) के अनुसार, इस खंड के अंतर्गत निदेशकों के चुनाव के बाद चार्ज में छूट, उप धारा 9(3)(ज) के अंतर्गत समान संख्या में चुने गए निदेशक इस प्रकार सेवानिवृत्त होंगे जैसा कि उक्त योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

शेयरधारकों का ध्यान बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध के लिए उपबंध किया गया है, जिसका संगत उद्धरण उसके साथ संलग्न है।

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

- (i) किसी निदेशक के निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तबतक वैध नहीं होगा जबतक :
- (क) वह दिनांक 7 जून, 2010 यानी निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट तारीख की स्थिति के अनुसार बैंक के कम से कम 100 शेयर धारित न करता हो।
- (ख) वह दिनांक 26 जून, 2010 की स्थिति के अनुसार बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के अधीन निदेशक होने के लिए अनर्ह न हो।
- (ग) नामांकन लिखित रूप में उक्त अधिनियम के अधीन निदेशकों का निर्वाचन करने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक् रूप से नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो; परंतु यह कि यदि शेयरधारक कोई कंपनी हो तो उसके द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जा सकेगा और यदि ऐसा किया जाता है तो उप महाप्रबंधक, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता - 700 001 को

- a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with is creditors; or
- b) if he has been found to be unsound mind and stands so declared by a component court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act 1959 except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- B. If he is not found to be "Fit and Proper" person in terms of Notification of Reserve Bank of India - DPOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 1.11.2007

TENURE OF DIRECTORS

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election;

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) of the said Act.

Further, in terms of section 9(3)(i) of the Act, on assumption of office, election of directors under the clause, equal number of directors nominated under sub-clause 9(3)(h) shall retire in such manner as may be stipulated in the scheme.

Attention of shareholders is also invited to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 which provides for restriction on Loans and Advances, the relevant extracts of which is annexed thereto.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless
- (a) He is a shareholder holding 100 shares of the Bank as on 7th June 2010 being the Specified Date for participating in the election
- (b) as on 26th June 2010 he is not disqualified to be Director under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 or under the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970
- (c) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorneys, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank



संबोधित उक्त संकल्प की एक ऐसी सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के पास प्रेषित की जाएगी जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गई हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था तथा ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।

- (घ) नामांकन के साथ या उसमें किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का कोई घोषणा-पत्र संलग्न या अंतर्विष्ट न हो कि वह निदेशक बनने के लिए उक्त योजना या उक्त विनियमों को स्वीकार करता है तथा नामांकन के साथ या उसमें उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसके व्यक्तिगत ब्योरे (बायोडाटा) एवं इस आशय की अभिपुष्टि संलग्न या अंतर्विष्ट न हो कि ऐसे ब्योरे उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं और इस आशय का वचन-पत्र संलग्न या अंतर्विष्ट न हो कि वह यथासंभव शीघ्र घोषणा के बाद उत्पन्न होनेवाली ऐसी घटनाओं की पूर्ण जानकारी बैंक को देगा जो उक्त सूचना के सुसंगत हो।

- (ङ) कोई भी नामांकन तबतक वैध नहीं होगा जबतक वह बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 26 जून, 2010 को अपराह्न 2.00 बजे या बैंक के कारवार समय की समाप्ति के पूर्व उप-महाप्रबंधक, वित्त विभाग, तृतीय तल, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700 001 को संबोधित और सभी दृष्टि से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं हो गया हो।

शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को निर्वाचन लड़ने में समर्थ बनाने के लिए यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के विनियम 64 में यथाउल्लिखित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग, तीसरा तल, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700 001 में शनिवार, 19 जून, 2010 से शेयरधारकों किए जाने द्वारा क्रय के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र के साथ यूको बैंक के पक्ष में कोलकाता में देय 50,000/- रु. का एक मांग ड्राफ्ट देना होगा।

शेयरधारक-रजिस्ट्रार का निरीक्षण बैंक के प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग, तीसरा तल, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700 001 में 19 जून, 2010 से सभी कार्य-दिवस को 3.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक (शनिवार 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक) किया जा सकता है। यदि कोई शेयरधारक रजिस्ट्रार या उसके किसी अंश की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट चाहता है तो प्रतिलिपि/प्रिंट बनाए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक 1000 शब्द या उसके भाग के लिए 5/- रु. की दर से पूर्व भुगतान करने पर वह उसे आपूर्ति किया जाएगा।

नामांकन फार्म का प्रस्तुतीकरण

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का निर्वाचन लड़ने के इच्छुक शेयरधारक को-

- विधिवत् भरे हुए अपने "घोषणा-पत्र" एवं शंसापत्र, यथा- बायोडाटा, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव के प्रमाणपत्र;
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपयुक्त तथा उचित दिशानिर्देशों के अनुसरण में उसमें अपेक्षित संलग्नक सहित तथा अपेक्षित कुर्की के संभावित खतरे के अनुसरण में "उम्मीदवार का वचन-पत्र" तथा
- नामित करने के हरकार बैंक के शेयरधारकों से प्राप्त न्यूनतम 100 वैध नामांकन फार्म

इस सूचना के साथ संलग्न फार्मेट में "शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन" अंकित मुहरबंद लिफाफे में उप-महाप्रबंधक, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग, तीसरा तल, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700

addressed to the Dy. General Manager, Finance Department, 2, India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700 001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company and as such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

- (d) the nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any other nationalized Bank, that he accepts the said Scheme or the said Regulations from being a Director along with his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- (e) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respect and received at the Head Office of the Bank addressed to the General Manager, Finance Department, 3rd Floor, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001, on working day not later than 14 days, before the date fixed for the meeting i.e., on or before the closing of business hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, 26th June 2010.

LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the List of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003 will be available at Head Office, Finance Department, 3rd Floor, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001 from Saturday, 19th June 2010 onwards for purchase by shareholders on payment of Rs.50,000/- by demand draft in favour of UCO Bank payable at Kolkata along with an application made for this purpose.

The Registrar of Shareholders is open for inspection at the Finance Department, 3rd Floor, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001 on all working days commencing from 19th June 2010 between 3 p.m. to 5 p.m. (Saturday 11 a.m. to 1 p.m.) If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs. 5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

A Shareholder desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders other than the Central Government, should submit :

- duly filled in 'Declaration Form' along with testimonials viz., bio-data, certificates of educational qualification, experience;
- "Undertaking by Candidate" pursuant to Fit & Proper Guidelines issued by Reserve Bank of India and required attachments thereat and
- minimum of 100 valid Nomination Forms obtained from shareholders of the Bank who are entitled to nominate,

in the format(s) annexed to this Notice, in a sealed envelope and superscribed "Nomination for Shareholder Director", to Dy. General Manager, UCO Bank, Head Office, Finance Department, 3rd Floor,



001 के पास किसी भी कार्य-दिवस को वार्षिक आम बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले अर्थात् शनिवार, दिनांक 26 जून, 2010 को अपराह्न 2.00 बजे या उससे पूर्व बैंक के कारबार-समय की समाप्ति से पहले प्रस्तुत करने चाहिए। इसमें चूक होने पर नामांकन खारिज किए जाने के दायित्व के अधीन हैं।

नामांकन की संवीक्षा

- नामांकन की संवीक्षा, दिनांक 28 जून, 2010 को यानी नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तारीख के बाद के प्रथम कार्य-दिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन अवैध पाया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित करने के बाद उसे खारिज कर दिया जाएगा।
- नामांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपयुक्त तथा उचित दिशानिर्देश दिनांक 1 नवंबर, 2007 की शर्तों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति की संवीक्षा के भी अध्यक्षीन होगी।
- यदि निर्वाचन से भरी जानेवाली रिक्ति हेतु केवल एक वैध नामांकन हो तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित समझा जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित होने पर उसका नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी दशा में इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा तथा बैठक में कार्यसूची की उक्त मद नहीं रखी जाएगी।
- यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो उम्मीदवारों के नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और बैंक की वार्षिक आम बैठक में किए जानेवाले निर्वाचित में जिन उम्मीदवारों के पक्ष में बहुमत हो वे निदेशक के रूप में निर्वाचित होंगे।
- किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को उस तारीख के बाद की तारीख को अपना पद ग्रहण किया गया समझा जाएगा जिस तारीख को वे निर्वाचित होते हैं या निर्वाचित किए गए समझे जाते हैं।
- किसी प्रकार की विवाद होने पर उसका निपटान यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

निदेशकों की उपयुक्त एवं समुचित हैसियत के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना

(भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीसी.सं.46/29.39.001/207-08 तथा डीबीओडी.सं.बीसी.सं.47/29.39.001/207-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 द्वारा)

भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित रूप में अधिसूचित किया है : कोई भी नामांकन तबतक वैध नहीं होगा जबतक इस प्रयोजनार्थ बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा इसे उपयुक्त एवं समुचित हैसियत नहीं दिया जाता है। नामांकनों के साथ उम्मीदवारों के बारे में अतिरिक्त सूचना भी दी जानी चाहिए ताकि नामांकन समिति उम्मीदवारों के शैक्षणिक अर्हता, क्षेत्र विशेषज्ञता का अनुभव, कार्य-निष्पादन रिकार्ड तथा उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में निर्णय कर सके। किसी प्राधिकरण/विनियामक एजेंसी की प्रतिकूल सूचना अथवा दिवालियापन अथवा किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लिए गए किसी ऋण की चूक के फलस्वरूप संबंधित उम्मीदवार बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु अनुपयुक्त एवं अयोग्य हो जाएंगे।

नामांकन को वापस लिया जाना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह शनिवार, दिनांक 10 जुलाई, 2010 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय ऐसा करने का हकदार होगा।

मतदान के अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2उ) की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार से भिन्न समरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों की बाबत बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

अदावाकृत शेयर प्रमाणपत्र

दि. 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 366 अदावाकृत भौतिक शेयर हैं जिनकी सुपुर्दगी के लिए बैंक को अभी तक वास्तविक धारकों से दावा या

2, India Exchange Place, Kolkata – 700 001 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 2.00 P.M. on Saturday 26th June 2010 failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS

- Nominations shall be scrutinized on 28th June 2010, the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is found to be invalid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the Fit and Proper Guidelines dated 1st November 2007 issued by the Reserve Bank of India.
- If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and the said agenda item will not be taken up at the Meeting.
- If valid nominations are more than one, the names of the candidates shall be published in the newspapers and candidates polling the majority of the votes in the election to be held at the Annual General Meeting of the Bank shall be elected as a Director.
- Director elected to fill in the vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she is, elected or deemed to have been elected.
- If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003.

NOTIFICATION OF RESERVE BANK OF INDIA REGARDING FIT AND PROPER STATUS OF THE DIRECTORS

[Vide Circular No. DBOD No. BC.No.46/29.39.001/207-08 and DBOD No. 47/29.39.001/207-08 dated 1 November 2007 of Reserve Bank of India]

The Reserve Bank of India has notified as under:

No nomination shall be valid unless 'Fit and Proper' status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the Fit and Proper status with regard to educational qualification, experience and field of expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority/ regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a director on the Board.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank, Saturday, 10th July 2010.

VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

UNCLAIMED SHARE CERTIFICATES

As on 31st March 2010, there are 366 unclaimed physical share certificates for delivery of which Bank is yet to receive claim/request



अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शेयरों के वास्तविक धारकों/स्वामी से हमारा पुनः अनुरोध है कि वे अपने दावे पर्याप्त सबूत के सहित प्रस्तुत करें जिससे कि ऐसे शेयरों की शीघ्र सुपुर्दगी करने में सुविधा हो। यह नोट किया जाए कि ऐसे अदावाकृत/बकाया शेयरों की बाबत मतदान अधिकार पर अधिकारवान स्वामी द्वारा उनके लिए दावा किए जाने तक रोक लगा रहेगा।

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से अमूर्तीकृत (डिमाट) रूप में क्रय-विक्रय

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अनुसरण में सभी निवेशकों के अमूर्तीकृत रूप में लिए बैंक के शेयरों के क्रय-विक्रय किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक की आईएसआईएन कूट संख्या आईएनई 69101018 है। बैंक के शेयरों के अमूर्तीकरण हेतु निर्गमनकर्ता कंपनी के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ बैंक ने एक करार किया है। संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से अमूर्तीकरण का अनुरोध हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास भेजा जा सकता है।

तुलन-पत्र वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएंगी क्योंकि वे उन्हें डाक द्वारा भेजी जा चुकी हैं।

शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक बैंक में विचारार्थ कार्यसूची की मदों से संबंधित पूछताछ, यदि कोई हो, पर्याप्त समय रहते करें ताकि बैंक को प्रभावी रूप से प्रत्युत्तर देने में सहूलियत हो।

शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य प्रकार के विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, संबंधी सूचना अमूर्तीकृत शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं मूर्त शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को इस पते पर दें :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : युको बैंक
प्लॉट सं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर, माधपुर, हैदराबाद -500 081
दूरभाष : (040) 44655000 ; फैक्स (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत दर्ज करने हेतु बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.karvycomputershare.com पर लॉग ऑन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज करने हेतु निवेशक सेवा पृष्ठ पर क्लिक करें।

शेयर सेक्शन एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस कक्ष से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

श्री एन. पूर्णचन्द्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष,
यूको बैंक, प्रधान
कार्यालय, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700 001
दूरभाष : 033-2231-6858 फैक्स : 22485625

अन्य सूचना

शेयरधारकगण कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के
आदेशानुसार

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28 मई, 2010

(एस. के. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

from the bonafide holders. While we again request the bonafide holders/owners of such shares to submit their claim along with adequate proof so as to facilitate early delivery of such shares, it may be noted that voting right in respect of such unclaimed/outstanding shares will remain frozen till its claim by the rightful owner.

COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive of SEBI, trading of our Bank Shares in dematerialised form has been made compulsory for all investors. ISIN Code Number of the Bank is INE691AO1018

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as an issuer Company for dematerialisation of Bank's Shares.

Request for dematerialisation may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent.

COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting since the same have already been mailed to them.

SHAREHOLDERS QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Computershare Private Limited
Unit : UCO BANK,
Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar, Madhapur,
Hyderabad - 500 081
Tel : (040) 44655000 ; Fax : (040) 23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N. Purna Chandra Rao, The Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank,
Head Office : 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001
Telephone : 033-2231-6858, Fax : 22485625

Other Information

Shareholders may kindly note that no gift/coupon will be distributed at the meeting.

By Order of the Board
of Directors

(S. K. Goel)

Place: Kolkata
Date: 28th May, 2010

Chairman & Managing
Director



सुसंगत अधिनियमों, योजना एवं विनियमों आदि से उद्धारण-निदेशकों का निर्वाचन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति धारा 3 की उप-धारा (2आ) के खंड 'ग' के अधीन जारी पूंजी के परिमाण के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 राष्ट्रीय बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध योजना 1970 की सुसंगत धाराओं तथा यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के सुसंगत विनियमों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का प्रतिषेध - धारा 16(1)

भारत में निगमित किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक मंडल में कोई ऐसा व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंककारी कंपनी का निदेशक हो।

ऋण एवं अग्रिम पर निर्बंधन - धारा 20

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई बैंककारी कंपनी -

- (क) अपने शेयर की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी, या
- (ख) निम्नलिखित को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए कोई अभिबंधन नहीं करेगी -
 - (i) अपने किसी निदेशक को,
 - (ii) किसी ऐसे फर्म को जिसमें उसके किसी निदेशक का हित भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हो, या
 - (iii) किसी ऐसी कंपनी को जो किसी बैंककारी कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत कंपनी की अनुषंगी न हो या किसी ऐसी सरकारी कंपनी को (या धारक कंपनी की अनुषंगी को) जिसका; बैंककारी कंपनी का कोई निदेशक; निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें उसका पर्याप्त हित हो, या
 - (iv) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी बाबत इसका कोई निदेशक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।

(2) यदि किसी बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर किया गया कोई ऋण या अग्रिम ऐसा हो कि जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया था उस तारीख को उप-धारा (1) का खंड (ख) प्रवृत्त रहता तो उक्त ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए अभिबंधन नहीं हुआ रहता (या बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ होने के बाद परंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व किए गए अभिबंधन के अनुसरण में बैंककारी कंपनी द्वारा मंजूर किया जाता है तो बैंककारी कंपनी को देय उक्त ऋण या अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की, यदि कोई हो, वसूली ऋण या अग्रिम की मंजूरी के समय निर्धारित अवधि के भीतर या यदि कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हो तो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व करने के लिए कार्यवाई की जाएगी; परन्तु यह कि भारतीय रिज़र्व बैंक को यदि बैंककारी कंपनी से लिखित रूप में इस संबंध में आवेदन प्राप्त होता है तो वह ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को एक निश्चित तारीख तक बढ़ा सकेगा परंतु ऐसी तारीख उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से परे की कोई तारीख नहीं होगी और वह ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधधीन होगी जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समझे; परन्तु यह और कि यदि संबंधित

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC - ELECTION OF DIRECTORS

In terms of Sections 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant Sections of the Banking Regulations Act 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and the relevant regulations of Uco Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

1. THE BANKING REGULATION ACT 1949

Prohibition of Common Directors - Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -

- (a) grant any loans or advances on the security of its own share, or
- (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of -
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary of the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor

(2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not be have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period of the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit: Provided further that this sub-section



निदेशक का पद उसकी मृत्यु, सेवानिवृत्ति, पदत्याग के कारण या अन्यथा खाली होता है तो यह उप-धारा लागू नहीं होगी।

- (3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना विप्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई विप्रेषण शून्य एवं अप्रभावी होगा।
- (4) यदि किसी व्यक्ति द्वारा देय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी ऋण या अग्रिम की चुकौती उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंककारी कंपनी को नहीं की जाती है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा, यदि यह उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंककारी कंपनी का निदेशक हो, उक्त तारीख को अपना पद रिक्त किया गया समझा जाएगा।

इस धारा से संबंधित स्पष्टीकरण

- (क) 'ऋण या अग्रिम' पद में ऐसा कोई लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक, लेनदेन के स्वरूप को, उस अवधि को जिसके भीतर और उस रीति एवं परिस्थितियों को जिनमें लेनदेन के कारण देय किसी राशि की उगाही की जाने की संभावना हो तथा जमाकर्ताओं के हित एवं अन्य सुसंगत प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट न करें:
- (ख) "निदेशक" पद में प्रबंध के प्रयोजनार्थ या उसके सभी या किन्हीं मामलों के प्रबंध के संबंध में उसे सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी बैंककारी कंपनी द्वारा गठित भारत में किसी बोर्ड या समिति का कोई सदस्य शामिल है।
- (5) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई लेनदेन ऋण है या अग्रिम तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजा जाएगा और उसपर उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

2. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मतदान अधिकार पर निर्वन्धन

- 3(2उ) केन्द्र सरकार से भिन्न समरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों की बाबत समरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल की संरचना

- 9(3) यदि धारा 3 की उप-धारा (2आ) के खंड (ग) के अधीन जारी पूंजी-
 - (i) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अनधिक है तो एक निदेशक से अनधिक,
 - (ii) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से अनधिक है तो दो निदेशक से अनधिक,
 - (iii) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो तीन निदेशक से अनधिक का निर्वाचन केन्द्र सरकार से भिन्न निदेशकों द्वारा अपने में से किया जाए।

परन्तु यह कि यदि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) एवं वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व समरूपी नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या, उप खंड (I) या उप खंड (II) या उप खंड (III) में, यथास्थिति विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक हो तो ऐसे प्रारंभ की तारीख के पहले निर्वाचित अतिरिक्त निदेशक योजना में यथानिर्धारित रूप से सेवानिवृत्त होंगे तथा वे अपने कार्यकाल से समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- (3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- (4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section -

- (a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- (b) "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- (5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT 1970

Restrictions on voting rights

- 3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

- 9(3) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-
 - (i) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, not more than one Director
 - (ii) more than sixteen per cent of the total paid up capital, not more than thirty two per cent of the total paid up capital, not more than two Directors
 - (iii) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) & Financial institutions Laws (Amendment) Act 2006, in corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub clause (i) or sub clause (ii), or sub clause (iii), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of their term of office.



9(3अ) उक्त खंड (i) के अधीन निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक को -

(अ) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए यथा- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समरूप नये बैंक के लिए उपयोगी हो।

(आ) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए; या

(इ) कृषकों, कामगारों, एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

9(3अअ) उप धारा 3(अ) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उक्त अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के अनुसार तबतक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने का पात्र नहीं होगा जबतक वह अपने पूर्ववृत्त, सत्यनिष्ठा तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य मानदंड के आधार पर 'उपयुक्त एवं समुचित हैसियत' प्राप्त व्यक्ति न हो।

9(3अआ) भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा (3अअ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त एवं समुचित हैसियत' अवधारित करने के प्राधिकार, ऐसे अवधारण की रीति, ऐसे अवधारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा अन्य ऐसे मामले जैसा कि आवश्यक समझे गए हों या उससे प्रासंगिक हों, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

9(3आ) : यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की यह राय हो कि धारा (9) की उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन निर्वाचित किसी समरूपी नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह ऐसे निदेशक एवं बैंक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को उसके पद से हटा सकता है और इस प्रकार उसे पद से हटाने के बाद उसके स्थान पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो निदेशक के रूप में उप-धारा (3अ) की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, तब तक सहयोजित करेगा जब तक अगली वार्षिक आम बैठक के समरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा सम्यक् रूप से निदेशक का निर्वाचन नहीं किया जाता है तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को समरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में बाध्यता :

13(2) प्रत्येक निदेशक, किसी स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या लेखा-परीक्षक, सलाहकार, समरूपी नए बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी कार्यभार संभालने के पूर्व तृतीय अनुसूची में उपवर्णित फार्म में विश्वसनीयता एवं गोपनीयता के संबंध में घोषणा करेगा।

3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970

निर्वाचित निदेशक की पदावधि

खंड 9 (4) :

कोई निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारित करेगा और पुनर्निर्वाचित किए जाने का हकदार होगा : परन्तु ऐसा कोई निदेशक छह वर्षों से अधिक अवधि के लिए लगातार पद धारित नहीं करेगा।

निदेशकों की अनर्हता :

खंड 10 :

कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अनर्ह होगा -

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely- agriculture and rural economy, Banking, Co-operation, Economics, Finance, Law, Small scale industry, any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.

(B) represents the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other laws for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) of section (9) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Directors and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy

13(2) Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Adviser, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity as secrecy in the form set out in the Third Schedule.

3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME 1970

Terms of office of elected Director

Clause 9 (4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

Disqualification of Directors

Clause 10

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director :-



- (क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो या उसने ऋण अदा न किया हो या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया हो; या
- (ख) यदि वह विकृत चित्त का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या
- (ग) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्गस्त हो; या
- (घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ड) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो।

निदेशक के पद का परित्याग

खंड 11 :

- यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अध्यक्षीन होता है या निदेशक मंडल की लगातार तीन बैठकों से अधिक में छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है और तत्पश्चात् उसका पद खाली हो जाएगा।
- अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट कोई निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित रूप में नोटिस देकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है तथा उक्त सरकार द्वारा ऐसे पदत्याग को स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का परित्याग कर दिया है; तथा कोई अन्य निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित रूप से नोटिस देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है और ऐसा पदत्याग केन्द्र सरकार द्वारा पदत्याग संबंधी पत्र की प्राप्ति पर प्रभावी होगा।
- यदि निर्वाचित निदेशक से भिन्न किसी निदेशक का पद खाली होता है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना

खंड 11 अ :

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारक, सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से अनधिक शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के बहुमत से पारित किए जा सकनेवाले संकल्प द्वारा धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अधीन निर्वाचित किसी निदेशक को उसके पद से हटा सकते हैं और उक्त रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के खाली पद को भरा जाना

खंड 11 आ :

- (1) किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कोई रिक्ति होने पर उक्त रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी :
परन्तु यह कि यदि रिक्ति की अवधि के छह माह से कम होने की संभावना हो तो उक्त रिक्ति शेष निदेशकों से भरी जा सकती है।
- (2) उप-खंड (1) के अधीन, यथास्थिति, निर्वाचित या सहयोजित कोई व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल के असमाप्त अंश के लिए पद धारित करेगा।

- if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11

- If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of elected Director

Clause 11B

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors
- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.



निदेशकों द्वारा अपने हित का प्रकटीकरण

खंड 12 (8) :

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या की जानेवाली किसी संविदा, ऋण, ठहराव में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध या हितबद्ध किसी निदेशक की जानकारी में सुसंगत परिस्थिति के आने के बाद यथासंभव शीघ्र वह उसमें अपने हित के स्वरूप की जानकारी बोर्ड को देगा और बोर्ड की जिस बैठक में ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव पर चर्चा होती है उसमें तबतक उपस्थित नहीं होगा जबतक उससे जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती है तथा जिस निदेशक से इस प्रकार उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है वह ऐसी किसी संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा। परन्तु, यह कि इस उप-खंड में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर लागू नहीं होगी यदि वह केवल :

- (i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी ऐसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में दो प्रतिशत से अधिक चुकता पूंजी धारित करने वाला कोई शेयरधारक (निदेशक से भिन्न) हो जिसके साथ या जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, ठहराव या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, या
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जो निदेशक (अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ड) या खंड (च) में यथाविनिर्दिष्ट) हो।

4. यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003

संयुक्त धारकों के अधिकारों प्रयोग/आम बैठकों में मतदान

विनियम 10 :

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो जहाँ तक मतदान करना, लाभांश की प्राप्ति, सूचना की तामील, बैंक से संबंधित अन्य किन्हीं या सभी मामलों का प्रश्न है, शेयरों के अंतरण को छोड़कर, रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाए।

आम बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक

विनियम 63 :

- (i) धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (झ) के अधीन किसी निदेशक का निर्वाचन बैंक की आम बैठक में केन्द्र सरकार से भिन्न ऐसे शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से किया जाएगा जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज है।
- (ii) यदि किसी आम बैठक में किसी निदेशक का निर्वाचन किया जाना हो तो उसकी सूचना बैठक के आयोजन संबंधी सूचना में शामिल की जाएगी, ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या एवं उन रक्तियों के विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी बाबत निर्वाचन किया जाना है।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64 :

- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (झ) के अधीन किसी निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ रजिस्टर में उल्लिखित ऐसे शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक निर्वाचित किया जाना है।
- (ii) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके रजिस्ट्रीकृत पते, उनके द्वारा धारित एवं द्योतित शेयरों की संख्या, शेयरों के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और ऐसे मतों की संख्या अंतर्विष्ट

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement of proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being :

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the nationalized Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act)

4. UCO BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2003

Exercise of rights of joint holders / Voting at general meetings

Regulation 10 :

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at General meeting

Regulation 63

- (i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting to the Bank.
- (ii) Where an election of Directors to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the share are



रहेगी जिन्हें वे निर्वाचन के लिए नियत तारीख को बैठक में देने के हकदार होंगे तथा उक्त सूची की प्रतियाँ बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निदेशक मंडल या प्रबंध समिति द्वारा नियत मूल्य पर प्रधान कार्यालय में आवेदन पर विक्रय के लिए उपलब्ध होंगी।

निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियम 65 :

- (i) निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु किसी उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक-
 - (क) वह बैंक के 100 शेयर धारित करनेवाला कोई शेयरधारक न हो।
 - (ख) वह नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को इस अधिनियम या इस योजना के अधीन निदेशक होने के लिए अनर्ह न होता हो।
 - (ग) उसने शेयर मांग की राशि के भुगतान के लिए नियत अंतिम तारीख को या उससे पूर्व अपने द्वारा धारित बैंक के शेयरों की बाबत शेयर मांग की सभी राशि का भुगतान अकेले या अन्य के साथ संयुक्त रूप से नहीं कर दिया है।
 - (घ) नामांकन लिखित रूप से नहीं है और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटर्नी के हस्ताक्षर नहीं है; परंतु यह कि यदि शेयर धारक कोई कंपनी हो तो उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में यह पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के पास प्रेषित की जाएगी तथा उक्त प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
 - (ङ) किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का कोई घोषणा-पत्र नामांकन के साथ संलग्न नहीं किया जाता है या उसमें अंतर्विष्ट नहीं रहता है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा या तो इस अधिनियम के अधीन या इस योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक होने से अनर्ह नहीं है।
- (ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह सभी संबद्ध दस्तावेजों सहित सभी तरह से पूर्ण रूप में बैंक के प्रधान कार्यालय में किसी कार्य-दिवस को बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व प्राप्त न हो।

नामांकन की संवीक्षा

विनियम 66

- (i) नामांकन की संवीक्षा, नामांकन प्राप्ति के लिए नियत तारीख के बाद के प्रथम कार्यदिवस को की जाएगी और यदि कोई सूचना वैध नहीं पाई जाती है तो उसके कारण अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरी जानेवाली किसी विशेष रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन हो तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवार तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति का नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी दशा में इस प्रयोजनार्थ बुलाई गई बैठक में कोई निर्वाचन नहीं होगा और यदि बैठक एकमात्र उपर्युक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।

registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulation 65 :

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 shares in the Bank
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect the Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
 - (e) the nomination accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar or Assurance or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any other nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations

Regulation 66 :

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for the receipt of nomination and in case any information is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.



- (ii) निर्वाचन होने की दशा में यदि वैध नामांकन निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार को बहुमत मिला हो उसे निर्वाचित माना जाएगा।
- (iii) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित किसी निदेशक को उस तारीख के बाद की तारीख को पदग्रहण किया गया समझा जाएगा जिस तारीख को वह निर्वाचित किया जाता है या किया गया समझा जाता है।

निर्वाचन संबंधी विवाद

विनियम 67 :

- (i) यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित समझे गए या घोषित किसी व्यक्ति की अर्हता या अनर्हता के संबंध में या निदेशक के निर्वाचन की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए हकदार एवं हितबद्ध कोई उम्मीदवार या शेयरधारक ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से सात दिन के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकेगा/सकेगी और उक्त सूचना में निर्वाचन की वैधता पर संदेह या विवाद करने के आधार का पूरा ब्योरा देगा/देगी।
- (ii) उप विनियम (i) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को एक ऐसी समिति के पास उसके विनिश्चय के लिए भेजेगा जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) एवं (ग) के अधीन नामित किन्हीं दो निदेशक से मिलकर बनेगी।
- (iii) उप विनियम (ii) में निर्दिष्ट समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध था तो वह निर्वाचन के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी, या यदि वह पाती है कि निर्वाचन वैध नहीं था तो वह जांच प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर नया निर्वाचन कराने सहित ऐसा आदेश पारित करेगी एवं ऐसे निदेश देगी जैसा उन परिस्थितियों में समिति को उचित लगे।
- (iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश एवं निदेश निश्चायक होंगे।

अध्याय VI

शेयरधारकों का मताधिकार/मताधिकार का अवधारण

विनियम 68 :

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2उ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन किसी आम बैठक की तारीख के पूर्व रजिस्टर बंद किए जाने की तारीख को ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को, जिसका नाम रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज किया गया हो, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा और मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित किए जानेवाले प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 3 (2उ) दिन के उपबंधों के अध्यधीन यथापूर्वोक्त रूप में मतदान करने के लिए हकदार प्रत्येक ऐसे शेयरधारक को, जो कंपनी न हो और व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा उपस्थित हो या जो कंपनी हो और सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी द्वारा उपस्थित हो, जैसा इसमें इसके ऊपर उप-विनियम (i) में कथित है, हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित किए जानेवाले प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।

- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes

Regulation 67

- (i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he/she doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section 3 of section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and given such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Chapter VI

Voting Rights of Shareholders Determination of voting rights

Regulation 68 :

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provision in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)



स्पष्टीकरण :- इस अध्याय में "कंपनी" से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है

- (iii) किसी आम बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर अपने परोक्षी के रूप में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह कोई शेयरधारक हो या नहीं) नियुक्त करने का हक होगा परंतु इस प्रकार नियुक्त किसी परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

विनियम 69 :

- (i) कोई शेयरधारक, चाहे वह केन्द्र सरकार या कोई कंपनी हो, संकल्प द्वारा, यथास्थिति, अपने किन्हीं अधिकारी या अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में "सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में विनिर्दिष्ट) केन्द्र सरकार या कंपनी की ओर से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा मानो वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस प्रकार का प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसी दशा में उनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार/कंपनी के सम्यक् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगा।
- (ii) कोई व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में कंपनी के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तबतक उपस्थित नहीं होगा या मतदान नहीं करेगा जबतक सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति संबंधी संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्यप्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के पास बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व जमा न की गई हो।

Explanation :- For this chapter, "Company" means any body corporate

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative

Regulation 69

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government of the Company which he represents as if he was an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government /Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

शेयरधारकों के ध्यानार्थ / For Attention of Shareholders

यदि आप,

- ❖ अबतक मूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित कर रहे हैं तो अनुरोध है कि आप उन्हें अमूर्तीकृत करवा लें जिसके निम्नलिखित लाभ हैं :
 - आपके शेयर खो नहीं सकते हैं /उन्हें चुराया नहीं जा सकता है/वे कट-फट नहीं सकते हैं
 - इनकी सत्यता संदेह से परे है
 - अंतरण,प्रेषण,अदला-बदली जैसे लेनदेन शीघ्रतिशीघ्र किए जाते हैं
 - दोषयुक्त शेयर सौंपे जाने की जोखिम नहीं है
 - आपको आबंटित बोनस/अधिकार शेयर तत्काल आपके खाते जमा किए जाएंगे

अपने शेयर को अमूर्तीकृत कराने के लिए आप कृपया अपने निवास-स्थान पर कार्यरत निक्षेपागार सहभागी से संपर्क करें जो उसकी क्रियाविधि से अवगत कराएंगे।

- ❖ यदि आपको पिछले वर्षों के लाभांश वारंट और आईपीओ वापसी आदेश अबतक प्राप्त नहीं हुए हैं तो कृपया हमारे शेयर अनुभाग (फोन नं. 033 22316858) से संपर्क करें या शेयर के लिए अपने आवेदन के ब्योरे देते हुए ई-मेल पता hoacs.calcutta@ucobank.co.in पर ई-मेल भेजें जिससे कि हम उसकी खोज-खबर रख सकें और आवश्यकता होने पर उसकी अनुलिपि जारी कर सकें।

If you,

- ❖ are still holding the Bank's share in physical form, we request for your getting it dematerialised owing the to the following advantages :
 - your shares cannot be lost / stolen / mutilated
 - its genuineness is beyond doubt
 - transactions like transfer, transmission & transposition are very quick
 - there is no risk of bad delivery
 - bonus/right shares allotted to you will be immediately credited to your a/c

For getting your shares dematerialised please contact the Depository Participants of your place, who would advise about the procedure.

- ❖ are yet to receive Dividend Warrants of previous years and IPO Refund Order, please contact our Share Section (PH No. 033 22316858) or send your e-mail, hoacs.calcutta@uconbank.co.in stating particulars of the share application to enable us to track it and issue duplicate, if necessary.



दिनांक 31.03.2010 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2010

(करोड़ रु. में/Rs. in Crore)

कारबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007	मार्च 2006 March 2006	मार्च 2005 March 2005	मार्च 2004 March 2004
कुल जमा / Total Deposits	122416	100222	79909	64860	54544	49470	39244
कुल अग्रिम / Total Advances	83371	69669	55627	47471	37817	28234	21343
कुल कारबार / Total Business	205787	169891	135536	112331	92361	77704	60587
विनिधान / Investment	43700	29512	24629	19789	19803	19125	17652
ब्याज आय / Interest income	9526	8121	6509	5318	4355	3549	3096
ब्याज व्यय / Interest Expenditure	7202	6477	5021	3623	2789	2140	1902
निवल ब्याज आय / Net Interest Income	2324	1644	1488	1695	1566	1409	1194
परिचालन लाभ / Operating Profit	1706	1202	954	945	763	838	948
निवल लाभ / Net Profit	1012	558	412	316	197	346	435
ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio	68.10	69.51	69.61	73.19	69.33	57.07	54.39
शाखाओं की संख्या / No. of Branches	2151	2068	1961	1853	1744	1727	1717

दिनांक 31.03.2010 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन निर्देशक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2010

विवरण Particulars (% में) (in %)	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007	मार्च 2006 March 2006	मार्च 2005 March 2005	मार्च 2004 March 2004
कुल आय के % के रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	22.15	17.98	20.44	29.43	33.11	34.69	32.08
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	6.44	7.25	6.74	5.66	5.19	5.02	5.51
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	10.13	10.67	9.96	8.65	8.26	8.50	9.31
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.19	1.97	1.87	2.51	2.72	2.97	3.11
पूंजी पर्याप्तता (%) / Capital Adequacy (%)							
बासेल-I / BASEL-I	11.35	9.75	10.09	11.56	11.12	11.26	11.88
बासेल-II / BASEL-II	13.21	11.93	11.02	NA	NA	NA	NA
प्रति शाखा कारबार (करोड़ रु.) Business per Branch (Rs.Crore)	95.67	82.15	69.12	60.62	52.96	44.99	35.29
प्रति कर्मचारी कारबार (करोड़ रु.) Business per Employee (Rs.Crore)	9.01	7.32	5.80	4.64	3.87	3.21	2.49
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Gross NPA Ratio (%)	1.99	2.21	2.97	3.17	3.27	4.96	6.93
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	1.17	1.18	1.98	2.14	2.1	2.93	3.65
आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.87	0.59	0.52	0.47	0.34	0.73	1.13
प्रति शेयर अर्जन (रु. में) /Earning Per Share (in Rs.)*	18.42	*7.63	5.16	3.95	2.46	4.32	*6.23

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/* Weighted average number of Share



यूको बैंक

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

नामांकन फार्म

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
यूको बैंक,
10, वि. त्रै. म. सरणी,
(ब्रेबोर्न रोड)
कोलकाता - 700 001

प्रिय महोदय,
निदेशक का निर्वाचन

आपकी सूचना दिनांक 28/05/2010 के संदर्भ में मैं _____, यूको बैंक का एक शेयरधारक, जो यानी निर्वाचन में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तारीख अर्थात् सोमवार, दिनांक 7 जून, 2010 को रु. 10/- प्रत्येक के _____ इक्विटी शेयर धारित करता/करती हूँ, एतद्वारा श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री पत्नी _____, निवासी _____ को दिनांक 12 जुलाई, 2010 को आयोजित होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में यथाउपबंधित बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले यूको बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु नामित करता/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या पंजीकृत फोलियो सं. (यदि अमूर्तीकृत नहीं है)	
डी पी पहचान सं. (यदि अमूर्तीकृत है)	
ग्राहक की पहचान सं. (यदि अमूर्तीकृत है)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणियां :

- यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें यह पारित किया गया है।
- उम्मीदवार का नामांकन करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।



UCO BANK

HEAD OFFICE : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

NOMINATION FORM

To
The Chairman & Managing Director,
UCO Bank,
10, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road),
Kolkata – 700 001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice Dated 28/05/2010, I.....
a shareholder of UCO Bank holding.....Equity shares of Rs. 10/- each as on
Monday, the 7th June 2010 i.e., the specified date for participating in the election, do hereby nominate
Shri/Smt.....son/daughter /wife of.....
residing atfor being elected as a
Director of UCO Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 at the Annual General Meeting of
the Shareholders of the Bank to be held on 12th July 2010.

Name	
Signature	
No. of shares Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. (if dematerialized)	
Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes :

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.



यूको बैंक

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

घोषणा-पत्र

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री/श्रीमती..... निवासी

.....एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि :

- क. मैं यानी निर्वाचन में भाग लेने की 7 जून, 2010 निर्दिष्ट तारीख को बैंक के..... ईक्विटी शेयर धारित करनेवाला/वाली एक शेयरधारक हूँ, और
- ख. मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, या..... का (जिसका विशेष ज्ञान एवं जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है) विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 अ की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, कामगारों एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ तथा उसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ सुसंगत शंसापत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ, और
- ग. मैं.....नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ तथा
- घ. मैं यूको बैंक के निदेशक का निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक हूँ, एवं
- ङ. मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970, यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन बैंक का निदेशक होने के लिए अनर्ह नहीं हूँ।
- च. मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में न तो कोई लाभ का पद धारित करता/करती हूँ और न ही उसका कोई कर्मचारी हूँ।
- छ. मैं अपने वैयक्तिक ब्योरे संलग्न करता/करती हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं, तथा
- ज. मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं यथासंभव शीघ्र, बैंक को ऐसी घटनाओं से, यदि कोई हो पूरी तरह अवगत कराऊंगा/कराऊंगी जो उस घोषणा-पत्र के जारी किए जाने के बाद उत्पन्न होती हैं और जो इसमें दी गई सूचना के सुसंगत हैं तथा बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करूंगा/करूंगी।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं. (यदि अमूर्तीकृत नहीं है)	
डी पी पहचान सं. (यदि अमूर्तीकृत है)	
ग्राहक की पहचान सं. (यदि अमूर्तीकृत है)	
स्थान	
तारीख	

* न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या यूको बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

(जो लागू न हो उसे काट दें)

उपर्युक्त घोषणा-पत्र मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया।

*मुहर एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर



UCO BANK

HEAD OFFICE : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

DECLARATION

I,son/daughter/wife
of Shri/Smt.resident of.....
hereby confirm that :

- I am a shareholder holding.....equity shares of the Bank on 7th June 2010 i.e. the specified date for participating in the elections, and
- I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics (v) finance (vi) law (vii) small scale industry, or.....(special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- I accept the nominations numbering.....and
- I am willing to contest for the election of Director of UCO Bank, and
- I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations 2003.
- I neither hold any office of profit nor am an employee of any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959.
- I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and
- I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
No. of shares Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. (if dematerialized)	
Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

* Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or UCO Bank or any nationalized Bank.

(Delete whichever is not applicable.)

The above declaration was signed before me.

*Signature & Seal with date



उम्मीदवार के व्यक्तिगत ब्योरे देने हेतु फार्मेट

क्र.सं.	विवरण	
I	उम्मीदवार के व्यक्तिगत ब्योरे	
1	उम्मीदवार का पूरा नाम	
	पिता का पूरा नाम	
2	जन्म तिथि	
3	स्थायी पता	
4	वर्तमान पता	
5	दूरभाष एवं फैक्स संख्या	
6	ई-मेल पहचान संख्या	
7	स्थायी खाता संख्या (पैन) और उस आयकर सर्कल का नाम और पता जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणियां दर्ज की जाती हैं (पैन की प्रति और दर्ज की गई नवीनतम आय कर विवरणी की अभिस्वीकृत प्रति संलग्न की जाए)	
8	शैक्षिक अर्हता (अर्हता के प्रमाणस्वरूप स्वयं-अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
9	सुसंगत ज्ञान और अनुभव (कृपया ज्ञान/और अनुभव के प्रमाणस्वरूप स्वयं-अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें)	
10	अन्य कोई सूचना जिसे उम्मीदवार प्रस्तुत करना चाहता है।	
II	निदेशकों के सुसंगत संबंध	
11	उम्मीदवार के ऐसे संबंधियों, यदि कोई हों, की सूची जिनका सम्पर्क बैंक से है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1 अ के अनुसार)	
12	ऐसी संस्थाओं की सूची जिनमें उम्मीदवार को हितबद्ध होने के रूप में माना जा रहा है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3) (क); धारा 300 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 देखें)	
13	ऐसी संस्थाओं की सूची जिनमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ढ ड) के अर्थ के अंतर्गत उम्मीदवार को पर्याप्त हितबद्ध राशि रखे जाने के रूप में माना जा रहा है	
14	ऐसे बैंक (बैंकों) के नाम जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य है अथवा बोर्ड का सदस्य रह चुका है (उस अवधि के ब्योरे दें जिसके दौरान ऐसा कार्यभार संभाला गया था।)	
15	उम्मीदवार द्वारा अथवा ऊपर 12 और 13 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी एक संस्था द्वारा बैंक से इस समय प्राप्त निधिगत और गैर-निधिगत सुविधाएं, यदि कोई हों।	



FORMAT FOR BIODATA OF THE CANDIDATE

Sl. No.	Particulars	
I	Personal Details of the Candidate	
1.	Full Name of the Candidate	
	Father's Name in Full	
2.	Date of Birth	
3.	Permanent Address	
4.	Present Address	
5.	Telephone & Fax Number	
6.	Email id	
7.	Permanent Account Number (PAN) and name and address of the Income Tax Circle where personal tax returns are filed (Copy of PAN and acknowledged copy of the latest IT return filed to be attached)	
8.	Educational Qualifications (please attach self attested certificates evidencing the qualification)	
9.	Relevant Knowledge and Experience (Please attach self attested certificates evidencing knowledge/and experience)	
10.	Any other information which the candidate desires to furnish	
II	Relevant Relationships of the Candidate	
11.	List of relatives of the Candidate, if any, who are connected with the Bank (In terms of Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
12.	List of entities in which the candidate is considered as being interested {Refer section 299(3)(a); Section 300 of the Companies Act, 1956 and Section 20 of the Banking Regulations Act 1949}	
13.	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (ne) of the Banking Regulation Act 1949	
14.	Name of Bank(s) in which the candidate is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held)	



16.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उम्मीदवार अथवा ऊपर 12 एवं 13 में सूचीबद्ध संस्थाएं बैंक अथवा अन्य कोई बैंक/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में पहले चूक की हैं या चूक कर चुकी हैं।	
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख	
17.	उम्मीदवार की व्यावसायिक उपलब्धियाँ, यदि कोई हों।	
IV.	उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाहियाँ, यदि कोई हों	
18.	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित अथवा शुरू की गई अथवा दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कुछ हो, के ब्योरे अथवा उम्मीदवार पर किसी व्यवसाय/उपजीविका में प्रवेश की रोक लगाई गई है या नहीं।	
19.	आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन हेतु उम्मीदवार के विरुद्ध और/या ऊपर 12 और 13 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी एक संस्था के विरुद्ध पहले लंबित या प्रारंभ की गई दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अभियोजन, यदि कोई हो, के ब्योरे।	
20.	निदेशक के विरुद्ध पिछले वर्षों में लंबित या प्रारंभ की गई दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, के ब्योरे।	
21.	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी एक अनर्हता के परिप्रेक्ष्य में उम्मीदवार अनर्ह है ?	
22.	क्या उम्मीदवार या ऊपर 12 और 13 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से कोई एक संस्था सरकारी विभाग या एजेंसी के आग्रह पर किसी प्रकार की जाँच के अध्यक्ष हैं ?	
23.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय नियमों/विनियमों/सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों की विधिक अपेक्षाओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है ? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।	
24.	क्या उम्मीदवार अथवा ऊपर 12 और 13 में सूचीबद्ध संस्थाओं में से किसी संस्था को सेबी, भा.रि. बैंक, आइआरडीए, एमसीए, एफईएमए जैसे नियामकों से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुई है ?	
V.	मद। से II से संबंधित कोई अन्य व्याख्या/सूचना और उपयुक्त एवं समुचित पाए जाने हेतु संगत मानी गई अन्य सूचना।	

मैं यह पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना हमारी अधिकतम जानकारी में सही एवं पूरी है। मैं वचन देता हूँ कि अपनी नियुक्ति के बाद उन घटनाओं के संबंध में बैंक को यथाशीघ्र सूचित करूँगा जो उपर्युक्त सूचना से संबंधित हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

स्थान :



15.	Fund and Non Fund Facilities if any presently availed by the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above from the Bank	
16.	Cases, if any, where the candidate or entities listed in 12 and 13 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/Financial Institution	
III	Records of professional achievements	
17.	Professional achievements of the candidate, if any	
IV	Proceedings, if any, against the Candidate	
18.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
19.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in 12 and 13 above for violation of economic laws and regulations.	
20.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past years against the Director.	
21.	Whether the candidate attracts any of the disqualification envisaged under section 274 of the Companies Act 1956?	
22.	Has the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency ?	
23.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
24.	Whether the Candidate or entities listed in 12 and 13 above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, RBI, IRDA, MCA FEMA etc.?	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.	

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

Date :

Place :

Signature :



तालिका/TABLE — I

शाखा नेटवर्क \ Branch Network

क्रम	स्थान/देश	18.07.69	31 दिसम्बर, 1985	31 मार्च की स्थिति के अनुसार			
संख्या	Sl. Places/Countries	की स्थिति के अनुसार	की स्थिति के अनुसार				
No.	No.	As on 31st 18.07.69	As on 31st March December 1985	2007	2008	2009	2010
1	भारत में (देशी) \ In India (Domestic)	351	1712	1863	1957	2065	2148
2	भारत के बाहर \ Overseas	6	9	4	4	4	4
3	यूनाइटेड किंगडम \ United Kingdom	1	2	-	-	-	-
4	सिंगापुर \ Singapore	3	3	2	2	2	2
5	हांग कांग \ Hong Kong	2	4	2	2	2	2
6	शाखाओं की कुल संख्या (वैश्विक)	357	1721	1867	1961	2069	*2152
7	विस्तार काउंटरों की संख्या	-	80	87	19	11	7
	No. of Extension Counters	-	80	87	19	11	7

*दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार सभी शाखाएं सीबीएस समर्थित हैं।

*As on 31.3.2010, All the Branches are CBS enabled.

तालिका/TABLE — II

वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की क्षेत्रवार स्थिति

Sector-wise Position of Priority Sector Advances of the Bank for the Years 2006-07 to 2009-10

(राशि करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

क्रम	संख्या	निम्नलिखित को वित्तपोषण	निम्नलिखित के अनुसार बकाया शेष			
			Balance Outstanding as on			
Sl. No.	Financing of		मार्च	मार्च	मार्च	मार्च
			March 2007	March 2008	March 2009	March 2010
1	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances		17466	20474	25232	27600
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम/एएनबीसी / Priority Sector Advances/ANBC (%)*		40.36	47.08	50.69	43.91
3	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / Agriculture Advances		6154	7884	11239	14309
4	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / एएनबीसी/ Agriculture Advances/ANBC (%)*		14.22	13.00	22.58	22.76
5	कमजोर वर्गों को अग्रिम/ Advances to Weaker Sections		1719	3839	5973	6733
6	कमजोर वर्गों को अग्रिम/एएनबीसी / Adv. To Weaker Sections/ANBC (%)*		3.79	8.83	12.00	10.71
7	एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances		4288	6710	8963	12316
8	जिनमें से एमएसई अग्रिम / Of Which MSE Advances		2689	4342	6694	9077

*औसत शुद्ध बैंक ऋण / *Average Net Bank Credit

तालिका/TABLE — III

हमारे द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा तथा अग्रिमों की 31.03.2010 के अनुसार स्थिति

Position of Deposits & Advances of our sponsored RRBs as on 31.03.2010

(राशि करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

क्रम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल अग्रिम
Sl. No.	Name of RRB	No. of Branches	Total Deposits	Total Advances
1	जयपुर थार ग्रामीण बैंक \ Jaipur Thar Gramin Bank	213	1669	884
2	कलिंग ग्राम्य बैंक \ Kalinga Gramya Bank	183	1454	778
3	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक \ Bihar Kshetriya Gramin Bank	154	1289	454
4	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक \ Paschim Banga Gramin Bank	216	2348	735
5	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक \ Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank	43	245	80
	योग \ Total	809	7005	2931



वर्ष 2009-10 का निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2009-10

निदेशक मंडल बैंक के कार्यनिष्पादन संबंधी 41वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षित तुलनपत्र तथा दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा संलग्न है।

The Board of Directors presents the 41st Annual Report on the working of the Bank. The Audited Balance Sheet as on 31.03.2010 and the Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2010 appended with the Auditors' Report, are enclosed.

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. समग्र परिवेश

I. OVERALL ENVIRONMENT

वैश्विक परिदृश्य

The Global Scenario

वर्ष 2009 को न केवल वर्ष के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के अप्रत्याशित संकट झेलने के कारण बल्कि जिस प्रकार उस समय होनेवाली तबाही से बचा जा सका उस कारण से भी असाधारण कहा जा सकता है। विश्व की सर्वाधिक विकसित देश एवं कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को अतिशय दुखद आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा परंतु सरकार द्वारा अत्यंत द्रुत गति से उठाए गए ऐतिहासिक कदम के फलस्वरूप इस तबाही से बच निकलने का मार्ग खोज निकाला गया। अमरीका एवं इंग्लैंड जैसे देशों में विनाशोन्मुख वित्तीय क्षेत्र को मल्टि-ट्रिलियन डॉलर लोक-धन एवं उनकी सरकार द्वारा दी गई गारंटी का उपयोग कर बचा लिया गया। केन्द्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में काफी कमी की। जो खलबली मची थी उनपर इन अप्रत्याशित उपायों के कारण रोक लगी, बड़ी आर्थिक तबाही को दूर हटाया गया और वर्ष 2009 के उत्तरार्ध से स्थिति में सुधार होने लगा। उत्पादन, निर्यात, नियोजन के क्षेत्र में जो कमी आई थी उनमें सुधार परिलक्षित होने लगा और चीन एवं भारत में इसकी गति अपेक्षाकृत तेज रही। इस संकट के बावजूद एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2009-10 में उतनी खराब नहीं रही। परंतु इस असाधारण संकट से उबरने में सरकार के ऊपर ऋण का बोझ काफी बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप यूरोप एवं अन्यत्र की उन्नत अर्थव्यवस्था पर आनेवाले कई वर्षों तक राजकोषीय दबाव बना रहेगा।

The year 2009 was extraordinary not just for the unprecedented crisis the world economy faced during the period but also for how a catastrophe was averted. One of the most painful economic recessions the world had witnessed since the Great Depression elicited the biggest, broadest and fastest government response in history in most 'advanced' as well as in many 'emerging' economies. In countries like the US and the UK the collapsing financial sector was rescued by using multi-trillion-dollar public money and guarantees by their respective Governments. Central banks slashed interest rates to record lows. These unprecedented measures helped to stem panic, staved off a major economic disaster and sparked the beginnings of a recovery by the second half of 2009. Production, exports, employment - all of which went down - began to turnaround, and in the case of China and India, rather fast. Despite the crisis, the Asian economies did not do too badly in 2009-10 in comparison to previous years. But the extraordinary bail-out effort has left a legacy of massive sovereign debt consequent to which advanced economies in Europe and elsewhere are going to be under fiscal strain for many years to come.

संप्रति संपार्श्विक जमानत को काफी क्षति हुई है। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता उनमें बेरोजगारी के उच्च स्तर का होना है जो अमरीका एवं यूरो ज़ोन में लगभग 10 प्रतिशत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के जनवरी 2010 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 में वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या 212 मिलियन यानी वर्ष 2007 के स्तर से लगभग 34 मिलियन अधिक तक पहुंच गई और इसमें सबसे अधिक वृद्धि वर्ष 2009 के दौरान हुई। तथापि बेरोजगारी में इस वृद्धि का प्रभाव विभिन्न अर्थव्यवस्था पर असमान रूप से पड़ा।

There has been a lot of collateral damage. The biggest concern in the western world is high levels of unemployment, which is close to 10 per cent in the US and the Euro zone. According to International Labour Organisation(ILO)'s January 2010 figures, global unemployment reached 212 million in 2009 i.e. around 34 million above its 2007 level, with most of the increase having occurred during 2009. However, this increase in unemployment was unevenly distributed across different economies.

मोटे तौर पर इस बात पर आम सहमति है कि सरकारी सहायता को समयपूर्व वापस नहीं लिया जाए क्योंकि विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति में आज जो सुधार दिखाई पड़ रहा है वह उक्त सहायता के बिना टिक नहीं सकता। सरकारों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निवेश नीति तैयार करने की आवश्यक शर्त लोगों की माँग में वृद्धि एवं नियोजन की स्थिति में सुधार का होना है।

There is a broad consensus that government stimuli should not be withdrawn pre-maturely because economic recovery as it obtains today in different countries is too fragile to survive without them. Recovery in private demand and improvement in the employment scenario are necessary conditions for governments to begin unwinding policies designed to support their economies.



वैश्विक आर्थिक शक्ति में परिवर्तन: एशिया उदय

गोल्डमेन सैक रिपोर्ट-2003 में, जो 'बीआरआईसी' रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वैश्विक आर्थिक शक्ति में परिवर्तन के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, वह भविष्यवाणी चीन और भारत के बारे में पूरी तरह सच साबित नहीं हुई और मूल बीआरआईसी रिपोर्ट में की गई भविष्यवाणी की तुलना में चीन और भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार उन्नति हो रही है। स्पष्टतः वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का कार्य जारी है और कई उन्नत औद्योगिक देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः पहले की स्थिति में लाने एवं पुनरुज्जीवित करने में वर्षों लगेंगे।

Shift of Global Economic Power : Asia rising

The predictions of the 2003 Goldman Sachs report which famously coined the "BRIC" phrase while predicting the global shift of economic power have already come to pass with China and India continuously doing better than what the original BRIC report had predicted. It is clear that a major realignment of the global economic architecture is underway as many of the advanced industrial countries are expected to take years to recoup and revive their economies.

	ब्राजील Brazil	रूस Russia	भारत India	चीन China
2009 सकल देशी उत्पाद (क्रय शक्ति-समता)** (ट्रिलियन)	2.0	2.1	3.6	8.8
2009 GDP (PPP)** (\$trn)	2.0	2.1	3.6	8.8
1999 सकल देशी उत्पाद (क्रय शक्ति-समता)** (ट्रिलियन)	1.0	620 बिलियन	1.8	4.8
1999 GDP(PPP)** (\$trn)	1.0	620 bn	1.8	4.8
सकल देशी उत्पाद में वास्तविक वृद्धि 1999-2008 (%)	3.3	7	7	9.75
Real GDP growth 1999-2008 (%)	3.3	7	7	9.75
सकल देशी उत्पाद में वास्तविक वृद्धि 2009* (%)				
(मार्च '10 को समाप्त भारत का राजकोषीय वर्ष)	-0.2	-7.9	7.2	8.7
Real GDP growth 2009* (%)				
(India's Fiscal Year ended Mar '10)	-0.2	-7.9	7.2	8.7
Monetary reserves /मौद्रिक आरक्षितियां				
2009 (\$)	240 बिलियन	440 बिलियन	283 बिलियन	2.4 ट्रिलियन
2009 (\$)	240 bn	440 bn	283 bn	2.4 trn
2001 (\$)	28 बिलियन	35 बिलियन	54 बिलियन	212 बिलियन
2001 (\$)	28 bn	35 bn	54 bn	212 bn
आकार (वर्ग किलोमीटर)	8.5 मिलियन	17 मिलियन	3.3 मिलियन	9.6 मिलियन
SIZE (sq.km)	8.5 m	17 m	3.3 m	9.6 m

** क्रय शक्ति-समता पर आधारित

स्रोत : दिनांक 17.04.2010 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कोलकाता में यथाउद्धृत आइएमएफ, केन्द्रीय बैंक, सरकार, विश्व व्यापार संगठन, सीआईए वर्ल्ड फैक्टबुक 2009

आइएमएफ के आंकड़ों के अनुसार क्रय शक्ति-समता के निबंधनों के अनुसार वैश्विक सकल देशी उत्पाद के एशिया के अंश में लगातार वृद्धि हुई है और वह 1980 के 18% से बढ़कर 1995 में 27% और 2009 में 34% हो गया है। दि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना अकेले अमरीका की कोष प्रतिभूतियों का लगभग एक तिहाई धारित करता है तथा एशियन सेंट्रल बैंक सभी विदेशी मुद्रा आरक्षितियों का दो तिहाई धारित करता है। वर्ष 2015 तक एशिया के विश्व का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक बनने की आशा है और केवल अंतर-एशिया व्यापार के ही वैश्विक व्यापार के 35 प्रतिशत होने की संभावना है।

सितंबर, 2009 में राष्ट्रपति ओबामा ने पिट्सबर्ग में आयोजित जी-20 सम्मेलन में यह घोषणा की कि जी-20 विश्व के प्रधान आर्थिक मंच के

** based on purchasing power parity

Sources : IMF, central banks, governments, WTO, CIA World Factbook 2009 as quoted in The Financial Express, Kolkata of 17.4.10

According to IMF figures, Asia's share of global GDP in purchasing power parity terms has risen steadily from 18% in 1980 to 27% in 1995 and 34% in 2009. The central bank of China alone holds nearly a quarter of the US' Treasury securities and Asian central banks hold two-thirds of all foreign exchange reserves. By 2015, Asia is expected to become the largest trading block in the world with intra-Asia trade alone likely to contribute as much as 35 per cent of the global trade.

In Sept. 2009, President Obama announced at the G-20 Summit held in Pittsburgh that the G-20 would replace the



रूप में जी-8 को प्रतिस्थापित करेगा। जी-20 का आविर्भाव इस सच्चाई को मान्यता प्रदान करता है कि चीन, भारत, रूस एवं ब्राजील जैसे प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थावाले देश के विचारों को ध्यान में रूस, ब्राजील रखा जाए।

वर्तमान एवं भविष्य

वित्तीय विघटन ने विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियों एवं प्रथाओं को कार्यरूप में परिणत करने के ढंग में भिन्नता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। एक ओर अमरीका जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो उपभोग करने और उधार लेने की नीति अपनाते हैं तथा दूसरी ओर चीन, भारत एवं अधिकांश एशियाई देश हैं जो बचत करने एवं उत्पादन करने की नीति अपनाते हैं। चीन एवं पूर्वी यूरोपीय देश निर्यात एवं व्यापार करने की नीति अपनाते हैं, जबकि भारत के पास विशाल निष्क्रिय देशी बाजार है। कई यूरोपीय देशों एवं अमरीका ने काफी उधार लेकर बैंकों को संकट से उबारा है, जबकि चीन एवं भारत में यह स्थिति नहीं है। स्पष्टतः विभिन्न देशों में समुत्थान की गति एवं स्वरूप अलग-अलग है।

इन परिस्थितियों में जिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जाना है, वे निम्नलिखित हैं :

- क्या विभिन्न देशों में प्राथमिकताओं का मूल रूप से पुनः क्रमनिर्धारण किया जाएगा ?
- माँग में कमी एवं देशी दबाव से उत्पन्न संकट पर विभिन्न सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?
- नए व्यापार एवं राजनीतिक ब्लॉक के उद्भव की संभावना।

अब चूंकि बुरे दिन बीत चुके हैं एवं अनिश्चितता की स्थिति समाप्त होकर सच्चाई उभर कर सामने आ रही है, विश्व भर के देश यह महसूस कर रहे हैं कि वे सभी एक ही नाव में सवार नहीं हैं या एक ही महासागर में नहीं हैं।

भारतीय परिदृश्य

वर्ष 2010-11 के लिए संघीय बजट

वर्ष 2010-11 के लिए संघीय बजट में कम राजकोषीय घाटे (वर्ष 2009-10 में सकल देशी उत्पाद के 6.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में 5.5 प्रतिशत) और राजस्व घाटे (वर्ष 2009-10 में सकल देशी उत्पाद के 5.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में 4.0 प्रतिशत) के लिए व्यवस्था करके राजकोषीय समेकन हेतु रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी ऋण में कमी, प्रत्यक्ष कर संहिता और माल एवं सेवा कर के समय पर कार्यान्वयन संबंधी सुस्पष्ट विवरण शामिल है।

औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापारिक कार्यकलाप

कुल मिलाकर, आर्थिक विकास जो वर्ष 2009-10 की द्वितीय तिमाही के आसपास प्रारंभ हुआ, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है।

औद्योगिक उत्पादन में दिसंबर, 2009; जनवरी, 2010 एवं फरवरी 2010 में क्रमशः 17.06 प्रतिशत, 16.7 प्रतिशत और 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अप्रैल 2009 से फरवरी 2010 की अवधि के दौरान तो 17 औद्योगिक ग्रुप में से 14 में काफी तेज गति से वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र क्रियाकलाप में भी, विशेषकर वित्तीय वर्ष

G-8 as the world's principal economic forum. The emergence of the G-20 is a recognition of the reality that the views of key emerging economies such as China, India, Russia and Brazil must be taken into account.

Present and future

The financial meltdown has brought into sharp focus the difference in approaches to economic policies and practices by different countries. There are those who consume and borrow, like the US and those who save and produce, like China, India and most Asian countries. China and Eastern Europe countries export and trade, while India has a huge captive domestic market. Many EU countries and USA have massive borrowings and bailed out banks, while China and India do not have that kind of a situation. Obviously, therefore, the pace and nature of recovery differ from country to country.

Under these circumstances the important things to look out for are:

- whether there will be a fundamental re-ordering of the priorities in different countries
- how different governments react to crises emerging from demand contraction and domestic pressures
- possible emergence of new trading and political blocs.

Now that the worst is behind us and the haze of uncertainty is giving way to the stark realities, countries across the globe realize that they are not all in the same boat, or even in the same ocean.

The Indian Scenario

Union Budget for 2010-11

The Union Budget for 2010-11 has laid down a roadmap for fiscal consolidation by budgeting lower fiscal deficit (5.5 per cent of GDP in 2010-11 as compared with 6.7 per cent in 2009-10) and revenue deficit (4.0 per cent of GDP in 2010-11 as compared with 5.3 per cent in 2009-10). Among other things it included an explicit statement on reduction of Government debt, timelines for implementation of Direct Tax Code(DTC) and Goods and Services Tax (GST).

Industrial Production & Trade activities

On the whole, the economic recovery, which began around the second quarter of 2009-10, has since shown sustained improvement.

The index of industrial production (IIP) recorded a growth of 17.6 per cent, 16.7 per cent, and 15.1 per cent in Dec. 2009, Jan. 2010 and Feb. 2010 respectively on the back of a more broad-based recovery with 14 out of 17 industry groups recording accelerated growth during April 2009-February 2010. Service sector activities have also picked up especially during the second half of F Y ' 09-10. Other indicators of economic



2009-10 के उत्तरार्ध में वृद्धि हुई है। आर्थिक क्रियाकलाप के अन्य सूचक, यथा पर्यटकों के आगमन, वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन एवं बड़े बंदरगाहों पर आवाजाही के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है।

ग्यारह महीने तक लगातार ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति के विपरीत आयात के क्षेत्र में नवंबर 2009, दिसंबर 2009, जनवरी 2010 और फरवरी 2010 में क्रमशः 2.6 प्रतिशत, 32.4 प्रतिशत, 35.5 प्रतिशत और 66.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा नवंबर 2009 से खाद्योत्तर तेल के आयात में वृद्धि हुई। बारह महीने तक लगातार ह्रास के बाद अक्तूबर 2009 से निर्यात का भी कायापलट हुआ है।

आर्थिक संकेतक

उल्लेखनीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वैश्विक संकट से निरापद रूप में बाहर निकला है और कई देशों की तुलना में काफी मजबूत है। वर्ष 2008-09 में भारत के सकल देशी उत्पाद की अंतिम वास्तविक वृद्धि दर जो वर्ष 2008-09 में 6.7 प्रतिशत थी उसके वर्ष 2009-10 में 7.2 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के बीच बने रहने की आशा है जो विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है और भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित मजबूती को दर्शित करता है। इस कठिन समय में और वर्ष 1972 से ही खराब दक्षिण पश्चिमी मानसून के बावजूद 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करना कम उपलब्धि नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान वाणिज्य क्षेत्र को बैंकों एवं देशी बैंकेतर और बाह्य स्रोत से वित्तीय संसाधन का कुल प्रवाह 9,71,000 करोड़ रु रहा जो पिछले वर्ष (8,34,000 करोड़ रु) की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक था।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार 2 अप्रैल, 2010 को समाप्त सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियां 279.1 बिलियन डालर रहीं और इस प्रकार इसमें वित्तीय वर्ष 2009-10 में लगभग 9% की वृद्धि (255.20 बिलियन डालर से 279.10 बिलियन डालर) दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान इक्विटी बाजार सामान्यतः सुदृढ़ रहा और वैश्विक ढांचे के अनुस्यू इसमें समय-समय पर सुधार करना पड़ा। कार्पोरेट क्षेत्र संसाधन संगृहीत करने के लिए उत्तरोत्तर सार्वजनिक निर्गम का विकल्प अपना रहे हैं। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक जो 31 मार्च 2009 को 9708.50 पर बंद हुआ उसमें वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान तेज उछाल आया और वह लगभग दोगुना होकर 31 मार्च 2010 को 17,527.77 प्वाइंट पर बंद हुआ।

पूँजी का आगमन शुरू होते ही सांकेतिक विनिमय दर में वृद्धि हुई। वर्ष 2009-10 के दौरान डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में 10% की (44.91 रु. से बढ़कर 50.35 रु.) वृद्धि हुई।

वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्र सरकार ने बाजार उधार कार्यक्रम के जरिए 3,98,411 करोड़ रु. (निवल) जुटाए जबकि राज्य सरकारों ने 1,14,883 करोड़ रु. (निवल) संगृहीत की। केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 4.57 लाख करोड़ रु. के सकल उधार और 3.45 लाख करोड़ रु. के निवल उधार का प्राक्कलन किया है।

मुद्रास्फीति

शोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 'दर-वर्ष परिवर्तन के आधार पर की गई गणना के अनुसार सुर्धियों में आई मुद्रास्फीति सितंबर 2009 के 0.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2010 में 9.9 प्रतिशत हो गई। जनवरी/फरवरी

activity such as tourist arrivals, commercial vehicles production and traffic at major ports show significant improvement.

Reversing the trend of continuous decline for eleven months, imports expanded by 2.6 per cent, 32.4 per cent, 35.5 per cent and 66.4 per cent in November 2009, December 2009, January 2010 and February 2010 respectively, with acceleration in non-oil imports since November 2009. After a continuous decline for twelve straight months, exports have also turned around since October 2009.

Economic Indicators

India's economy has emerged from the global crisis remarkably unscathed and much stronger than many other countries. From 6.7 per cent in 2008-09, India's final real GDP growth for 2009-10 may settle between 7.2 and 7.5 per cent - rates well above those seen in the developed world, reflecting the underlying strengths of Indian economy. Clocking 7 per cent plus growth in these difficult times and despite the worst south-west monsoon since 1972, is no mean achievement.

As per the Reserve Bank, the total flow of financial resources from banks, domestic non-bank and external sources to the commercial sector during 2009-10 at Rs.9,71,000 crore was 16 per cent higher than in the previous year (Rs.8,34,000 crore).

In the week ended April 2, 2010 India's foreign-exchange reserves stood at \$279.1 billion registering almost a 9% growth in FY 09-10 (from \$255.20 billion to \$279.10 billion), according to the RBI.

Equity markets generally remained firm during the year with intermittent corrections in line with the global pattern. Corporates are increasingly opting for public issues for resource mobilisation. The BSE sensex which closed at 9708.50 as at 31st March 2009, rose sharply during FY'09-10 and almost doubled to close at 17,527.77 points as at 31st March 2010.

With the revival of capital inflows, nominal exchange rate appreciated. The rupee appreciated by 10 % (from Rs 50.35 to Rs 44.91) during 2009-10.

During 2009-10, the Central Government raised Rs.3,98,411 crore (net) through the market borrowing programme while the state governments mobilised Rs.1,14,883 crore (net). The central government has estimated a gross borrowing of Rs 4.57 lakh crore and a net borrowing of Rs 3.45 lakh crore for FY'10-11.

Inflation

Measured by year-on-year variation in Wholesale Price Index (WPI), the headline inflation grew from 0.5 per cent in September 2009 to 9.9 per cent in March 2010. Inflation



2010 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 14.9 - 16.9 प्रतिशत के रेंज में थी।

न्यून दक्षिण-पश्चिमी मानसून के कारण खाद्यान्न के मूल्य पर दबाव पड़ने के बावजूद वस्तुओं के वैश्विक मूल्य में स्थिरता और प्रारंभिक माँग के अतिरिक्त दबाव के कारण समग्र मुद्रास्फीति दर-थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के कुछ बड़े कारक निम्नलिखित थे : (क) उत्पाद शुल्क में वृद्धि और कच्चे पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल सीमा- शुल्क का पुनर्स्थापन, तथा(ख) लौह अयस्क एवं कोयला के मूल्य में वृद्धि। खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति जो नवंबर 2009 में -0.4 प्रतिशत थी वह धनात्मक होकर मार्च 2010 में 4.7 प्रतिशत तक पहुँच गई।

भा.रि. बैंक के समक्ष तीन प्रमुख चुनौतियाँ हैं : (1) मुद्रास्फीति प्रबंध ; (2) वित्तीय वर्ष 2010-11 में बृहत् सरकारी उधार का प्रबंध; और (3) विकास को प्रोत्साहन का समर्थन करते हुए सरकारी प्रोत्साहन बंद करने की गति को कम करना।

II. मौद्रिक एवं बैंकिंग विकास

बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित संघीय बजट 2010-11 में प्रस्ताव :

बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित संघीय बजट 2010-11 में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

- भा.रि. बैंक द्वारा निजी क्षेत्र को कुछ और बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार किया जाना। इसके लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी विचार किया जाना यदि वे भा.रि. बैंक के पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
- सरकार द्वारा चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 31.3.2011 तक 8% टियर-I पूंजी प्राप्त करने में सहायता करने के लिए उनके पुनर्पूँजीकरण हेतु 16,500 करोड़ रुप्रदान किया जाना।
- ग्रामीण क्षेत्र को वर्धित ऋण देने में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी प्रदान किया जाना।
- वित्तीय क्षेत्र के लिए विनियामक ढाँचे को मजबूत करने हेतु शीर्ष स्तरीय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना।
- किसानों द्वारा फसल ऋण की समय पर चुकौती के लिए ब्याज सहायता को 1% से बढ़ाकर 2% किया जाना।
- किसानों के लिए ऋण में छूट एवं ऋण सहायता योजना का विस्तार छह महीने यानी 30 जून, 2010 तक किया जाना।
- मार्च 2012 तक 2000 से अधिक आबादीवाले स्थानों पर निवासियों को समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना।

मौद्रिक शर्तें

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से ऋण प्रवाह में वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान 16.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वित्तीय वर्ष 08-09 के दौरान 17.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में ऋण प्रवाह में वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान 19.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वित्तीय वर्ष 08-09 के दौरान 20.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक एवं बैंकेतर स्रोतों से वाणिज्य क्षेत्र को ऋण प्रवाह में स्पष्ट सुधार हुआ है। आनेवाले वर्षों में औद्योगिक एवं

figures based on consumer price index (CPI) were in the range of 14.9-16.9 per cent in January/February 2010.

Apart from the deficient south-west monsoon putting pressure on food prices, the firming up of global commodity prices and incipient demand side pressures, led to acceleration in the overall inflation rate – both of the WPI and the CPIs. Some of the major factors that contributed to WPI inflation were : (a) enhancement of excise duty and restoration of the basic customs duty on crude petroleum and petroleum products, and (b) the increase in prices of iron ore and coal. Inflation in non-food manufactured products which was -0.4 per cent in November 2009 turned positive and reached 4.7 per cent in March 2010.

The three main challenges before RBI are: (1) managing inflation; (2) management of large government borrowings in FY 10-11; and (3) modulating the pace of exit of government stimuli while remaining supportive of growth impulses.

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

Proposals in the Union Budget 2010-11 relating to the Banking sector:

In the Union Budget for 2010-11, important proposals relating to the Banking sector are:

- RBI to consider giving some additional banking licences to Private Sector Players. Non Banking Financial Companies could also be considered if they meet RBI's eligibility criteria.
- Govt. to provide Rs 16,500 crore to recapitalise select Public Sector Banks to help them attain 8% Tier-I capital by 31.3.2011.
- Govt. to provide additional capital to RRBs to support increased lending to the rural sector.
- Setting up of Apex level Financial Stability & Development Council to strengthen Regulatory framework for the Financial sector.
- Increase in interest subvention from 1% to 2% for timely repayment of crop loans by farmers.
- Extension of debt waiver and debt relief scheme for farmers by six months to June 30, 2010.
- Providing appropriate banking facilities to habitations having population in excess of 2,000 by March 2012.

Monetary Conditions

The credit flow from the scheduled commercial banks during the FY'09-10 increased by 16.70 per cent vis-à-vis 17.50 per cent during FY'08-09. In respect of public sector banks the credit flow increased by 19.50 per cent in FY'09-10 as against 20.90 in FY'08-09. During the year under review, the credit flow to commercial sector distinctly improved from both bank as well as non-bank sources. In the days ahead, the demand for money



व्यवसायिक क्रियाकलापों के बढ़ने और उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति से मुद्रा की मांग बढ़ सकती है।

दिनांक 26 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की औसत जमाराशि 44,86,574 करोड़ रु. हो गई जो मार्च 2009 की तुलना में 17.13% की वृद्धि दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान वर्ष के प्रारंभ में मुद्रा आपूर्ति (एम3) की संवृद्धि में 20.0 प्रतिशत का ह्रास होकर फरवरी 2010 में यह 16.4 प्रतिशत पर पहुँच गई और फिर बढ़कर मार्च 2010 तक यह 16.8 प्रतिशत हो गई।

आर्थिक सुधार के बावजूद बड़े सरकारी उधारों तथा मुद्रा स्फीति के बढ़ने के कारण वित्तीय बाजारों ने चिंता में डाल दिया था। इससे सरकारी बांड बाजार में होनेवाली आय पर प्रभावित डाला।

बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल ही के कुछ दिशानिर्देश :

- दिनांक 1 अप्रैल 2010 से बैंकों द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान दैनिक उत्पाद आधार पर किया जाएगा।
- अब बैंकों को अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग लेनदेन करने की अनुमति दी गई है बशर्ते निधि अंतरण तथा सामान/सेवा की दोनों की खरीद की दैनिक सीमा प्रति ग्राहक 50,000/- रु. हो।
- अलग-अलग बैंक की सुदृढ़ता बढ़ाने तथा वित्तीय क्षेत्र की अस्थिरता कायम रखने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि बैंक अपने प्रावधान की गुंजाइश बढ़ाएँ जिसमें अनर्जक परिसंपत्तियों के एवज में किए गए विशिष्ट प्रावधान तथा अस्थायी प्रावधान शामिल हैं। वे यह सुनिश्चित करें कि कुल प्रावधान कवरेज औसत सितंबर 2010 की समाप्ति के पूर्व 70 प्रतिशत से कम न हो।
- 1 जुलाई 2010 से विद्यमान बेंचमार्क मूल उधार पद्धति आधार दर से प्रतिस्थापित की जानी है, जिससे कम पर कोई बैंक उधार नहीं दे सकता है। बैंकों को अपनी संबंधित आधार दरों का निश्चय करने की स्वतंत्रता होगी बशर्ते इनमें एकरूपता हो और जरूरत पड़ने पर यह पर्यवेक्षी समीक्षा/संविधा हेतु उपलब्ध कराई जा सके। बेंचमार्क को दुरुस्त करने तथा आधार दर का हिसाब करने हेतु बैंकों को दिसंबर के अंत तक का समय दिया गया है।

2010-11 के वार्षिक नीति विवरण में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमान

- 2010-11 के लिए मुद्रा आपूर्ति (एम3) संवृद्धि 17.0 प्रतिशत।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की औसत जमाराशि में 18.0 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्येतर ऋण में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि।

2010-11 के वार्षिक नीति विवरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की घोषणा

- रेपो दर को 5.00% से बढ़ाकर 5.25% किया गया तथा रिवर्स रेपो दर को 3.50% से बढ़ाकर 3.75% किया गया, बैंक दर 6.0% पर कायम रखी गई।
- दिनांक 24.04.2010 से सीआरआर को 25 आधार बिंदु बढ़ाकर उसे 5.75 से बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत किया गया। यह 12,500 करोड़ रु. की चल निधि शोषित कर लेगा।

may increase with acceleration in industrial and business activities and the higher level of inflation.

The aggregate deposits of the Scheduled Commercial Banks stood at Rs. 44,86,574 crore as on March 26, 2010, registering a 17.13% growth over the March 2009 levels.

During FY'09-10, money supply (M3) growth decelerated from over 20.0 per cent at the beginning of the financial year to 16.4 per cent in February 2010 and then increased to 16.8 per cent by March 2010.

Despite economic recovery, the financial markets had causes of concern emanating from large government borrowings and the increase in inflation. This affected yields in the government bond market.

Some recent RBI's policy guidelines for Banks:

- Payment of interest on savings bank accounts has to be made by banks on a daily product basis with effect from April 1, 2010.
- Banks are now permitted to offer mobile banking transactions to their customers subject to a daily cap of Rs 50,000/- per customer for both funds transfer and transactions involving purchase of goods/services.
- With a view to enhance the soundness of individual banks, as also the stability of the financial sector, it has been decided that banks should augment their provisioning cushions consisting of specific provisions against NPAs as well as floating provisions. They should ensure that their total provisioning coverage ratio, including floating provisions, is not less than 70 per cent not later than end-September 2010.
- From July 1, 2010 the existing benchmark prime lending regime is to be replaced with base rate below which no bank can lend. Banks will have the freedom to decide the methodology to arrive at their respective base rates provided it was consistent and was made available for supervisory review/scrutiny, as and when required. Banks have been given leeway up to December-end to change and fine tune the benchmark and methodology for computing the base rate.

RBI Projections in the Annual Policy Statement for 2010-11

- Money supply (M3) growth for 2010-11 placed at 17.0 per cent.
- Aggregate deposits of scheduled commercial banks(SCBs) projected to grow by 18.0 per cent.
- The growth in non-food credit of SCBs is placed at 20.0 per cent.

Steps announced by RBI in its Annual Policy Statement for the Year 2010-11

- Repo Rate raised from 5.00% to 5.25% and Reverse Repo Rate raised from 3.50% to 3.75%. Bank rate retained at 6.0%.
- CRR raised by 25 bps from 5.75 to 6.00 percent w.e.f. 24.04.2010. This will suck out Rs. 12,500 crore liquidity.



- आईएफआरएस केंद्रित लेखा मानक दिनांक 1 अप्रैल 2013 से अनिवार्य होंगे ।
- बैंकों के गैर-जमानती इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर के लिए प्रावधान की अपेक्षा को 20% से घटाकर 15% किया गया बशर्ते बैंकों के पास उपयुक्त निलंब व्यवस्था हो तथा उक्त नकदी प्रवाह पर स्पष्ट विधिक प्रथम दावा हो ।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा जारी गैर-एसएलआर बांडों में निवेश का वर्गीकरण करने हेतु बैंकों को अनुमति दी गई बशर्ते बांडों की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता 7 वर्ष हो ।
- किसी भी व्यक्ति को बैंकिंग संपर्क (बीसी) के रूप में नियुक्त करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई बशर्ते वह बैंक के अनुकूल हो तथा अपना कार्य निष्ठापूर्वक करता हो ।
- बैंक को एमएसएमई संविभाग में 20% की बढ़ोतरी करनी है तथा उपलब्ध में किसी तरह की कमी होने के फलस्वरूप आरआईडीएफ बांडों में अधिक अंशदान करना होगा । इसके अतिरिक्त बैंकों को सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 15 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज करनी होगी ।
- ऑन-साइट और ऑफ साइट निरीक्षणों के माध्यम से ग्राहक सेवा पर अपने दिशानिर्देश के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक इस पद्धति को और मजबूत बनाना चाहता है ।
- IFRS converged accounting standards to be mandatory from 1st Apr'2013.
- The provisioning requirement for banks' unsecured Infrastructure exposures reduced from 20% to 15% subject to banks having an appropriate escrow mechanism in place and clear legal first claim on such cash flows.
- Banks allowed to classify investment in Non SLR bond issued by infrastructure companies under HTM category, provided the bonds have a minimum residual maturity of 7 years.
- Banks permitted to engage any individual as banking correspondents (BCs) subject to banks' comfort level and their carrying out suitable due diligence.
- Banks to grow MSME portfolio by 20% & any shortfall in sub target would result in higher contribution to RIDF bonds. In addition banks have to register 15 per cent growth in the number of micro-enterprises a/cs.
- RBI proposes to further strengthen the mechanism, for implementing its guidelines on customer service, through on-site and off-site inspections.

भविष्यगामी दृष्टि

भारत में पिछले दो दशकों के आर्थिक सुधारों ने उद्यमवृत्ति, निवेश और व्यापार के लिए व्यवसाय की नई दिशा की तलाश की है । किंतु दीर्घकालिक संवृद्धि आर्थिक प्रोत्साहन और उभरते अवसरों का लाभ उठा रहे कर्ताओं और अभिकर्ताओं द्वारा ही हासिल की जा सकती है । कोई व्यक्ति रिंगटोन से भी व्यवसाय कर सकता है, यह सच्चाई यह दर्शाती है कि भारतीय उद्यमवृत्ति किसी भी चीज से व्यवसाय कर सकती है । यहाँ तक कि कुछ वर्ष पहले किसने यह सोचा था कि भारत जी-20 का हिस्सा बनेगा ? भारत के संबंध में सकारात्मक भावना का पता कुछ उच्च श्रेणी की एजेंसियों द्वारा भारत पर हाल में ही किए गए रेटिंग कार्य से चलता है ।

Looking ahead

In India, the economic reforms of the last two decades have redrawn the business map for entrepreneurship, investment and trade. But long-term growth can only be achieved by actors and agents availing of economic incentives and emerging opportunities. The fact that one could build a business out of 'ringtones' shows Indian entrepreneurs can make business out of anything. Even a few years back who would have thought India would become part of G-20? The positive sentiments about India are also reflected by the recent rating actions on India carried out by some of the top-rated agencies.

एजेंसी/Agency	कार्य/Action	तारीख/Date
मूडिज/Moody's	सकारात्मक उन्नत दृष्टिकोण/ Improved outlook to positive	दिसंबर/December 2009
फिच/Fitch	पुष्टीकृत रेटिंग बीबीबी+/Reaffirmed rating BBB+	फरवरी/February 2010
एस एंड पी/S&P	स्थिर वर्धित महत्व का दृष्टिकोण/Upgrades outlook to stable	मार्च/March 2010

जहाँ तक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है मार्च 2010 के अंतिम सप्ताह में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने तरह की पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है । इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नांकित हैं :

- मोटे तौर पर बैंकिंग क्षेत्र स्वस्थ रहा । उच्च कोर पूँजी और धारणीय वित्तीय प्रभावों के साथ विनियामक पूँजी पर्याप्तता अनुपातों के अनुरूप बैंकों के पास पर्याप्त पूँजी रही जिसने वित्तीय स्थिरता में योगदान किया ।
- दबाव परीक्षणों से यह संकेत मिलता है कि बैंकिंग उद्योग में पर्याप्त लचीलापन है और यह अनुमान तक भी किया जाता है कि यदि बदतर स्थिति में भी सभी पुनर्संरचित मानक अग्रिम अनर्जक आसित बन जाएं तो भी दबाव का बहुत अधिक महत्व नहीं होगा ।
- As far as the Indian Banking sector goes, the Reserve bank of India came out with the first-ever Financial Stability Report in the last week of Mar'2010. Some of the Key Findings in the report are as under:
- The banking sector remains broadly healthy. Banks remain well capitalized in terms of regulatory capital adequacy ratios, with higher core capital and sustainable financial leverage, and this contributes to financial stability.
- Stress tests indicate that the banking sector is comfortably resilient and, even if, in a worst case scenario, it is assumed that all restructured standard advances were to become NPAs, the stress would not be significant.



- कतिपय संस्थाओं में थोक जमा राशियों पर अत्यधिक निर्भरता, जो उच्च स्तर पर रहती है, जमा आधार की लागत और स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।
- बचाव व्यवस्था रहित कारपोरेट विदेशी मुद्रा एक्सपोजर लेने की प्रवृत्ति बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिम का संभाव्य स्रोत है।

यद्यपि भारत का आर्थिक सुधार मुख्यतः देशी मांग पर निर्भर है तथापि व्यापार, वित्त और विश्वास चैनलों के माध्यम से देशों के बीच परस्पर आर्थिक निर्भरशीलता के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी तरह की उथल पुथल भारत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त उदीयमान एशिया को प्रकट करनेवाली कथा में प्रमुख भूमिका निभाने की संभावनावाले भारत को कुछ कठिन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निबटने की जरूरत है ताकि उसकी महत्वपूर्ण अंतर्निहित शक्ति के अनुरूप राष्ट्रों की समिति में उसे अपना सही स्थान मिल सके।

III. यूको बैंक का कार्यनिष्पादन

वित्तीय कार्यनिष्पादन

आय और व्यय

आय

ब्याज आय में 17.30 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 09-10 में बैंक की कुल आय 10492.25 करोड़ रु. (9141.28 करोड़ रु.) रही जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 14.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

व्यय

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक का कुल व्यय 8786.62 करोड़ रु. (7939.66 करोड़ रु.) रहा जो पिछले वर्ष के आंकड़ों के मुकाबले 10.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। तुलनात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 07-08 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 08-09 के दौरान व्यय में 25.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लाभप्रदत्ता

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष में बैंक का निवल लाभ 1012.19 करोड़ रु. (557.72 करोड़ रु.) हुआ जिसमें 81.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उच्च लागतवाली जमा राशियों को कम कर निधियों की लागत पर पर्याप्त कमी लाने तथा अग्रिमों पर आय बढ़ने के कारण यह संभव हो पाया।

पूँजी संरचना

वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी प्राधिकृत पूँजी 1500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 3000 करोड़ रु. करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जिसमें प्रत्येक 10 रु. वाले कुल 750 करोड़ रु. के 75 करोड़ ईक्विटी शेयर तथा प्रत्येक 1 लाख रु. वाले कुल 2250 करोड़ रु. के 2,25,000 बेमीयादी असंचयी अधिमांसी शेयर (पीएनसीपीएस) शामिल हैं। तब भारत सरकार ने एक गजट अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत पूँजी को 1500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 3000 करोड़ रु. कर दिया है।

पिछले वर्ष 450 करोड़ रु. का अभिदान करने के बाद बैंक की टीयर I पूँजी को मजबूत बनाने हेतु भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान और 450 करोड़ रु. का अभिदान किया। दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार जिससे बैंक की कुल अभिदत्त, निर्गमित और प्रदत्त पूँजी 1699.36 करोड़ रु. हो गई।

- Over-reliance on bulk deposits in certain institutions, which remain at elevated levels, could impact the cost and stability of the deposit base.
- The propensity to take unhedged corporate foreign exchange exposures constitutes a potential source of risk to the banking sector.

Although India's economic recovery is to a large extent dependent on domestic demand, any upheaval in the global economy can have an adverse impact on India because of economic interdependence among countries through trade, finance and confidence channels. Besides, India which is expected to play a major role in the unfolding story of an ascendant Asia needs to overcome some difficult socio-economic challenges to ensure that it takes its rightful place in the committee of nations commensurate with its strategic potential.

III. UCO BANK'S PERFORMANCE:

FINANCIAL PERFORMANCE:

Income & Expenditure

Income

On the back of 17.30 per cent rise in interest income, the total income of the Bank in FY'09-10 at Rs. 10492.25 crore (Rs. 9141.28 crore) registered a 14.78 per cent rise over last year.

Expenditure

During FY'09-10, the total expenditure of the Bank stood at Rs. 8786.62 crore (Rs. 7939.66 crore) showing an increase of 10.67 per cent over last year's figure. Compared to this, the rise in expenditure during FY'08-09 over that of FY'07-08 was 25.49 per cent.

Profitability

For the FY ended 31st Mar'2010, the Bank posted 81.49 per cent rise in Net Profit at Rs. 1012.19 crore (Rs. 557.72 crore). This was made possible by bringing down the cost of funds substantially by shedding high cost deposits and improvement in yield on advances.

Capital Structure

During the year, the Bank obtained shareholders' approval to increase its authorized capital from Rs. 1500 crore to Rs. 3000 crore comprising 75 crore equity shares of Rs. 10 each aggregating Rs. 750 crore and 2,25,000 Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs. 1 lakh each aggregating Rs. 2250 crore. The Government of India has since notified the increase in authorized capital from Rs. 1500 crore to Rs. 3000 crore through a Gazette Notification.

After subscribing Rs. 450 crore last year, the GOI subscribed another Rs. 450 crore during FY'09-10 to strengthen the Tier I capital of the Bank. As on 31st March 2010, the total subscribed, issued and paid up capital of the Bank stood at Rs. 1699.36 crore.



वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक ने अपर टीयर-II पूँजी के रूप में 500 करोड़ रु. के गैर-जमानती प्रतिदेय बांड जारी कर तथा टीयर II पूँजी के अंतर्गत गौण ऋण के रूप में 800 करोड़ रु. के बेजमानती प्रतिदेय बांड जारी कर 1300 करोड़ रु. के गौण ऋण जुटाया है। यह पिछले वर्षों में जुटाए गए 3525.15 करोड़ रु. के अतिरिक्त है। बैंक ने वर्ष के दौरान टीयर-II पूँजी के अंतर्गत 150 करोड़ रु. के गौण ऋण लिखतों का भी प्रतिदान किया है।

दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बासेल-I के अंतर्गत बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 11.35 प्रतिशत और बासेल-II के अंतर्गत 13.21 प्रतिशत रहा।

व्यवसायिक कार्यकलाप :

दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 21.13 प्रतिशत की संवृद्धि दर्शाते हुए बैंक का वैश्विक कारोबार 205,787.03 करोड़ रु. रहा (169,890.62 करोड़ रु.)। वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक के कुल कारोबार में 35896.41 करोड़ रु. का इजाफा हुआ।

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक के कुल देशी कारोबार में समग्र रूप से 23.08 प्रतिशत या 36291.18 करोड़ रु. की संवृद्धि हुई (जमा राशि में 22742.99 करोड़ रु. की तथा अग्रिमों में 13548.19 करोड़ रु. की संवृद्धि) तथा दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार यह 193,524.20 करोड़ रु. हो गई (157,233.02 करोड़ रु.)। प्रति कर्मचारी वैश्विक कारोबार दिनांक 31 मार्च, 2009 के 7.32 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2010 को 9.01 करोड़ रु. हो गया।

जमा और अग्रिम :

दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक की वैश्विक जमा राशि 122,415.55 करोड़ रु. (100,221.57 करोड़ रु.) हो गई जो 31 मार्च, 2009 के आँकड़ों की तुलना में 22.14 प्रतिशत रु. की संवृद्धि दर्शाती है। इसमें से देशी जमा राशि 115,955.94 करोड़ रु. (93,212.95 करोड़ रु.) है जो पिछले वर्ष के आँकड़ों की तुलना में 24.40 प्रतिशत रु. की संवृद्धि दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक के वैश्विक अग्रिम में 19.67 प्रतिशत (समग्र रूप से 13702.43 करोड़ रु.) की वृद्धि हुई और यह दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 83371.48 करोड़ रु. (69,669.05 करोड़ रु.) हो गई। 77,568.26 करोड़ रु. (64,020.07 करोड़ रु.) के तदनुसूची देशी अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 21.16 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार विदेशी केंद्रों का जमा और अग्रिम संविभाग क्रमशः 6459.61 करोड़ रु. (7,008.62 करोड़ रु.) और 5803.22 करोड़ रु. (5,648.99 करोड़ रु.) था।

2008 में शुरू हुई और वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी का प्रभाव विदेशी केंद्रों के कार्यनिष्पादन पर पड़ा। किंतु विदेशी केंद्रों ने बैंक के कुल लाभ में अपना अंशदान देना जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2009-10 में विदेशी परिचालनों से 54.50 करोड़ रु. (92.38 करोड़ रु.) का निवल लाभ हुआ।

निवेश :

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक के कुल सकल देशी निवेश में 50.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह दिनांक 31 मार्च 2009 के 28237.72 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2010 को 42536.53 करोड़ रु.

During the FY'09-10, the Bank has raised subordinated debt of Rs. 1300 crore by issue of unsecured redeemable bonds of Rs.500 crore as Upper Tier-II Capital and unsecured redeemable bonds of Rs.800 crore as subordinated debt under Tier II Capital. This is in addition to Rs. 3525.15 crore raised in earlier years. The Bank has also redeemed Rs. 150 crore of subordinated debt instruments under Tier-II Capital during the year.

The Capital Adequacy Ratio of the Bank (CRAR) as on 31st March 2010 stood at 11.35 per cent under BASEL-I and 13.21 per cent under BASEL-II.

BUSINESS ACTIVITIES :

The global business of the Bank as on 31.3.2010 stood at Rs. 205,787.03 crore (Rs. 169,890.62 crore) thereby showing a growth of 21.13 per cent over the previous year. During the FY'09-10, the Bank has added a total business of Rs. 35896.41 crore.

During FY'09-10, the total domestic business of the Bank grew by 23.08 per cent or Rs. 36291.18 crore in absolute terms (Rs. 22742.99 crore deposit growth and Rs. 13548.19 crore advances growth) and stood at Rs. 193,524.20 crore as on 31st March 2010 (Rs.157,233.02 crore). The global business per employee increased from Rs. 7.32 crore as on 31st March 2009 to Rs. 9.01 crore as on 31st March 2010.

Deposits and Advances :

As on 31st March 2010, the global deposits of the Bank stood at Rs. 122,415.55 crore (Rs. 100,221.57 crore) showing a growth of 22.14 percent over 31st March 2009 figure. Out of this, the domestic deposit stood at Rs. 115,955.94 crore (Rs. 93,212.95 crore) registering a growth of 24.40 per cent over last year's figure.

The global advances of the Bank showed a growth of 19.67 per cent (Rs.13702.43 crore in absolute term) during FY09-10 and stood at Rs.83371.48 crore (Rs. 69669.05 crore) as on 31st March 2010. The corresponding domestic advances figure at Rs.77568.26 crore (Rs. 64020.07 crore) showed an increase of 21.16 per cent over last year.

As on 31st March 2010, deposits and advances portfolio of overseas centres was Rs.6459.61 crore (Rs.7008.62 crores) and Rs.5803.22 crore (Rs.5648.99 crore) respectively.

The performance of the overseas centres were affected by the melt down in the global economy which started in 2008 and continued to impact economic activities globally. However, the overseas centres continued to contribute to the total profit of the Bank. The Net profit of the overseas operations for FY 2009-10 stood at Rs. 54.50 crore (Rs 92.38 crore).

Investments :

During FY'09-10, the total gross domestic investments of the Bank increased by 50.64 per cent from Rs. 28237.72 crore as on 31st March 2009 to Rs.42536.53 crore as on 31st March 2010. The



पर पहुँच गया। दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार बैंक का सकल वैश्विक निवेश 43699.87 करोड़ रु. रहा।

निर्यात ऋण :

वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों के फलस्वरूप दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक का निर्यात ऋण 3442.43 करोड़ रु. हो गया।

सामाजिक बैंकिंग और वित्तीय समावेशन

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक का कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम दिनांक 31 मार्च, 2009 के 25232 करोड़ रु. से बढ़कर 27600 करोड़ रु. हो गया। दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार शुद्ध समायोजित बैंक अग्रिम में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का प्रतिशत 40 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानक की तुलना में 43.91 प्रतिशत रहा।

कृषि को ऋण

दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम दिनांक 31 मार्च 2009 को 11239 करोड़ रु. के प्रदत्त अग्रिम से बढ़कर 14309 करोड़ रु. हो गया और इसमें 27.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार शुद्ध समायोजित बैंक अग्रिम में कृषि अग्रिम का प्रतिशत 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानक की तुलना में 22.76 प्रतिशत रहा।

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक ने 87395 नए किसान ऋणियों को 754.80 करोड़ रु. का वित्त प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान बैंक ने 858.17 करोड़ रु. की राशि के 148963 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को वित्त

दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक ने अज/अजजा हिताधिकारियों को 2111.18 करोड़ रु. का वित्त प्रदान किया। यह कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 7.65 प्रतिशत था।

महिला हिताधिकारियों को वित्त :

दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक ने महिला हिताधिकारियों को 4010.45 करोड़ रु. का ऋण प्रदान किया है जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 6.38 प्रतिशत है। इसका राष्ट्रीय मानक 5 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यक समुदायों को वित्त :

दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को 3989.49 करोड़ रु. तक की ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो यूको बैंक की प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 14.84 प्रतिशत है।

समाज के कमजोर वर्गों को वित्त

बैंक ने समाज के कमजोर वर्गों को 6733 करोड़ रु. तक का ऋण प्रदान किया है जो समायोजित बैंक ऋण का 10.71 प्रतिशत है। इसका राष्ट्रीय मानक 10 प्रतिशत है।

शिक्षा ऋण के अंतर्गत अग्रिम

दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार शिक्षा ऋण के अंतर्गत 35352 विद्यार्थियों को 676.38 करोड़ रु. के अग्रिम प्रदान किए गए जिनमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 37.21 प्रतिशत की संवृद्धि हुई।

gross global investments of the Bank stood at Rs. 43699.87 crore as on 31.3.2010.

Export Credit:

On the back of various steps initiated during the year, the export credit of the Bank as on 31st March 2010 stood at Rs.3442.43 crore.

SOCIAL BANKING AND FINANCIAL INCLUSION

Lending to the Priority Sector

During FY'09-10, the total Priority Sector advances of the Bank had gone up to Rs.27600 crore from Rs. 25232 crore as on 31st March 2009. The total Priority Sector advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 43.91 per cent as on 31st March 2010 as against the National Parameter of 40 per cent.

Lending to Agriculture

Advances to agricultural sector have reached Rs 14309 crore as on 31st March 2010 from Rs 11239 crore as on 31st March 2009 registering a growth of 27.32 per cent. Agriculture Advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 22.76 per cent as on 31st March 2010 as against the National Parameter of 18 per cent.

The Bank has financed 87395 new farmers with an amount of Rs.754.80 crores during FY'09-10. Besides, 148963 Kisan Credit Cards were issued by the Bank involving an amount of Rs.858.17 crore during the year.

Finance to SCs/STs

As on 31st March 2010, the Bank has provided Rs. 2111.18 crore finance to SC/ST beneficiaries. This constituted 7.65 per cent of total Priority Sector advances.

Finance to Women Beneficiaries

The Bank has extended loan of Rs. 4010.45 crore to Women Beneficiaries as on 31st March 2010 which comes to 6.38 per cent of Adjusted Net Bank Credit against the National Parameter of 5 per cent.

Finance to Minority Community

As on 31st March 2010, credit facilities of Rs. 3989.49 crore has been extended to Minority Communities which is 14.84per cent of UCO Bank's Priority Sector advances.

Finance to Weaker Section of Society

The Bank has extended credit to the extent of Rs. 6733 crore to Weaker Section of the Society, which constitutes 10.71per cent of Adjusted Net Bank Credit against National Parameter of 10per cent.

Advances under Education Loan

Advances under Education Loan Scheme as on 31st March 2010 stood at Rs.676.38 crore covering 35352 students and constituted a growth of 37.21 per cent Y-o-Y growth.



सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एम एस एम ई) को वित्त प्रदान करना

वर्ष के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की आईएसईसी (ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र) के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण प्रदान करने हेतु वर्ष 2008-09 के लिए बैंक को 'सर्वोत्तम बैंक' का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को प्रदत्त 8963 करोड़ रु. की तुलना में दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र में बैंक द्वारा प्रदत्त अग्रिम समग्र रूप में 3353 करोड़ रु. की वृद्धि दर्शाते हुए 12316 करोड़ रु. (37.41 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि) तक पहुँच गया।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की ऋण गारंटी निधि न्यास योजना (सीजीटीएमएसई) की बीमा रक्षा के अंतर्गत बैंक ने 6561 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 179.47 करोड़ रु. की राशि का ऋण भी प्रदान किया है।

दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के 6694 करोड़ रु. की तुलना में दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार बैंक ने एमएसई क्षेत्र को 9077 करोड़ रु. का अग्रिम प्रदान किया।

शिल्पकार क्रेडिट कार्ड (एसीसी) जारी किया जाना

शिल्पकार समूहों को ऋण प्रदान करने हेतु बैंक ने तीन जिलों यथा राजस्थान के जोधपुर, उड़ीसा के पुरी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा का अभিনিर्धारण किया है। शिल्पकार क्रेडिट कार्डों के वितरण हेतु दिनांक 10.03.2010 को हावड़ा में एक बृहत ऋण शिविर लगाया गया जिसमें 549 कार्ड वितरित किए गए। सभी आवेदन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किए गए थे। बैंक ने विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निर्धन शिल्पकारों को ऋण प्रदान किया।

ग्राम अंगीकरण

'यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना' नामक बैंक की प्रमुख योजना के अंतर्गत अब तक बैंक ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 8 ग्रामों का अंगीकरण किया है। वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक ने आदर्श ग्रामों के रूप विकास हेतु पश्चिम बंगाल के बाघा ग्राम और उड़ीसा के जालंगा ग्राम का अंगीकरण किया। इन पहलों का शुभारंभ क्रमशः माननीय वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने किया।

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय समावेशन

वर्ष के दौरान बैंक ने संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा निर्धारित बैंक सुविधा रहित ग्रामों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु अपनी वित्तीय समावेशन की नीति को अंतिम रूप दिया। उड़ीसा के कटक जिले में पिछले वर्ष शुरु की गई तथा सफलतापूर्वक चल रही इसी तरह की एक परियोजना के अतिरिक्त जोधपुर (राजस्थान) जिले के मोगरा ग्राम में सूप्रो आधारित वित्तीय समावेशन की एक अन्य परियोजना शुरु की गई।

एडीडब्ल्यूडीआरएस-2008 के अंतर्गत विशेष समझौता योजना

अपने बकाए के संपूर्ण अंश का भुगतान न कर पानेवाले 'अन्य किसानों' को कुछ राहत देने के उद्देश्य से बैंक ने एडीडब्ल्यूडीआरएस-2008 के अंतर्गत समझौते की एक नई योजना शुरु की।

Financing of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

During the year, the Bank has received the "BEST BANK" Award for lending under ISEC (Interest Subsidy Entitlement Certificate) scheme of Khadi and Village Industries Commission for the year 2008-09 in North East Zone.

As against Rs.8963 crore advances to MSME sector as on 31.03.2009, the Bank's advances to this sector reached Rs.12316 crore as on 31.03.2010 registering an increase of Rs. 3353 crore in absolute terms (37.41 per cent Y-o-Y growth).

The Bank has also covered 6561 Micro and Small Enterprises involving an amount of Rs 179.47 crore under guarantee cover of Credit Guarantee Fund Trust Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

The total MSE Advances of the Bank stood at Rs. 9077 crore as on 31st March 2010 as against Rs. 6694 crore as on 31st March 2009.

Issuance of Artisan Credit Cards(ACC)

The Bank has identified three districts viz. Jodhpur in Rajasthan, Puri in Orissa and Howrah in West Bengal for lending to cluster of artisans. A Mega Credit Camp for distribution of ACCs was organised at Howrah on 10.03.2010 where 549 cards were distributed. All the applications had been sponsored by the Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India. The poor artisans were provided loan by the Bank at 4per cent p. a. interest rate under DRI.

Village Adoption

In all, the Bank has so far adopted 8 Villages in the States of West Bengal, Orissa, Tamil Nadu, Gujarat and Himachal Pradesh under Bank's flagship scheme called "UCO Samagra Gramin Vikash Yojna". During FY'09-10, the Bank adopted Bagha village in West Bengal and Jalanga village in Orissa to develop them as model villages. The initiatives were launched by Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister and Dr. D Subbarao, Hon'ble Governor, Reserve Bank of India respectively.

Information Technology based Financial Inclusion

During the year, the Bank has finalized its Financial Inclusion Plan for providing banking facility to the un-banked villages allocated to the Bank by the State Level Bankers Committee of the respective states. In addition to a similar project started last year and running successfully in Cuttack District of Orissa, another IT based Financial Inclusion project was launched at Mogra village in Jodhpur District (Rajasthan).

Special Compromise Scheme under ADWDRS-2008

UCO Bank introduced a Special Scheme of compromise to give some relief to the "Other Farmers", who are unable to pay their entire share of dues under ADWDRS-2008.



केसीसी के अंतर्गत किसानों की व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी

उधारकर्ता की ओर से केवल 3/- रु. की लागत पर बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को 50000/- रु. की बीमा रक्षा मुहैया कराने हेतु दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 को बैंक और बजाज एलायंस जेनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यूको ग्रामीण स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्थान (यूको-आरएसईटीआई)

वित्तीय समावेशन को सार्थक बनाने हेतु वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने 'यूको विकास न्यास' नामक एक न्यास का गठन किया है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विद्यमान पाँच ग्रामीण स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान शिमला (हिमाचल प्रदेश), वर्धमान (पश्चिम बंगाल), बरपेटा (असम) और बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में चार और ग्रामीण स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्थान खोले गए।

कारोबार की नई पहल और तालमेल व्यवस्था

सतत उत्पाद समीक्षा (आशोधन/वापसी) का कार्य किया जाता है ताकि उनका स्थायित्व बढ़ाया जा सके तथा बाजार में बैंक-उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित की जा सके। पहुँच को विस्तृत करने और राजस्व प्रवाह के विविधीकरण हेतु कार्यनीतिपरक तालमेल भी किए जाते हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख गतिविधियाँ निम्नांकित हैं :

- मानवीय उपचार चिकित्सा के पेशे में लगे चिकित्सकों/चिकित्सा इकाइयों की पेशेवर जरूरतों के लिए उपकरणों में मूल निवेश हेतु 2 (दो) करोड़ रु. से अनधिक वित्त प्रदान करने के निमित्त यूको डॉक्टर योजना की शुरुआत की गई।
- गैर-यूको शेल्टर उधारकर्ताओं के आवास /फ्लैट की 'साज-सज्जा' के लिए ऋण देने हेतु यूको शेल्टर (फर्निशिंग) स्कीम की शुरुआत की गई।
- टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद हेतु यूको शॉपर (तालमेल) योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत ऋण का संचितरण कुछ विशेष शाखाओं द्वारा किया जाएगा।
- ख्यातिप्राप्त ब्रांडों के दुपहिया वाहन खरीदने के निमित्त वित्त प्रदान करने हेतु यूको टू-व्हीलर स्कीम शुरू की गई।
- ऋण चुकोती का अच्छा रिकार्ड रखनेवाले अन्य बैंकों/ऋणदात्री संस्थाओं के आवास ऋण के उधारकर्ताओं के ऋणों का भार लिए जाने के प्रस्तावों को ग्रहण करने हेतु यूको शेल्टर (कॉम्फॉर्ट) योजना शुरू की गई।
- रिटेल ऋणों के लिए 12 नए केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) खोले गए जिसके फलस्वरूप 25 अंचलों में विस्तारित बैंक में कार्य कर रहे सीपीसी की कुल संख्या 26 हो गई। सभी सीपीसी केंद्रों पर ऋण स्वचालन प्रसंस्करण प्रणाली के माध्यम से नियम आधारित ऋण देने का कार्यान्वयन किया गया।
- कासा जुटाने और रिटेल उत्पादों के कारोबार पर बल देने हेतु संपूर्ण देश में 231 'वैयक्तिक बैंकिंग' शाखाएँ खोली गईं।
- हमारे विशेष यूको शेल्टर उधारकर्ताओं को समूह जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु टाटा-एआईजी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी के साथ दिनांक 29 अप्रैल, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

Personal Accident Policy of the Farmers under KCC

On 29th October 2009, a Memorandum of Understanding was signed between the Bank and Bajaj Allianz General Insurance Company Limited for extending personal Accident cover of Rs.50000/- to the Kisan Credit Card customers of the Bank at a cost of Rs.3/- only from borrower's side.

UCO Rural Self Employment Training Institutes (UCO-RSETIs)

With a view to promote financial literacy for making Financial Inclusion meaningful, the Bank has formed a Trust named 'UCO Development Trust'. In addition to five UCO-RSETIs existing as at the beginning of the FY, four more RSETIs at Shimla(Himachal Pradesh), Burdwan (West Bengal), Barpeta (Assam) and Bilaspur(H.P.) were opened during the FY'09-10.

New Business Initiatives and Tie-ups

Continuous product review (modification/withdrawal) are undertaken to increase their saleability and to ensure the competitiveness of the Bank's products in the market place. Strategic tie-ups are also entered into for widening the reach and diversifying revenue streams. Some major developments in this regard are:

- UCO Doctor Scheme introduced to finance professional requirements of Doctors /Medical Units, engaged in the profession of human medical treatment, with original investment in equipment not exceeding Rs. 2 (two) crores.
- Introduced UCO Shelter (Furnishing) Scheme for providing loan to 'furnish' dwelling house/flat to non-UCO Shelter borrowers.
- Introduced UCO Shopper (Tie-up) scheme for purchase of consumer durables to be disbursed through some special branches.
- Introduced UCO Two-wheeler scheme to finance purchase of two-wheelers of reputed brands.
- UCO SHELTER (COMFORT) Scheme has been introduced to entertain loan take-over proposals from those Home Loan borrowers of other Banks/Lending Institutions who maintain a good credit history.
- Opened 12 new Central Processing Centres(CPC) for Retail Loans taking the total numbers of CPCs functioning in the Bank to 26, spread over 25 Zones. Rule Based Lending through Lending Automation Processing System implemented at all the CPC Centres.
- Putting in place 231 'Personal Banking Branches' across India for giving thrust on CASA mobilization and Retail Products business.
- On 29th April 2009 a Memorandum of Understanding was signed with TATA-AIG Life Insurance Company for extending a Group Life Insurance cover to our Special Uco Shelter borrowers.



- हमारे शिक्षा ऋण के उधारकर्ताओं को समूह जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इन्श्युरेन्स लि. के साथ दिनांक 3 जून, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- हमारे जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं को जीवन बीमा रक्षा प्रदान करने हेतु 18 रु. प्रति लाख की प्रीमियम के भुगतान पर अधिकतम 5.00 लाख रु. के बीमा हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रक्षा प्रदान करने के लिए रॉयल सुंदरम एलायंस इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ दिनांक 12 अगस्त, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- बैंक - वित्त से सुजित परिसंपत्तियों पर बीमा रक्षा प्रदान करने हेतु रिलायंस जेनरल इन्श्युरेन्स कं. लि. के साथ दिनांक 30 सितंबर, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- हमारे बैंक के ग्राहकों के चिकित्सा/अस्पतालीकरण व्यय हेतु रिलायंस जेनरल इन्श्युरेन्स कं. लि. के साथ तालमेल कर दिनांक 8 फरवरी, 2010 को हेल्दी फैमिली पॉलिसी की शुरुआत की गई। यह उत्पाद कैशलेस है तथा अस्पतालीकरण की प्रतिपूर्ति करता है तथा बीमा कंपनियों द्वारा दी जा रही नियमित चिकित्सा पॉलिसियों के मुकाबले इस उत्पाद का कीमत निर्धारण बहुत अधिक आकर्षक है।
- मासति सुजुकी इंडिया लिमिटेड तथा टाटा मोटर्स के बीच किए गए विद्यमान तालमेल के अतिरिक्त कंपनियों के डीलरों से नई कारें खरीदने के लिए यूको कार ऋण योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को वित्त प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 09-10 में यूको बैंक ने महिंद्रा और हंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के साथ तालमेल व्यवस्थाएँ कीं। इन कार्यनीतिपरक संबद्धताओं के फलस्वरूप कार ऋण संविभाग में अपेक्षित वृद्धि हुई है जिससे वर्ष-दर-वर्ष 63 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई है।
- On 3rd June 2009 a Memorandum of Understanding was signed with Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd, for extending a Group Life Insurance cover to our Educational Loan borrowers.
- On 12th August 2009 a Memorandum of Understanding was signed with Royal Sundaram Alliance Insurance Company Ltd for extending a Group Life Personal Accident Insurance cover to our Depositors and Borrowers offering life cover upon payment of a premium of Rs.18/- per lac with a maximum cover of Rs.5.00 Lacs.
- On 30th September 2009 a Memorandum of Understanding was signed with Reliance General Insurance Co Ltd, for extending Insurance cover to the assets created out of Bank's Finance.
- On 8th February 2010 the Healthy Family Policy for Medical / hospitalization expenses for the customers of our Bank was launched in tie up with Reliance General Insurance company Ltd. The product offers cashless as well as reimbursement of hospitalization expenses and the pricing of the product is far more attractive than the regular medical policies offered by insurance companies.
- In addition to existing tie-ups with Maruti Suzuki India Limited and Tata Motors, UCO Bank in FY'09-10 entered into tie-up arrangements with Mahindra & Mahindra and Hyundai Motors India Limited for financing individuals under UCO Car Loan Scheme to purchase new cars from the companies' dealers. These strategic alliances have given the required boost to the Car Loan Portfolio which has registered a y-o-y growth of 63per cent.

आस्ति की गुणवत्ता और जोखिम प्रबंध

ऋण निगरानी

आस्ति की गुणवत्ता तथा क्षरण की रोकथाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऋण निगरानी के क्षेत्र में बैंक ने अतिसक्रिय भूमिका निभाई है तथा उसने (क) संशोधित और विस्तृत ऋण निगरानी रिपोर्टिंग प्रणाली, (ख) तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) के अध्ययन हेतु परामर्शदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के एककालीन उपाय के अंतर्गत पुनर्संरचित ऋण आस्तियों की मूल पुनर्संरचना पूर्व अनुसूची के अनुसार भुगतान करने पर प्रोत्साहन और (घ) संवितरण-पूर्व अनुमोदन लेने हेतु मानकीकृत फॉर्मेट की शुरुआत की है। बैंक के अंचल कार्यालयों द्वारा उधार खातों की निगरानी की प्रारंभिक सीमा विद्यमान 10 लाख रु. से घटाकर 5 लाख रु. कर दी गई है। मानक आस्तियों के क्षरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आवश्यक योग्यतावाले 400 से अधिक अधिकारियों की पहचान की गई है तथा प्रत्येक की पदस्थापना शाखाओं के समूह के मानक अग्रिमों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा उनका अर्जक आस्ति बना रहना सुनिश्चित करने हेतु की गई है। इसके अतिरिक्त ऋण समीक्षा तंत्र को मजबूत बनाने हेतु ऋण लेखापरीक्षा का विस्तार किया गया है।

अनर्जक आस्ति प्रबंधन

अनर्जक आस्तियाँ न बनने देने तथा उनका प्रबंधन करने हेतु दुरतरफा कार्यनीति अपनाई गई। एक तरफ जहाँ देशव्यापी मेगा ऋण शिविरों का

ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT:

Credit Monitoring:

With a view to ensure asset quality and contain/ prevent slippages, Bank played a pro-active role in the field of credit monitoring and has introduced (a) a revised and elaborate Credit Monitoring Reporting system, (b) policy guidelines for empanelment of consultants for techno- economic viability (TEV) study, (c) incentive for repayment as per original pre-restructuring schedule of loan assets, restructured under RBI's one time measure, and (d) a standardized format for seeking pre-disbursement approval. The threshold limit for monitoring of borrowal accounts by bank's zonal offices has been reduced to Rs. 5 lac from existing Rs. 10 lac. To prevent slippages of standard assets, more than 400 officers with necessary aptitude have been identified and each posted to follow up standard advances of a cluster of branches and ensure they remain performing assets for the Bank. Furthermore, the coverage of credit audit has been expanded to strengthen loan review mechanism.

NPA Management:

Two pronged strategy was adopted to prevent slippages and manage NPAs. On one hand, aggressive thrust was given to



आयोजन करने, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को दीर्घकालिक अनर्जक परिसंपत्तियों की बिक्री करने जैसी विशिष्ट कार्य योजनाएँ अपना कर वसूली पर अत्यंत जोर दिया गया, वहीं अनर्जक परिसंपत्तियों के उपयुक्त प्रबंधन पर बल दिया गया। इसके लिए जानबूझकर चूक करनेवाले उधारकर्ताओं की पहचान की गई, तत्काल निष्क्रिय बने खातों का मूल्यांकन किया गया एवं सुधारात्मक कदम उठाए गए। साथ ही फिर अनर्जक परिसंपत्ति खातों की श्रेणी में जाने से रोकने हेतु सतत अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रही। इसके अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों को वसूली के प्रयासों की दिशा में प्रेरित करने हेतु स्टाफ प्रोत्साहन योजना (स्टाफ को दी जानेवाली प्रोत्साहन योजना) शुरू की गई।

उद्योगवार मंद वृद्धि तथा ऋण में कमी होने के बावजूद सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्ति के प्रतिशत को दिनांक 31 मार्च, 2009 के 2.21 प्रतिशत से घटाकर दिनांक 31.03.2010 की स्थिति को 1.99 प्रतिशत किया गया। दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक की सकल अनर्जक परिसंपत्ति 1666.43 करोड़ रु. थी। अनर्जक परिसंपत्ति आस्तियों में कुल 611.28 करोड़ रु. की वसूली (नकदी वसूली तथा कोटि उन्नयन) की गई जो वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक परिसंपत्ति का लगभग 40 प्रतिशत है। जहाँ तक अनर्जक परिसंपत्ति के प्रतिशत का संबंध है, दिनांक 31 मार्च 2009 के 1.18 प्रतिशत की तुलना में दिनांक 31 मार्च 2010 को यह 1.17 प्रतिशत हो गया। दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक की शुद्ध अनर्जक आस्ति 966.28 करोड़ रु. थी। दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार अनर्जक परिसंपत्ति प्रावधान कवरेज 50 प्रतिशत था।

जोखिम प्रबंध

बैंक में एक सुनियोजित जोखिम प्रबंध ढाँचा है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर निदेशक मंडल एवं बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति शामिल है। बैंक की जोखिम प्रबंध नीति, ऋण नीति और आस्ति-देयता प्रबंध नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं तथा बैंक के जोखिम प्रबंध विषयक सभी कार्य इन नीतिगत दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं। बैंक की तीन कार्यपालक समितियाँ यथा ऋण जोखिम प्रबंध समिति, आस्ति देयता प्रबंध समिति और परिचालन जोखिम प्रबंध समिति हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में जोखिम प्रबंध प्रणाली की स्मरणा तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त पूँजी प्रबंध हेतु पूँजी आयोजना समिति तथा तुलनपत्र आयोजना समिति भी है।

बासेल-II का अनुपालन

बैंक अपने पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) की गणना बासेल-I और बासेल-II, दोनों दिशानिर्देशों के अनुसार सतत आधार पर करता आ रहा है तथा बैंक के सीआरएआर को प्रभावित कर सकनेवाले विभिन्न तत्वों/संविभागों से निदेशक मंडल को अवगत कराया जाता है। ऋण जोखिम को न्यूनतम रखने की तकनीकों एवं संपार्श्विक प्रबंधन, प्रकटीकरण आंतरिक पूँजी निर्धारण पद्धति (आईसीएपी) पर बैंक की नीतियाँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

बासेल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के निमित्त पूरक अध्ययन हेतु बैंक ने परामर्शदाता की नियुक्ति की है और बैंक उपयुक्त समय पर उन्नत दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के लिए तैयार हो रहा है।

ऋण जोखिम :

बैंक ने विभिन्न मानदंड के अंतर्गत एक्सपोजर मानदंडों को बनाया है जिनमें

effect recovery by adopting specific strategies like organizing countrywide mega recovery camps, sale of chronic NPAs to Asset Reconstruction Companies. On the other hand, stress was given on appropriate management of NPAs. Towards this end, willful defaulters were identified, quick mortality cases evaluated and corrective steps initiated. Side by side, continuous follow up were carried out to prevent further slippages in the category of NPA accounts. In addition, Staff Protsahan Yojna (an incentive scheme to the staff) has been introduced to motivate the staff members in recovery efforts.

The percentage of Gross NPA to Gross Advances has been brought down from 2.21 per cent as on 31st March 2009 to 1.99 per cent as on 31st March 2010 despite industry-wise sluggish growth and credit-slippages. The Gross NPA of the bank stood at Rs. 1666.43 crore as on 31st March 2010. The total recovery in NPA-assets (cash recovery plus upgradation) was to the tune of Rs. 611.28 crore representing around 40 per cent of the gross NPA at the beginning of the year. As far as net NPA-percentage is concerned, against 1.18 per cent as on 31st March 2009, the same stood at 1.17 per cent as on 31st March 2010. The Net NPA of the Bank stood at Rs. 966.28 crore as on 31st March 2010. The NPA Provision Coverage ratio stood at 50 per cent as on 31st March 2010.

Risk Management

The Bank has a well-planned Risk Management Architecture in place with the Board of Directors and Risk Management Committee of the Board at the apex level. The Risk Management Policy, Loan Policy and Asset Liability Management Policy of the Bank are duly approved by the Board and all Risk Management functions of the Bank are governed by these policy directives. The Bank has three executive committees viz., Credit Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee and Committee for Operational Risk Management, who are entrusted with the responsibility of design and implementation of Risk Management processes in the respective areas in accordance with the policies laid down by the Board. Besides, a Capital Planning Committee for Capital Management and Balance Sheet planning is already in place.

Basel II Compliance

The Bank computes its Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR) both under Basel I and Basel II guidelines on an ongoing basis and the Board is kept abreast of various factors that might impact the Bank's CRAR. The Bank has in place Board approved policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on disclosures and Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

For implementation of Advanced Approaches under Basel II, the Bank has appointed consultant for conducting gap study and the bank is in preparedness to implement Advanced Approaches at appropriate time.

Credit Risk :

The Bank has formulated exposure norms under different criteria



जहां भी अपेक्षित नियामक निदेशों की परिधि के भीतर एकल एवं समूह उधारकर्ता एक्सपोजर, उद्योग क्षेत्र वार एक्सपोजर, गैर-जमानती एक्सपोजर, पूंजी बाजार एक्सपोजर तथा प्रति-पार्टी (अंतर बैंक एक्सपोजर) शामिल हैं। बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध समिति तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति द्वारा विवेकपूर्ण सीमाओं के पालन पर निगरानी रखी जाती है। बैंक की ऋण नीति में ऋण जोखिमों के अधिग्रहण हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं।

बैंक के समग्र ऋण संविभाग की रेटिंग एक मजबूत आंतरिक ऋण मॉडल के माध्यम से आंतरिक स्तर से की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 10 करोड़ और उससे अधिक राशि के एक्सपोजरवाले बैंक ऋण संविभाग के 66 प्रतिशत की रेटिंग बाहर से करवाई गई। 10 करोड़ और उससे अधिक राशि के ऋण संविभाग के लगभग 44 प्रतिशत की रेटिंग 'ए' और उससे ऊपर के रूप में नियामक प्राधिकरण यथा सी ए आर ई, सी आर आई एस आई एल, एफ आई टी सी एज और आई सी आर ए द्वारा अनुमोदित चार रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक के द्वारा की गई। ऋण संविधान की गुणवत्ता एवं कार्य-निष्पादन पर अंचल-वार निगरानी रखी जाती है।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति बैंक की कीमत निर्धारण समिति के बारे में निर्णय करती है। साख बिल भुनाई के लिए बी पी एल आर युक्त कीमत निर्धारण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है।

बाजार जोखिम

नकदी जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम आंतरिक रूप में विकसित ए एल एम मॉडल की सहायता से आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ) द्वारा निर्धारित की जाती है। बैंक में नियमित तौर पर अपनी 'जोखिम पर अर्जन' तथा अपनी ईक्विटी की जोखिम पर मूल्य (वीएआर) को प्राकलित करने हेतु एक प्रणाली है। मानक निवेश संविभाग (ईक्विटी म्यूचुअल फंड को छोड़कर) की जोखिम पर मूल्य (वी ए आर) निर्धारण दैनिक आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक प्रत्येक माह ब्याज दर तथा विनिमय दर के बारे में विचार करता है।

परिचालन जोखिम

अपनी परिचालन जोखिम प्रबंध नीति के अनुसार बैंक ने अलग-अलग परिचालन जोखिम जनित हानि की घटनाओं संबंधी आंकड़ों पर नजर रखने, एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक प्रणालीबद्ध ढांचा लागू किया है। बैंक परिचालन जोखिम के कारण पूंजी की जरूरत प्राकलित करने हेतु एक मॉडल विकसित करने के लिए सोच-विचार भी कर रहा है।

बैंक 'बासेल II और जोखिम प्रबंध के कार्यान्वयन' के संबंध में भा. रि. बैंक. द्वारा गठित कार्यकारी दल का एक सदस्य है। यह (i) नकदी जोखिम प्रबंध, इसके मानक और उन पर निगरानी रखने की अंतरराष्ट्रीय अभिमुखता तथा (ii) बैंकिंग क्षेत्र की उभरती हुई अवस्था के परिप्रेक्ष्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बी आई एस) के परामर्श-प्रदायक प्रलेखों से संबंधित भारतीय बैंक संघ समूह का सदस्य है।

सहायक सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बैंक ने अपनी सभी 2148 देशी शाखाओं तथा 7 विस्तार काउंटर्स को सी बी एस प्रणाली के अंतर्गत लाकर एक महत्वपूर्ण

covering Single and Group Borrower exposure, Industry/Sector wise exposure, Unsecured exposure, Capital Market Exposure and Counter Party (Inter Bank) exposure within the ambit of regulatory directives wherever warranted. Adherence to prudential limits is monitored by Credit Risk Management Committee of the Bank and Risk Management Committee of the Board. The Bank's Loan Policy provides guidelines for acquisition of Credit risks.

The entire credit portfolio of the Bank stands rated internally through a robust in-house Credit Rating model. Furthermore, during the year, 66 per cent of Bank's credit portfolio with exposure of Rs10 crore and above were externally rated. Around 44 per cent of credit portfolio of Rs10 crore and above were rated 'A' or above by one of the four rating agencies approved by regulatory authority viz., CARE, CRISIL, FITCH and ICRA. There is zone-wise monitoring of quality and performance of loan portfolio.

The Asset Liability Management Committee of the Bank decides on the pricing policy. BPLR linked pricing system is followed for LC Bills discounting.

Market Risk

The Liquidity Risk and Interest Rate Risk of the Bank are assessed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) with the help of ALM model developed in-house. The Bank also has a system of estimating its "Earnings at Risk" and Value at Risk (VaR) of its equity on a regular basis. The Value at Risk (VaR) of the standard Investment Portfolio (excluding equity and Mutual Funds) is assessed on a daily basis. Additionally, the Bank takes a view on Interest Rate and Exchange Rate every month.

Operational Risk

In line with its Operational Risk Management Policy, the Bank has put in place a framework to systematically track, collect and analyze the data on individual operational risk loss events. The Bank also has plans to develop a model for estimating capital requirement on account of operational risk.

The Bank is one of the members in the Working Group constituted by RBI on "Implementation of Basel II and Risk Management". It is also a member of Indian Banks' Association Group on Bank of International Settlements (BIS) Consultative Documents on (i) International Convergence of Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring and (ii) Strengthening the resilience of the Banking Sector.

SUPPORT SERVICES Information Technology

In the field of information technology the Bank crossed an important milestone by bringing all its 2148 domestic branches



कीर्तिमान स्थापित किया है। अब ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से 'कहीं भी-किसी भी समय बैंकिंग' की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

अपने वैकल्पिक सेवा प्रदान करनेवाले माध्यमों यथा ए टी एम सुविधा जिससे नकदी आहरण किए जा सकते हैं, खाते की स्थिति देखी जा सकती है, अपने किसी खाते से दूसरे खाते या अन्य पार्टी के खाते में निधि का अंतरण किया जा सकता है तथा यूको ई-बैंकिंग सुविधा जिससे लेनदेन देखे जा सकते हैं, खाते के विवरण निकाले जा सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में या अन्य पार्टी के खाते में निधि का अंतरण किया जा सकता है, उपयोगिता बिल भुगतान से हर दिन चौबीसों घंटे तथा वर्ष के 365 दिन बैंकिंग सुविधाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

बैंक ने वर्ष के दौरान अपने ए टी एम नेटवर्क का प्रसार कर 64 नए ए टी एम संस्थापित किए हैं और इस समय पूरे देश में इसके 478 ए टी एम संस्थापित हैं और इसकी यह योजना है कि आगे यह संख्या और बढ़ाई जाए। बैंक नेशनल फिनांसियल स्वीच (एनएफएस) का भी सदस्य है जिसके फलस्वरूप उक्त व्यवस्था के अंतर्गत अन्य सदस्य बैंकों के 49880 से भी अधिक ए टी एम में बैंक के ए टी एम कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।

यूको एस एम एस बैंकिंग अब ग्राहकों को शेष राशि के संबंध में पूछताछ, पिछले तीन लेनदेन को देखने, चेक की स्थिति के बारे में पूछताछ, बिल भुगतान, मीयादी जमा की परिपक्वता हेतु अनुस्मारक प्राप्त करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बैंक वित्तीय लेनदेन के लिए मोबाइल फोन बैंकिंग को भी लागू करने जा रहा है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा साथ साथ सकल भुगतान (आरटीजीएस) सुविधाएं सभी 2148 सी बी एस शाखाओं में उपलब्ध हैं। बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बहुत ही जल्द आर टी जी एस एवं एन ई एफ टी शुरू करने जा रहा है।

बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अति उन्नत प्रौद्योगिकी से सुसज्जित और सी बी एस सुविधा वाली चलायमान शाखा बैंक द्वारा प्रारम्भ की गई है।

चेन्नै, बंगलूरु तथा हैदराबाद में विद्यमान सिटी बैंक ऑफिस (सी बी ओ) के अतिरिक्त सी बी ओ कोलकाता ने मार्च, 2010 से सीमित दायरे में कार्य आरम्भ कर दिया है।

कर्मचारियों को अनुदेशों/परिपत्रों/मैनुअलों की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से देने हेतु यूको ऑन लाइन इंटरनेट चालू किया गया है। स्टाफ कालेज के संकाय तथा स्टाफ सदस्यों के बीच विचारों के आदान-प्रदान हेतु यूको ऑनलाइन पर वस्तुतः एक श्रेणी कक्ष एवं विचार-विमर्श मंच विकसित किया गया है और इसकी शुरुआत भी हो गई है।

कारपोरेट संसूचना :

वित्तीय वर्ष 09-10 में बैंक ने अपने छवि-निर्माण के लिए कई तरह के कार्यों को प्रारंभ किया है। पूरे वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और आउटडोर मिडिया के माध्यम से प्रचार अभियान इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई मिडिया के अनुसार चलाए गए।

अधिकाधिक प्रचार हेतु आम चुनाव एवं केन्द्रीय बजट की प्रस्तुति के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में विज्ञापन जारी किए गए। केन्द्रीय बजट, 10-11 के दौरान सुरमय रेडियो छंद (जिंगल) भी प्रसारित किए गए।

and 7 extension counters under the fold of CBS. Customers can now avail "Anywhere-Anytime Banking" through any of the Bank's branches.

Through its Alternate Delivery Channels – viz. ATM facility which allows cash withdrawal, viewing position of accounts, transfer of funds from one account to his other account or third party account and UCO e-banking facility which allows viewing transactions, generating statements of accounts, transfer of funds from one account to his other account or third party account, Utility Bill Payment – banking services are available to the customers 24 x 7 and 365 days of the year.

The Bank has expanded its ATM network by 64 during the year, and presently it has installed 478 ATMs across the country and it has plan to expand it further. The Bank is a member of National Financial Switch (NFS) as a result of which the Bank's ATM card can now be used at more than 49880 ATMs of other member banks under the said arrangement.

UCO SMS banking now offers the customers facilities like balance inquiry, viewing last three transactions, cheque status inquiry, getting reminders for Bill Payment/term deposit maturity. The Bank is in the process of implementing Mobile phone banking for financial transactions also.

National Electronic Fund Transfer (NEFT) and Real Time Gross Settlement (RTGS) facilities are available in all 2148 CBS branches. The Bank is in the process of introducing RTGS and NEFT through Internet Banking very soon.

A branch on wheel(van) equipped with cutting edge technologies and having CBS-facility has been rolled out by the Bank for reaching out to the unbanked.

In addition to the already existing City Back Offices (CBO) at Chennai, Bangalore and Hyderabad, CBO-Kolkata has commenced operation in March'2010 on a limited scale.

UCO Online intranet has been put in place to keep employees regularly updated with instructions/circulars/manuals. A Virtual Classroom and discussion forum have been developed and hosted on UCO Online for interaction between Faculty of Staff Colleges and staff members.

Corporate Communications :

In FY'09-10, the Bank has undertaken various brand-building exercises. Publicity campaigns were carried throughout the year in electronic, print and outdoor media as per media plan drawn for this purpose.

To gain maximum publicity, innovative advertisements were released in the Electronic Media during the General Elections and presentation of Union Budget. Radio Jingles were also broadcast during Union Budget'10-11.



बैंक की विभिन्न योजनाओं को प्रवर्तित करने, बैंक की महत्वपूर्ण गतिविधियों को झलकाने तथा वर्ष भर में मनाए जाने वाले उत्सव एवं अन्य त्योहार के अवसर पर शुभकामनाएं देने हेतु अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नियमित रूप में प्रिंट मिडिया अभियान किए गए। इस वर्ष बैंक ने अपने प्रचार अभियान के लिए भारत के दो उच्च स्तरीय विज्ञापन एजेंसियों को सूची में सम्मिलित किया है। ये एजेंसियां सूची में सम्मिलित अन्य सभी विज्ञापन एजेंसियों के साथ मिलकर प्रभावी प्रचार अभियान के लिए टेलीविजन में वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु तथा सुरमय रेडियो छंद (जिंगल) तैयार कर रही हैं।

विज्ञापन के अलावा बैंक की प्रेस विज्ञप्तियां अग्रणी समाचार पत्रों में नियमित तौर पर प्रकाशित की गईं। दि टाइम्स ऑफ इण्डिया एवं दि इकनामिक टाइम्स के द्वारा पूरे वर्ष के दौरान साप्ताहिक आधार पर यूको बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियां मुद्रित की गईं।

विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों/अवसरों पर विभिन्न समाचार पत्रों और टी वी चैनलों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साक्षात्कार प्रकाशित/टेलीकास्ट किए गए।

बैंक ने प्रचार हेतु तथा कारोबार बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न भागों में आयोजित व्यापार, कृषि एवं पुस्तक मेले में भाग लिया। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार होने के नाते बैंक ने पूजा समारोह के अवसर पर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रमों को टाइम्स ऑफ इण्डिया ग्रुप के सहयोग से प्रायोजित किया। बैंक ने इस त्योहार के समय महत्वपूर्ण स्थानों तथा लोकप्रिय पूजा पंडालों में पिलर्स, होर्डिंग्स और बैनर प्रदर्शित किए। इनके माध्यम से बैंक की गतिविधियों का व्यापक प्रचार करने की अपेक्षा को सुनिश्चित किया गया।

संपूर्ण देश में 6 जनवरी, 2010 को बैंक के स्थापना दिवस समारोह का विधिवत प्रचार किया गया। बैंक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक समाचार विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

हमारी गृह पत्रिका "यूको टॉवर" यूकोजनों के बीच आपसी संवाद-संप्रेषण का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम बनी हुई है।

ग्राहक सेवा:

बैंक, ग्राहक सेवा को काफी महत्व देता है तथा अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने हेतु अपनी कार्य-पद्धतियों की निरंतर समीक्षा करता है।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकद्वय तथा उच्च कार्यपालकगण पूरे देश के विभिन्न केन्द्रों में तथा विदेश स्थित केन्द्रों में भी प्रायः बैंक ग्राहकों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करते हैं ताकि बैंक के ग्राहकों की ज़रूरतों तथा उनकी शिकायतों के बारे में उनको प्रतिसूचना एवं जानकारी मिल सके।

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक के कारपोरेट स्तर पर ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति की बैठकें तीन बार आयोजित की गईं और इनमें बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा ग्राहकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के स्तर पर भी ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसमें ग्राहकों के अतिरिक्त अंचल प्रबंधक भी समिति के सदस्य हैं।

इसके अतिरिक्त बैंक के प्रत्येक अंचल कार्यालय में ग्राहकों की शिकायत पर ध्यान देने हेतु नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। ग्राहक सेवा के संबंध

Print media campaigns were carried out on regular basis in English, Hindi and other vernacular languages publications to promote Bank's various schemes, highlight important events of the Bank and for extending seasonal and festival greetings. This year, the Bank has empanelled two top-rated advertising agencies of India for Bank's publicity campaigns. These agencies along with other empanelled advertising agencies are preparing Television commercials & Radio Jingles for effective publicity campaigns.

Apart from advertisements, the Bank's Press Releases were regularly published in leading newspapers. The Times Of India & The Economic Times printed important events pertaining to UCO Bank on weekly basis throughout the year.

Interviews of Bank's Chairman & Managing Director were published/ telecast in different Newspapers and TV channels on different important issues/occasions.

The Bank participated in Trade, agriculture and book fairs in different parts of the country for publicity and business promotion. Durga Puja being the biggest festival in West Bengal, the Bank in association with the Times of India group sponsored events in Kolkata during Puja Celebrations. The Bank also put up pillars, hoardings and banners at important locations and popular puja pandals during the festival. This has ensured wide publicity for the Bank.

The Bank's Foundation Day celebrations on 6th January'10 across the country were given due publicity. A Newspaper advertisement was also released in prominent newspapers highlighting Bank's achievements.

Our house journal "UCO Tower" continues to be a very effective medium for internal communication among UCOites.

Customer Service:

The Bank attaches utmost importance to customer service and continuously reviews its business practices to provide the best possible service to its customers.

CMD, EDs and top Executives of the Bank interact with the customers of the Bank at frequent intervals at different centres across the country and also at overseas centres to have complete feedback and understanding of the needs and grievances of the customers of the Bank.

Meeting of the Standing Committee on Customer Service at corporate level of the bank has taken place thrice during FY'09-10 and was attended by the senior executives of the bank and customer representatives. Standing Committee on Customer service has also been constituted at the Bank's FGM Office level, where besides customers, Zonal managers are also the members of the Committee.

Besides, in each and every Zonal Office of the Bank, Nodal Officers have been nominated to attend to customer grievances.



में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित मानदंड के आधार पर विस्तृत सूचनायुक्त नोटिस बोर्ड एकरूपता बनाए रखने हेतु केन्द्रीय स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी में तैयार किए गए हैं और शाखाओं को भेजे गए हैं।

बीसीएसबीआई ने अगस्त, 2009 के प्रभाव से बैंकिंग संहिता को परिशोधित किया है तथा इस परिशोधित संहिता को बैंक के बोर्ड द्वारा नवंबर, 2009 में आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया है। उत्कृष्ट सेवा के महत्व के बारे में स्टाफ-सदस्यों को सचेत करने पर बल दिया गया है।

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण:

वित्तीय वर्ष, 2009-10 के दौरान बैंक के प्रधान कार्यालय के पूर्ववर्ती निरीक्षण का नाम बदलकर लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग किया गया है जिसके प्रमुख एक अलग महाप्रबंधक हैं और यह इसलिए किया गया है ताकि इस विभाग की कार्य-पद्धति को सुव्यवस्थित किया जा सके तथा प्रणाली एवं प्रक्रिया के पालन की अपेक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कार्य के फलस्वरूप बनाए गए नौ क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके क्षेत्राधिकार में आनेवाली शाखाओं का निरीक्षण करने, रिपोर्टों को बंद करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा बैंक के संबंधित अंचल कार्यालयों से अनुशंसित होने पर रिपोर्टों को बंद करने का दायित्व सौंपा गया है। क्षेत्र निरीक्षणालयों की समग्र कार्य-प्रणाली को प्रधान कार्यालय नियंत्रित करता है। वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 1788 शाखाओं के निरीक्षण किए गए तथा अनुसूची के अनुसार कार्य-प्रक्रिया पूरी की गई।

व्यापक समीक्षा एवं बैंक में संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली को अतिसक्रिय करने के पश्चात 30 करोड़ और उससे अधिक राशि के अग्रिम स्तरवाली बड़ी शाखाओं के अलावा सभी अत्यधिक बड़ी (अ.ब.), बहुत बड़ी (ब.ब.) और विशेषीकृत शाखाएं अब संगामी लेखापरीक्षा की परिधि में आती हैं। इसके साथ-साथ संगामी लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा आवधिक अंतराल पर की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने 100 प्रतिशत सीबीएस व्याप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। विद्यमान पारंपरिक प्रणाली से सीबीएस प्रणाली में आंकड़ों के माइग्रेशन की 100 प्रतिशत शुद्धता को समुचित रूप से सुनिश्चित करने हेतु माइग्रेशन पश्चात लेखापरीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई और डीआईएसए, सीआईएसए योग्यतावाले सूची में सम्मिलित सनदी लेखाकारों द्वारा ऐसी लेखापरीक्षा की गई। बैंक ने माइग्रेशन लेखापरीक्षा की एक नीति तैयार की है जो आंकड़ों के माइग्रेशन की जांच की प्रक्रिया तथा जहां भी अपेक्षित हो सुधारात्मक कार्रवाई को निर्धारित करती है।

नियामक निदेशों के अनुरूप जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) प्रणाली के उत्तरोत्तर अपनाने की बात के ध्यान में रखते हुए बैंक की यह योजना है कि केवल अपनी जोखिम आधारित लेखापरीक्षा योजना को तैयार करने के प्रयोजनार्थ एक अलग जोखिम निर्धारण का कार्य हाथ में लिया जाए। इससे बैंक कारोबार संबंधी कार्यकलापों की अंतर्निहित जोखिम पर प्रभावी रूप से निगरानी रख पाएगा। आरबीआईए के फार्मेट का एक प्रारूप तैयार किया गया है ताकि कुछ शाखाओं में इसकी प्रायोगिक जांच करने के पश्चात अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इसे अत्यधिक बड़ी शाखाओं में कार्यान्वित किया जा सके। शाखाओं के नियमित निरीक्षण के स्थान पर आरबीआईए को उत्तरोत्तर अपनाया जाएगा।

100 प्रतिशत सीबीएस वातावरण का लाभ उठाते हुए लगातार 'ब्याज प्रदत्त' लेखापरीक्षा की एक प्रणाली प्रारंभ की गई है। बोर्ड की लेखापरीक्षा

Comprehensive Notice board on customer service as prescribed by RBI have been prepared in Hindi / English centrally for uniformity and supplied to all the branches.

BCSBI has revised Banking Code with effect from August 2009 and the revised code has been adopted by the Bank's Board in its meeting held in Nov'2009. Emphasis has been given to sensitize the staff members regarding the importance of quality service.

Audit and Inspection:

During FY'09-10, the erstwhile Inspection Department at Bank's Head Office was renamed as Audit and Inspection Department headed by a separate General Manager in order to streamline the functioning and ensure adherence to systems and procedures.

The nine Field Inspectorates that came into being consequent to the restructuring exercise during the last financial year have been vested with responsibilities for carrying out inspection of branches under their jurisdictions, follow up for closure of reports and closing of reports after recommendations from respective Zonal Offices of the Bank. The over all working of the Field Inspectorates are being controlled from Head Office. During the current year 1788 branches were inspected as targeted and procedure completed as per schedule.

After a comprehensive review and revamping of the Concurrent Audit Systems in the Bank, all Extra Large(EL), Very Large(VL) and specialized branches in addition to large branches with level of advances of Rs.30 crore and above now falls under the purview of concurrent audit. Side by side, performance of concurrent auditors is reviewed at periodic intervals.

The Bank achieved 100per cent CBS coverage during FY'09-10. To obtain reasonable assurance on 100per cent correctness of data migration from existing legacy system to CBS, a system of post migration audit was introduced and carried out by Bank's empanelled Chartered Accountants with DISA, CISA qualifications. The Bank has also developed a Policy in Migration Audit which governs the process of verification of Data Migration and corrective action wherever required.

With a view to progressively adopt Risk Based Internal Audit (RBIA) System in conformity with Regulatory Directives, the Bank has plans to undertake an independent risk assessment solely for the purpose of formulating its Risk Based Audit Plan. This will enable the Bank to effectively monitor the inherent risk of business activities. A draft format of RBIA has been prepared for implementation in EL branches during the next financial year after conducting pilot test in some branches. RBIA would progressively replace regular inspection of branches.

Taking advantage of the 100per cent CBS environment, a system of 'interest paid' audit on a continuous basis has been introduced.



समिति के निदेश के अनुसार बैंक के अनुपालन कार्य की लेखापरीक्षा प्रधान कार्यालय, निरीक्षण विभाग के वरिष्ठ स्तरीय कर्मियों की एक टीम द्वारा की गई।

इसके अतिरिक्त समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभी नौ क्षेत्र निरीक्षणालयों की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई ताकि वे अपनी कार्य-पद्धति को और अधिक सुधार सकें। बैंक के सभी अंचल कार्यालयों की प्रबंधन लेखापरीक्षा भी पूरी हो चुकी है।

देश में स्थित सभी शाखाओं की राजस्व लेखापरीक्षा की गई जिन्हें संगामी लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया।

अनुपालन कार्य-पद्धति

अनुपालन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (भारि.बैंक), भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई), सरकारी प्राधिकरणों जैसे विनियामक प्राधिकरणों तथा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) जैसे अर्ध-विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए निदेश/दिशानिर्देश के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

बैंक की अनुपालन नीति के अनुरूप निम्नलिखित प्रक्रियाओं के द्वारा अनुपालन विभाग के कार्य को विस्तृत किया जा रहा है:-

- विनियामक/सांविधिक निकायों को प्रस्तुत की जानेवाली तथा विदेश स्थित केन्द्रों सहित अंचलों/शाखाओं द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली महत्वपूर्ण नियंत्रण विवरणियों (आईसीआर) एवं नियंत्रण व निगरानी विवरणियों (ओसीएमआर) के अनुपालन पर निगरानी रखने हेतु मासिक डायरी प्रणाली की शुरुआत;
- अपने ग्राहक को जानें/धन शोधन निवारण के कार्यान्वयन और अनुपालन पर निगरानी रखना;
- जब भी कभी लागू हो, नए उत्पादों/प्रक्रियाओं की जांच करना;
- वार्षिक वित्तीय निरीक्षण पर विशेष निगरानी, विनियामक द्वारा यथापेक्षित भारि.बैंक एवं अन्य के साथ तिमाही विचार-विमर्श।

बाह्य प्राधिकरणों को सभी सांविधिक एवं विनियामक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण पर लगातार निगरानी रखने के फलस्वरूप ऐसे प्रस्तुतीकरण के मामले में शत-प्रतिशत अनुपालन हो सका। निम्नलिखित क्षेत्रों के अनुपालन संबंधी कार्यकलाप को आगे और सशक्त किया जाएगा -

- बाह्य एवं आंतरिक विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन और प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का पालन;
- अनुपालन जांच-तंत्र का विकास तथा प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से संस्था में अनुपालन संस्कृति को सुधारना।

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) नीतियों का कार्यान्वयन :

एफएटीएफ अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में अद्यतन किए गए भारि.बैंक के दिशानिर्देश के अनुरूप बैंक ने केवाईसी/एएमएल नीति तथा प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश को लागू कर चुका है। बैंक ने सभी लेन-देन के दैनिक प्रसंस्करण तथा निगरानी हेतु एएमएल साफ्टवेयर के संस्थापन के साथ प्रधान कार्यालय में एक पृथक एएमएल कक्ष भी सृजित किया है ताकि (क) संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) तथा (ख) नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर) निकाली जा सकें। पूरी संस्था में केवाईसी/एएमएल सेट अप को मजबूत करने हेतु

As per the directions of Audit Committee of the Board, audit of compliance function of the Bank has been carried out by a team of senior level personnel from Head Office, Inspection Department.

Furthermore, during the year under review, all the nine Field Inspectorates were subjected to Management Audit to further improve their functioning. Management Audit of all Zonal Offices of the Bank has also been completed.

Revenue Audit was conducted for all the domestic branches which are not covered under Concurrent Audit.

Compliance Functions:

Compliance Department of the Bank ensures timely implementation of the directions/guidelines issued by the regulatory authorities including the Reserve Bank of India (RBI), Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), Governmental Authorities as also by the quasi-Regulatory Authorities like Indian Banks' Association (IBA).

In line with the Compliance Policy of the Bank, the functions of the Compliance Department are gradually being extended by -

- introducing Monthly Diary System for monitoring compliance of returns to be submitted to Regulatory/ Statutory bodies as well as Important Control Returns (ICR) and Important Monitoring Returns (IMR) and Other Control & Monitoring Returns (OCMR) by Zones/Branches including overseas centres;
- monitoring implementation and compliance under Know Your Customer/Anti Money Laundering guidelines;
- vetting of new products/processes as and when introduced;
- special monitoring of Annual Financial Inspection, Quarterly Discussions with RBI and others as required by the Regulator.

Continuous monitoring of submission of all statutory and regulatory returns to the external authorities has resulted in 100per cent compliance in matters of such submissions. Compliance functions will be further strengthened gradually in the areas of -

- compliance of external and internal prudential norms and adherence to systems and procedures.
- development of compliance testing mechanism and improving compliance culture in the organization through training and workshops.

Implementation of Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) Policies :

The Bank has already put in place KYC/AML Policy and procedural guidelines in tune with the RBI guidelines updated in the context of the FATF recommendations. The Bank has also created a separate AML Cell at Head Office along with the installation of AML software for daily processing and monitoring of all transactions in the Bank to generate (a) suspicious transaction reports (STRs) and (b) cash transactions reports (CTRs). For strengthening the KYC/AML set-up across the organization, at each Zonal Office, Bank has



बैंक ने प्रत्येक अंचल कार्यालय में एक अधिकारी को धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी (एमएलआरओ) के रूप में तथा प्रत्येक अंचल प्रमुख को धन शोधन अनुपालन अधिकारी (एमएलसीओ) के रूप में पदनामित किया है। संबंधित अंचलों में संदिग्ध लेन-देन पर हर दिन निगरानी रखने तथा उनकी रिपोर्टिंग करने हेतु सभी एमएलआरओ को केवाईसी/एमएल दिशानिर्देश के संबंध में दो दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि सभी शाखाओं में इसका समुचित कार्यान्वयन हो सके। केवाईसी/एमएल के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने हेतु शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को पैम्फलेट वितरित किए गए।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का कार्यान्वयन :

वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर समयोचित ध्यान दिया जाता है, बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक द्वितीय केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया है। वे कार्मिक एवं मानव संसाधन मामलों से संबंधित अनुरोध पर कार्रवाई करेंगे। बैंक और अधिक अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति कर आरटीआई सेट-अप के मजबूत करने की प्रक्रिया में है।

सतर्कता

बैंक के सतर्कता विभाग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जिनका ओहदा महाप्रबंधक श्रेणी का है। बैंक का सतर्कता प्रशासन इस समय निवारक सतर्कता पर बल देता है। संस्था के भीतर निवारक सतर्कता को सशक्त करने हेतु बैंक के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों ने उनके द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को कपट रोकने की प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु निवारक सतर्कता के बारे में एक अनिवार्य सत्र शुरू किया है। इस जागरूकता कार्यक्रम के फलस्वरूप सभी वर्ग के कर्मचारियों के बीच निवारक सतर्कता के उपायों के बारे में काफी जागरूकता आने के कारण कपट के कई प्रयास विफल किए जा सके।

यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं कि स्टाफ संबंधी कार्रवाई का त्वरित निपटारा हो तथा इन मामलों को बंद किया जा सके ताकि नियमित विभागीय कार्रवाई के संबंध में न्यायोचित अभिशासन का बोध हो सके।

राजभाषा नीति का अनुपालन

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा राजभाषा अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुपालन हेतु अतिसक्रिय कदम उठाए हैं।

बैंक ने पूरे बैंक में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राजभाषा मिशन को साकार करने का संकल्प लिया है। इस दिशा में वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं :

- विभिन्न अंचल कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय द्वारा 57 यूनिकोड कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसके अनुप्रयोग और सक्रियण से परिचित हो सकें।
- बैंक द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए त्रिपन हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि वे अपने कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित हो सकें। इन हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से 994 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों को पाँच दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

designated an officer as Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and each Zonal Head as Money Laundering Compliance Officer (MLCO). For day-to-day monitoring and reporting of suspicious transactions in respective Zones, all MLROs have been given two-day training on the KYC/AML guidelines for its proper implementation at the branches. For customer education on KYC/AML, pamphlets were distributed to the customers through branches.

Implementation of Right to Information (RTI) Act :

During the year, to ensure that the applications from the citizens seeking information under the RTI Act are timely attended to, the Bank has appointed a second Central Public Information Officer at Head Office. He will deal with requests relating to Personnel & HR matters. The Bank is in the process of strengthening the RTI set-up by appointment of more Appellate Authorities.

Vigilance:

The Vigilance Department of the bank is headed by a Chief Vigilance Officer in the rank of General Manager. The focus of the Vigilance Administration of the Bank is now more on preventive vigilance. In order to strengthen the Preventive Vigilance mechanism within the organisation, all training centres of the bank have introduced one mandatory session on Preventive Vigilance in all Training Programmes conducted by them to educate the trainees about fraud prevention techniques. This sensitization programme has resulted into higher number of thwarted cases of attempted frauds because of higher awareness about preventive vigilance measures amongst all section of employees.

Efforts are also made on an ongoing basis to ensure speedy disposal of staff side action and closure of these cases to create a perception of just and fair governance with regard to Regular Departmental Action.

Implementation of Official Language Policy:

The Bank has taken proactive steps to implement the Official Language Policy of Govt. of India and has meticulously taken steps to comply with the provisions of Official Languages Act and the Rules made thereunder.

The Bank has resolved a "Rajbhasha Mission" for effective implementation of Official Language Policy across the Bank. Some of the initiatives towards this end during the year are:

- 57 'UNICODE' workshops were organised by different Zonal Offices and Head Office to acquaint all Officers and employees with its application and activation.
- Fifty three Hindi Workshops were also organised by the Bank for the Officers and employees to motivate them to do their work in Hindi. 994 Officers/ employees were trained through these Hindi Workshops. Employees of Head Office were imparted Hindi Training through Five-day Intensive Training Programme.



- मुंबई, रांची और लखनऊ में स्थित बैंक के अंचल कार्यालयों द्वारा "वैश्विक मंदी" और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गई।
- बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने दिनांक 1 फरवरी, 2010 को बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका अनुगुंज के प्रवेशांक का विमोचन किया।
- प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालयों, सेंट्रल स्टाफ कालेज, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं शाखाओं में "हिंदी माह", "हिंदी पखवाड़ा", "हिंदी सप्ताह" उत्साहपूर्वक मनाया गया। प्रधान कार्यालय में "हिंदी माह" के दौरान कार्यपालकों / अधिकारियों और लिपिकों एवं अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रतियोगिताएं और कई राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता के तत्वावधान में बैंक द्वारा कोलकाता में पदस्थापित विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय "यूनिफाइड कार्यशाला" आयोजित की गई।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु तथा वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों द्वारा 404 शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण किए गए तथा ऐसे निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी किए गए।

संसदीय राजभाषा समिति ने राजभाषा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की दिशा में बैंक की प्रतिबद्धता की सराहना की है।

विधि

बैंक की कार्य-पद्धति में बैंक का विधि विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैंक के सामने आनेवाली विभिन्न विधिक मुद्दों के संबंध में सक्रिय सहयोग देता है / दिशानिर्देशक तथ्य उपलब्ध कराता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा पूछे गए विभिन्न विषयों के बारे में विधिक परामर्श/सहायता देने के अतिरिक्त विधि विभाग (क) विधिक उपायों के माध्यम से बकाया राशि की वसूली करने में, (ख) कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध के मामलों में, (ग) परिसर (बैंक-स्वाधिकृत / पट्टे पर लिए गए / किराए पर लिए गए) के मामले में बैंक की शाखाओं/अंचलों/संबंधित विभागों को परामर्श देता है/ उनकी मदद करता है। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न ऋण एवं विधिक दस्तावेजों की जांच भी करता है, विभिन्न मामलों के संबंध में बैंक के अधिवक्ताओं/सॉलिसिटर के साथ विचारों का आदान-प्रदान करता है, विधिक लेखापरीक्षकों की सूची तैयार करने का कार्य करता है एवं अनुवर्ती कार्रवाई/निगरानी के प्रयोजनार्थ वाद-दायर मामलों का आधारभूत आंकड़ा बनाए रखता है।

संगनात्मक मामले:

शाखा नेटवर्क

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक द्वारा 85 नई देशी शाखाएं संयोजित की गईं जिनमें विद्यमान विस्तार काउंटरों को स्वयंपूर्ण शाखाओं के रूप में कोटि उन्नत की गई 2 शाखाएं शामिल हैं। दूसरी ओर दो शाखाओं को उनकी कारोबार संभाव्यता न रहने के कारण अन्य शाखाओं के साथ विलय कर दिया गया। दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार शाखाओं की जनसंख्या समूह वार स्थिति निम्नानुसार है:

- Rajbhasha Seminar on the subjects like "Global Recession and Indian Economy" and "Financial Inclusion" were organised by Zonal Offices of the Bank at Mumbai, Ranchi and Lucknow.
- The maiden issue of Quarterly Hindi magazine of the Bank "Anugunji" was released by the Bank's Chairman & Managing Director on 1st February, 2010.
- "Hindi Month", "Hindi Fortnight", "Hindi Week" were celebrated enthusiastically at Head Office as well as Zonal Offices, Central Staff College, Regional Training Centres and Branches. During "Hindi Month" at Head Office, Hindi Competitions and various Official Language awareness programme for the Executives/ Officers and Clerks and Sub-Staffs were also organised.
- Under the auspices of Town Official Language Implementation Committee (Banks), Kolkata, two days' "UNICODE" Workshop was organised by the Bank for the Officers/ employees of different Public Sector Banks' posted at Kolkata.

404 Branches / Offices were inspected by Official Language Officers at Head Office and Zonal Offices during the year to evaluate the performance in the area of implementation of Official Language Policy of Govt. of India and necessary remedial measures were also taken to remove the deficiencies observed in such inspections.

The Committee of Parliament on Official Language has applauded the Bank's commitment towards the successful implementation of Official Language Policy.

Law:

The Bank's Law department plays a crucial role in the functioning of the Bank and provides vital support/ inputs on various legal issues facing the Bank. Apart from rendering legal advice/ assistance on various matters referred to it by different departments of Bank's Head Office, Zonal Offices and Branches, Law department advises / assists the Bank's branches/zones/ concerned departments in (a) recovery of dues through legal means, (b) personnel and industrial relations matters, (c) premises (Bank-owned/ leased/ rented) matters.

Besides, the department also vets various loan and legal documents, interacts with Bank's advocates/solicitors regarding various cases, looks after empanelment of legal auditors, maintains database of suit-filed cases for follow-up/monitoring purpose.

ORGANISATION MATTERS :

Branch Network:

During FY'09-10, 85 new domestic branches were added by the Bank, including 2 branches that were upgradation of the existing extension counters to full-fledged branches. On the other hand, two branches were merged with other branches due to their lack of business potential. The population group-wise position of branches of the Bank as on 31st March, 2010 is as under:



जनसंख्या श्रेणी	मार्च, 2009	मार्च, 2010	दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार शाखाओं का प्रतिशत
Population Category	March 2009	March 2010	Percentage of Branches in each category to total number of branches as at the end of 31.03.2010
ग्रामीण /Rural	781	800	38
अर्धशहरी / Semi-urban	401	432	20
शहरी / Urban	457	479	22
महानगरीय / Metropolitan	426	437	20
कुल देशी शाखाएं / Total Domestic	2065	2148	100

बैंक द्वारा खोली गई 83 नई शाखाओं में कारपोरेट ग्राहकों को विशेषीकृत सेवाएं प्रदान करने हेतु तीन फ्लैगशिप कारपोरेट शाखाएं, एक पेंशन प्रोसेसिंग शाखा को शामिल कर दो सेवा शाखाएं शामिल थीं। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करने हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 को बैंक की 39 शाखाएं उन्हें समर्पित की गईं। इसके फलस्वरूप बैंक की वरिष्ठ नागरिक शाखाओं की संख्या 45 हो गई।

Of the 83 new branches opened by the Bank, three were Flagship Corporate branches to render specialized services to Corporate clients, two Service Branches including one Pension Processing Branch. In order to give personalised services to our senior citizens, 39 branches of the Bank were dedicated to them on 1st October, 2009. With this, total number of Senior Citizens' Branch in the Bank stood at 45.

Sl. No.	Category of Specialised branch	Number of branches
क्रम सं.	विशेषीकृत शाखा की श्रेणी	शाखाओं की संख्या
1	फ्लैगशिप शाखा /Flagship branch	7
2	मिड कारपोरेट शाखा /Mid Corporate branch	28
3	सेवा शाखा /Service branch	20
4	आस्ति प्रबंधन शाखा /Asset Management branch	5
5	एकीकृत कोष शाखा /Integrated Treasury branch	1
6	एसएमई शाखा /SME branch	25
कुल विशेषीकृत शाखाएं /Total Specialised branches		86

वैश्विक स्तर पर विदेश स्थित केन्द्रों में 4 शाखाएं अर्थात् हांग कांग एवं सिंगापुर के प्रत्येक स्थान में 2-2 शाखाएं हैं। इसके अलावा कुआलालम्पुर मलेशिया तथा गुआंगझौ, चीन में बैंक के दो प्रतिनिधि कार्यालय हैं। दि. 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक की शाखाओं की कुल संख्या विदेश स्थित तथा देशी शाखाओं को मिलाकर 2152 रही जिसमें 7 देश स्थित विस्तार काउंटर तथा विदेश के 2 प्रतिनिधि कार्यालय शामिल हैं।

At the global level, the Bank has four branches in overseas centres 2 each in Singapore and Hong Kong. Besides, the Bank has two representative offices at Kuala Lumpur, Malaysia & Guangzhou, China. The total number of Bank's branches as on 31st March 2010, overseas plus domestic stood at 2152 with 7 domestic extension counters and 2 representative offices overseas.

यूको मोबाइल बैंक :

बैंक ने पश्चिम बंगाल में सीबीएस समर्थ "यूको मोबाइल बैंक" की अवधारणा को आत्मस्थ करने के बाद इसे प्रारंभ कर बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय हलचल पैदा कर दी है। बायोमैट्रिक एटीएम और दृष्टिहीन ग्राहकों के लिए ब्रेल सुविधाओं से युक्त इस चलायमान बैंकिंग की शुद्धता माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा दि. 17.4.2010 को देवली गांव मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल में की गई।

UCO Mobile Bank :

The Bank achieved a technological breakthrough within the banking sphere by conceptualizing and introducing CBS-enabled "UCO Mobile Bank" in West Bengal. This branch-on-wheel having facilities like Biometric ATM and Braille for visually challenged customers, was launched by Sri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister at Deuli village, Murshidabad Dist., West Bengal on 17.4.2010.

जनशक्ति

दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या 23,370 थी जिसमें 126 कर्मचारी विदेश में कार्यरत थे और जिनमें से 20 स्वदेश लौटने वाले थे। देश में कर्मचारियों की संख्या (23,244) में 8798 अधिकारी, 9998 लिपिक और 4448 अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी थे। देश में कुल कर्मचारियों के 24.17 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत थे। (अ.जा-4382, अ.ज.जा-

Manpower :

The total staff strength of the Bank as on 31st March, 2010 stood at 23,370 including 126 employees serving overseas, 20 of whom are ex-patriate officers. The domestic staff strength (23,244) comprised 8798 Officers, 9998 Clerks and 4448 Subordinate Staff. 24.17 per cent of total domestic employees belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe (SC- 4382, ST-1235). Besides, there



1235) इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 09-10 के अंत में बैंक में 761 अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी सेवारत थे। 1138 कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदायों के हैं।

महिला कर्मचारियों की संख्या 2817 थी जो देश में काम करनेवाले कुल कर्मचारियों की संख्या का 12.12 प्रतिशत था। बैंक में कार्यरत शारीरिक दृष्टि से निःशक्त कर्मचारियों की संख्या 372 थी। भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की संख्या 785 थी।

भर्ती :

वर्ष के दौरान 549 अधिकारियों की भर्ती की गई जिनमें से 77 अनुसूचित जाति, 33 अनुसूचित जनजाति, 176 अन्य पिछड़े समुदाय के अंतर्गत थे, 122 महिलाएं थीं, शारीरिक रूप से निःशक्त 18 व्यक्ति थे तथा 12 अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति थे। लिपिक संवर्ग में 90 उम्मीदवारों की भर्ती की गई जिनमें से 10 अ.जा., 7 अ.ज.जा के अंतर्गत थे, 41 महिलाएं थीं, 2 शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति थे 6, भूतपूर्व सैनिक थे और अल्पसंख्यक समुदायों के 7 व्यक्ति थे। अधीनस्थ संवर्ग में 276 भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती सशस्त्र रक्षक के रूप में की गई है जिनमें से 28 अ.जा, 13 अ.ज.जा, 50 अन्य पिछड़े वर्ग तथा 58 अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत हैं।

अधिकारियों एवं कामगार स्टाफ के लिए पदोन्नति नीतियों की समीक्षा: वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान अधिकारियों एवं कामगार स्टाफ के लिए पदोन्नति नीतियों की समीक्षा करने का कार्य शुरू किया गया ताकि (क) वे बैंक की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हों, (ख) इनमें कर्मचारियों की आशा आकांक्षाओं पर ध्यान रखा जा सके और (ग) यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक की पदोन्नति नीतियां उद्योग की स्थिति के साथ सामंजस्यपूर्ण हों।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20.02.2010 को आयोजित अपनी बैठक में अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति इस शर्त के अधीन संशोधित की गई है कि पदोन्नति का एक दौर पूरा होने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। महिला कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति में संशोधन करने की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है तथा शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

संविदागत नियुक्ति:

निदेशक मंडल ने संविदागत आधार पर तीन वर्षों के लिए 300 ग्राहक सम्पर्क कार्यपालकों की भर्ती की जाने को अनुमोदित किया है ताकि बैंक के विक्रय बल में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके। यूजीसी अथवा एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कैम्पस भर्ती के माध्यम से उनकी भर्ती की जाएगी।

स्टाफ के कल्याण हेतु उपाय:

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक ने उस कर्मचारी अथवा पति-पत्नी के लिए जिनकी आयु 55 वर्ष और उससे अधिक है, चरमा के खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु एक बारगी उपाय वे रूप में एक योजना की शुरुआत की है। यह योजना आँख की जाँच के लिए विद्यमान योजना के अतिरिक्त है।

बैंक ने स्टाफ सदस्यों को उपलब्ध स्वास्थ्य-जाँच की विद्यमान सुविधा का लाभ उनके पति-पत्नी को भी उपलब्ध कराया है।

बैंक द्वारा अप्रैल, 2004 से शुरू की गई जी एस एल आई योजना जारी है और इस योजना में 18,273 सदस्य शामिल हैं जिनमें से 12,208 स्टाफ सदस्यों ने पति-पत्नी के लिए अतिरिक्त बीमा सुरक्षा का विकल्प दिया है।

were 761 OBC employees in service of the Bank at the end of FY'09-10. 1138 employees belong to Minority Communities.

Women employees numbering 2817 constituted 12.12 per cent of total domestic workforce. There were 372 Persons with disabilities on the Bank's rolls. The number of Ex-Servicemen employees stood at 785.

Recruitment :

During the year 549 Officers have been recruited out of which 77 belong to SC, 33 belong to ST, 176 belong to OBC, 122 belong to Women, 18 belong to Persons with Disabilities and 12 belong to Minorities. In Clerical Cadre, 90 candidates have been recruited out of which 10 are SCs, 7 STs, 21 OBCs, 41 women, 2 persons with disabilities, 6 Ex-Servicemen and 7 from Minority community. 276 Ex-servicemen have been recruited as Armed Guards in the Subordinate Cadre out of which 28 are SCs, 13 STs, 50 OBCs and 58 from Minority community.

Review of Promotion Policies for Officers and Workmen Staff :

During FY'09-10 Promotion Policies for Officers as well as Workmen Staff were taken up for review to (a) bring them in tune with present day requirements of the Bank, (b) take care of the aspirations of the employees and keep up their motivations, and (c) ensure Bank's promotion policies are in line with the Industry.

A revised Promotion Policy for officers has been approved by the Board of Directors in its meeting held on 20.02.2010, subject to review after completion of one round of promotions. The process of revisions in Promotion Policy for Workmen Staff is at an advanced stage and is going to be finalized soon.

Contractual Appointment :

The Board of Directors has approved recruitment of 300 Customer Relationship Executives on contract basis for three years for utilizing their services in Bank's Sales Force. They would be recruited through Campus Recruitment at different Colleges/Universities/Institutes approved by UGC or AICTE.

Staff Welfare Measures :

During FY'09-10, the Bank introduced a scheme for reimbursement of the cost of spectacles for employee or spouse who has attained 55 years of age and above, as one time measure. This is in addition to the eye check-up scheme already existing.

The Bank has also extended the benefit of the existing health check-up facility available to members of staff to their spouse as well.

GSLI Scheme introduced by the Bank from April, 2004, is being continued and has 18,273 members out of which 12,208 members of staff opted for additional coverage for spouse. During



वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान योजना के अंतर्गत 75 मृत्यु दावों तथा 18 पति-पत्नी संबंधी मृत्यु दावों का निपटान किया गया।

औद्योगिक संबंध:

इस अवधि के दौरान प्रबंधन और यूनियनों/एसोसिएशनों-दोनों के बीच औद्योगिक संबंध का माहौल स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण बना रहा और दोनों ने एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक स्ख अपनाया, आदरभाव प्रदर्शित किया और एक-दूसरे की भावना पर ध्यान दिया। कारपोरेट और अंचल-दोनों ही स्तरों पर औद्योगिक संबंध के विभिन्न मामलों पर यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ आवधिक तौर पर औद्योगिक संबंध के बारे में बैठकें आयोजित की गईं।

इसके अतिरिक्त बैंक के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने तथा कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु कार्यनीतियां निर्धारित करने के लिए बैंक की शीर्ष स्तरीय कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति, जिसमें बैंक के शीर्षस्थ प्रबंध वर्ग एवं अधिकारियों के एसोसिएशनों और कामगार यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, की बैठक आयोजित की गई।

पदोन्नतियां :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 4 अधिकारियों को उच्च कार्यपालक ग्रेड वेतनमान-VII तथा 13 अधिकारियों को उच्च कार्यपालक ग्रेड वेतनमान-VII में पदोन्नत किया गया। अधीनस्थ संवर्ग में 10 स्टाफ-सदस्यों को लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया।

मानव संसाधन पहल :

बैंक मानव संसाधन के विकास को बहुत महत्व देता है। बैंक के स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोलकाता में उसका अपना सेंट्रल स्टॉफ कॉलेज है तथा अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नै और चंडीगढ़ में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इस समय बैंक 17 प्रशिक्षण चैनल चला रहा है जिनमें से 10 केवल सीबीएस प्रशिक्षण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं। इन प्रशिक्षण सुविधाओं के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रों में कैम्पस के बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान बैंक के प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 538 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके माध्यम से 10,730 स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त बैंक ने ऋण, जोखिम प्रबंधन, वसूली कार्यनीतियां, परियोजना वित्त के क्षेत्र में विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु एनआईबीएम, सीएबी, एनआईआरडी, बीआईआरडी, एनआईबीएससीओएम, आईबीआरडीटी, आईआईबीएम और एफडीडीआई जैसी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं में 237 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया।

कुछ महत्वपूर्ण मानव संसाधन पहलों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए जा रहे हैं :

- बोर्ड की मानव संसाधन समिति के दिशा-निर्देश के अंतर्गत भर्ती किए गए नए अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया गया तथा तीन बैच में 441 अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण चलाए गए।
- कृषि ऋण को बढ़ाने हेतु विभिन्न केन्द्रों पर ग्रामीण ऋण से संबंधित कार्यक्रम
- लिपिकों/सीटीओ/विशेष सहायकों के लिए सभी अंचलों में ग्राहक संबंध प्रबंधन कार्यक्रम संचालित किए गए ताकि प्रारंभिक कार्यालय (फ्रंट ऑफिस) के स्टाफ कंप्यूटर परिचालन में पूरी तरह दक्ष हो सकें।

the FY'09-10, 75 death claims and 18 spouse death claims were settled under the Scheme.

Industrial Relations :

During the year, the Industrial Relations climate in the Bank remained healthy and cordial, with both the Management and the Unions/ Associations sharing co-operative attitude, mutual respect and concern. Periodical IR Meetings were held with unions/ associations on various IR issues, both at corporate level and zonal level.

Besides, meetings of Bank's Apex Level Performance Review Committee comprising the top management of the Bank and representatives of Officers' associations and Workmen Unions have been held to review the performance of the Bank and to lay down strategies for improved performance.

Promotions :

During the year under review, 4 officers were promoted to Top Executive Grade Scale -VII and 13 to Top Executive Grade Scale -VI. 10 members of sub-staff were promoted as clerk.

Human Resource Development Initiatives :

The Bank attaches great importance to development of Human Resources. It has its Central Staff College at Kolkata and Regional Training Centres at Ahmedabad, Bhubaneswar, Bhopal, Chennai and Chandigarh to impart training to the Bank's staff members. At present the Bank is running 17 training channels of which 10 are meant for CBS training only. In addition to these training facilities, off campus training courses are conducted at different centres.

During the year, 538 Programmes were organized by the Bank's training Centres through which training was imparted to 10,730 staff members. In addition to the in- house training programmes, the Bank deputed over 237 Officers for specialized training in Credit, Risk Management, Recovery Strategies, Project Finance to reputed institutions like, NIBM, CAB, NIRD, BIRD, NIBSCOM, IBRDT, IIBM, and FEDAI etc.

Some of the key HR initiatives are described briefly hereunder:

- Training module for newly recruited Officers finalized under the guidance of HR Committee of the board and training were conducted for 441 Officers, in three batches.
- Programme on Rural Credit conducted at various centres for augmenting agricultural credit.
- Customer Relationship Management programmes for Clerks/ CTOs/Special Assistants conducted across all zones for equipping the front office staff with the right soft skills.



- बैंक उत्पादों के बारे में प्रारंभिक कार्यालय (फ्रंट ऑफिस) के स्टाफ की जानकारी बढ़ाने हेतु सभी अंचलों में उत्पाद संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में प्रशिक्षण नेटवर्क को मजबूत करने तथा क्षमतागत बाधाओं की समस्या के समाधान हेतु आईआईबीएम के औपचारिक सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की प्रक्रिया तैयार की गई है।
- नेतृत्व उन्नयन, प्रोत्साहन, पेशागत दक्षता विकास, मानव संसाधन तथा विपणन कार्यनीतियों पर विशेष बल देते हुए एमडीआई, गुडगांव द्वारा कारपोरेट गुस्तुल में 79 कार्यपालकों के लिए कार्यपालक की कार्य-पद्धति के उन्नयन हेतु तीन कार्यक्रम संचालित किए गए।
- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग तथा वैश्विक कार्यप्रणाली के बारे में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों को विस्तृत जानकारी देने हेतु बैंक ने विदेश में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 14 कार्यपालकों को प्रतिनियुक्त किया।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निःशक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक समुदायों एवं महिलाओं के उन्नयन हेतु बैंक द्वारा की गई पहलें

वर्ष के दौरान डॉ. बूटा सिंह, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री ए. अली अजीजी, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और श्री हर्षवर्धन वाल्मीकि माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने आरक्षण नीतियों तथा उनके संबंधित क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में सरकारी दिशानिर्देश के कार्यान्वयन का जायजा लेने हेतु बैंक का दौरा किया। बैंक द्वारा इनके कार्यान्वयन हेतु उनके निदेश का विधिवत पालन किया गया।

इस संबंध में वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई पहलें निम्नानुसार हैं :

- अ.जा./अ.ज.जा./निःशक्त व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिक के लिए एक संपर्क अधिकारी तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एस संपर्क अधिकारी महाप्रबंधक के ओहदेवाले बैंक के कार्यपालक संवर्ग में नामित किए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए वेतनमान-IV के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष स्थापित किए गए हैं तथा प्रधान कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में ये कार्य कर रहे हैं।
- सरकार के निदेश के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण सीधी भर्ती हेतु वर्ष 1969 में तथा पदोन्नति हेतु वर्ष 1979 में शुरू किया गया तथा सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को बैंक में दि. 08.09.1993 से शुरू किया गया है। सीधी भर्ती में अ.जा./अ.ज.जा./अ.ज.जा. अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और पदोन्नति में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड का पालन किया जाता है। पदोन्नति के मामले में पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। निःशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सीधी भर्ती में तथा लिपिक संवर्ग तक पदोन्नति के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। लिपिक संवर्ग तक सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाती है।
- अ.जा., अ.ज.जा. और निःशक्त व्यक्ति (पी डब्ल्यू डी) श्रेणी के उम्मीदवारों को भर्ती-पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किए जाते

- Product related workshops conducted across all zones to enhance knowledge about bank's products amongst the front office staff.
- To strengthen the training network in the North Eastern States and address the capacity constraints, a formal collaboration with IIBM Guwahati for conducting various training courses has been formalised.
- Three Executive Development Programmes focused on leadership development, motivation, professional development, HR and marketing strategies were conducted for 79 Executives in Corporate Gurukul by MDI Gurgaon.
- With a view to give exposure to Bank's Senior Executives to international banking and global practices, the Bank deputed 14 Executives to participate in training programmes abroad.

Initiatives taken by the Bank for development of SCs, STs, OBCs, Persons with Disabilities, Ex-Servicemen, Minorities and Women

During the year, Dr. Buta Singh, Hon'ble Chairman, National Commission for Scheduled Castes, Shri A. Ali Azizi, Hon'ble member of the National Commission for Backward Classes and Shri Harsh Vardhan Valmiki, Hon'ble Chairman, National Commission for Safai Kramcharis visited the Bank to observe the implementation of the Reservation Policies and Government guidelines in their respective areas. Directions given by them were duly followed for implementation by the Bank.

The various initiatives taken by the bank in this regard over the year are :

- One Liaison Officer for SC/ST/PWD/Ex-Servicemen and one Liaison Officer for OBCs have been nominated from the Bank's Executive cadre at the rank of General Manager. One Scale-IV Officer has also been nominated as Nodal Officer for Minority Communities.
- SC/ST Cells have been set up and working at Head Office and Zonal Offices.
- In terms of the Govt. Directives, Reservation for SC/ST had been introduced in 1969 in Direct Recruitment and in Promotion in 1979 and reservation for OBC had been introduced in Direct Recruitment with effect from 08.09.1993 in the Bank. Reservations for SC/ST/OBC in Direct recruitment and for SC/ST in promotions are followed as prescribed by the Govt. of India. There is no reservation for OBCs in Promotion. 3 per cent reservation is provided for Persons with Disabilities(PWD) in Direct Recruitment and promotion up to Clerical Cadre. Reservation for Ex-Servicemen is also provided in Direct Recruitment up to Clerical Cadre.
- Pre-Recruitment and Pre-Promotional Trainings are imparted to SC, ST and PWD candidates. Candidates belonging to



हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के अंतर्गत आनेवाले उम्मीदवारों को भी लिपिक संवर्ग एवं अधिकारी संवर्ग में नियुक्ति हेतु भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को बैंक की चयन समिति/भर्ती समिति में शामिल किया जाता है।

● वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान भर्ती किए गए 549 अधिकारियों में से अ.जा. के 77, अ.ज.जा. के 33, अन्य पिछड़े वर्ग के 176, 122 महिलाओं, 18 निःशक्त व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत 12 व्यक्तियों की भर्ती की गई थी। भर्ती किए गए लिपिक संवर्ग के 90 उम्मीदवारों में से 10 अ.जा. के, 7 अ.ज.जा. के, 21 अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत थे, 41 महिलाएं थीं, 2 निःशक्त व्यक्ति थे, 6 भूतपूर्व सैनिक और 7 अल्पसंख्यक समुदाय के थे। अधीनस्थ संवर्ग में 276 भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती सशस्त्र रक्षक के रूप में की गई है जिनमें से 28 अ.जा. के, 13 अ.ज.जा. के, 50 अन्य पिछड़े वर्ग के तथा 58 अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति थे।

● बैंक ने अ.जा./अ.ज.जा. के हिताधिकारियों को 2111.18 करोड़ रु. का वित्त प्रदान किया जो दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम का 7.65 प्रतिशत है। दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार महिला हिताधिकारियों को 4010.45 करोड़ रु. का ऋण प्रदान किया गया जो 5 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण का 6.38 प्रतिशत होता है। अल्पसंख्यक समुदायों को 3989.49 करोड़ रु. की ऋण सुविधाएं दी गईं जो यूको बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 14.84 प्रतिशत है। 6733 करोड़ रु. के ऋण समाज के कमजोर वर्ग को दिए गए जो 10 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण का 10.71 प्रतिशत होता है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु पहलें :

“जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक” की भावना के तहत बैंक ने वर्ष के दौरान निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर, रक्तदान शिविर आयोजित करने, विभिन्न केन्द्रों में गरीब लोगों को कम्बल वितरण, पश्चिम बंगाल में आंधी के प्रभाव से ग्रस्त लोगों को सहायता, “ड्रग्स को ना कहें” के बारे में जागरूकता कार्यक्रम को प्रायोजित करने जैसी विभिन्न पहलें की हैं। बैंक ने अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व को पूरा करने हेतु उपयुक्त मामलों में दान भी दिए हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा.बैंक) :

इस समय बैंक द्वारा पाँच क्षे.ग्रा.बैंक प्रायोजित किए गए हैं। दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक क्षे.ग्रा.बैंक के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	क्षे. ग्रा. बैंक का नाम	राज्य का नाम	स्थापना/समामेलन की तारीख	शाखाओं की संख्या
Sl. No.	Name of RRB	Name of the State	Date of Establishment/ Amalgamation	No of Branches
1.	जयपुर थार ग्रामीण बैंक Jaipur Thar Gramin Bank	राजस्थान Rajasthan	27.01.2006	213
2.	कलिंग ग्राम्य बैंक Kalinga Gramya Bank	उड़ीसा Orissa	02.01.2006	183
3.	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Bihar Kshtriya Gramin Bank	बिहार Bihar	12.09.2005	154
4.	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक Paschim Banga Gramin Bank	पश्चिम बंगाल West Bengal	26.02.2007	216
5.	महाकौशल कृषि ग्रामीण बैंक Mhakaushal Ksh. Gramin Bank	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	01.04.1984	43 809

Minority communities are also imparted Pre-Recruitment Training for appointment in Clerical as well as Officer Cadre.

Representatives from SC/ST/Minority Communities are included in the Selection Committee/Recruitment Committee of the Bank.

● 77 SCs, 33 STs, 176 OBCs, 122 Women, 18 Persons with Disabilities and 12 belonging to Minorities were recruited in the officer's cadre out of 549 officers recruited during the FY'09-10. Out of 90 clerical candidates recruited 10 were SCs, 7 STs, 21 OBCs, 41 women, 2 persons with disabilities, 6 Ex-Servicemen and 7 from Minority community. 276 Ex-servicemen have been recruited as Armed Guards in the Subordinate Cadre out of which 28 are SCs, 13 STs, 50 OBCs and 58 from Minority community.

● The Bank has provided Rs. 2111.18 crore finance to SC/ST beneficiaries which constituted 7.65 per cent of total Priority Sector advances as on 31st March 2010. Women beneficiaries were extended loan of Rs. 4010.45 crore as on 31st March 2010 which comes to 6.38 per cent of Adjusted Net Bank Credit against the National Parameter of 5 per cent. Credit facilities of Rs. 3989.49 crore was extended to Minority Communities which is 14.84 per cent of UCO Bank's Priority Sector advances. Credit amounting to Rs. 6733 crore was extended to Weaker Section of the Society, which constituted 10.71 per cent of Adjusted Net Bank Credit against National Parameter of 10 per cent.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES :

As a "Responsible Corporate Citizen" the Bank has taken various initiatives during the year like organizing free medical checkup camps, blood donation camps, distribution of blankets to poor at various centers, help to the victims of cyclone in West Bengal, sponsoring an awareness event "Say No to Drugs". The Bank has also given donations in deserving cases to fulfill its Corporate Social Responsibilities.

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs):

At present, there are five RRBs sponsored by the Bank. The particulars of each RRB as on 31.03.2010 are as under:



वित्तीय वर्ष 2009-10 के वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि में 980 करोड़ रु. की वृद्धि हुई और वह दिनांक 31.03.09 की स्थिति के अनुसार 6025 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31.03.10 की स्थिति के अनुसार 7005 करोड़ रु. हो गई और इस प्रकार इसमें 16.27 प्रतिशत की संवृद्धि हुई। उसी अवधि के अग्रिमों में 16.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समग्रतः अग्रिम में 419 करोड़ की वृद्धि हुई और यह दिनांक 31.03.09 की स्थिति के अनुसार 2512 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31.03.10 की स्थिति के अनुसार 2931 करोड़ रु. हो गई।

क्षेत्रीय बैंकों की सकल अनर्जक आस्ति दिनांक 31.03.09 की स्थिति के अनुसार 209 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31.03.10 की स्थिति के अनुसार 237 करोड़ रुपया हो गई। सकल अग्रिमों के प्रतिशत की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां दिनांक 31.03.09 की स्थिति के अनुसार 8.32 प्रतिशत से घटकर दिनांक 31.03.10 की स्थिति के अनुसार 8.09 प्रतिशत हो गई। दिनांक 31.03.10 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निवल अनर्जक आस्तियां 133 करोड़ रुपये थीं जो निवल अग्रिमों का 4.74 प्रतिशत है।

दिनांक 31.03.09 की स्थिति के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकित लाभ 23.86 करोड़ रु. था जो 31.3.10 को समाप्त अवधि के लिए 32.33 करोड़ रु. रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 35.50 प्रतिशत की संवृद्धि को दर्शाता है।

भावी योजना

चूंकि आज भारत विश्व में दूसरी सर्वोत्तम विकासशील अर्थव्यवस्थावाला देश है, अतः यह प्रत्याशा की जाती है कि आनेवाले वर्षों में बैंकिंग कार्यकलाप विविध स्तरों में बढ़ेंगे। अब बैंक प्रौद्योगिकीय कौशल अपने सर्व भारतीय शाखा नेटवर्क तथा भारत नामक एक उभरते हुए बृहत् देश के बारे में लगभग 70 वर्षों के आत्मीय ज्ञान के बलबुते पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। बैंक अर्थव्यवस्था की चाह, आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए क्रमिक संवृद्धि की नीति का अनुसरण करेगा। आस्ति सृजन के संबंध में बैंक मिड कोरपोरेट, रिटेल एवं लघु उद्योग को ऋण देने पर बल देगा। देयता के क्षेत्र में बैंक अल्प लागतवाली जमा राशि के संग्रहण पर विशेष जोर देगा। बैंक अपनी ऋण आस्तियों पर लगातार सतर्क निगरानी रखेगा ताकि इसके रिसाव को रोका जा सके तथा अपनी बकाया राशि को वसूलने हेतु अति सक्रिय कदम उठाएगा। बैंक समाज के सभी क्षेत्रों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय अपेक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयास में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगा।

बैंक ग्राहकों को सर्वोत्कृष्ट मूल्यवर्धित सेवा प्रदान करने हेतु एक सुदृढ़ प्रौद्योगिकी मोर्चा तैयार करने हेतु कदम उठा रहा है। प्रस्तावित महत्वपूर्ण पहलों में वित्तीय लेन-देन सुविधा सहित जी पी आर एस आधारित मोबाइल बैंकिंग, बायोमैट्रिक ए टी एम, आन लाइन शेयर ट्रेडिंग, आफ साइट रेलवे ई-टिकटिंग किऑस्क, पास बुक मुद्रण किऑस्क, चेक जमा मशीन, व्यस्ततम शाखाओं में हस्तचालित प्रक्रिया बगैर यांत्रिक अथवा प्रौद्योगिकी समर्थित नकद जमा मशीन तथा सूचना किऑस्क इत्यादि उपकरण जो ग्राहकों को स्वतः सेवा उपलब्ध कराती है, को लागू करना शामिल है।

बैंक पूरे उत्साह व उमंग के साथ भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है ताकि वह अपने हितधारकों को अधिक से अधिक लाभ मुहैया करा सके। वह यूको बैंक को ऐसी विश्वस्तरीय संस्था का स्वरूप देने हेतु अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सदैव सचेत है जिसपर ग्राहकों एवं निवेशकों की आस्था हो, जो समतुल्य संस्थाओं द्वारा प्रशंसित हो, जिसे उसके गर्वित कर्मचारी हृदय में संजोए रखते हों तथा उसके विकास में निरंतर योगदान देते हों।

During the Financial Year 2009-10, the total deposit of the RRBs sponsored by the Bank has increased by Rs. 980 crore from Rs. 6025 crore as on 31.03.09 to Rs. 7005 crore as on 31.03.10, thereby registering a growth of 16.27 per cent. During the same period, the advances increased by 16.67 per cent. In absolute terms the advances increased by Rs. 419 crore from Rs. 2512 crore as on 31.03.09 to Rs. 2931 crore as on 31.03.10.

The Gross Non-Performing Assets of the RRBs increased to Rs. 237 crore as on 31.03.10 from Rs. 209 crore as on 31.03.09. Gross NPAs as percentage to Gross Advances has reduced from 8.32 per cent as on 31.03.09 to 8.09 per cent as on 31.03.10. The Net Non-Performing Assets of the RRBs as on 31.03.10 stood at Rs. 133 crore which is 4.74 per cent of net advances.

As on 31.03.09 consolidated profit for all RRBs was Rs. 23.86 crore while for the period ended 31.03.10 consolidated profit is Rs. 32.33 crore registering a growth of 35.50 percent over previous year.

FUTURE PLANS

India being the second-highest growing economy in the world today, banking activities in India are expected to grow manifold in the coming years. The Bank will now forge ahead leveraging on its technology prowess, pan India branch network and almost 70 years' intimate knowledge of an emerging giant called India. The Bank would pursue segmented growth keeping in mind demands of the economy, asset quality and profitability. As regards asset creation, the Bank would focus on loans to Mid Corporate, Retail and Small Enterprises. On the liability side the Bank would aggressively focus on mobilizing low-cost deposits. The Bank would keep a constant vigil on its loan assets to prevent slippages and take pro-active steps for recovery of its dues. The Bank shall spare no efforts to ensure financial inclusion of all sections of society.

The bank is also taking steps to put in place a robust technology platform to provide best service and value to the customers. The major initiatives proposed include introduction of GPRS based Mobile banking with financial transaction facility, deployment of Biometric ATM, On-Line Share Trading, Off site Railway E-ticketing Kiosk, Customer Self Service devices like Pass Book Printing Kiosks, Cheque Deposit machines, Intelligent Cash Deposit Machine at heavy footfall branches and setting up of Information Kiosks.

The Bank looks forward to the future with excitement and a promise to bring greater benefits to all its stakeholders. It remains steadfast in its commitment to make UCO a world class financial institution trusted by customers and investors, admired by peers, cherished and nourished by its proud employees.



निदेशक मंडल

कारपोरेट अभिशासन

उत्तम कारपोरेट अभिशासन पर बैंक का अटूट विश्वास है तथा वह लगातार इस पर अमल करता है। यह पारदर्शिता, पेशेवर मानसिकता तथा दायित्व-बोध को अपने आधारभूत मूल्यों से संरचित है। अपने दैनंदिन परिचालन संबंधी इन पहलुओं पर निरंतर बल देते हुए बैंक शेयरधारकों की मान्यता को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। बैंक उत्तम अभिशासन के सिद्धांतों के प्रति बचनबद्ध होने के नाते इसके निदेशक मंडल ने बैंक के कारोबार के प्रत्येक पहलु पर निगरानी रखने के लिए बोर्ड की विविध समितियों का गठन किया है।

कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हो, की पहचान करने और उन्हें मजबूत करने हेतु बैंक की प्रणालीगत एवं कारोबार संबंधी प्रक्रियाओं की विभिन्न स्तरों पर लगातार समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशक यह विश्वास करते हैं कि ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों, कर्मचारियों तथा निवेशकों एवं समग्रतः समाज का सम्मान अर्जित करने हेतु उत्तम अभिशासन ही मूल अंग है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान श्री बी एम मित्तल, कार्यपालक निदेशक, जो दिनांक 01.11.09 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप कार्यरत नहीं रहे, के स्थान पर श्री अजय कुमार, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 07.12.09 को निदेशक मंडल में शामिल किया गया। दिनांक 02.01.10 के प्रभाव से श्री पी एल मित्तल, सनदी लेखाकार निदेशक बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए। श्री राम अवतार शर्मा को कामगार निदेशक के रूप में दिनांक 15.02.10 को बोर्ड में शामिल किया गया।

निदेशक मंडल की बैठक :

वित्तीय वर्ष 09-10 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की 12, बोर्ड की प्रबंध समिति की 22 और लेखा परीक्षा समिति की 8 बैठकों का आयोजन किया। बोर्ड की अन्य विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित है :

क्रम संख्या Sl. No.	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held
1	जोखिम प्रबंधन समिति/Risk Management Committee	4
2	शेयर धारकों की शिकायत निवारण समिति/Shareholders' Grievance Redressal Committee	2
3	शेयर अंतरण समिति/Share Transfer Committee	12
4	पारिश्रमिक समिति/Remuneration Committee	1
5	बड़ी राशि की कपटों पर निगरानी रखने हेतु विशेष समिति/ Special Committee for Monitoring Large-value Frauds	3
6	ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee	4
7	बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों की समिति/Committee on HR Related issues of the Bank	3
8	संयुक्त बीमा उद्यम (गैर-जीवन) समिति/Committee of Joint Insurance Venture (Non-life)	1

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेख में :

तात्कालिक विचलन से, यदि कोई हो, संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा प्रणाली मानक का प्रयोग किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक

BOARD OF DIRECTORS

Corporate Governance :

The Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance which is woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business.

The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earning trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and respect from the society at large.

Changes in the Board of Directors:

During the FY'09-10, Shri Ajai Kumar, Executive Director was inducted into the Board of Directors on 07.12.09 in place of Sri B M Mittal, Executive Director who demitted office on 01.11.09 on superannuation. Sri P L Mittal, Chartered Account Director retired from the Board w.e.f. 02.1.10. Sri Ram Avtar Sharma was inducted into the Board on 15.2.10 as Workman Director.

Meeting of the Board of Directors :

During the FY'09-10, the Bank had 12 meetings of the Board of Directors, 22 meetings of the Management Committee and 8 meetings of the Audit Committee of the Board. The number of meetings held by various other Committees of the Board are as under:

Statement of Directors' Responsibilities :

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2010:

The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.



के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई नीतियों को एकरूपता से लागू किया गया है।

उचित और विवेक सम्मत निर्णय और आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष में बैंक की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश की जा सके।

भारत के बैंकों को शासित करने वाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित और पर्याप्त ध्यान दिया गया और लेखे लाभकारी करोबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं।

आभार :

निदेशक मंडल बोर्ड के विचार-विमर्श के समय अपना योगदान देने हेतु श्री बी. एम. मित्तल एवं श्री पी. एल. मित्तल की भुरि-भुरि प्रशंसा करता है। बोर्ड नए निदेशकों का स्वागत करता है तथा बैंक के कार्य-संचालन में उनके मूल्यवान मार्गदर्शन की प्रत्याशा करता है। निदेशक भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकारियों के प्रति उनके समर्थन और अमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हैं। निदेशक मंडल अन्य वित्तीय संस्थाओं और संपर्क कर्ता बैंकों को उनके भरपूर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक के स्टाफ यूनियनों/ एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयर धारकों के समर्थन के लिए उनके प्रति कृतज्ञ है। निदेशक बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करता है जिसकी वजह से बैंक कई कीर्तिमान स्थापित कर सका।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से।

The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied.

Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2010.

Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going concern basis.

Acknowledgements :

The Board of Directors places on record its deep appreciation of the contributions made by Sri B M Mittal and Sri P L Mittal to the deliberations of the Board. The Board would like to welcome the new Directors and looks forward to their valuable inputs in running of the Bank. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance. The Board also thanks other Financial Institutions and correspondent banks for their sincere co-operation. The Directors are also grateful to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board remains thankful for the support extended by the Staff Unions/ Associations and shareholders of the Bank. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank because of which the Bank could achieve so many milestones.

For and on behalf of Board of Directors

कोलकाता

30.04.2010

(एस. के. गोयल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Kolkata :

30.04.2010

(S K Goel)

Chairman & Managing Director



कार्पोरेट प्रशासन नीति से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन

यूको बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके प्रत्येक कार्य में निहित उच्च-स्तरीय "सर्वत्र स्वीकार्य नैतिक मूल्यों" और "अनुशासित दृष्टिकोण" पर आधारित है ताकि उसके सभी शेयरधारकों के शेयर-मूल्य को बनाए रखा जाए और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैंक अपने शेयरधारकों के प्रति न्यासी की भूमिका एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझता है तथा उसके प्रति जागरूक है। बैंक हितधारकों और समाज के न्यासीय भूमिका एवं जिम्मेवारी को वखूबी समझता एवं इसकी इज्जत करता है।

बैंक कार्पोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाने एवं उसके अनुरूप कार्य करने में विश्वास करता है और लगातार ऐसी पद्धति के अनुरूप कार्य कर रहा है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कार्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंक के सभी निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) धारा 9(3) (क) से 9(3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त/नामांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन दो निदेशकों का निर्वाचन बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा किया गया है।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank :

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is based on high standard of "universally accepted ethical values" and "disciplined approach" in its every action so as to optimize the value of all its stakeholders and safeguard their interest. The Bank understands and respects its fiduciary role and responsibility to the stakeholders and to the society, at large.

The Bank is consistently practicing good corporate governance, which is woven around its core values of transparency, professionalism and accountability.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Misc. Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges are to be read along with these statutes.

The Directors are experienced and have requisite expertise in the field of Banking, Finance and Management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other Directors are appointed/nominated under different sections of 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act).

Besides, under Section 9(3) (i) of the same Act, there are two directors elected by the shareholders of the Bank (other than the Central Government).



2.2. दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसरण में बोर्ड का गठन किया गया है।

2.2. Composition of the Board of Directors as on 31.3.2010 :

The Board is constituted in accordance with the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिन समिति (यों) में सदस्य हैं	दिनांक 31.03.10 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर Holding of UCO Bank shares by the Directors as on 31.03.10
Sl. No.	Name & Designation of the Director	Date of joining the office	Membership in Board Committee(s) of UCO Bank	
1	श्री एस. के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S. K. Goel Chairman & Managing Director	01.08.2007	एसटीसीबी, सीएमएलवीएफ, सीजेआई, एमसीबी, आरएमसीबी, एसजीआरसीबी, सीएससी, STCB, SMLVF, CJI, MCB, RMCB, SGRCB, CSC,	शून्य NIL
2	श्री वी. के. ढींगरा कार्यपालक निदेशक Shri V. K. Dhingra Executive Director	06.06.2007	एमसीबी, आरएमसीबी, एसीबी, सीएससी, सीएमएलवीएफ, सीएचआर, सीजेआई, सीआईटी, सीआईटी एंड एफआई MCB, RMCB, ACB, CSC, SMLVF, CHR, CJI, CIT, CIT&FI	शून्य NIL
3	श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक Shri Ajai Kumar Executive Director	07.12.2009	एमसीबी, एसीबी, एससीएस, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर, सीजेआई MCB, ACB, CSC, RMCB, SMLVF, CHR, CJI	शून्य NIL
4	श्री समीर कुमार सिन्हा सरकार द्वारा नामित निदेशक Shri Samir Kumar Sinha, Govt. Nominee Director	10.06.2008	एसीबी, सीएससी, एनसीबी, आरसीबी, सीएचआर, सीआईटी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीआईटी एंड एफआई ACB, CSC, NCB, RCB, CHR, CIT, RMCB, SMLVF, CIT&FI	शून्य NIL
5	श्री एन. पी. सिन्हा भा. रि. बैंक द्वारा नामित निदेशक Shri N.P. Sinha RBI Nominee Director	27.02.2007	एसीबी, सीएससी, एनसीबी, आरसीबी, सीआईटी एंड एफआई एमसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर ACB, CSC, NCB, RCB, CIT, CIT&FI, MCB, RMCB, SMLVF, CHR	शून्य NIL
6	श्री जे. सी. शंडिल अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी निदेशक Shri J.C. Shandil Officer Employees Director	08.10.2004	सीआईटी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर CIT, SMLVF, CHR	शून्य NIL
7	श्री आर. एन. जैन शेयरधारक निदेशक Shri R.N. Jain Shareholder Director	13.03.2008	एमसीबी, एसीबी, एसजीआरसीबी, एसटीसीबी MCB, ACB, SGRCB, STCB	700
8	श्री एस. सी. गुप्ता शेयरधारक निदेशक Shri S.C. Gupta Shareholder Director	13.03.2008	एमसीबी, एसीबी, आरसीबी, आरएमसीबी, एसटीसीबी, एसजीआरसीबी, सीजेआई MCB, ACB, RCB, RMCB, STCB, SGRCB, CJI	110
9	श्री जयदेव गुप्ता गैर-सरकारी निदेशक Shri Jaidev Gupta Non-official Director	04.07.2008	सीएचआर, सीएससी, सीआईटी CHR, CSC, CIT	शून्य NIL
10	श्री संजीव जैन गैर-सरकारी निदेशक Shri Sanjeev Jain Non-official Director	03.03.2009	एमसीबी, सीआईटी MCB, CIT	1000
11	श्री राम अवतार शर्मा गैर-सरकारी निदेशक Shri Ram Avtar Sharma Workmen Employees' Director	15.02.2010	— —	शून्य NIL



एसीबी = निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति, सीएचआर = बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति, सीएससी = ग्राहक सेवा समिति, एमसीबी = निदेशक मंडल की प्रबंध समिति, एनसीबी = निदेशक मंडल की नामांकन समिति, आरसीबी = निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति, आरएमसीबी = निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति, एसजीआरसीबी = निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति, एसटीसीबी = निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति, एसएमएलवीएफ = अधिक राशि के कपट की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति, सीआईटी = सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति, सीआईटीवएफआई = सूचना प्रौद्योगिकी एवं समावेशन समिति, सीजेआई = संयुक्त बीमा (गैर जीवन) उद्यम समिति

ACB = Audit Committee of the Board, CHR = Committee on HR related issues of the Bank, CSC = Customer Service Committee, MCB = Management Committee of the Board, NCB = Nomination Committee of the Board, RCB = Remuneration Committee of the Board, RMCB = Risk Management Committee of the Board, SGRCB = Shareholders' Grievance Redressal Committee of the Board, STCB = Share Transfer Committee of the Board, SMLVF = Special. Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds, CIT=Committee on Information & Technology), CIT & FI =Committee on IT & Financial Inclusion, CJI = Committee on Joint Insurance (Non Life) Venture

2.2.1 दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त निदेशक

2.2.1 Directors who retired during the year ended on 31.03.2010

क्रम.सं०	निदेशक का नाम	कार्यग्रहण की तारीख	निदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित रहे/ जो आयोजित हुई
Sl.No.	Name of the Director	Date of joining	Date of cessation of Directorship	No. of Board meetings attended/ held during his/her tenure.
1.	श्री पी. एल. मित्तल, नामित निदेशक Shri.P. L. Mittal, Nominee Director	2.1.2007	23.11.2009	7/8
2.	श्री बी. एम. मित्तल, कार्यपालक निदेशक Shri B.M. Mittal, Executive Director	7.11.2007	01.11.2009	5/6

2.2.2 निदेशक मंडल की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, निदेशक मंडल की अन्य समितियों की संख्या जिसमें वे वर्ष के दौरान सदस्य या अध्यक्ष रहे एवं ऐसी अन्य कंपनियों/निगमों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं जिनमें वे निदेशक रहे :

2.2.2 The details of the attendance of each Director at the Board Meetings, no. of other Board Committees where he/she is a member or Chairperson during the year and directorship of other companies/corporations are furnished hereunder :

निदेशक का नाम	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे / जो आयोजित हुई (कार्यकाल के दौरान)	बोर्ड की समितियों की सं. जिनमें सदस्य हैं	अन्य कंपनी आदि , जिनमें निदेशक हैं
Name of Director	No. of Meetings Attended/Held (during the period of their tenure)	Member of Board's Committees	Other directorship
श्री एस . के . गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S.K. Goel, Chairman & Managing Director	12/12	7	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि. नेशनल इश्योरेंस कं. लि. Industrial Investment Bank of India. National Insurance Co. Ltd.
श्री वी . के . धींगरा, कार्यपालक निदेशक Shri V.K. Dhingra, Executive Director	11/12	9	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि (आईआईबीआई) Industrial Investment Bank of India (IIBI)



निदेशक का नाम Name of Director	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे / जो आयोजित हुई (कार्यकाल के दौरान) No. of Meetings Attended/Held (during the period of their tenure)	बोर्ड की समितियों की सं., जिनमें सदस्य हैं Member of Board's Committees	अन्य कंपनी आदि, जिनमें निदेशक हैं Other directorship
श्री बी.एम. मित्तल, कार्यपालक निदेशक (सेवा निस्पन्न दि. 01.11.2009) Shri B.M. Mittal, Executive Director (Retired w.e.f. 01.11.2009)	5/6	7	लघु एवं मझोले उद्यम रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया (एसएमईआरए) Small & Medium Enterprises Rating Agency of India (SMERA)
श्री अजय कुमार, कार्यपालक निदेशक Shri Ajai Kumar, Executive Director	5/5	7	नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया National Payment Corporation of India
श्री समीर कुमार सिन्हा, सरकार द्वारा नामित निदेशक Shri Samir Kumar Sinha, Govt. Nominee Director	8/12	9	—
श्री एन. पी. सिन्हा, भा. रि. बैंक द्वारा नामित निदेशक Shri N.P. Sinha, RBI Nominee Director	12/12	10	—
श्री जे. सी. शांडिल, अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी निदेशक Shri J.C. Shandil, Officer Employees Director	11/12	3	—
श्री पी. एल. मित्तल, गैर-सरकारी निदेशक Shri P.L. Mittal, Non-official Director	7/8	3	—
श्री आर. एन. जैन, शेयरधारक निदेशक Shri R.N. Jain, Shareholder Director	12/12	4	बी. पी. इंजीनियर्स प्रा. लि. B. P. Engineers Pvt Ltd.
श्री एस. सी. गुप्त, शेयरधारक निदेशक Shri S.C. Gupta, Shareholder Director	12/12	7	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. Power Finance Corporation Ltd.
श्री जयदेव गुप्त, गैर सरकारी निदेशक Shri Jaidev Gupta, Non-official Director	12/12	3	कीनम एक्जिम प्रा. लि. 9 एबी, 3रा तल, तैमूर नगर, नई दिल्ली Kenam Exim Private Ltd., 9AB, 3 rd floor, Taimoor Nagar, New Delhi
श्री संजीव जैन, गैर-सरकारी निदेशक Shri Sanjeev Jain, Non-official Director	11/12	2	अशोक विहार क्लब Ashok Vihar Club
श्री राम औतार शर्मा, पंचाट कर्मचारी निदेशक Shri Ram Avtar Sharma, Workmen Employees' Director	2/2	—	शून्य /Nil

2.2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 (यथा संशोधित) के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित 6 बैठकें तथा सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में निदेशक मंडल की 12 बैठकें आयोजित की गईं -

2.2.3 Dates of Board Meetings

During the period of review, 12 Board Meetings were held on following dates, as against minimum of 6 prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (as amended) and minimum of four meetings stipulated in Clause 49 of Listing Agreement :

8.5.2009	31.8.2009	14.11.2009	30.1.2010	8.5.2009	31.8.2009	14.11.2009	30.1.2010
26.6.2009	30.9.2009	18.12.2009	20.2.2010	26.6.2009	30.9.2009	18.12.2009	20.2.2010
30.7.2009	15.10.2009	15.1.2010	20.3.2010	30.7.2009	15.10.2009	15.1.2010	20.3.2010



2.2.4 निदेशक मंडल के नए निदेशकों का जीवनवृत्त

श्री अजय कुमार : श्री अजय कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ स्नाकोत्तर किए हैं साथ ही वे विधि विषय में स्नातक एवं सीएआईआईबी की परीक्षा भी उत्तीर्ण हैं। अभी उनकी उम्र 57 साल है और श्री अजय कुमार विश्वविद्यालय की परीक्षा समाप्त करते ही बैंकिंग की प्रतिस्पर्धा को अपना कैरियर मानते हुए परवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक आफ बड़ौदा में कार्यभार ग्रहण किया। 7.12.2009 को यूको बैंक में कार्यग्रहण करने के पहले वे बैंक आफ बड़ौदा में प्रौद्योगिकी युक्त कारबार रूपांतर परियोजनाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी परिचालन विभाग के महाप्रबंधक थे।

श्री रामऔतार शर्मा

श्री रामऔतार शर्मा पंचाट कर्मचारी निदेशक के रूप में दिनांक 15 फरवरी, 2010 को बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए। वे वाणिज्य एवं विधि विषयों में स्नातक हैं। वे 32 वर्षों से अधिक समय से बैंक की सेवा से जुड़े हुए हैं।

3.0 निदेशक मंडल की समितियां :

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी मानीटरिंग करना एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं :

3.1.0 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (ए सी बी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ संशोधित सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम तीन निदेशकों की जगह पांच निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं और श्री एस. सी. गुप्ता, समिति के अध्यक्ष, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के वरिष्ठ अधिसदस्य हैं।

3.1.1. प्राथमिक उद्देश्य :

यह एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा संबंधी कार्य-उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाहरी लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन नीतियों, प्रथाओं, अंक-संबंधी, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाहरी लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। वह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

2.2.4 Bio-data of new directors on the Board :

Shri Ajai Kumar : Shri Ajai Kumar, a Master of Science from University of Allahabad, is also Law Graduate and Certified Associate of Indian Institute of Bankers. Aged about 57 years, Shri Ajai Kumar chose to accept the challenges of Banking as his career when joined Bank of Baroda as a Probationary Officer after completing his university education. Before joining UCO Bank on 7.12.2009, he was General Manager in charge of Technology Enabled Business Transformation Projects and IT operations in Bank of Baroda.

Shri Ram Avtar Sharma

Shri Ram Avtar Sharma joined the Board on 15th February 2010 is the Workman Employee Director of the Bank. He is a Graduate in Commerce as well as in Law. He is in the services of the Bank for more than 32 years.

3.0 Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India, Government of India, various committees of directors have been constituted with the objectives of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Particulars of the various standing committees are as under:

3.1.0 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board with five directors as against minimum of three directors stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements with Stock Exchanges. All the Directors in the committee are financially literate and Shri S.C.Gupta, Chairman of the Committee, is a senior fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1.1. Primary objectives:

It overseas, reviews and provides directions to the internal audit/inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Audit Committee of the Board reviews the internal inspection/audit function of the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualification in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. The committee also reviews the internal control system, the areas of house keeping, reconciliation, fraud and other related matters.



3.1.2 ए सी बी का संघटन और ए सी बी के सदस्य जिन बैठकों में उपस्थित रहे, उनकी संख्या

3.1.2 Composition of the ACB and number of meetings attended by the members of ACB

निदेशकों के नाम	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति/आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Directors	Meetings Attended/ Held during the tenure	Remarks
श्री बी. एम. मित्तल निदेशक एवं एसीबी के अध्यक्ष Shri P.L. Mittal Director & Chairman of ACB	5/5	23.11.2009 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be Director w.e.f 23.11.2009
श्री एस. सी. गुप्त, निदेशक एवं एसीबी के अध्यक्ष Shri S.C. Gupta Director & Chairman of ACB	3/3	17.11.2009 से एसीबी के अध्यक्ष Chairman, ACB w.e.f 17.11.2009
श्री वी. के ढींगरा कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri V.K. Dhingra Executive Director & Member of ACB	7/8	—
श्री बी. एम. मित्तल, कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri B.M. Mittal Executive Director & Member of ACB	5/5	31.10.2009 से सेवानिवृत्त Retired on 31.10.2009
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of ACB	3/3	07.12.2009 से एसीबी के सदस्य Member of ACB from 7.12.2009
श्री समीर कुमार सिन्हा निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Samir Kumar Sinha Director & Member of ACB	5/8	—
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri N.P. Sinha Director & Member of ACB	8/8	—
श्री आर. एन. जैन निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri R.N. Jain Director & Member of ACB	8/8	—

3.1.3 एसीबी की बैठकों के आयोजन की तारीख :

सूचीकरण करार के खंड 49 में यथानिर्धारित एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठकों के स्थान पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं। बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

8.5.2009	1.9.2009	15.1.2010
26.6.2009	15.10.2009	19.2.2010
30.7.2009	18.12.2009	

3.1.3 Dates on which ACB Meetings were held :

During the year under review, 8(eight) meetings of the Committee were held vis-a-vis minimum of four meetings in a year, stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement. The meetings were held on following dates:

8.5.2009	1.9.2009	15.1.2010
26.6.2009	15.10.2009	19.2.2010
30.7.2009	18.12.2009	



3.2.0 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) :

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 (यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। इसके सदस्य हैं- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित सनदी लेखाकार निदेशक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) के खंड (च), (ड), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में छह महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार / ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव।
- पूँजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित अधिक राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/ किराए पर लेने हेतु निर्धारित मानदंडों से विचलन भी शामिल है।
- कंपनियों के शेयरों / डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के लिए प्रस्ताव और हमीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव एवं
- निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर इसके पास भेज गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 बोर्ड की प्रबंध समिति (एमसीबी) का संघटन :

निदेशकों के नाम	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति/आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Directors	Meetings Attended/ Held during the tenure	Remarks
श्री एस. के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एमसीबी के अध्यक्ष Shri S.K. Goel CMD & Chairman of MCB	22/22	—
श्री वी. के. ढींगरा कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri V.K. Dhingra ED & Member of MCB	18/22	—
श्री बी. एम. मित्तल कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri B.M. Mittal ED & Member of MCB	13/13	31.10.09 से सेवा निवृत्त Retired on 31.10.09
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Ajai Kumar, ED & Member of MCB	5/7	7.12.2009 से सदस्य Member from 7.12.2009
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri N.P. Sinha, Director & Member of MCB	22/22	—

3.2.0 Management Committee of the Board (MCB) :

The Committee is constituted as per Provision of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended). Its members are Chairman & Managing Director, Executive Directors, Chartered Accountant Director nominated by the Government of India and three Directors nominated by the Board from amongst the Directors referred to Clauses (d), (e), (f), (h) and (i) of Section 9(3) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time. The Chairman & Managing Director is the Chairman of MCB.

3.2.1 The objectives of the committee are to consider and approve:-

- high value credit/loan, compromise and write off proposals.
- high value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/hiring of premises.
- Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and
- Any other matter of similar nature referred to it by the Board from time to time.

3.2.2 Composition of the Management Committee of the Board:



निदेशकों के नाम Name of Directors	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति/आयोजित बैठकें Meetings Attended/ Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
श्री जे. सी. शान्दिल निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri J.C. Shandil, Director & Member of MCB	11/12	27.6.2009 से 25.12.2009 तक के लिए पुनः सदस्य के रूप में शामिल Inducted again as a member w.e.f. 27.6.2009 to 25.12.2009
श्री पी. एल. मित्तल निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri P.L. Mittal, Director & Member of MCB	15/16	दिनांक 23.11.2009 से निदेशक नहीं रहे। Ceased to be Director since 23.11.2009
श्री पी. एल. मित्तल निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri P.L. Mittal, Director & Member of MCB	15/16	दिनांक 16.03.2009 से 15.9.2009 तक सदस्य दिनांक 27.12.2009 से पुनः सदस्य के रूप में शामिल Member w.e.f. 16.03.2009 till 15.9.2009. Again inducted as a Member w.e.f. 27.12.2009
श्री र.न. जैन निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri R.N. Jain Director & Member of MCB	15/16	दिनांक 31.10.2008 से 30.4.2009 तक सदस्य। पुनः 1.11.2009 से शामिल Member since 31.10.2008 till 30.4.2009. Again inducted w.e.f. 1.11.2009
एस. सी. गुप्त निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri S.C. Gupta Director & Member of MCB	10/10	दिनांक 16.9.09 से 15.3.2010 से सदस्य। Member from 16.9.2009 till 15.3.2010
श्री जयदेव गुप्त निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Jai Dev Gupta Director & Member of MCB	10/10	दिनांक 1.5.2009 से 31.10.2009 तक सदस्य। दिनांक 16.03.2010 से शामिल। Member from 1.5.2009 to 31.10.2009. Again reinducted on 16.03.2010.
श्री संजीव जैन निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director & Member of MCB	11/13	

3.2.3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को एमसीबी की 22 बैठकें आयोजित की गई :

3.2.3 During the period under review, 22 meetings of MCB were held on the following dates :

17.4.2009	8.6.2009	31.7.2009	14.9.2009	13.11.2009	30.1.2010
7.5.2009	27.6.2009	16.8.2009	29.9.2009	30.11.2009	20.2.1010
22.5.2009	11.7.2009	1.9.2009	14.10.2009	19.12.2009	6.3.2010
			31.10.2009	09.1.2010	19.3.2010
					28.3.2010

3.3.0 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) :

3.3.0. Risk Management Committee of the Board (RMCB)

3.3.1 यह समिति बैंक के कारबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्य-नीतियां बनाती हैं जिससे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारबार परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.1. The Committee identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devices, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the National and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.



3.3.2 आरएमसीबी का संघटन तथा समिति की बैठकों और उनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.3.2 The composition of RMCB and details of the meetings and attendance are as under :

नाम Name	बैठकों में उपस्थिति/ आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री एस. के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा आरएमसीबी के अध्यक्ष Shri S.K. Goel CMD & Chairman of RMCB	— 4/4	—
श्री वी. के. ढींगरा कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri V.K. Dhingra ED & Member of RMCB	3/4	—
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Ajai Kumar, ED & Member of RMCB	0/1	दिनांक 07.12.2009 से सदस्य Member since 07.12.2009
श्री बी. एम. मित्तल कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri B.M. Mittal ED & Member of RMCB	2/2	01.11.2009 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 01.11.2009
श्री एस. के. सिन्हा आरएमसीबी के सदस्य Shri S.K. Sinha Member of RMCB	2/4	—
श्री एन. पी. सिन्हा आरएमसीबी के सदस्य Shri N.P. Sinha Member of RMCB	4/4	—
श्री एस. सी. गुप्त आरएमसीबी के सदस्य Shri S.C. Gupta Member of RMCB	4/4	—

3.3.3 आरएमसीबी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

3.2.3 The meetings of RMCB were held on the following dates :

8.6.2009	29.9.2009	30.11.2009	19.3.2010
----------	-----------	------------	-----------

8.6.2009	29.9.2009	30.11.2009	19.3.2010
----------	-----------	------------	-----------

3.4.0 शेयरधारक शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसीबी) :

3.4.0 Shareholders Grievances Redressal Committee (SGRCB) :

3.4.1. शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों, यथा- धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में उचित सावधानी रखते हुए तथा शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त तीन मामलों को छोड़कर, जो वर्ष के अंत में लंबित हैं और तीन विभिन्न जिला उपभोक्ता न्यायालयों/फोरम में दायर मामलों से संबंधित हैं, सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

3.4.1. The Committee was constituted under the Chairmanship of the Non-executive Director for speedy redressal of shareholder/ investors' complaints/grievances, like, non receipt of refund orders, share certificate, dividend warrant etc., with due care and to the satisfaction of the complainants. All the complaints received during the year were redressed except two cases, which are pending as at the end of the year and those relates to cases filed with two different District Consumer Courts/Forum.



3.4.2 दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार एसजीआरसीबी का संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.4.2 The composition of the SGRCB as on 31st March, 2010 and details of the attendance of the members are as under :

नाम Name	बैठकों में उपस्थिति/ आयोजित बैठकें Meetings Attended/ Held
श्री एस. सी. गुप्त निदेशक एवं एसजीआरसीबी के अध्यक्ष Shri S.C. Gupta Director & Chairman of SGRCB	2/2
श्री आर. एन. जैन निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri R.N. Jain Director & Member of SGRCB	2/2
श्री एस. के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एसजीआरसीबी के सदस्य Shri S.K. Goel CMD & Member of SGRCB	2/2

3.4.3 वर्ष के दौरान एसजीआरसीबी की दो बैठकें, दिनांक 30.07.2009 एवं 19.03.2010 को आयोजित की गईं ।

3.4.3 During the year two meetings of SGRCB were held i.e. on 30/07/2009 and 19/03/2010.

3.5.0. निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी) :

3.5.0. Share Transfer Committee of the Board (STCB) :

3.5.1. यह समिति मूर्त रूप में धारित बैंक के शेयरों का अंतरण/प्रेषण/स्थानांतर आदि अनुमोदित एवं प्रभावी करने तथा खो गए /गुम हो गए/चोरी हो गए मूल शेयर के बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने के प्रस्ताव/अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए किया गया है । अंतरण एवं प्रेषण के लिए ऐसे सभी अनुरोध/प्रस्ताव को अंतरण/प्रेषण के लिए अनुरोध की प्रस्तुति की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाता है ।

3.5.1. The committee has been constituted to approve and effect transfer/transmission/transposition etc. of Bank's shares, held in physical form, as also approval on the requests/proposals for issuance of duplicate shares in lieu of originals lost/misplaced/stolen. It is also ensured that all such requests/proposals for transfer and transmission are completed within the period stipulated from the date of submission of the requests for transfer/transmission, complete on all respects. The committee also examines the compliance status of the Secretarial Audit as stipulated in listing agreement.

3.5.2 एसटीसीबी का संघटन एवं उसकी बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.5.2 The composition of the STCB and details of the meetings attended by its members are as under:

नाम Name	बैठकों में उपस्थिति/ आयोजित बैठकें Meetings Attended/ Held	टिप्पणी Remarks
श्री एस. के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एसटीसीबी के अध्यक्ष Shri S.K. Goel CMD, Chairman of STCB	12/12	—
श्री आर. एन. जैन निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri R.N. Jain Director & Member of STCB	11/12	—
श्री एस. सी. गुप्त निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri S.C. Gupta Director & Member of STCB	12/12	—

3.5.3 एसटीसीबी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

3.5.3 The meetings of STCB were held on the following dates :

17.4.2009	11.7.2009	30.9.2009	30.1.2010	17.4.2009	11.7.2009	30.9.2009	30.1.2010
8.5.2009	16.8.2009	15.10.2009	20.2.2010	8.5.2009	16.8.2009	15.10.2009	20.2.2010
8.6.2009	14.9.2009	18.12.2009	19.3.2010	8.6.2009	14.9.2009	18.12.2009	19.3.2010



3.6.0 पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

3.6.1 बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है एवं यात्रा भत्ता और विराम भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाती है, परंतु उनमें से किसी को निदेशक मंडल की बैठकों या निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

3.6.2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुपालन में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य वार्षिक आधार पर “कार्यनिष्पादन युक्त प्रोत्साहन” के भुगतान के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना है।

3.6.3 आरसीबी का संघटन एवं उसकी बैठकों में आरसीबी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

नाम Name	बैठकों में उपस्थिति/ आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री समीर कुमार सिन्हा निदेशक एवं आरसीबी के अध्यक्ष Shri Samir Kumar Sinha Director and Chairman of RCB	1	—
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक, आरसीबी के सदस्य Shri N.P. Sinha Director, Member of RCB	1	—
श्री पी. एल. मित्तल निदेशक, आरसीबी के सदस्य Shri P.L. Mittal Director, Member of RCB	1	—
श्री एस. सी. गुप्त निदेशक, आरसीबी के सदस्य Shri S.C. Gupta Director, Member of RCB	1	—

3.6.4 आरसीबी की बैठकों की तारीख : 23.5.2009

3.7.0 अधिक राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति (एसएमएलवीएफ)

3.7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अधिक राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य 1 करोड़ रु. एवं उससे अधिक राशि के कपट की निगरानी एवं उसपर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.7.2 एसएमएलवीएफ का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में एसएमएलवीएफ के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.6.0 Remuneration Committee (RCB) :

3.6.1 The whole time directors of the Bank i.e. the Chairman & Managing Director and the Executive Directors are being paid remuneration and provided reimbursement of travelling and halting expenses as per rules framed by Govt. of India but none of them are paid sitting fees for attending the Board meetings and other committee meetings of the Board.

3.6.2 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, Remuneration Committee of the Board (RCB) was formed for the sole purpose of evaluation of the performances of the wholetime directors of the Bank for payment of “Performance Linked Incentives”, annually.

3.6.3 Composition of the RCB and details of meeting attended by the members of RCB :

3.6.4 Date of RCB Meeting : 23.5.2009

3.7.0 Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (SMLVF)

3.7.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Large Value Frauds has been constituted and reconstituted from time to time with the objective of monitoring and follow up of frauds involving Rs. 1 crore and above. Chairman & Managing Director of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.7.2 Composition of the SMLVF Committee and details of the meeting attended by the members of SMLVF :



नाम Name	बैठकों में उपस्थिति / आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री एस. के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एसएमएलवीएफ के अध्यक्ष Sri S.K. Goel CMD & Chairman of SMLVF	3/3	—
श्री वी. के. ढोंगरा कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri V.K. Dhingra Executive Director & Member of SMLVF	3/3	—
श्री बी. एम. मित्तल कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri B.M. Mittal Executive Director & Member of SMLVF	2/2	31.10.2009 से सेवा निवृत्त Retired on 31.10.2009
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of SMLVF	1/1	—
श्री एस. के. सिन्हा निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri S.K. Sinha Director & Member of SMLVF	1/3	—
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri N.P. Sinha Director & Member of SMLVF	3/3	—
श्री पी. एल. मित्तल निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri P.L. Mittal Director & Member of SMLVF	2/2	23.11.2009 से सेवा निवृत्त Retired on 23.11.2009
श्री जे. सी. शान्दिल निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri J.C. Shandil Director & Member of SMLVF	1/1	24.11.2009 से सदस्य के रूप में शामिल Inducted as a Member w.e.f 24.11.2009

3.7.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की तीन बैठकें दिनांक 22/05/2009, 31/07/2009 और 20/02/2010 को आयोजित की गईं।

3.7.3 During the period under review three meetings of the Committee were held i.e. on 22/05/2009, 31/07/2009 and 20/02/2010.

3.8.0 निदेशक मंडल की नामांकन समिति (एनसीबी)

3.8.0 Nomination Committee of the Board (NCB) :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एवं सही' स्थिति अवधारित करने के लिए 'समुचित सावधानी' बरते जाने का कार्य करने हेतु निदेशक मंडल की नामांकन समिति का गठन किया गया।

In compliance with the directives of Reserve Bank of India, Nomination committee of the Board (NCB) was constituted so as to undertake the exercise of 'due diligence' for determining 'fit and proper' status of the existing elected directors / persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

3.8.1 एनसीबी का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में एनसीबी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.8.1 Composition of the NCB and details of the meeting attended by the members of NCB :

इस समिति में श्री एस. के. सिन्हा निदेशक एवं अध्यक्ष और श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक एवं सदस्य को शामिल किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

The Committee is constituted with Shri S.K. Sinha Director & Chairman and Shri N.P. Sinha Director & Member of committee. During the period under review no meeting of the committee was held.



3.9.0 ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

3.9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन निम्नलिखित हेतु किया गया है -

- सार्वजनिक सेवा की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं उसकी सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु ,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु ,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु ।

3.9.2 बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.9.3 सीएससी का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में सीएससी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.9.0 Customer Service Committee (CSC)

3.9.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, Customer Service Committee of the Board has been constituted:

- to ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- to bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- to consider innovative measures to enhance the quality of customer service

3.9.2 The Chairman & Managing Director of the Bank is the Chairman of the Committee.

3.9.3 Composition of the CSC and details of the meeting attended by the members of CSC :

नाम Name	बैठकों में उपस्थिति/ आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री एस.के. गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीएससी के अध्यक्ष Shri S.K. Goel CMD & Chairman of CSC	4/4	—
श्री वी.के. धींगरा कार्यपालक निदेशक और सीएससी के सदस्य Shri V.K. Dhingra Executive Director & Member of CSC	2/4	—
श्री बी.एम. मित्तल कार्यपालक निदेशक और सीएससी के सदस्य Shri B.M. Mittal Executive Director & Member of CSC	3/3	31.10.2009 से सेवानिवृत्त Retired on 31/10/2009
श्री अजय कुमार निदेशक और सीएससी के सदस्य Sri. Ajai Kumar Executive Director & Member of CSC	1/2	—
श्री एस.के. सिन्हा निदेशक और सीएससी के सदस्य Shri S.K. Sinha Director & Member of CSC	2/4	—
श्री एन.पी. सिन्हा निदेशक और सीएससी के सदस्य Shri N.P. Sinha Director & Member of CSC	4/4	—
श्री जे.सी. शंडिल निदेशक और सीएससी के सदस्य Shri J.C. Shandil Director & Member of CSC	2/2	31.10.2009 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member w.e.f. 23.11.2009
श्री जे.डी. गुप्ता निदेशक और सीएससी के सदस्य Sri J.D.Gupta Director and Member of CSC	2/2	24.11.2009 से सदस्य Become member since 24.11.2009



3.9.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की दो बैठकें, दिनांक 27/06/2009, 29/09/2009, 18/12/2009 और 19.03.2010 को आयोजित की गईं।

3.10.0 मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (सीएचआर)

3.10.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को इस बात की यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय लें। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.10.2 समिति का उद्देश्य :

- स्टाफ ढाँचा, भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना
- पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश का स्तर आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना
- अधिकारियों एवं स्टाफ को पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना
- बैंक अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना
- शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना

3.10.3 सीएचआर का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

3.9.4 During the period under review, four meetings of the committee were held i.e. on 27/06/2009, 29/09/2009, 18/12/2009 and 19.03.2010.

3.10.0 Committee on HR Related Issues (CHR)

3.10.1 In the light of the directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted with freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.10.2 Objective of the Committee:

- to decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions etc.
- to frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry etc.
- to take decisions on remuneration and compensation of officers and staff
- to lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials
- to prescribe standards for categorization of branches

3.10.3 Composition of the CHR Committee and details of the meeting attended by the members of the Committee.

नाम Name	बैठकों में उपस्थिति/आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री एन. पी. सिन्हा निदेशक और सीएचआर के अध्यक्ष Shri N.P. Sinha Director & Chairman of CHR	3/3	—
श्री वी. के. दींगरा कार्यपालक निदेशक और सीएचआर के सदस्य Shri V.K. Dhingra ED & Member of CHR	3/3	—
श्री बी. एम. मित्तल कार्यपालक निदेशक और सीएचआर के सदस्य Shri B.M. Mittal ED & Member of CHR	2/3	01.11.2009 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be Director w.e.f 01.11.2009
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक और सीएचआर के सदस्य Shri Ajai Kumar ED & Member of CHR	1/1	07.12.2009 से सदस्य Became member w.e.f. 07.12.2009
श्री एस. के. सिन्हा निदेशक और सीएचआर के सदस्य Shri S.K. Sinha Director & Member of CHR	2/3	—
श्री जे. सी. शांडिल निदेशक और सीएचआर के सदस्य Shri J.C. Shandil Director & Member of CHR	2/3	—
श्री जे. डी. गुप्ता निदेशक और सीएचआर के सदस्य Shri J.D. Gupta Director & Member of CHR	3/3	—



3.9.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को तीन बैठकें आयोजित की गईं :

23.5.2009 31.8.2009 13.2.2010

3.11.0 संयुक्त बीमा समिति (गैर जीवन) उद्यम (सीजेआई)

3.11.1 वित्तीय संस्था बनने को ध्यान में रखते हुए बैंक के विजन को आगे और बढ़ाने के लिए दिनांक 3 मई, 2009 को संपन्न बैठक में निदेशक मंडल ने संयुक्त बीमा (गैर जीवन) उद्यम समिति गठन करने का निर्णय किया।

समिति के मूल उद्देश्य गैर जीवन बीमा कारबार करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बैंक को दिशानिर्देश देना ताकि आम जनता की उत्कृष्ट सेवा की जा सके

3.11.2 संयुक्त बीमा (गैर जीवन) उद्यम समिति का संगठन और उक्त समिति के सदस्यों द्वारा समिति की बैठकों में भाग लिए जाने का विवरण।

3.10.4 During the period under review, three meetings were held on the following dates :

23.5.2009 31.8.2009 13.2.2010

3.11.0 Committee on Joint Insurance (Non Life) Venture (CJI)

3.11.1 Towards further step to realize the Bank's vision to become a Financial Institution, the Board of Directors at its meeting dated 3rd May, 2009 decided to form Committee on Joint Insurance (Non Life) Venture.

The objective of the Committee is to give direction to the Bank on various issues relating to setting up of a joint venture for taking up Non Life Insurance Business so as to provide high quality service to the general public.

3.11.2 Composition of the Committee on Joint Insurance (Non Life) Venture and details of the meeting attended by the members of the Committee.

नाम Name	बैठकों में उपस्थिति/आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री एस. के. गोयल अ. प्र. नि एवं सीजेआई के अध्यक्ष Shri S.K. Goel, CMD and Chairman of CJI	1/1	—
श्री वी. के. ढिंगरा, का. नि. एवं सीजेआई के सदस्य Shri V.K. Dhingra, Executive Director and Member of CJI	1/1	—
श्री पी. एम. मित्तल, का. नि. एवं सीजेआई के सदस्य Shri P.L. Mittal, Director and Member of CJI	1/1	23.11.2009 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be Director w.e.f 23.11.2009
श्री एस. सी. गुप्ता सीजेआई के सदस्य Shri S.C. Gupta, Director and Member of CJI	1/1	—

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान केवल एक बैठक दिनांक 17.8.2009 को आयोजित हुई।

3.11.3 During the period under review, only one meeting was held on 17.8.2009.

3.12.0 सूचना एवं प्रौद्योगिकी समिति (सीआईटी)

3.12.1 सारे भारत में बैंक की शाखाओं में शत-प्रतिशत सीबीएस कार्यान्वित करने को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दिनांक 20.3.2010 को संपन्न अपनी बैठक में यह सुनिश्चित करने हेतु एक समिति गठन करने का निर्णय किया कि कारबार को और बढ़ाने एवं बैंक की प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) को मजबूत करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को मजबूत करना होगा।

3.12.2 उक्त समिति में श्री वी. के. ढिंगरा, कार्यपालक निदेशक, सीआईटी के अध्यक्ष, श्री अजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, सीआईटी के सदस्य, श्री एन. पी. सिन्हा, निदेशक एवं सीआईटी के सदस्य और श्री संजीव जैन, निदेशक एवं सीआईटी के सदस्य शामिल हैं।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3.12.0 Committee on Information & Technology (CIT)

3.12.1 In view of 100 per cent CBS implementation across the branches of the Bank in India, the Board at its meeting dated 20.3.2010 decided to form the Committee, to ensure that latest technology is leveraged out for further business and strengthening the Management Information System (MIS) in the Bank.

3.12.2 The Committee includes the members Shri V.K. Dhingra, Executive Director, Chairman of CIT, Shri Ajai Kumar, Executive Director, Member of CIT, Shri N.P. Sinha, Director and Member of CIT and Shri Sanjeev Jain, Director and Member of CIT.

3.12.3 During the period under review no meeting of the committee was held.



3.13 सू. प्रौ. एवं वित्तीय समावेशन (सीआईटी एवं एफआई)

3.13.1 वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं सू. प्रौ. पहलों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने दिनांक 26.6.2009 को संपन्न बैठक में सू. प्रौ. एवं वित्तीय समावेशन (सीआईटी एवं एफआई) संबंधी समिति का गठन किया।

3.13.2 उक्त समिति में श्री वी.के. ढींगरा, कार्यपालक निदेशक, श्री एस.के. सिन्हा, निदेशक एवं श्री एन.पी. सिन्हा, निदेशक शामिल हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

4.0 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के बारे में इस प्रकार हैं :

3.13 Committee on IT & Financial Inclusion (CIT & FI)

3.13.1 In order to provide focused attention in matters relating to technology upgradation and IT initiatives for Financial Inclusion, the Board of Directors, at its meeting dated 26.6.2009 constituted the Committee on IT & Financial Inclusion (CIT & FI).

3.13.2 The Committee includes the members Shri V.K. Dhingra, Executive Director, Shri S.K. Sinha Director and Shri N.P. Sinha, Director. During the period under review no meeting of the committee was held.

4.0 Shareholders Meetings Held during the last three years;

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
चौथी वार्षिक आम बैठक 4 th Annual General Meeting	19 जून, 2007 (मंगलवार) 19 th June, 2007 (Tuesday)	11.00 बजे पूर्वाह्न 11.00 A.M.	कलामंदिर 48, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता-700 017 Kalamandir, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata -700017
असाधारण आम बैठक Extra Ordinary General Meeting	12 मार्च, 2008 (बुधवार) 12 th March, 2008 (Wednesday)	11.00 बजे पूर्वाह्न 11.00 A.M.	पूर्वश्री सभागार, ईजेडसीसी, ब्लॉक आईबी 201, साल्ट लेक, सेक्टर-III, कोलकाता-700106 Purbashree Auditorium, EZCC, Block IB 201, Salt Lake, Sector-III, Kolkata - 700106
पाँचवीं वार्षिक आम बैठक 5 th Annual General Meeting	30 जून, 2008 (सोमवार) 30 th June, 2008 (Monday)	11.00 बजे पूर्वाह्न 11.00 A.M.	पूर्वश्री सभागार, ईजेडसीसी, ब्लॉक आईबी 201, साल्ट लेक, सेक्टर-III, कोलकाता-700106 Purbashree Auditorium, EZCC, Block IB 201, Salt Lake, Sector-III, Kolkata - 700106
छठी वार्षिक आम बैठक 6 th Annual General Meeting	3 जुलाई, 2009 (शुक्रवार) 3 rd July 2009 (Friday)	11.00 बजे पूर्वाह्न 11.00 A.M.	इस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक कोलकाता - 700 0106 Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata - 700106
असाधारण आम बैठक Extra Ordinary General Meeting	2 मार्च, 2010 (मंगलवार) 2 nd March, 2010 (Tuesday)	11.30 बजे पूर्वाह्न 11.30 A.M.	युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉल 7, बैंकिम चटर्जी स्ट्रीट कोलकाता-700 073 University Institute Hall, 7, Bankim Chatterjee St., Kolkata -700 073



4.1.1. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

पिछली अर्थात् 6ठी वार्षिक साधारण बैठक 3 जुलाई, 2009 को ईजेडसीसी, ब्लॉक आईबी 201, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700 106, में संपन्न हुई थी, जिसमें श्री एस.के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री वी.के. धींगरा, कार्यपालक निदेशक, श्री बी.एम. मित्तल, कार्यपालक निदेशक एवं श्री एस.सी. गुप्ता, निदेशक ने भाग लिया।

4.1.2. पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद निदेशक मंडल में नए निदेशक

3 जुलाई, 2009 को संपन्न पिछली वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के बाद निदेशक मंडल में श्री अजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री रामऔतार शर्मा नए सदस्य बने।

4.1.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- दिनांक 12 मार्च, 2008 को संपन्न शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया था जिसके तहत बैंक के शेयरधारकों ने इस आशय का अनुमोदन दिया को बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ इश्यू जारी कर सकता है और पब्लिक इश्यू और / या निजी नियोजन आधार पर या अन्य किसी अनुमत प्रक्रिया के माध्यम से एक या अधिक भागों में 625 करोड़ रु. तक बेमियादी गैर संवयी अधिमान शेयरों का आबंटन कर सकता है।
- दिनांक 02 मार्च, 2010 को संपन्न शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया था जिसके तहत बैंक के शेयरधारकों ने इस आशय का अनुमोदन दिया को बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ इश्यू जारी कर सकता है और पब्लिक इश्यू, अधिमानी इश्यू और / या निजी नियोजन आधार पर एक या अधिक भागों में 10/- रु. प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 6 करोड़ रु. से अनधिक का आबंटन कर सकता है।
- आईपीओ के प्रारंभ से ही डाक बैलाट (पोस्टाल बैलाट) के माध्य से कोई विशेष प्रस्ताव पास नहीं किया गया है।

4.2 निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के निदेशकों ने “सू. प्रौ. विजन” पर हेवलेट एण्ड पैकर्ड लि. के सहयोग से बैंक द्वारा आयोजित एक दिन के कार्यशाला में भाग लिया।

5.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सूचीकरण करार का खंड 49 उसी सीमा तक लागू होगा कि वह उनपर लागू संबंधित कानून एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय “उत्पादकता युक्त प्रोत्साहन राशि” के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नलिखित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है -

निदेशक मंडल की बैठक के लिए	:	प्रति बैठक 5000/- रु
समिति की बैठक के लिए	:	प्रति बैठक 2500/- रु

4.1.1. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting :

The last i.e. 6th Annual General Meeting was held on 3rd July, 2009 at EZCC, Block IB 201, Salt Lake City, Kolkata-700 106, was attended by Shri S.K. Goel, Chairman & Managing Director, Shri V.K. Dhirga, Executive Director, Shri B.M. Mittal, Executive Director, Shri S.C. Gupta, Director.

4.1.2. New Directors on the Board after the last Annual General Meeting :

Shri Ajai Kumar, Executive Director, Shri Ram Avtar Sharma became the members of the Board subsequent to the date of the last Annual General Meeting held on 3rd July, 2009.

4.1.3 Special Resolutions passed during last three years

- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 12th March, 2008, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Bank enabling it, inter alia, to offer issue and allot Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) upto Rs.625 crore in one or more tranches by way of Public Issue and / or on private placement basis or by any other permitted mode.
- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 2/3/2010, a special Resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Bank enabling it, inter alia, to issue and allot not exceeding 6(six) crore Equity Shares of face value of Rs.10/- each, in one or more tranches by way of Public Issue, Preferential Issue and/or Private Placement.
- No special resolution was passed through postal ballot since IPO.

4.2 Training of Board Members

During the year under review, Directors on the Board had attended one day Workshop entitled “IT Vision” organized by the Bank in collaboration with Hewlett & Packard Ltd.

5.0 Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. Reserve Bank Of India, has clarified that for Listed Public Sector Banks, Clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time in this regard.

5.1 Remuneration of Directors :

Other than “Productivity Linked Incentives” payable to the whole time directors, the remuneration of the Chairman & Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting	:	Rs. 5,000/- per sitting
For Committee Meeting	:	Rs. 2,500/- per sitting



5.2. महत्वपूर्ण लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर (पैरा 6.1 में यथाउल्लिखित को छोड़कर) संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उप-समितियों की उन बैठकों में होनेवाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

5.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

क) 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने पब्लिक इश्यू / राइट इश्यू के माध्यम से एक भी इक्विटी शेयर की उगाही नहीं की है। तथापि वर्ष के दौरान बैंक ने 1300 करोड़ रु. के (टियर - II पूंजी के अंतर्गत) अप्रतिभूत प्रतिदेय बाडों की उगाही की एवं वर्ष के दौरान टियर -II पूंजी के अंतर्गत अनुसंगी ऋण लिखतों के 150 करोड़ रु. का मोचन किया।

ख) भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2010 को बैंक को 450 करोड़ रु. का अतिरिक्त पूंजी प्रदान किया कि बैंक ने संबंधित तारीख को मौजूदा रेपो रेट के आधार पर वार्षिक पुनर्निर्धारण किए जाने के अधीन रेपो रेट अ 100 बेसिस प्वाइंट की तुलना में वार्षिक अस्थिर कुपन बेंचमार्क पर 1 लाख रु. प्रत्येक के 45000 बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) जारी किया है। वर्ष के दौरान उपर्युक्त (क) एवं (ख) से प्राप्त निधि के उपयोग बैंक की कार्यकारी पूंजी स्रोत को बढ़ाने एवं बैंककारी आस्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया है / किया जाएगा।

5.4 बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित ड्राफ्ट के अनुसार निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता तैयार की है। उसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

5.5 वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित लेनदेन संबंधी किसी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

6.0 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 की "गैर-अनिवार्य अपेक्षा" के अनुपालन की स्थिति

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 की "गैर-अनिवार्य अपेक्षा" के अनुपालन के संबंध में, जो सांकेतिक स्वरूप के हैं, बैंक ने निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण के बारे में प्रावधान का अनुपालन किया है।

5.2 Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship :

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large (other than that stated in para 6.1). There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

5.3 Proceeds from Public Issues etc.

a) During the financial year ended on 31st March, 2010, the Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue. However, during the year, Bank raised Unsecured Redeemable Bonds of Rs. 1300 crore (under Tier-II capital) and also redeemed Rs. 150 crore of subordinated debt instruments under Tier-II capital during the year.

b) The Bank received, on 31st March, 2010, further capital infusion to the extent of Rs. 450 crore from Govt. of India in consideration whereof the Bank issued 45000 Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs. 1 lac each at an annual floating coupon benchmarked to Repo rate plus 100 basis points, to be reset annually, based on the prevailing repo rate on the relevant date. The funds received from a) & b) above during the year, were utilized/would be utilized for augmenting Bank's working capital resources and expansion of banking assets.

5.4 The Bank has formulated a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management on the lines of draft circulated by Indian Bank's Association. The text of the same is available on the website of the Bank www.ucobank.com. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the period under review.

5.5 During the year, there is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets transactions.

6.0 Compliance Status of the "Non-Mandatory Requirements" of the Revised Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges :

Regarding compliance to "Non-Mandatory Requirements" of Revised Clause 49 of the Listing Agreements with Stock Exchanges, which are suggestive in nature, the Bank has complied with the provision regarding Training of the Members of the Board.



6.1 बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान सभी संबंधित पार्टियों और निदेशकों के साथ किए गए लेनदेन की पहचान की है और 31 मार्च, 2010 तक की स्थिति निम्न प्रकार से है :

6.1 The Bank has identified all related parties and transactions with Directors during the year 2009-10 and position as on 31st March, 2010 are as follows :

(Rs. in lakh)/(लाख रु में)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	अवधि	विवरण	राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
Key Management Personnel	Period	Items	Amount	Maximum Outstanding during the Year
श्री एस के गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri S.K.Goel, Chairman & Managing Director	01.04.09 से 31.03.10	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन		
		Remuneration, perquisites & Incentive	24.70	—
	01.04.09 to 31.03.10	जमा / Deposits	17.80	17.80
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.)		
		Investments in UCO Shares	—	—
		प्राप्त ब्याज		
श्री वी के ढिंगरा कार्यपालक निदेशक Shri V.K.Dhingra, Executive Director	01.04.09 से 31.03.10	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन		
		Remuneration, perquisites & Incentive	21.29	—
	01.04.09 to 31.03.10	जमा / Deposits	6.29	6.29
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.)		
		Investments in UCO Shares	—	—
		प्राप्त ब्याज		
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक Shri Ajai Kumar, Executive Director	07.12.09 से 31.03.10	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन		
		Remuneration, perquisites & Incentive	3.14	—
	07.12.09 to 31.03.10	जमा / Deposits	0.93	0.93
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.)		
		Investments in UCO Shares	—	—
		प्राप्त ब्याज		
		Interest received	—	—
		उधार / Borrowings	—	—



प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	अवधि	विवरण	राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम वकाया राशि
Key Management Personnel	Period	Items	Amount	Maximum Outstanding during the Year
श्री बी एम मित्रल कार्यपालक निदेशक (सेवा निवृत्त)	01.04.09 से 31.10.09	पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन		
Shri B.M.Mittal, Executive Director (Retired)	01.04.09 to 31.10.09	Remuneration, perquisites & Incentive	18.45	—
		जमा / Deposits	17.19	17.19
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.)	—	—
		Investments in UCO Shares	—	—
		प्राप्त ब्याज	0.50	—
		Interest received	0.50	—
		उधार / Borrowings	—	—

मेसर्स पाराबोलिक ड्रग्स लि. , चंडीगढ़	श्री प्रनव गुप्ता , कंपनी के निदेशक श्री जयदेव गुप्ता के पुत्र हैं	बैंक के सेक्टर 17बी, चंडीगढ़ शाखा के माध्यम से कंपनी के पक्ष में बैंक द्वारा ऋण सुविधा स्वीकृत की गई	एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 29.09.09 को संपन्न बैंक में बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा नवीकृत/स्वीकृत ऋण सीमा तथापि इस ऋण सीमा को नवीकृत किया जाएगा	मी./ऋ-I 10 करोड़ रु. मी./ऋ-II 23.10 करोड़ रु. सा.प-1 2.5 करोड़ रु. सा.प-2 2.5 करोड़ रु. ईपीसी/एफबीपी 10 करोड़ रु. बीडी(एलसी). 20.00 करोड़ रु. आईएलसी/एफएलसी 25 करोड़ रु. ईजी 1 करोड़ रु. सीएचबीपी 1 करोड़ रु.
M/s. Parabolic Drugs Ltd., Chandigarh	Shri Pranav Gupta, Director of the Company is son of Shri Jai Dev Gupta, Director.	Credit facilities sanctioned extended by the Bank in favour of the company through Bank's Sector 17B, Chandigarh Branch.	Limits were renewed / sanctioned by MCB at its meeting dated 29.09.09 for a period of one year. Limits are, however, renewable.	T/L-1 Rs.10 Cr. T/L-II Rs.23.10 Cr. CC 1 Rs.2.5 Cr. CC 2 Rs.2.5 Cr. EPC/FBP Rs.10 Cr. BD(LC) Rs.20.00 Cr. ILC/FLC Rs.25 Cr. EG Rs.1 Cr. CHBP Rs.1 Cr.

7.0 संचार के साधन :

7.1 बैंक के परिचालन एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित सूचनाएं ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों को, जहां बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है, बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुमोदन /समीक्षा बोर्ड द्वारा किए जाने की तारीख को तुरंत बैंक का तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) में दिए जाने के अतिरिक्त दी जाती हैं। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितवद्ध व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसार 30.06.2009, 30.09.2009 एवं 31.12.2009 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के अलेखापरीक्षित किंतु समीक्षाकृत वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक स्तर पर

7.0 Means of Communication :

7.1 The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

7.2 As per the Listing Agreement with the stock exchanges Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.6.2009, 30.09.2009 & 31.12.2009 were published within the prescribed time limit in widely circulated dailies. Reviewed



परिचालित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए। दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित परिणाम भी बिजनेस स्टैंडर्ड (अखिल भारतीय संस्करण) दिनांक 1.5.2010, आनंद बाजार पत्रिका (बंगला दैनिक) दिनांक 1 मई, 2010 और प्रभात खबर दिनांक 1 मई, 2010 में प्रकाशित किए गए और बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर दिए गए।

financial results of the Bank for the quarter ended 31.12.2009 were also mailed to the shareholders. Audited results for the year ended on 31.03.2010 were published in Business Standard (All India Edition) dated 1.5.2010, Ananda Bazar Patrika (Bengali Daily) dated 1.5.2010 and Prabhat Khabar dated 1.5.2010 and has been posted in Bank's website (www.ucobank.com).

8.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

8.1.0 शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :

चूंकि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले बैंक की कुल इक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थी, अतः वर्ष 2002 - 03 तक कोई वार्षिक साधारण बैठक आयोजित नहीं हुई थी। तदनुसार आईपीओ को लिए बैंक अधिनियम में यथा निर्धारित एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रति वर्ष शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करता आ रहा है। पिछले तीन आम बैठकों का विस्तृत विवरण मद सं. 4.0 में दिया गया है।

8.2.0 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के इक्विटी शेयर को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

क्रम सं. / Sl.No.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम / Name of the Stock Exchanges	स्टॉक कूट / Stock Code	सूचीबद्ध किए जाने की तारीख / Date of listing
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि. / National Stock Exchange of India Limited	यूकोबैंक / UCOBANK	09.10.2003
2.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. / Bombay Stock Exchange Limited	532505	09.10.2003

8.0 General Shareholders Information :

8.1.0 Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders :


Before the Initial Public Offer, as the entire Equity Capital of the Bank was held by the Govt. of India, no Annual General Meeting was held till 2002-03. Subsequent to IPO, the Bank has been holding Annual General Meetings of the shareholders every year, as prescribed in the statute and within the stipulated time limit. The details of last three general meetings of the shareholders have been indicated under point no.4.0.

8.2.0 Listing on Stock Exchanges :

The equity shares of the Bank are listed on the following stock exchanges :


8.3.0 बैंक के शेयर के बाजार-मूल्य आंकड़े./मूल्य की स्थिति :

8.3.0 Market price data/price performance of Bank's share :





बैंकेक्स की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव
MOVEMENT OF SHARE PRICE VS SENSEX



बैंक के शेयर का क्रय-विक्रय दिनांक 9.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयर का मासिक उच्च/निम्न भाव और परिमाण निम्नानुसार रहा :

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and volume of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2009-10 were as follows :

माह / Month	बंबई स्टॉक एक्सचेंज / B.S.E			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज / N.S.E		
	उच्च (₹.) High(Rs)	निम्न (₹.) Low(Rs)	परिमाण Volume	उच्च (₹.) High(Rs)	निम्न (₹.) Low(Rs)	परिमाण Volume
अप्रैल/Apr-09	30.10	26.25	10631417	30.15	26.15	32135115
मई/May-09	43.85	29.10	20185434	43.80	29.10	61815225
जून/Jun-09	45.55	39.20	13135611	45.35	39.20	40215599
जुलाई/Jul-09	43.20	36.25	10502865	43.15	36.35	36664970
अगस्त/Aug-09	46.20	41.70	12498882	46.20	41.75	41267427
सितंबर/Sep-09	56.50	42.75	28951541	56.50	42.70	98145092
अक्टूबर/Oct-09	60.60	50.60	24286940	60.75	50.55	96394635
नवंबर/Nov-09	59.70	48.55	21785374	59.65	48.45	78046826
दिसंबर/Dec-09	59.55	53.75	17297721	59.55	53.90	58217264
जनवरी/Jan-10	63.05	55.35	31557336	60.25	56.30	108609800
फरवरी/Feb-10	61.10	54.50	11739868	61.00	54.55	46446216
मार्च/Mar-10	55.75	55.75	8262104	59.95	55.75	32393094



सूचीकरण फीस का भुगतान संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को कर दिया गया है।

The Listing Fees have already been paid to the respective Stock Exchanges.

8.4.0 प्रति शेयर आंकड़ा \ Per Share Data

मानदंड \ Parameter	31.03.2009	31.03.2010
अंकित मूल्य (रु.) \ Face Value (Rs.)	10	10
बाजार भाव (रु.) \ Market Quotation (Rs.)	24.05 (एनएसई में) (at NSE)	56.85 (एनएसई में) (at NSE)
प्रति शेयर अर्जन (रु.) \ Earning Per Share (Rs.)	7.63	18.42
लाभांश \ Dividend (%)	10%	15% (प्रस्तावित \ Proposed)

8.5.0 शेयरों का अमूर्तीकरण

8.5.1 बैंक के ईक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ करार किया है। शेयरधारक एनएसडीएल या सीडीएसएल में खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा सकते हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई691ए01018 है। बैंक के अधिमानी शेयर यानी पीएनसीपीएस का आईएसआईएन कूट आईएनई691ए04012 है।

प्रतिभूतियों के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क (2009-2010) का भुगतान निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को किया जा चुका है।

8.5.0 Dematerialisation of the Shares

8.5.1 The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018. The ISIN Code for Bank's Preference Shares i.e. PNCPS is INE691A04012.

The Annual Custodial Fees (2009-2010) for the securities have been paid to NSDL and CDSL respectively.

8.5.2 दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा मूर्त एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का विवरण :

विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders
मूर्त \ Physical	89278
अमूर्त \ Demat	277940
सीडीएसएल \ CDSL	72887
एनएसडीएल \ NSDL	205053

8.5.3 बैंक अपनी डी.एन.रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी.) के रूप में कार्य कर रहा है। डी.पी. सेवा निम्नलिखित छह अतिरिक्त शाखाओं यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता; आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद; संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली; के.जी. रोड शाखा, बेंगलूर; चेन्नै (मुख्य) शाखा, चेन्नै तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें।

8.5.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

8.6.0 कार्पोरेट लाभ / लाभांश परंपरा

वर्ष Years	दर (%) Rate (%)	प्रति शेयर (रु.) Per Share (Rs.)	प्रदत्त/देय कुल राशि (रु. में) Total Amount Paid/Payable (in Rs.)
2003-04	8	0.80	63,94,88,000
2004-05	10	1.00	79,93,60,000
2005-06	—	-	—
2006-07 (अंतरिम एवं अंतिम) \ (interim & final)	10	1.00	79,93,60,000
2007-08	10	1.00	79,93,60,000
2008-09	10	1.00	34,93,60,000

8.5.2 Particulars of share in physical form & Demat held by Shareholders as on 31st March, 2010

शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयर की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में As % to Total No. of Shares
13805058	2.52
535554942	97.48
373476415	67.98
162078527	29.50

8.5.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

8.5.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

8.6.0 Corporate Benefits/Dividend History



8.6.1 ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा) (क्रेडिट समाशोधन) के जरिए लाभांश का भुगतान :

जिन शेयरधारकों का शेयर मूर्त या अमूर्त रूप में है परंतु यदि वे उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ ईसीएस सुविधा उपलब्ध है तो लाभांश का भुगतान उनके अधिदेशित खाते में जमा करके शीघ्र किया जाता है। ईसीएस अधिदेश फार्म संलग्न है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अधिदेश फार्म प्रस्तुत करके ईसीएस सुविधा का लाभ उठाएं। फिलहाल ईसीएस सुविधा निम्नलिखित केंद्रों पर उपलब्ध है: अहमदाबाद, बेंगलूर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना एवं त्रिवेंद्रम।

8.7.0. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/दावा-रहित लाभांश राशि का अंतरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 2006 एवं 17 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में यह उपबंधित है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बैंक द्वारा घोषित या भविष्य में घोषित किए जानेवाले और छह महीने की अवधि के भीतर अदत्त/दावा-रहित रहनेवाले किसी भी लाभांश को दावा-रहित लाभांश खाते में अंतरित कर दिया जाए। उक्त अधिनियम में यह भी उपबंधित है कि दावा-रहित लाभांश खाते में इस प्रकार अंतरित और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष तक अदत्त रहनेवाले लाभांश को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ग की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित कर दिया जाए। तदनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07 और 2007-08 का अदत्त लाभांश यूको बैंक, बंजारा हिल्स, हैदराबाद शाखा में रखे गए "दावा-रहित लाभांश खाता - यूको बैंक" में अंतरित कर दिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार अदत्त लाभांश का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष Year	अदत्त लाभांश वारंट की संख्या No. of Dividend Warrants Unpaid	राशि (रु.) Amounts (Rs.)
2003-04	30005	4038818.00
2004-05	29614	5208813.00
2006-07	40373	6860794.00
2007-08	52534	8530464.00
2008-09	56899	9664881.00

8.8.0 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की सावधानी बरतता है कि शेयरों के अंतरण के लिए सभी वैध अनुरोध का निपटान पूर्ण रूप से भरे फार्मों के जमा किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत कर दिया जाए। निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है। दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें निम्नानुसार हैं

1.	दिनांक 1 अप्रैल, 2009 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Pending complaints as on 1 st April, 2009	3
2.	दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Complaints received during the year ended on 31.03.2010	2132
3.	दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें Complaints disposed off during the year ended on 31.03.2010	2133
4.	दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Complaints pending as on 31.03.2010	2

8.6.1 Payment of Dividend through ECS (Electronic Clearing Service) (Credit Clearing) :

The shareholders having shares either in physical or in de-mat form but residing in the areas where ECS facility is available are being expeditiously paid dividend by way of credit to their mandated accounts. The ECS mandate form is enclosed and the shareholders are requested to avail this facility by submitting the ECS mandate form enclosed in this report. ECS facility presently available at the following centers :

Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna & Trivandrum.

8.7.0 Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 2006 and Financial Institution Laws (Amendment) Act 2006 which came into effect from 17th October 2006 provide that any dividend declared by the Bank before the commencement of Act and to be declared in future and remaining unpaid/unclaimed within a period of six months should be transferred to Unclaimed Dividend Account. The Act also provides that the dividend so transferred to Unclaimed Dividend Account and remaining unpaid for seven years from the date of such transfer shall be transferred to Investors Education & Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividends for the year 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 and 2008-09 have already been transferred to "Unclaimed Dividend Account - UCO Bank" maintained with UCO Bank, Banjara Hills, Hyderabad Branch.

The details of such unpaid dividend as on 31st March, 2010 are as under :

8.8.0 Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances :

The Bank takes every care to ensure that all valid requests for Transfer of Shares are duly complied within the period of one month from the date of lodgement of the completed forms. The Board of Directors has constituted the Share Transfer Committee to consider Transfer/Transmission and requests for issuance of duplicate Shares. The Bank has also constituted Shareholder's Grievance Redressal Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters. The status of Shareholder's Complaints as on 31.03.2010 is as under:



8.9.0 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट :

बैंक द्वारा मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा.लि., हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। पते में परिवर्तन, अधिदेश में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण आदि से संबंधित सभी पत्राचार उनसे उनके निम्नलिखित पते पर किए जाएं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.

(इकाई : यूको बैंक)

प्लॉट नं. 17 से 24, विट्टलराव नगर

माधापुर, हैदराबाद - 500 081

टेलीफोन सं. (040) 44655000

फैक्स सं. (040) 23420814

ई. -मेल आईडी : einword.ris@karvy.com

वेबसाइट www.karvycomputershare.com

8.9.0 Registrars and Share Transfer Agent :

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All communications regarding change of address, change of mandate, transfer of shares etc. may be addressed to them in their following address:

M/s. Karvy Computershare Private Ltd.

(Unit : UCO Bank)

Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar

Madhapur, Hyderabad – 500 081

Telephone No. (040) 44655000

Fax No. (040)23420814

E.Mail ID : einword.ris@karvy.com

Website www.karvycomputershare.com

9.0 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप :

9.0 Shareholding Pattern As on 31.03.2010 :

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	ईक्विटी का % % of equity
अ/आ. प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह \ Promoter/Promoter Group			
भारत सरकार/Govt. of India	1	349360000	63.59
आ/ब. सार्वजनिक शेयरधारिता / Public Shareholding			
1. संस्थाएं/Institutions			
क/अ. म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	6	1843100	0.34
ख/ब. वित्तीय संस्थाएं/बैंक/ Financial Institutions/Banks	16	353139	0.06
ग/स. बीमा कंपनियां / Insurance Companies	11	56703103	10.32
घ/द. विदेशी संस्थागत निवेशक / Foreign Institutional Investors	40	14539843	2.65
2. गैर-संस्थाएं/Non-Institutions			
क/अ. कॉर्पोरेट निकाय / Bodies Corporate	2257	21174940	3.85
ख/ब. वैयक्तिक धारिता / Individuals holding			
i. 1 लाख रु. तक सांकेतिक शेयर पूंजी nominal share capital upto Rs.1 lac	362824	88944435	16.19
ii. 1 लाख रु. से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी nominal share capital above Rs. 1 lac	418	13771697	2.52
ग/स. न्यास / Trust	21	79500	0.01
घ/द. समाशोधन सदस्य / Clearing Members	219	371987	0.07
ङ/ए. अनिवासी भारतीय / Non-Resident Indians	1405	2218256	0.40
योग / TOTAL	367218	549360000	100.00

9.1 दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण :

9.1 Distribution of Shareholding as on 31.3.2010 :

श्रेणी (राशि रु. में) Category (Amt. in Rs.)	शेयरधारकों की सं. No. of Share Holders	कुल शेयरधारकों का % % to the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % As % to the total Shares
से / From	तक / To			
1	5000	337347	49217758	8.96
5001	10000	17074	14147737	2.58
10001	20000	7539	11526720	2.10
20001	30000	1931	4972541	0.91
30001	40000	858	3087468	0.56
40001	50000	708	3406642	0.62
50001	100000	979	7305275	1.33
100001	से अधिक/And above	782	455695859	82.94
योग / TOTAL		367218	549360000	100.00



10.0 बैंक के साथ पत्राचार का पता :

शेयरों के अमूर्तीकरण, शेयरों के अंतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश प्राप्त न होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने आदि से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

श्री एन. पूर्णचंद्रराव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,
तीसरा तल, कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं 22316858/
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई-मेल पता :
hoipo.calcutta@ucobank.co.in
वेबसाइट : www.ucobank.com

10.1 निवेशकों की शिकायत के लिए विशेष ई-मेल आईडी :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में यूको बैंक ईक्विटी शेयर/लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में निवेशकों/शेयरधारकों की किसी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी तैयार किया गया है। निवेशकों की किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द उत्तर दिए जाने के साथ ही अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट ई-मेल आईडी हैं hoipo.calcutta@ucobank.co.in ई-मेल आईडी बैंक के वेबसाइट में भी दर्ज किया गया है।

11.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

12.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक - II में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2009-10 का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(एस. के गोयल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संलग्नक :

अनुलग्नक-I- कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

अनुलग्नक-II- सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

अनुलग्नक-III- आचार संहिता से संबंधित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

10.0 Address for correspondence with Bank :

For any assistance regarding dematerialisation of shares, transfer of shares, change of address, non-receipt of dividend, issuance of duplicate share certificates etc., the investors can mail their request/complaint to the Bank in the following address :

Shri N. Purnachandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place,
3rd Floor, Kolkata – 700 001

Telephone No. 22316858/
Fax No. (033) 2248-5625
E.Mail Address :
hoipo.calcutta@ucobank.co.in
Website : www.ucobank.com

10.1 Exclusive e-mail ID for Investors' Complaints :

In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated e-mail ID has been created for any complaints by the Investors/Shareholders regarding UCO Bank Equity Shares/Payment of Dividends etc. Any complaint by the Investors shall be responded expeditiously along with necessary action taken by the Compliance Officer. The e-mail ID is: hoipo.calcutta@ucobank.co.in. The e-mail ID is also been posted in the website of the Bank.

11.0 Auditors Report on Corporate Governance

As required under Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Audit Certificate on Corporate Governance for year 2009-10 has been issued by the Statutory Central Auditors.

12.0 CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under Clause 49 of the Listing Agreement is submitted to the Board of Directors in Annexure II of this Report and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2009-10.

For and on behalf of the Board of Directors

(S.K. Goel)

Chairman & Managing Director

Enclosure :

Annexure – I – Auditor's Certificate on Corporate Governance

Annexure – II – CEO & CFO certification

Annexure –III – Declaration by CMD regarding Code of Conduct.



अनुलग्नक-1

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि. त्रै. म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे भा. रि. बैंक के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता न्यायालय में लंबित 2 मामलों के अतिरिक्त दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता हेतु बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते ए. आर एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन सं. 002744सी

(सीए प्रबुद्ध गुप्त)
भागीदार
सदस्यता सं. 400189

कृते चटर्जी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन सं. 302114 ई

(सीए एस.के.चटर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 03124

कृते डी.आर.महानोत एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन सं. 001388सी

(सीए विपिन कानूनगो)
भागीदार
सदस्यता सं. 072716

कृते गोयल गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन सं. 000397एन

(सीए अशोक कुमार अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 084600

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीयन सं. 001113एन

(सीए आर. सी. पंडे)
भागीदार
सदस्यता सं. 070811

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन सं. 301178 ई

(सीए मानस्वी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता सं. 64601

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30 अप्रैल, 2010



Annexure - I

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March, 2010, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements entered into with various Stock Exchanges.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned listing agreements to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance other than 2 Consumer Court cases, is pending for a period exceeding one month as on 31st March, 2010 against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank for the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For A.R. & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 002744C

(CA Prabhuddha Gupta)
Partner
Membership No. 440189

For Chatterjee & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 302114E

(CA S. K. Chatterjee)
Partner
Membership No. 03124

For D. R. Mohnot & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 001388C

(CA Vipin Kanoongo)
Partner
Membership No. 072716

For Goel Garg & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 000397N

(CA Ashok Kumar Agarwal)
Partner
Membership No. 084600

For Bansal & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 001113N

(CA R. C. Pandey)
Partner
Membership No. 070811

For Kothari & Co.
Chartered Accountants
Registration No. 301178E

(CA Manaswy Kothari)
Partner
Membership No. 64601

Place : Kolkata
Date : 30th April , 2010



अनुलग्नक-II

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के उप-खंड V के अनुपालन में सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

उक्त के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

क) हमने बैंक के वर्ष 2009-10 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-

- इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
- ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, सांविधानिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा आपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 30.04.2010 में यथा उल्लिखित ए एस-9 को छोड़ कर, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।

ग) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों को निम्नलिखित से अवगत कराया है :

- वर्ष 2009-10 के दौरान आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
- वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन, तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और
- हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

(एस. श्रीनिवासन)
महाप्रबंधक (वित्त)
(मुख्य वित्त अधिकारी)

(एस के गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

स्थान : कोलकाता
दिनांक 30.04.2010

अनुलग्नक-III

आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

बैंक ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं बैंक के कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कोर प्रबंधन ने दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30.04.2010

(एस के गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



Anneuxre - II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Sub : CEO/CFO Certification in compliance to Sub Clause V of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange
Sirs,

In compliance to above, we certify as under:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2009-10 and to the best of our knowledge and belief
 - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
 - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, (except AS-9 as commented by the Statutory Central Auditors, in their Audit Report dated 30.04.2010), applicable laws and regulations.
- b) There are to the best of our knowledge and belief no transaction enter into by the Bank during the year 2009-10 which are fraudulent, irregular or violating of Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal control and we have evaluated effectiveness of the internal control systems of the Bank.
- d) We have indicated to the auditors :
 - i. significant changes in internal control during the year 2009-10;
 - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system.

Yours faithfully,

(S Srinivasan)
General Manager (Finance)
(Chief Financial Officer)

(S K Goel)
Chairman & Managing Director
(Chief Executive Officer)

Place : Kolkata
Date : 30.04.2010

Annexure – III

DECLARATION ON COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct as on 31.03.2010

For UCO Bank

Place : Kolkata
Date : 30.04.2010

(S.K. Goel)
Chairman & Managing Director



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूँजी एवं देनदारियाँ	अनुसूची	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./Rs.
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule		
पूँजी			
Capital	1	1699 36 00	1249 36 00
आरक्षितियाँ और अधिशेष			
Reserves & Surplus	2	3511 18 15	2707 68 94
निक्षेप			
Deposits	3	122415 55 05	100221 56 65
उधार			
Borrowings	4	6263 84 05	5137 41 67
अन्य देनदारियाँ और प्रावधान			
Other Liabilities & Provisions	5	3429 55 77	2348 13 52
	योग / TOTAL	137319 49 02	111664 16 78

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 002744C
For A.R. & CO.
Chartered Accountants
Registration No 002744C
(सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
Membership No. 400189

कृते चैटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 302114E
For CHATTERJEE & CO.
Chartered Accountants
Registration No 302114E
(सनदी लेखाकार एस. के. चैटर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 03124
(CA S.K.CHATTERJEE)
Partner
Membership No. 03124

कृते डी. आर. महनोट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001388C
For D. R. MOHNOT & CO.
Chartered Accountants
Registration No 001388C
(सनदी लेखाकार विपिन कानूनगो)
भागीदार
सदस्यता सं. 072716
(CA VIPIN KANOONGO)
Partner
Membership No. 072716

कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000397N
For GOEL GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No 000397N
(सनदी लेखाकार अशोक कुमार अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 084600
(CA ASHOK KUMAR AGARWAL)
Partner
Membership No. 084600

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001113N
For BANSAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No 001113N
(सनदी लेखाकार आर. सी. पांडेय)
भागीदार
सदस्यता सं. 070811
(CA R.C.PANDEY)
Partner
Membership No. 070811

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 301178E
For KOTHARI & CO.
Chartered Accountants
Registration No 301178E
(सनदी लेखाकार मनस्वी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता सं. 64601
(CA MANASWY KOTHARI)
Partner
Membership No. 64601



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी) BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010 (CONTD.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./Rs.
ASSETS	Schedule		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष	6	7242 72 94	6588 85 45
Cash and Balances with Reserve Bank of India			
बैंक में अतिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	861 60 14	4264 59 08
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice			
निवेश	8	43521 43 37	29384 78 07
Investments			
अग्रिम	9	82504 53 38	68803 86 49
Advances			
स्थिर आस्तियां	10	710 03 82	719 13 14
Fixed Assets			
अन्य आस्तियां	11	2479 15 37	1902 94 55
Other Assets			
योग / TOTAL		137319 49 02	111664 16 78
आकस्मिक देयताएं			
Contingent Liabilities	12	37163 54 24	48396 45 94
समाहरण के लिए बिल	-	2975 36 20	2912 31 21
Bills for Collection			

एस. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
S.K.GOEL

Chairman & Managing Director

अजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
AJAI KUMAR
Executive Director

वी. के. धिंगरा
कार्यपालक निदेशक
V.K.DHINGRA
Executive Director

समीर कुमार सिन्हा
निदेशक
SAMIR KUMAR SINHA
Director

एन. पी. सिन्हा
निदेशक
N. P. SINHA
Director

आर. एन. जैन
निदेशक
R.N.JAIN
Director

एस. सी. गुप्ता
निदेशक
S.C.GUPTA
Director

संजीव जैन
निदेशक
SANJEEV JAIN
Director

जयदेव गुप्ता
निदेशक
JAIDEV GUPTA
Director

जे. सी. शांडिल
निदेशक
J. C. SHANDIL
Director

आर. ए. शर्मा
निदेशक
R.A. SHARMA
Director

आर. प्रभाहरण
उप-महाप्रबंधक
R. PRABAHARAN
Deputy General Manager

एस. श्रीनिवासन
महाप्रबंधक
S. SRINIVASAN
General Manager



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED

31ST MARCH, 2010

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची Schedule	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार Year Ended 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार Year Ended 31.3.2009 रु./Rs.
I. आय / INCOME		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13 9526 32 16	8121 38 18
अन्य आय / Other Income	14 965 92 78	1019 89 46
योग / TOTAL	10492 24 94	9141 27 64
II. व्यय / EXPENDITURE		
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15 7202 19 60	6476 67 56
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16 1584 42 11	1462 98 73
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provision & Contingencies	- 693 44 64	643 89 77
योग / TOTAL	9480 06 35	8583 56 06
III. लाभ एवं हानि / PROFIT & LOSS		
वर्ष का शुद्ध लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year	1012 18 59	557 71 58
अग्रणीत लाभ/(हानि) Profit/(Loss) Brought Forward	804 80 43	600 22 99
योग / TOTAL	1816 99 02	1157 94 57

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 002744C
For A.R. & CO.
Chartered Accountants
Registration No 002744C
(सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
Membership No. 400189

कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000397N
For GOEL GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No 000397N
(सनदी लेखाकार अशोक कुमार अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 084600
(CA ASHOK KUMAR AGARWAL)
Partner
Membership No. 084600

कृते चैटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 302114E
For CHATTERJEE & CO.
Chartered Accountants
Registration No 302114E
(सनदी लेखाकार एस. के. चैटर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 03124
(CA S.K.CHATTERJEE)
Partner
Membership No. 03124

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001113N
For BANSAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No 001113N
(सनदी लेखाकार आर. सी. पांडेय)
भागीदार
सदस्यता सं. 070811
(CA R.C.PANDEY)
Partner
Membership No. 070811

कृते डी. आर. महनोट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001388C
For D. R. MOHNOT & CO.
Chartered Accountants
Registration No 001388C
(सनदी लेखाकार विपिन कानूनगो)
भागीदार
सदस्यता सं. 072716
(CA VIPIN KANOONGO)
Partner
Membership No. 072716

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 301178E
For KOTHARI & CO.
Chartered Accountants
Registration No 301178E
(सनदी लेखाकार मनस्वी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता सं. 64601
(CA MANASWY KOTHARI)
Partner
Membership No. 64601

कोलकाता, 30 अप्रैल, 2010
Kolkata, the 30th April, 2010



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010 (CONTD.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2010 की स्थिति	31.3.2009 की स्थिति
Schedule	के अनुसार Year Ended 31.3.2010 रु./Rs.	के अनुसार Year Ended 31.3.2009 रु./Rs.
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षिति में अंतरण		
Transfer to Statutory Reserves	253 04 65	139 42 90
कर्मचारी कल्याण निधि में अंतरण		
Transfer to Staff Welfare Fund	-	15 00 00
पूंजी आरक्षिति में अंतरण		
Transfer to Capital Reserves	65 21 13	128 25 68
प्रस्तावित लाभांश		
Proposed Dividend	127 02 93	60 22 10
प्रस्तावित लाभांश पर कर		
Tax on Proposed Dividend	21 58 86	10 23 46
सामान्य आरक्षिति/General Reserve	1 13 41	-
अतिशेष जो आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया है		
Balance Carried over to Balance Sheet	1348 98 04	804 80 43
योग / TOTAL	1816 99 02	1157 94 57
लेखे के संबंध में टिप्पणी / Notes on Accounts	17	
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	18	
मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर अर्जन		
Basic & Diluted EPS	रु./Rs. 18.42	रु./Rs. 7.63
सूची 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं		
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts		
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार / As per our Report of even date		

एस. के. गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
S.K.GOEL

Chairman & Managing Director

अजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
AJAI KUMAR
Executive Director

वी. के. ढिंगरा
कार्यपालक निदेशक
V.K.DHINGRA
Executive Director

समीर कुमार सिन्हा
निदेशक
SAMIR KUMAR SINHA
Director

एन. पी. सिन्हा
निदेशक
N. P. SINHA
Director

आर. एन. जैन
निदेशक
R.N.JAIN
Director

एस. सी. गुप्ता
निदेशक
S.C.GUPTA
Director

संजीव जैन
निदेशक
SANJEEV JAIN
Director

जयदेव गुप्ता
निदेशक
JAIDEV GUPTA
Director

जे. सी. शांडिल
निदेशक
J. C. SHANDIL
Director

आर. ए. शर्मा
निदेशक
R.A. SHARMA
Director

आर. प्रभाहरण
उप महाप्रबंधक
R. PRABAHARAN
Deputy General Manager

एस. श्रीनिवासन
महाप्रबंधक
S. SRINIVASAN
General Manager



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 1 — पूंजी Schedule 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009	
	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.
प्राधिकृत पूंजी /Authorised Capital				
प्रत्येक रु. 10/- के 75,00,00,000 (80,00,00,000) इक्विटी शेयर				
75,00,00,000 (80,00,00,000) Equity Shares				
of Rs. 10/- each	750 00 00		800 00 00	
2,25,000 (70 000) बेमियादी असंचयी				
2,25,000 (70,000) Perpetual Non-Cumulative				
प्रत्येक 1,00,000/- रु. के अधिमानी शेयर				
Preference Shares of Rs. 1,00,000/- each	2250 00 00	3000 00 00	700 00 00	1500 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी				
Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक रु. 10/- के 54,93,60,000 (54,93,60,000) इक्विटी शेयर				
54,93,60,000 (54,93,60,000) Equity Shares				
of Rs. 10/- each	549 36 00		549 36 00	
[केन्द्र सरकार द्वारा धारित 34,93,60,000				
(34,93,60,000) शेयर इसमें शामिल हैं]				
[includes 34,93,60,000 (34,93,60,000) shares				
held by Central Govt.]				
प्रत्येक 1,00,000/- रु. के 1,15,000 (70,000) अधिमानी शेयर				
(जिसमें 25000 इक्विटी शेयर से बेमियादी असंचयी				
अधिमानी शेयर में हस्तान्तरित हुए)				
(केन्द्र सरकार द्वारा धारित)				
1,15,000 (70,000) (of which 25,000 by way of				
conversion of Equity into Perpetual				
Non-Cumulative Preference Shares) of				
Rs. 1,00,000/- each (Entirely Held by Central Govt.)	1150 00 00	1699 36 00	700 00 00	1249 36 00
योग /TOTAL		1699 36 00		1249 36 00



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 2 — आरक्षितियां और अधिशेष Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009	
	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.
I. सांविधिक आरक्षितियां / Statutory Reserves:				
अथशेष / Opening Balance	691 08 16		551 65 26	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	253 04 65		139 42 90	
	<u>944 12 81</u>		<u>691 08 16</u>	
		944 12 81		691 08 16
II. पूंजी आरक्षितियां / Capital Reserves :				
अ) पूंजीगत प्राप्ति / a) Capital Gain				
अथशेष / Opening Balance		1 17 00		1 17 00
आ) निवेश / b) Investment :				
अथशेष / Opening Balance	210 88 26		82 62 58	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण Transfer from Profit & Loss Account	65 21 13		128 25 68	
	<u>276 09 39</u>		<u>210 88 26</u>	
		276 09 39		210 88 26
इ) स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यन				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
अथशेष / Opening Balance	584 25 37		557 21 85	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
वर्ष की समाप्ति पर मौजूदा दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित समायोजन Addition during the year	—		17 65 97	
Adjustment on account of Foreign branches at rates as at year end.	- 7 45 83		9 70 09	
	<u>576 79 54</u>		<u>584 57 91</u>	
परिसर की बिक्री पर कटौती Deduction on sale of premises	—		32 54	
	<u>576 79 54</u>		<u>584 25 37</u>	
वर्ष की समाप्ति तक पुनर्मूल्यन के कारण अवक्षयण का समायोजन Depreciation upto year end on revaluation adjusted	127 73 91		122 27 55	
		449 05 63		461 97 82



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 2 — आरक्षितियां और अधिशेष (जारी) Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009	
	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.
III. शेयर प्रीमियम / Share Premium				
अथशेष / Opening Balance		40 00 00		40 00 00
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां/ Revenue & Other Reserves				
अ/अ) सामान्य आरक्षिति / General Reserve :				
अथशेष / Opening Balance	398 59 62		398 59 62	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण				
Transfer from Profit & Loss Account	1 13 41		—	
विनिधान उतार-चढ़ाव आरक्षिति से अंतरण				
Transfer from Investment Fluctuation Reserve	—		—	
	399 73 03		398 59 62	
		399 73 03		398 59 62
आ/ब) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षिति				
Foreign Currency Translation Reserve				
अथशेष/Opening Balance	99 17 65		10 89 29	
जोड़ें : विनिमय उच्चत लेखा से अंतरण				
Add: Transfer from Exchange Suspense A/c	—		88 28 36	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the year	99 17 65		99 17 65	
वर्ष के दौरान कटौती				
Deduction during the year	47 15 40		—	
		52 02 25		99 17 65
V. लाभ शेष / Balance of Profit				
अथशेष / Opening Balance	804 80 43		600 22 99	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण				
Transfer from Profit & Loss Account	544 17 61		204 57 44	
		1348 98 04		804 80 43
योग (I से V तक) /TOTAL(I to V)		3511 18 15		2707 68 94



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 3 — निक्षेप

Schedule 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./Rs.
A. I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	470 92 33	380 38 31
ii) अन्य से / From Others	8466 09 33	6938 60 13
II. बचत बैंक निक्षेप		
Savings Bank Deposits	21240 01 59	16844 95 44
III. कालिक निक्षेप		
Term Deposits		
i) बैंकों से From Banks	8040 45 45	7153 03 65
ii) अन्य से From Others	84198 06 35	68904 59 12
योग (I, II एवं III) / TOTAL (I, II & III)	122415 55 05	100221 56 65
आ. i) भारत में शाखाओं के निक्षेप		
B. Deposits of Branches in India	115955 93 79	93212 94 72
ii) भारत के बाहर की शाखाओं के निक्षेप		
Deposits of Branches outside India	6459 61 26	7008 61 93
योग /TOTAL	122415 55 05	100221 56 65

अनुसूची 4 — उधार

Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./Rs.
I. भारत में उधार / Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	-	-
ii) अन्य बैंक/Other Banks	1 05	3 59 95
iii) *अन्य संस्थाएं और अभिकरण		
*Other Institutions and Agencies	6197 61 22	4988 34 91
II. भारत के बाहर उधार /		
Borrowings outside India	66 21 78	145 46 81
योग (I एवं II) / TOTAL (I & II)	6263 84 05	5137 41 67
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार		
Secured borrowings included in I & II above	1822 61 22	1913 34 91
इसमें शामिल है /* Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	1 51	275 08 68
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	1005 97 87	1440 89 52
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	92 10 35	197 36 71
गौण ऋण/Subordinated Debt	2375 00 00	1575 00 00
ऊपरी टीयर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond	1620 00 00	1120 00 00
आईपीडीआई/IPDI	380 00 00	380 00 00



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 5 — अन्य देनदारियां और प्रावधान Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./Rs.
I. संदेय बिल Bills Payable	255 51 45	231 64 32
II. अंतर -कार्यालय समायोजन (शुद्ध)/Inter Office Adjustments (Net)	257 85 85	—
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	536 47 39	408 47 50
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/*Others(including provisions)	2379 71 08	1708 01 70
योग /TOTAL	3429 55 77	2348 13 52
* इसमें शामिल हैं /* Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	327 57 02	323 30 50

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./Rs.
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand(including Foreign Currency Notes)	235 50 86	185 65 43
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष/Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	7007 22 08	6403 20 02
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	-	-
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	7242 72 94	6588 85 45



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 7 — बैंकों में अतिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./Rs.
I. भारत में / In India		
i) बैंकों में अतिशेष/Balances with Banks		
क) चालू खाते में		
a) In Current Accounts	197 50 31	417 10 52
ख) अन्य निक्षेप खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	-	200 00 00
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks	-	200 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions	-	-
योग (i एवं ii)/ TOTAL(i & ii)	197 50 31	817 10 52
II. भारत के बाहर /Outside India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	236 33 43	2356 45 94
ii) अन्य निक्षेप खातों में/In Other Deposit Accounts	-	560 36 74
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Money at Call and Short Notice	427 76 40	530 65 88
योग (i,ii एवं iii) / TOTAL(i,ii & iii)	664 09 83	3447 48 56
कुल योग (I एवं II) /GRAND TOTAL (I&II)	861 60 14	4264 59 08



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 8 — विनिधान

Schedule 8 — INVESTMENTS

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./Rs.
I. भारत में निम्नलिखित में विनिधान/Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	30965 77 96	22725 11 53
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	274 04 17	330 80 81
iii) शेयर/Shares	678 55 81	486 19 37
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	2050 67 34	2167 19 39
v) अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम/ Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
vi) आई डी एफ, सी पी, एफआरएन. आदि) Others (Indira Vikas Patra, Mutual Fund, RIDF, C.P. FRN etc.)	8389 03 79	2401 00 76
योग/TOTAL	42358 09 07	28110 31 86
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में विनिधान/Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं) Government Securities(including Local Authorities)	1099 08 32	1171 67 33
ii) अन्य/Others		
क/अ) शेयर/Shares	-	-
ख/ब) डिबेंचर/Debentures	8 97 75	30 32 22
ग/क) अन्य (एफआरएन आदि)/Other Investments (FRN etc.)	55 28 23	72 46 66
योग/TOTAL	1163 34 30	1274 46 21
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)*	43521 43 37	29384 78 07

*अवक्षयण/प्रावधान की राशि को घटाकर / * Net of Depreciation / Provision

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010			31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009		
विनिधान	सकल मूल्य	अवक्षयण/ प्रावधान **	शुद्ध मूल्य	सकल मूल्य	अवक्षयण/ प्रावधान **	शुद्ध मूल्य
INVESTMENTS	Gross Value	Depreciation/ Provision **	Net Value	Gross Value	Depreciation/ Provision **	Net Value
	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.	रु./Rs.
I. भारत में/In India	42536 52 51	178 43 44	42358 09 07	28237 71 92	127 40 06	28110 31 86
II. भारत के बाहर Outside India	1163 34 30	-	1163 34 30	1274 46 21	-	1274 46 21
योग/TOTAL	43699 86 81	178 43 44	43521 43 37	29512 18 13	127 40 06	29384 78 07

** विनिधान में अवक्षयण/अनर्जक विनिधान हेतु प्रावधान / ** Depreciation on Investments / Provision for Non-Performing Investments



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 9 — अग्रिम Schedule 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./ Rs.
अ/A. (i) क्रय किए गए और मित्रीकाटे पर भुगतान किए गए बिल Bills Purchased and Discounted	3704 00 03	3613 76 92
(ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	23727 75 61	20348 99 28
(iii) सावधि उधार / Term Loans	55072 77 74	44841 10 29
योग / TOTAL	82504 53 38	68803 86 49
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित) Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	56343 38 57	48372 03 87
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Govt. Guarantees	8590 97 89	7083 97 20
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	17570 16 92	13347 85 42
योग/TOTAL	82504 53 38	68803 86 49
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) पूर्विकता क्षेत्र/Priority Sector	24359 46 79	21525 87 60
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	10382 28 79	6662 09 15
(iii) बैंक/Banks	90 73 71	62 07 19
(iv) अन्य/Others	41869 10 40	34904 83 57
योग/TOTAL	76701 59 69	63154 87 51
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/Due from Banks-	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) क्रय किए गए और मित्रीकाटे पर भुगतान किए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	1353 28 34	1465 93 22
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	1175 56 98	1269 40 27
(ग) अन्य (c) Others	3274 08 37	2913 65 49
योग/TOTAL	5802 93 69	5648 98 98
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	82504 53 38	68803 86 49



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 10 — स्थिर आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./Rs.
I. परिसर/Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	137 36 36	124 49 85
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	- 3 92 88	12 52 82
	133 43 48	137 02 67
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन Additions/adjustments during the year	54 35	33 69
	133 97 83	137 36 36
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन - पुनर्मूल्यन आरक्षिति में जमा Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	576 79 54	584 25 37
	710 77 37	721 61 73
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	36 67	36 67
	710 40 70	721 25 06
अद्यतन अवक्षयण/Depreciation to date	173 98 48*	165 47 06*
योग / TOTAL	536 42 22	555 78 00
II. अन्य स्थिर आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets(including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	617 82 53	530 01 09
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	-1 85 07	4 69 23
	615 97 46	534 70 32
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	80 57 89	87 65 69
	696 55 35	622 36 01
वर्ष के दौरान कटौतियां/Deductions during the year	6 07 29	4 53 48
	690 48 06	617 82 53
अद्यतन अवक्षयण/Depreciation to date	517 41 46*	455 11 76*
योग/TOTAL	173 06 60	162 70 77
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां Assets Held for Disposal शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/आ. परिसर/Premises	36 67	36 67
अ/ब. अन्य स्थिर आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/ TOTAL	36 67	36 67
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	18 33	27 70
योग/ TOTAL	18 33	27 70
कुल योग (I,II III और IV) / GRAND TOTAL (I,II, III & IV)	710 03 82	719 13 14

* परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों के लिए विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव हेतु क्रमशः 172 लाख रु. (387 लाख) और 160 लाख रु. (382 लाख) समायोजन करने के बाद।

* After adjustment for Exchange Fluctuation of Rs.172 lacs (387 lacs) and Rs.160 lacs (382 lacs) for Premises and Other Fixed Assets respectively.



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां

Schedule 11 — OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./ Rs.
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter-Office Adjustments (Net)	-	36 38 15
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	665 08 11	555 74 53
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	611 65 98	388 94 37
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	6 13 32	7 11 92
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax Assets	83 93 00	6 32 00
VII. अन्य / Others	1112 34 96	908 43 58
योग/TOTAL	2479 15 37	1902 94 55

अनुसूची 12 — आकस्मिक देनदारियां

Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2010 रु./Rs.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2009 रु./ Rs.
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	168 49 03	402 63 16
II अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid Investments	6 11 00	9 20 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देनदारी Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	23277 92 23	39207 19 76
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां Guarantees given on behalf of Constituents -		
क) भारत में a) In India	8047 14 50	5310 19 26
ख) भारत के बाहर b) Outside India	146 30 15	184 66 23
V. प्रतिग्रहण, परांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, Endorsements and other obligations	5346 49 87	3119 65 87
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other items for which the Bank is contingently liable	171 07 46	162 91 66
योग / TOTAL	37163 54 24	48396 45 94



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED

31ST MARCH, 2010

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 रु./Rs.	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009 रु./Rs.
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/Discount on Advances/Bills	7106 84 64	6196 66 32
II. विनिधानों पर आय / Income on Investments	2188 97 90	1755 17 40
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	198 87 22	143 58 17
IV. अन्य/Others	31 62 40	25 96 29
योग / TOTAL	9526 32 16	8121 38 18

अनुसूची 14 — अन्य आय

Schedule 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 रु./Rs.	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009 रु./Rs.
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (शुद्ध) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	249 08 35	263 02 07
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : विनिधानों के विक्रय पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	242 76 26 - 242 76 26	319 59 84 5 14 04 314 45 80
III. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	11 12 2 11 10	5 49 - 5 49
IV. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	73 02 84 6 78 82 66 24 02	98 18 95 11 02 68 87 16 27
V. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and /or Joint Ventures abroad/in India	5 70 88	5 08 79
VI. प्रकीर्ण आय/Miscellaneous Income	402 02 17	350 11 04
योग / TOTAL	965 92 78	1019 89 46



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज

Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 रु./Rs.	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009 रु./Rs.
I. निक्षेपों पर ब्याज / Interest on Deposits	6577 47 59	5924 54 19
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	191 54 51	151 48 51
III. अन्य / Others	433 17 50	400 64 86
योग / TOTAL	7202 19 60	6476 67 56

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय

Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010 रु./Rs.	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009 रु./Rs.
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1057 61 50	997 54 12
II. भाटक, कर और रोशनी / Rent, Taxes and Lighting	94 66 01	85 21 82
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री / Printing & Stationery	19 78 40	19 69 76
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	18 87 29	19 30 26
V. बैंक की संपत्ति पर अवक्षयण/ Depreciation on Bank's Property	74 18 76	83 61 08
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	69 55	68 11
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा-लेखा-परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including Branch Auditors)	20 44 91	16 54 48
VIII. विधि प्रभार / Law Charges	6 25 45	5 01 12
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	30 01 20	18 91 32
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance	5 62 79	5 45 89
XI. बीमा / Insurance	92 76 81	69 83 14
XII. अन्य व्यय / Other Expenditure	163 49 44	141 17 63
योग / TOTAL	1584 42 11	1462 98 73



अनुसूची 17 — लेखे के संबंध में टिप्पणी

Schedule 17 - NOTES ON ACCOUNTS

1. अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक के मामले में दिनांक 31.03.2010 तक की बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और अंतर-शाखा लेखों यथा- ड्राफ्ट, उचंत, शाखा समायोजन, समाशोधन लेनदेन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अभिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार आदि में बकाया प्रविष्टियों का विलोपन कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/परिसंपत्तियों/देनदारियों पर उपर्युक्त का कोई तात्त्विक परिणामी प्रभाव नहीं होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार दिनांक 30.9.2009 तक की अवधि से संबंधित अंतर-शाखा लेखों में नामे एवं जमा प्रविष्टियों एवं दिनांक 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार शेष बकाए का पृथक्करण कर लिया गया है।

Reconciliation of entries outstanding has been drawn upto 31.03.2010 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz. drafts, suspense, branch adjustment, clearing transactions, fund transfers, telegraphic transfers, balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities will not be material.

Segregation of debit and credit entries in Inter-Branch Account pertaining to the period upto 30.09.2009 and remaining outstanding as on 31.03.2010 has been done in terms of guidelines of Reserve Bank of India.

2. क) वर्ष के दौरान 3 जुलाई, 2009 को आयोजित 6ठी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने 10 रुपये प्रति शेयर के 75 करोड़ इक्विटी शेयर कुल 750 करोड़ रुपये 1.00 लाख रुपये 2,25,000 स्थाई असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) कुल 2250 करोड़ रुपये जुटा कर बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 1500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये करने के बैंक के प्रस्ताव को शेयरधारकों ने अनुमोदित किया था। भारत सरकार ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अधीन प्रत्येक नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 1500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये करने के लिए राजपत्र में दिनांक 10 नवंबर, 2009 को अधिसूचना जारी किया। तदनुसार, बैंक ने शेयरधारकों द्वारा उपर्युक्त संघटन के साथ अपनी प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाया है।

a) During the year, the shareholders approved the bank's proposal for increasing its authorized capital from Rs.1500 crore to Rs.3000 crore comprising of 75 crore equity shares of Rs.10 each aggregating Rs.750 crore and 2,25,000 Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of Rs.1 lakh each aggregating Rs.2250 crore in the 6th Annual General Meeting held on 3rd July 2009. Government of India has notified the increase in authorized capital of every corresponding new bank under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 from Rs.1500 crore to Rs.3000 crore by Gazette Notification dated 10th November 2009. Accordingly, the bank has increased its authorized capital with the composition approved by the shareholders as above.

ख) बैंक की टीयर-1 पूंजी को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1200 करोड़ रुका अभिदान करने की सहमति प्रदान की एवं बैंक ने वर्ष 2008-09 में 450 करोड़ रुके अभिदान प्राप्त करने पर 1,00,000 लाख रुपये 45000 पीएनसीपीएस आवंटित किए एवं वर्ष 2009-10 में पुनः 450 करोड़ रुका अभिदान प्राप्त करने पर 1,00,000 रुपये 45000 पीएनसीपीएस आवंटित किए एवं भारत सरकार वर्ष 2010-11 में शेष 300 करोड़ रु जारी कर सकती है।

इन पीएनसीपीएस पर वर्तमान रेपो दर पर वार्षिक आधार पर रिसेट किए जाने के साथ रेपो रेट को आधार मानते हुए 100 बेसिस प्वायंट के स्प्रेड पर वार्षिक प्लोटिंग कूपन दर लागू होगा।

b) To strengthen the Tier 1 capital of the Bank, GOI agreed to subscribe a sum of Rs.1200 crore and accordingly, bank allotted 45000 PNCPS of Rs.100000 each on receipt of subscription of Rs.450 Crore in 2008-09 and another 45000 PNCPS of Rs.100000 each on receipt of subscription of Rs.450 Crore in 2009-10; the remaining balance of Rs.300 crore is expected to be released by GOI in 2010-11.

These PNCPS carry an annual floating coupon to be benchmarked to Repo rate with a spread of 100 basis points to be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date. These PNCPS are part of Tier I Capital.

ग) वर्ष के दौरान बैंक ने टीयर-II पूंजी के अंतर्गत 1300 करोड़ रु. (275 करोड़ रु.) के अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड और अपर टीयर-II पूंजी के अंतर्गत शून्य करोड़ रु. (500 करोड़ रु.) के अप्रतिभूत प्रतिदेय बांड जारी करके 800 करोड़ रु. (275 करोड़ रु.) का गौण ऋण जुटाया है। यह पिछले वर्षों के दौरान जुटाए गए 3525.15 करोड़ रु. (3250.15 करोड़ रु.) के अतिरिक्त है। इसे (शोधन को छोड़कर) तुलन-पत्र की अनुसूची 4 में 'उधार' अंतर्गत शामिल किया गया है। बैंक ने वर्ष के दौरान टीयर-II पूंजी के अंतर्गत गौण ऋण लिखतों के 150 करोड़ रु. (150 करोड़ रु.) का मोचन किया है।

c) During the year the Bank has raised subordinated debt of Rs. 1300 crore (Rs.275 crore) by issue of unsecured redeemable bonds of Rs. 500 crore (Nil) as Upper Tier II Capital and unsecured redeemable bonds of Rs.800 crore (Rs.275 crore) as subordinated debt under Tier II Capital. This is in addition to Rs.3,525.15 crore (Rs.3,250.15 crore) raised in earlier years. The same (net of redemption) is included under "Borrowing" in schedule 4 of the Balance Sheet. The Bank has redeemed Rs.150 crore (Rs.150 crore) of subordinated debt instruments under Tier II Capital during the year.

3. क) बैंक ने पहले भी कुछ अवसरों पर स्वतंत्र अर्हताप्राप्त मूल्यांकनों द्वारा अपने परिसर का मूल्यांकन कराया है एवं मूल लागत से ऊपर उचित बाजार मूल्य से अधिक राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा कर दिया गया। अद्यतन तारीख तक पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति (निपटार्ई गई आस्ति के बाद शेष पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति) 576.80 करोड़ रु. (584.25 करोड़ रु.) एवं उपर्युक्त पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को प्रभारित पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास की राशि 173.98 करोड़ रु. (165.47 करोड़ रु.) है।



- a) Bank had revalued on few occasions in the past, its premises by independent qualified valuers and the excess of fair market value over the original cost was credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is Rs.576.80 Crore (Rs.584.25 Crore) and depreciation on the revalued portion charged to above revaluation reserve (net of depreciation relating to assets disposed of) is Rs.173.98 Crore (Rs.165.47 Crore)
- ख) परिसर में 2.58 करोड़ रु (3.10 करोड़ रु) के मूल्यह्रासित मूल्य की ऐसी परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनका पुनर्मूल्यन 22.03 करोड़ रु (24.30 करोड़ रु) पर किया गया और जिनकी बाबत प्रलेखीकरण /रजिस्ट्रीकरण लंबित है।
- b) Premises include Assets with written down value of Rs.2.58 Crore (Rs.3.10 Crore) which were revalued at Rs. 22.03 Crore (Rs. 24.30 Crore) in respect of which documentation/ registration is pending.
- ग) संविदाओं की अनुमानित राशि का (अग्रिम छोड़कर) पूंजीगत लेखे पर निष्पादित किया जाना बाकी है और 15.22 करोड़ रु (13.62 करोड़ रु) का प्रावधान नहीं किया गया है।
- c) Estimated amount of contracts (net of advance) remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. 15.22 Crore (Rs. 13.62 Crore)
- घ) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा प्रणाली मानक-26 के अनुपालन में परिचालन लीज का लेखांकन किया गया है परंतु राशि अभिनिर्धारित नहीं हो पाने के कारण लेखा प्रणाली मानक में यथापेक्षित सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
- d) Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.10 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.10	31.03.09 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.09
वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक \ Gross Block at the beginning of the year	45.41	38.51
वर्ष के दौरान परिवर्धन \ Addition during the year	9.33	9.66
घटाएं : परिशोधित अमूर्त परिसंपत्तियों का मोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	25.65	2.76
योग \ Total	29.09	45.41
घटाएं : अद्यतन परिशोधन (परिशोधित परिसंपत्ति को छोड़कर) Less: Amortisation upto date (Net of amount on assets retired)	17.45	31.87
घटाएं : अपसामान्य हानि \ Less: Impairment Loss	0.00	0.07
वर्ष की समाप्ति में शुद्ध ब्लॉक \ Net Block at the end of the year	11.64	13.47

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

परिशोधन Amortisation	31.03.10 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.10	31.03.09 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.09
अथशेष \ Opening balance	31.87	20.56
जोड़ें : अपसामान्य हानि \ Add: Impairment Loss	0.00	0.29
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिशोधन \ Add: Amortisation recognised during the year	11.23	13.78
घटाएं : विमोचित परिसंपत्तियों का विनियोजन \ Less: Appropriation on assets retired	25.65	2.76
शेष \ Closing Balance	17.45	31.87

4. प्रबंधन की राय में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानदंड-28 की शर्तों के अनुसार बैंक की किन्हीं मूर्त परिसंपत्तियों को कोई तात्त्विक क्षति नहीं हुई है।
In the opinion of the management, there is no material impairment of tangible Assets of the Bank in terms of AS- 28 issued by the ICAI.
5. बैंक के पास कुल 728.49 करोड़ रु (1047.92 करोड़ रु) के ऋण सहबद्ध नोट (सीएलएन) हैं जिनमें उसने अपनी सिंगापुर और हांगकांग स्थित विदेशी शाखाओं के जरिए सहभागिता की है तथा जिन्हें ऋण एवं अग्रिम श्रेणी में वर्गीकृत किया है एवं अग्रिमों के अधीन मानक परिसंपत्तियों के लिए यथापेक्षित प्रावधान किया है। तथापि सिंगापुर में स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए ऐसी परिसंपत्तियों को वित्तीय लिखत माने जाने की जरूरत है। भारत में वर्गीकरण के मुद्दे पर प्रबंधन ने भा.रि. बैंक से स्पष्टीकरण मांगा है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
The Bank has Credit Linked Notes (CLNs) aggregating to Rs.728.49 crore (Rs. 1047.92 crore), participated through their Overseas branches at Singapore and Hong Kong and classified under the category loans and advances and has made provisions as required for Standard Assets under Advances. However, in Singapore such assets need to be treated as financial instrument for local reporting in Singapore. Clarification on the issue of classification in India has been sought from RBI by the management is still awaited.
6. भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानदंड 5 के अनुसार प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित लाभ-हानि लेखा में कोई तात्त्विक पूर्व अवधि मद शामिल नहीं है।
There is no material "prior period item" included in Profit & Loss account required to be disclosed as per AS 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.



7. चूंकि बैंक का कोई अनुषंगी नहीं है या सहयोगी/संयुक्त उद्यम में नियंत्रणात्मक हित नहीं है, अतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित लेखाकरण मानदंड 21, समेकित वित्तीय विवरण में अनुषंगी में विनिर्धान हेतु लेखांकन से संबंधित लेखाकरण मानदंड -23 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित लेखाकरण मानदंड -27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21 relating to Consolidated Financial Statements, AS 23 relating to Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and AS 27 relating to Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानदंड -18 द्वारा यथापेक्षित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित प्ररूप के अनुसार संबंधित पार्टी का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

Related party disclosures as required by Accounting Standard 18 issued by the ICAI and as per the format prescribed by RBI is given below :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

अ) Key Management Personnel

(लाख रु. में /Rs. in Lacs)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मद Items	राशि Amount	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding during the Year
श्री एस.के. गोयल, अ.प्र.नि. Shri S.K.Goel, CMD	01.04.09 से/to 31.03.10	पारिश्रमिक, परिलब्धियां और प्रोत्साहन राशि Remuneration perquisites & Incentive जमा Deposits यूको शेयर में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज Interest received उधार Borrowings	24.70 17.80 1.20 0.50	17.80 1.60
श्री वी.के.ढींगरा, का.नि. Shri V.K.Dhingra, ED	01.04.09 से/to 31.03.10	पारिश्रमिक, परिलब्धियां और प्रोत्साहन राशि Remuneration perquisites & Incentive जमा Deposits यूको शेयर में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज Interest received उधार Borrowings	21.29 6.29 0.24	6.29
श्री अजय कुमार, का.नि. Shri Ajai Kumar, ED	07.12.09 से/to 31.03.10	पारिश्रमिक, परिलब्धियां और प्रोत्साहन राशि Remuneration perquisites & Incentive जमा Deposits यूको शेयर में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज Interest received उधार Borrowings	3.14 0.93	0.93



श्री बी.एम.मिस्तल, का.नि. (सेवानिवृत्त) Shri B.M.Mittal, ED (Retired)	01.04.09 से/to 31.10.09	पारिश्रमिक, परिलब्धियाँ और प्रोत्साहन राशि Remuneration perquisites & Incentive	18.45	17.19
		जमा Deposits	17.19	
		यूको शेयर में निवेश Investments in UCO Shares		
		प्राप्त ब्याज Interest received उधार Borrowings	0.50	

नोट : आयकर नियम के अनुसार परिलब्धियों का आकलन किया गया है।

Note : Perquisites have been valued as per Income Tax Rules

(ख)/(b) सहयोगी संस्थाएं \ Associates

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित हैं : \ Regional Rural Banks sponsored by the Bank are as under:

- जयपुर थार ग्रामीण बैंक \ Jaipur Thar Gramin Bank
- कलिंग ग्राम्य बैंक \ Kalinga Gramya Bank
- बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक \ Bihar Kshetriya Gramin Bank
- महाकौशल ग्रामीण बैंक \ Mahakaushal Gramin Bank
- पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक \ Paschim Banga Gramin Bank

लेखाकरण मानदंड-18 के पैरा - 9 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" को, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य ऐसी संबंधित पार्टियों के साथ, जो राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, अपने लेनदेन के संबंध में किसी प्रकार का प्रकटीकरण करने से छूट देता है; ध्यान में रखते हुए सहयोगी संस्थाओं के साथ किए गए लेनदेन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

The transactions with Associates have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled Enterprises.

- समरूप मुद्दों पर विभिन्न अपील निर्णयों के आधार पर / अपील करने हेतु विवाद समिति के अनुमोदन प्राप्त होने तक आय कर की विवादित मांग, अर्थ-दंड, ब्याज एवं ब्याज कर स्वरूप 96.39 करोड़ रु. (362.49 करोड़ रु.) की राशि को अनुसूची 12 में आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। प्रबंधन द्वारा इसके लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि इस मामले से संबंधित अपील विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है और 40.65 करोड़ रु. (173.76 करोड़ रु.) का भुगतान /समायोजन अनुसूची 11 के अधीन अन्य परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

Based on various appellate decisions on identical issues / pending approval of Committee on Disputes for pursuing appeals, disputed demand of Income Tax, Penalty, Interest and Interest Tax amounting to Rs. 96.39 crore (362.49 crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for appeal before various competent Authorities and payments/adjustment of Rs.40.65 crore (Rs.173.76 crore) has been included in Other Assets in Schedule 11.

- वर्ष के दौरान 77.60 करोड़ रु. (निवल) (6.32 करोड़ रु.) की पहचान लेखाकरण मानदंड -22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में की गई है। तथापि, विवरणी के अनुसार अग्रणीत हानि के रूप में 202.27 करोड़ रु. (344.65 करोड़ रु.) की आस्थगित कर परिसंपत्ति की, जिसे आयकर विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और बैंक ने अपील किया है, पहचान विवेकशीलता को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई है।

During the year net amount of Rs. 77.60 crores (Rs. 6.32 Crore) has been recognised as Deferred Tax Asset as per accounting standard AS-22. However, DTA on carried forward loss as per return to the extent of Rs. 202.27 crore (Rs.344.65 Crore) which have not been accepted by the IT Department and Bank has gone for appeal, has not been recognised on account of prudence.

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2010	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2009
आस्थगित कर परिसंपत्तियां \ Deferred Tax Assets		
अग्रणीत हानि \ Carried forward loss	306.43	246.96
छुट्टी के नकदीकरण के लिए लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	77.42	69.00
उचित मूल्य में ह्रास \ Diminution in fair value	59.09	0.00
वेतन संशोधन हेतु प्रावधान \ Provision for wage revision	96.55	0.00
स्थिर आस्ति पर अवक्षयण \ Depreciation on Fixed Assets	6.13	5.78
कपट आकस्मिक देयता आदि के लिए प्रावधान \ Provision for Fraud / Contrigent liability etc	27.09	16.32
योग \ TOTAL :	572.71	338.06



(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2010	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2009
आस्थगित कर देयताएं \ Deferred Tax Liabilities		
लेखाकरण मानदंड-15 के अनुसार कर्मचारी हित का अपरिशोधित अंश Unamortized portion of employees benefit as per AS-15	60.30	90.41
बहियों एवं आयकर के बीच निवेश मूल्यांकन में अंतर Difference in Investment valuations between books and Income Tax	428.49	241.33
योग \ TOTAL :	488.79	331.74
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) \ Deferred Tax Assets(Net)	83.92	6.32

11. a) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा "जारी आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन न्यूनतम एकांतर कर की बाबत उपलब्ध ऋण हेतु लेखांकन संबंधी मार्गदर्शी नोट" के अनुसार चालू वर्ष हेतु 160.64 करोड़ रु. (74.22 करोड़ रु.) के न्यूनतम एकांतर कर ऋण को न्यूनतम एकांतर कर ऋण हकदारी लेखा में नाम डालकर "प्रावधान और आकस्मिक व्यय" के अधीन लाभ-हानि लेखा में जमा किया गया है क्योंकि प्रबंधन की यह राय है कि न्यूनतम एकांतर कर ऋण को आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान समंजित किया जा सकता है।

In accordance with the "Guidance Note on Accounting for credit available in respect of MAT under the Income Tax Act, 1961" issued by the ICAI, the MAT credit for the current year amounting to Rs. 160.64 crore (Rs 74.22 crore) has been credited to P&L Account under "Provisions and Contingencies" by debiting MAT credit entitlement Account since the management is of the opinion that the MAT credit can be set off during the specified period as per the Provisions of the Income Tax Act, 1961.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जे बी के अधीन न्यूनतम अल्टरनेट कर (एमएटी) के संबंध में वित्तीय बिल 2009 में पूर्वव्यापी प्रभाव से किए गए संशोधन के अनुसार बैंक का मूल्यांकन वर्ष 1998-99 के प्रभाव से अतिरिक्त एमएटी देयता का अभिकलन 98.22 करोड़ रु. (शून्य) किया गया है एवं बही में उसका प्रावधान किया गया है। तदनुसार उपर्युक्त के एवज में आयकर अधिनियम की शर्तों के अनुसार 73.77 करोड़ रु. (शून्य) की राशि को एमएटी जमा पात्रता के रूप में पहचान की गई है।

As per the retrospective amendments brought out in the Finance Bill 2009 in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) u/s 115JB of Income Tax Act 1961, the additional MAT liability of the Bank has been worked out to be Rs 98.22 crore (NIL) with effect from Assessment Years 1998-99 and provision has been made in the books. Consequently a sum of Rs. 73.77 crore (NIL) has been recognised as MAT credit entitlement as per provisions of Income Tax Act against the same.

- b) आय कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि-\ Amount of Provision made for Income Tax (करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

विवरण \ Particulars	31.03.2010	31.03.2009
आय कर के लिए प्रावधान \ Provision for Income Tax		
भारत में \ In India	271.15	78.46
भारत के बाहर \ Outside India	0.24	5.70

12. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानदंड 17 के अंतर्गत सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रकटीकरण विहित फॉर्मेट में नीचे किया गया है:
Segment Reporting under Accounting Standard 17 prescribed by ICAI has been disclosed below in the format prescribed:

भाग-अ : कारबार सेगमेंट \ Part A: Business Segments

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

क्रम सं.	विवरण Particulars	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year Ended 31.03.2010 (Audited)	31.03.2009 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year Ended 31.03.2009 (Audited)
1	सेगमेंट राजस्व \ Segment Revenue		
i)	ट्रेजरी परिचालन \ Treasury Operations	2710.84	2314.37
ii)	कार्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग \ Corporate/Wholesale Banking	4905.88	3744.65
iii)	रिटेल बैंकिंग \ Retail Banking	2812.74	2992.40
iv)	अन्य बैंकिंग परिचालन \ Other Banking Operations	62.79	89.86
v)	अनाबंटित \ Unallocated	0.00	0.00
	परिचालन से कुल आय \ Total Income from operation	10492.25	9141.28



2 सेगमेंट परिणाम / Segment Results

i) ट्रेजरी परिचालन / Treasury Operations	-34.71	40.12
ii) कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	545.14	205.59
iii) रिटेल बैंकिंग / Retail Banking	475.94	234.77
iv) अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	62.79	89.86
v) अनाबंटित / Unallocated	0.00	0.00
कर पूर्व कुल लाभ \ Total Profit Before Tax	1049.16	570.34

3 प्रयुक्त पूंजी / Capital Employed

i) ट्रेजरी परिचालन / Treasury Operations	928.31	769.45
ii) कॉर्पोरेट/ होलसेल बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	2790.69	1772.62
iii) रिटेल बैंकिंग/ Retail Banking	1491.53	1414.98
iv) अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	0.00	0.00
v) अनाबंटित / Unallocated	0.00	0.00
कुल प्रयुक्त पूंजी / Total Capital Employed	5210.54	3957.05

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट/Part : B Geographic Segment

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2010	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2009
देशी \ Domestic		
i) राजस्व \ Revenue	10264.58	8794.81
ii) परिसंपत्तियां \ Assets	129504.93	104291.13
अंतरराष्ट्रीय \ International		
i) राजस्व \ Revenue	227.67	346.47
ii) परिसंपत्तियां \ Assets	7814.56	7373.04
वैश्विक \ Global		
i) राजस्व \ Revenue	10492.25	9141.28
ii) परिसंपत्तियां \ Assets	137319.49	111664.17

13. विभिन्न श्रेणी की प्रतिभूतियों में धारित निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है-

The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

	31.3.2010	31.3.2009
परिपक्वता तक धारित \ Held to Maturity		
– छूट-प्राप्त श्रेणी \ exempted category	1515.74	1530.15
– अन्य \ others	22995.26	18639.34
बिक्री के लिए उपलब्ध / Available for Sale	19187.33	9342.70
क्रय- बिक्रय के लिए धारित \ Held for Trading	1.54	0.00

14. भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटन किए गए हैं :

In terms of RBI guidelines, the following additional disclosures are furnished:

14.1.1 पूंजी \ Capital

मदें Items	31.03.10 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.10	31.03.09 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.09
(i) सीआरएआर(%)–बासेल-I \ CRAR (%) – Basel I	11.35	9.75
(ii) सीआरएआर-टियर-I पूंजी (%) \ CRAR - Tier I capital (%)	6.06	5.30
(iii) सीआरएआर-टियर-II पूंजी (%) \ CRAR - Tier II Capital (%)	5.29	4.45
(iv) सीआरएआर(%)–बासेल II \ CRAR (%) – Basel II	13.21	11.93
(v) सीआरएआर-टियर-I पूंजी (%) \ CRAR - Tier I capital (%)	7.05	6.48



मर्दे	31.03.10 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.10	31.03.09 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.09
Items		
(vi) सीआरएआर-टियर-II पूंजी (%) \ CRAR - Tier II Capital (%)	6.16	5.45
(vii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India	63.59	63.59
(viii) टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण की राशि (करोड़ रु. में) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (Rs. in crore)	2375.00	1575.00
(ix) अपर टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि(करोड़ रु. में) Amount raised as Upper Tier-II Capital (Rs. in crore)	1620.00	1120.00
(x) टियर-I बेमीयादी ऋण लिखत के रूप में जुटाई गई राशि(करोड़ रु. में) Amount raised as Tier-I Perpetual Debt Instruments (Rs. in crore)	380.00	380.00
(xi) टियर-I पूंजी के रूप में जुटाई गई बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) की राशि Amount of Perpetual Non Cumulative Preference Share (PNCPS) raised as Tier I Capital	1150.00	700.00

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

14.1.2 निवेश \ Investments

मर्दे	31.03.10 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.10	31.03.09 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.09
Items		
(1) निवेश का मूल्य \ Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य \ Gross Value of Investments		
(क)\(a) भारत में \ In India	42536.53	28237.72
(ख)\(b) भारत के बाहर \ Outside India	1163.34	1274.46
(ii) अवक्षयण हेतु प्रावधान \ Provisions for Depreciation		
(ग)\(c) भारत में \ In India	178.43	127.40
(घ)\(d) भारत के बाहर \ Outside India	—	—
(iii) निवेश का निवल मूल्य \ Net Value of Investments		
(ङ)\(e) भारत में \ In India	42358.10	28110.32
(च)\(f) भारत के बाहर \ Outside India	1163.34	1274.46
(2) निवेश पर अवक्षयण के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
(i) अथशेष \ Opening balance	127.40	379.17
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provisions made during the year	168.95	108.39
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना/पुनरांकित करना Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	117.92	360.16
(iv) अंतिम शेष \ Closing balance	178.43	127.40

14.1.2.1 रेपो लेनदेन \ Repo Transactions

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2010 स्थिति के अनुसार As on 31st March 2010
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूति Securities sold under Repos	0.00	2,000.00	18.77	350.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूति Securities purchased under reverse Repos	0.00	5,200.00	861.05	0.00



14.1.2.2 गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग \ Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश जारीकर्ता की संरचना \ Issuer composition of Non SLR investments

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीगत' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	स.क्षे.के उपक्रम \ PSUs	914.57	876.52	18.37	167.21	10.37
(ii)	वित्तीय संस्थाएं \ FIs	749.31	745.31	55.75	278.14	278.14
(iii)	बैंक \ Banks	420.78	380.13	153.47	14.91	10.00
(iv)	निजी कंपनी \ Private Corporates	469.38	381.74	140.85	144.74	10.71
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य \ Others	8650.12	1666.31	0.00	1547.21	1571.74
(vii)	उप योग (i) से (vi) तक Sub Total (i to vi)	11204.16	4050.01	368.44	2152.21	1880.96
(viii)	घटाएँ- अवक्षयण के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00
(ix)	योग \ Total	11025.77	4050.01	368.44	2152.21	1880.96

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश \ Non performing Non-SLR investments

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

विवरण \ Particulars	2009-10	2008-09
अथशेष \ Opening balance	51.35	53.25
वर्ष के दौरान परिवर्धन \ Additions during the year
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियां \ Reductions during the above period	38.26	1.90
अंतिम शेष \ Closing balance	13.09	51.35
किए गए कुल प्रावधान \ Total provisions held	13.09	51.35

14.1.3 व्युत्पन्न / Derivatives

14.1.3.1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

मर्दे / Items	2009-10	2008-09
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	5967.98	9610.85
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	97.68	324.73
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.09	0.26
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	- 1.82	0.44



14.1.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

क्रम सं. S.No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	
	क) \ a)	----
	ख) \ b)	----
	ग) \ c)	----
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2010 (instrument-wise)	
	क) \ a)	----
	ख) \ b)	----
	ग) \ c)	----
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
	क) \ a)	----
	ख) \ b)	----
	ग) \ c)	----
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया है परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
	क) \ a)	----
	ख) \ b)	----
	ग) \ c)	----

14.1.3.3 'व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण \ Disclosures on risk exposure in derivatives

क) \ a) गुणात्मक प्रकटन \ Qualitative Disclosures

i) व्युत्पन्न लेन-देन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कार्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेनदेन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

The Structure and organization for management of risk in derivatives transactions.

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) जोखिम माप, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप

क) बैंक द्वारा किए ब्याज दर स्वाप (आइ आर एस) संबंधी लेन-देन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रय-विक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। ये लेन-देन भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन की जोखिम मापी जाती है। जोखिम की माप के प्रयोजनार्थ सभी ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा रिपोर्ट अ.प्र.नि./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क-टु-मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है।



The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems.

- a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.
- b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.
- iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव व्यवस्था/प्रशामकों की निरंतर प्रभाविता पर निगरानी रखने की प्रक्रिया परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। आनुमानिक मूलधन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य और परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क-टु-मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।
- Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges mitigates: IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.
- iv) बचाव और गैर बचाव लेन-देन को रिकार्ड करने; आय, प्रीमियम और डिस्काउंट की पहचान करने; बकाया संविदाओं का मूल्यांकन करने; प्रावधान करने, संपार्श्विक और ऋण जोखिम के उपशमन के लिए लेखा नीति
- बचाव-व्यवस्था के प्रयोजन हेतु ब्याज दर स्वाप संबंधी लेन देन को उपचय आधार पर तथा क्रय-विक्रय स्थिति को वास्तविक आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य होता है। पूंजी आवश्यकताएं निर्धारित करने के लिए ब्याज दर स्वाप की आनुमानिक मूलधन राशि और संबंधित परिवर्तन फैक्टर के गुणनफल तथा काउंटर पार्टी के संबंधित जोखिम भार को ध्यान में रखा गया है।
- Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation:
- The IRS transactions for hedging purpose are accounted for on accrual basis and trading position on actual basis. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

b) प्रमाणात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

Sl. No.	Particulars	2009-10		2008-09	
		Currency derivatives	Interest rate Derivatives	Currency derivatives	Interest rate Derivatives
क्र.सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) \ Derivatives (Notional Principal Amount)	23,277.92	5,967.98	39207.12	9610.85
	क)\a) बचाव के लिए \ For hedging	23,277.92	267.98	39207.12	310.85
	ख)\b) क्रय-विक्रय के लिए \ For trading	0.00	5,700.00	0.00	9300.00
2	मार्केड टु मार्केट स्थिति \ Marked to Market Positions				
	क)\a) आस्ति (+) \ Asset (+)	40.95	0.00	58.26	2.12
	ख)\b) देयता (-) \ Liability (-)	5.12	1.82	5.17	1.67
3	ऋण एक्सपोजर \ Credit Exposure	880.48	149.51	1731.34	405.64
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
	क)\a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
	अधिकतम \ Maximum	NA	-5.87	NA	-4.37
	न्यूनतम \ Minimum	NA	7.40	NA	12.03
	ख)\b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
	अधिकतम \ Maximum	NA	-1.70	NA	-2.32
	न्यूनतम \ Minimum	NA	-1.90	NA	1.63
5.	वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर पाए गए 100पीवी01 का अधिकतम और न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	बचाव-व्यवस्था पर- \ on hedging				
	अधिकतम \ Maximum	NA	-1.25	NA	-33.80
	न्यूनतम \ Minimum	NA	12.34	NA	9.45
	क्रय-विक्रय पर - \ on trading				
	अधिकतम \ Maximum	NA	-1.77	NA	-2.18
	न्यूनतम \ Minimum	NA	-1.98	NA	-2.17



ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक ने निहित परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए स्थिर से अस्थिर, अस्थिर से स्थिर और अस्थिर से अस्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर 97.68 करोड़ रु. (324.73 करोड़ रु.) की आय का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेन-देन से त्रुटि जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी बैंक हैं और एक्सपोजर अनुमत एक्सपोजर सीमा के भीतर है।

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating, floating to fixed and floating to floating interest rate derivatives on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs.97.68 Crore (Rs. 324.73 Crore), in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

14.1.4 परिसंपत्ति गुणवत्ता \ Asset Quality

14.1.4.1 अनर्जक परिसंपत्ति \ Non-Performing Asset

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

मर्दे \ Items	2009-10	2008-09
(i) निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक परिसंपत्ति (%) Net NPAs to Net Advances (%)	1.17	1.18
(ii) अनर्जक परिसंपत्ति (सकल) का उतार-चढ़ाव / Movement of NPAs (Gross)		
(क)/(a) अनर्जक परिसंपत्ति 1 अप्रैल से / Gross NPAs as on 1st April	1539.51	1651.95
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1109.03	666.53
नई अनर्जक आस्ति (Fresh NPAs)		
(A) उप-योग / Sub-total	2648.54	2318.48
(ग)/(c) घटाव / Less:		
(1) उन्नयन /Upgradations	212.00	252.96
(2) वसूली (कोटि उन्नयन खाते से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	399.28	422.75
(3) बट्टा खाता / Write-Offs	370.83	103.26
(B) उप-योग / Sub-total	982.11	778.97
(घ)/(d) 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्ति (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March (A-B)	1666.43	1539.51
(iii) निवल अनर्जक परिसंपत्ति का उतार-चढ़ाव /Movement of Net NPAs		
(क)/(a) अथ शेष / Opening balance	812.67	1092.30
(ख)/(b) अंतिम शेष Closing balance	966.28	812.67
(iv) अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क)/(a) अथ शेष / Opening balance	704.39	539.23
(ख)/(b) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (प्रतिलेखन को छोड़कर) Provisions made during the year (net off write back)	353.80	268.42
(ग)/(c) बट्टे खाते डालना / Write-off	370.83	103.26
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing balance	687.36	704.39
(v) कवरेज अनुपात प्रावधान/ Provision coverage ratio	50.00	52.71
(vi) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां एवं राजस्व/ Overseas Assets, NPAs and Revenue		
(क)/(a) कुल आस्तियां/Total Assets	7814.56	7373.04
(ख)/(b) कुल अनर्जक आस्तियां/ Total NPAs	1.13	0.00
(ग)/(c) कुल राजस्व/ Total Revenue	227.67	346.47
(vii) अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण (चार सबसे बड़े अनर्जक खातों का कुल एक्सपोजर) Concentration of NPAs (Total exposure to top four NPA accounts)	157.59	76.25



(viii) क्षेत्रवार अनर्जक आस्ति / Sector wise NPAs

क्रम संख्या	क्षेत्र	उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में अनर्जक आस्ति का प्रतिशत
Sl.No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप / Agriculture & allied activities	2.02
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु) / Industry (Micro & small)	3.74
3	मध्यम एवं बड़ा / Medium and Large	0.70
3	सेवा / Services	3.70
4	वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	3.55

14.1.4.2 पुनर्व्यवस्थित खातों का विवरण

14.1.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crores)

		सीडीआर प्रणाली CDR Mechanism	पुनर्व्यवस्थित एसएमई ऋण SME Debt Restructuring	अन्य Others
पुनर्व्यवस्थित मानक अग्रिम Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers बकाया राशि / Amount outstanding त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	7 206.57 36.02	5412 292.84 12.41	23022 1995.96 61.83
पुनर्व्यवस्थित अवमानक अग्रिम Sub-Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers बकाया राशि / Amount outstanding त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00 0.00 0.00	139 8.28 0.18	219 2.82 0.06
पुनर्व्यवस्थित संदिग्ध अग्रिम Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers बकाया राशि / Amount outstanding त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00 0.00 0.00	106 13.07 0.60	25 0.24 0.01
कुल Total	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers बकाया राशि / Amount outstanding त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	7 206.57 36.02	5657 314.19 13.19	23266 1999.02 61.90

14.1.4.3 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियां

14.1.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

विवरण / Item	2009-10	2008-09
(i) खातों की संख्या / No. of accounts	75	21
(ii) एस सी/ आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को छोड़कर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	10.87	13.40
(iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	32.77	23.37
(iv) पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बाबत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.03	—
(v) निवल बही मूल्य के अनुसार कुल प्राप्ति/हानि Aggregate gain/loss over net book Value.	21.93	9.97



14.1.4.4 खरीदे गए/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्ति से संबंधित विवरण

क. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्ति से संबंधित विवरण :

14.1.4.4 Details of Non performing financial assets purchase/sold:

A. Details of Non performing financial assets purchased:

विवरण / Particulars	2009-10	2008-09
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(ख) सकल बकाया		
(b) Aggregate Outstanding	—	—
2. (क) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्व्यवस्थित खातों की संख्या		
(a) Of these, number of accounts restructured during the year	—	—
(ख) सकल बकाया		
(b) Aggregate Outstanding	—	—

ख) खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्ति से संबंधित विवरण

B. Details of Non performing financial assets sold:

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crores)

विवरण / Particulars	2009-10	2008-09
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	शून्य / Nil	शून्य/Nil
2. सकल बकाया /Aggregate Outstanding	—	—
3. सकल राशि प्राप्त /Aggregate consideration received	—	—

14.1.4.5 मानक अग्रिम(धारित) पर प्रावधान

14.1.4.5. Provisions on Standard Advances (Held)

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crores)

मद /Item	2009-10	2008-09
मानक अग्रिम (धारित) हेतु प्रावधान / Provisions towards Standard Advances (Held)	327.57	323.31

14.1.4.6 मानक अग्रिम (दिए गए) पर प्रावधान

14.1.4.6 Provisions on Standard Advances (Made)

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crores)

मद / Item	2009-10	2008-09
वर्ष के दौरान मानक अग्रिम(दिए गए) हेतु प्रावधान		
Provisions made during the year towards Standard Advances	6.18	13.51
विनिमय दर अंतर / Exchange rate difference	1.91	4.02

14.1.5 कारोबार अनुपात

14.1.5 Business Ratios

मद / Items	2009-10	2008-09
(i) कार्यकारी निधि की तुलना में ब्याज आय		
Interest Income as a percentage to Working Funds	8.23	8.64
(ii) कार्यकारी निधि की तुलना में ब्याजेतर आय		
Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.83	1.08
(iii) कार्यकारी निधि की तुलना में परिचालन लाभ		
Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.47	1.28
(iv) आस्ति पर आय /Return on Assets	0.87	0.59
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम)		
Business (Deposits plus advances) per employee	9.01 करोड़ Cr	7.32 करोड़ cr.
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ / Profit per employee	4.43 लाख lakhs	2.40 लाखlakhs



14.1.6 आस्ति देयता प्रबंधन – दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप (वैश्विक)

14.1.6 Asset Liability Management Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2010 (GLOBAL):

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह अधिक	3 माह से 6 माह अधिक	6 माह से 1 वर्ष अधिक	1 वर्ष से 3 वर्ष अधिक	3 वर्ष से 5 वर्ष अधिक	5 वर्ष से अधिक	कुल
Particulars	1 day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days and upto 3 months	Over 3 Months & Upto 6 Months	Over 6 Months & Upto 1 Year	Over 1 Year & Upto 3 Years	Over 3 Years & Upto 5 Years	Over 5 Years	Total
जमा / Deposits	408.86	2465.15	3151.40	4239.22	17826.82	16951.35	35318.54	12481.48	1488.81	28083.92	122415.55
अग्रिम (निवल) Advances (Net)	1153.73	1375.28	1507.52	1821.33	4717.96	4173.42	6127.02	11241.43	10393.64	39993.21	82504.54
निवेश (निवल) Investments(Net)	331.69	1561.48	1979.16	1837.29	4443.14	6470.97	10507.79	3857.63	5,511.08	7021.20	43521.43
उधार (निवल) Borrowings (Net)	790.74	-	-	-	-	235.90	230.70	528.10	632.89	3845.51	6263.84
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	581.55	237.35	199.57	327.79	1,577.22	949.93	1,187.49	1,469.56	990.96	421.91	7,943.33
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	205.94	230.40	274.16	543.84	1,445.60	1,263.27	516.92	1,836.54	352.33	1,293.53	7,962.53

14.1.7 एक्सपोजर \ Exposure :

14.1.7.1 भू-संपदा क्षेत्र को ऋण \ Exposure to Real Estate Sector

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

श्रेणी /Category	2009-10	2008-09
(क)\(a) प्रत्यक्ष एक्सपोजर \ Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक- ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो; जो उधारकर्ता का व्यक्तिगत आवास हो या किराए पर दिया गया हो; (15 लाख रु. तक का व्यक्तिगत आवास ऋण पृथकतः दर्शित किया जाए)		
(i) Residential Mortgages – Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing borrower or that is rented; (Individual housing loans up to Rs. 20 lakh may be shown separately);	4634.22 3117.71	3663.10 2690.22
(ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा वाणिज्यिक स्थावर-संपदा को बंधक रखते हुए प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, फुटकर खाली स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि)। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(ii) Commercial Real Estate – Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	2475.72	2203.32



(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति(एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण में निवेश - Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
a. आवासीय \ Residential,	7.69	121.72
b. वाणिज्यिक स्थावर-संपदा \ Commercial Real Estate.	0.00	0.00
(ख)\(b) अप्रत्यक्ष ऋण \ Indirect Exposure	712.33	858.89
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		

14.1.7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर \ Exposure to Capital Market

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

विवरण \ Particulars	2009-10	2008-09
(i) ईक्विटी शेयर में प्रत्यक्ष निवेश, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों, आधारभूत निधि अभिमुख म्यूचुअल फंड जिसकी आधारभूत निधि का निवेश पूर्णतः कॉर्पोरेट ऋण में न किया गया हो; direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	424.49	306.77
(ii) शेयरों (आईपीओ / ई एस ओ पी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.27	0.20
(iii) किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.44	0.00
(iv) किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपादित प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहाँ शेयर / परिवर्तनीय बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हों; advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.35
(v) शेयर दलालों को दिए जानेवाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers; Guarantees issued on behalf of entities other than brokers & venture capital funds i.e. individual, corporate etc. for purchase of shares.	77.03	183.70
	0.20	—



विवरण \ Particulars	2009-10	2008-09
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; loans sanctioned to corporates against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	—
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गम के प्रति कंपनियों को दिया गया पूरक ऋण; bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	—
(viii) शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	—
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्त पोषण ; financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	—
(x) वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) को दिए गए सभी ऋण ईक्विटी के समरूप माने जाएंगे और इस तरह उनकी गणना पूंजी बाजार एक्सपोजर सीलिंग (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुपालन हेतु की जाएगी। all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect);	168.00	175.00
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर Total exposure to Capital Market	670.43	666.02

14.1.7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर

Risk Category wise Country Exposure

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2010	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2010	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2009	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2009
नगण्य \ Insignificant	1832.31	1.20	2933.41	1.20
कम \ Low	1063.29	-	1464.68	-
सामान्य \ Moderate	43.69	-	48.32	-
अधिक \ High	0.82	-	3.59	-
अत्यधिक \ Very High	—	-	4.80	-
सीमित \ Restricted	—	-	0.00	-
ऋणोत्तर \ Off-credit	—	-	0.00	-
कुल \ Total	2940.11	1.20	4454.80	1.20

दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के आधार पर कंट्री एक्सपोजर मद्धे प्रावधान शून्य है। बैंक ने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार अपने देश से भिन्न देशों में दिए गए ऋण की जांच की है। प्रत्येक देश में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर उसकी आस्तियों के 1% से कम है।

Based on the total assets of the Bank as on 31.03.2010, the provision requirement on account of Country Exposure is Rs.Nil. The Bank has taken a stock of its exposure in countries other than the home country as on 31st March, 2010. The Bank's net funded exposure in each country is below 1% of its assets.



14.1.7.4 अ. ग्राहक शिकायतें \ A. Customer Complaints:

क वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	
a No. of complaints pending at the beginning of the year	40
ख वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	
b No. of complaints received during the year	1089
ग वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	
c No. of complaints redressed during the year	1092
घ वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	
d No. of complaints pending at the end of the year	37

आ. 31.03.2010 के अनुसार लंबित मामलों का अवधिवार वर्गीकरण

B. Agewise classification of pending complaints as on 31.03.10

30 दिनों तक Upto 30 days	31 दिनों से 3 माह तक 31 days to 3 months	3 माह से अधिक से 6 माह से तक > 3 months to 6 months	6 माह से अधिक > 6 months	कुल Total
30	7	—	—	37

आ. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड :

C. Awards passed by the Banking Ombudsman:

क वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या	
a No. of unimplemented awards at the beginning of the year	3
ख वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड की संख्या	
b No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	10
ग वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्ड की संख्या	
c No. of Awards implemented during the year	10
घ वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या	
d No. of unimplemented Awards at the end of the year	3*

*2 मामले न्यायाधीन हैं।

*2 cases are sub-judice

14.1.7.5 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अधीन बैंक पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की है।

Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank u/s 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949.

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

15 प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय का विवरण \ Details of Provisions & Contingencies

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय' का विश्लेषण Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
निवेश-एफएस पर अवक्षयण के लिए प्रावधान Provision for depreciation on Investment - AFS	89.29	5.18
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान \ Provision towards NPA	353.80	268.42
अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान \ Provision towards NPI	-1.00	-1.06
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान \ Provision towards Standard Assets	6.18	13.51
एफबीटी सहित कराधान के लिए प्रावधान \ Provision towards Taxation including FBT	271.39	86.85
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय (विवरण सहित) Other Provision and Contingencies (with details)		



विधिक मामले/आकस्मिक व्यय \ Legal Cases / Contingencies	2.19	3.98
ह्रासमान सही मूल्य /Diminution in Fair Value	23.22	125.99
आस्थगित कर आस्ति \ Deferred Tax Assets	-77.61	-6.32
मैट ऋण \ MAT Credit	-234.41	-74.22
बकाया संशोधित वेतन \ Arrear Wage Revision	134.06	150.00
विविध प्रावधान \ Miscellaneous Provision	126.34	71.58
कुल \ Total	693.45	643.90

16. Provisions for NPAs and Depreciation on Investment including provision on Non-performing Investment (NPI)
अनर्जक निवेश (एनपीआई) पर प्रावधान सहित अनर्जक आस्तियों तथा निवेश में अवक्षयण के लिए प्रावधान

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) Provision for NPA (excluding Provision on Standard Assets)		अनर्जक निवेश एवं निवेश में अवक्षयण के लिए प्रावधान Provision for NPI and Depreciation on Investment	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
अथशेष \ Opening Balance	704.39	539.23	127.40	379.17
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provision made during the year	353.80	286.54	168.95	108.39
घटाएं : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना/का प्रतिलेखन (विनिमय अंतर सहित) Less: Write off/Write back of excess Provision				
during the year(inc Ex diff)	370.83	121.38	117.92	360.16
अंतिमशेष \ Closing Balance	687.36	704.39	178.43	127.40

17. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) \ EARNINGS PER SHARE (EPS):

क) असाधारण मद के बाद मूल एवं न्यून प्रति शेयर अर्जन : प्रति शेयर 18.42 रु (7.63 रु)

अ) Basic & Diluted EPS after Extra-ordinary item: Rs. 18.42 per share (Rs 7.63)

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन \ Calculation of EPS

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

	31.3.2010	31.3.2009
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ रु. में) Net profit (Rs. in crore) after tax available for equity shareholders	1012.18	557.72
ईक्विटी शेयरों की संख्या \ Number of equity shares	54,93,60,000	54,93,60,000
जोखिमधारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	54,93,60,000	73,08,66,849
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि रु. में) Nominal Value per Share (Amount in Rs.)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि रु. में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in Rs.)	18.42	7.63



18. बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के व्योरे

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

क. बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋणसीमा

A. Single Borrower Limit exceeded by the Bank:

(करोड़ रु. में) / (Rs. In Crore)

क्रमांक	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा	संस्वीकृत ऋण सीमा	अवधि, जिसके दौरान ऋण सीमा का अतिक्रमण हुआ	कॉलम 5 में उल्लिखित अवधि के दौरान जितनी राशि का अतिक्रमण हुआ	बोर्ड की संस्वीकृति का व्योरा	31.03.10 के अनुसार स्थिति
Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period During Which Limit exceeded	Amount Exceeded during the period in col.5	Board Sanction details	Position as on 31.03. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृत में/M/s.			अवधि/Period	दिन/Days		
1.	अडाणी/ Adani	*एसबीएल/SBL 1040*	1173	14.9.09	3	33	(सी-1) C-1
	इंटरप्राइज़/Enterprises	** (1386.66)		to			बीएमडी/BMD
	लि./Ltd			16.9.09			दिनांक/dated
				22.9.09	56	133	31.08.2009
				to			
				16.11.09			
				कुल/Total	59		

* विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा (एसबीएल) रु. 1040 करोड़ (बैंक पूँजी निधि का 15%)

** आपवादिक परिस्थितियों में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 5% एक्सपोजर अर्थात् 1386.66 करोड़ रु. तक की अनुमति दी थी।

* Prudential exposure limit (SBL) Rs.1040 crore (15% of Bank's capital funds).

** Under exceptional circumstances 5% exposure upto Rs.1386.66 Crore was permitted for the financial year 2009-10 by the Board of Directors.

ख) बैंक द्वारा समूह उधारकर्ता ऋण सीमा का अतिक्रमण - शून्य

B. Group Borrower Limit exceeded by the Bank - Nil

19. जमा, अग्रिम एवं वित्तपोषण का संकेन्द्रन / Concentration of Deposits, Advances and Exposures

19.1 जमा-संकेन्द्रन / Concentration of Deposits

(करोड़ रु. में) / (Rs. In Crore)

बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा	
Total Deposits of twenty largest depositors	22,498.77
बैंक की कुल जमा की तुलना में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा का %	
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	18.38%

19.2 अग्रिम-संकेन्द्रन / Concentration of Advances

(करोड़ रु. में) / (Rs. In Crore)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	
Total advances to twenty largest borrowers	26,382.40
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत	
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	31.22%

19.3 वित्तपोषण-संकेन्द्रन / Concentration of Exposures

(करोड़ रु. में) / (Rs. In Crore)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को वित्तपोषण	
Total exposure to twenty largest borrowers/ customers	26,422.40
बैंक के कुल वित्तपोषण की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को वित्तपोषण का प्रतिशत	
Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	27.25%



20. वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान 1331.90 करोड़ रु(955.06 करोड़ रु)की प्रतिभूतियों का परिपक्व तक धारित(एचटीएम) वर्ग से विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) वर्ग में अंतरण हुआ।
21. अनर्जक आस्ति के एवज में धारित प्रावधान का सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है। तुलन पत्र की अनुसूची 9 में दिए गए निवल अग्रिम के शेष को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्गों के सकल अग्रिम में से उपर्युक्त को आकलन के आधार पर से घटाया गया है।
22. प्रकटीकरण भारतीय सनदी लेखा संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 की शर्तों के आधार पर है।
20. During the financial year 2009-2010 there was transfer of securities from Held To Maturity (HTM) category to Available For Sale (AFS) category of Rs. 1331.90 Crore (Rs. 955.06 Crore).
21. Break up of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Schedule 9 of the Balance Sheet.
22. Disclosure in terms of Accounting Standard 29 issued by the Institute of Chartered -Accountants of India – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

क) देनदारियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव

(a) Movement of Provisions for Liabilities

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)					
विवरण	31.03.09 की स्थिति के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	विनिमय अंतर	वर्ष के दौरान वापस हुए प्रतिलेखित राशि	31.3.10 की स्थिति के अनुसार शेष
Particulars	Balance as on 31.03.09	Addition during the year	Exch. difference	Amount charged off/write back during the year	Balance as on 31.03.10
मानक आस्ति \ Standard Asset	323.31	6.18	1.91		327.58
अशोध्य ऋण \ Bad Debt	704.39	353.80	0.01	370.83	687.35
सीएलएन \ CLN	50.00	-	-	50.00	-
ह्रासमान उचित मूल्य \ Diminishing Fair Value	150.73	43.87		20.65	173.95
निवेश \ Investments	127.40	168.95		117.92	178.43
कराधान \ Taxation	237.74	271.41	0.38	3.76	505.01
विधिक/आकस्मिक व्यय \ Legal/cont.	41.37	2.19			43.56
विविध \ Misc	190.65	294.21	0.15	122.21	362.50
एमएटी ऋण \ MAT Credit Entitlement		0.00		234.41	
डिटीए \ DTA				77.61	
कुल \ TOTAL	1825.59	1140.61	2.45	997.39	2278.38

ख) आकस्मिक देयताएं

तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) में यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तों, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती हैं।

b) Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgement of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

23. एस-15-कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभ यानी पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी, सेवानिवृत्त एवं सेवारत निदेशकों तथा उनके परिवार के सदस्यों आदि के लिए चिकित्सा सुविधा आदि का प्रावधान संशोधित लेखाकरण मानदंड (एस)-15 के अनुसार किया गया है। लेखाकरण मानदंड - 15 में सीमित संशोधन की शर्तों के अनुसार कर्मचारी हितलाभ (यथासंशोधित 2005) और उसपर दिशानिर्देश नोट के अनुसार बैंक ने यह

23. AS - 15 -Employee Benefits

Provision for Employee Benefits viz. Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, Medical benefits to retired and in service Directors and their family members etc. has been made as per Revised Accounting Standard (AS) -15. In terms of Limited Revision to AS-15 Employee Benefits (Revised 2005) and guidelines notes thereon, the Bank has decided to recognise the increase in transitional liability over the liability that could have been recognised



निर्णय किया है कि उस देनदारी पर संक्रमणकालीन देनदारी में वृद्धि की पहचान की जाए जिसकी पहचान संशोधन-पूर्व एस-15 के अनुसार 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से 5 वर्ष तक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर व्यय के रूप में की जा सकती थी। चालू वर्ष की देनदारी के प्रति लाभ-हानि लेखा पर भारित 265.06 करोड़ रु. (118.07 करोड़ रु.) के अतिरिक्त 88.68 करोड़ रु. (88.68 करोड़ रु.) देनदारी में वृद्धि के परिशोधन के प्रति लाभ और हानि लेखा पर भारित किया गया है। दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार संशोधित एस-15 के कारण देनदारी में वृद्धि का अपरिशोधित अंश 177.37 करोड़ रु. (266.06 करोड़ रु.) है।

as per the Pre Revised AS-15 as on 31.03.2007 as an expense on a straight-line basis over 5 years from financial year 2007-08. In addition to Rs. 265.06 Crore (Rs. 118.07 Crore) charged to Profit & Loss Account towards current year's liability, Rs.88.68 Crore (Rs.88.68 Crore) has been charged to Profit & Loss Account towards amortisation of the increase in liability. The un-amortised portion of the increase in liability on account of Revised AS-15 is Rs. 177.37 crores (Rs. 266.06 Crore) as on 31.03.2010.

अ) प्रारंभिक एवं अंतिम दायित्व-शेष का समाधान / A) Reconciliation of opening and closing balances of obligations:

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

	निधि / Funded		अनिधि / Un-Funded			
	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical benefits to Directors
प्रारंभिक दायित्व / Opening Obligation	1215.69	390.14	203.17	20.94	6.96	0.10
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	28.73	24.43	13.64	—	1.45	—
ब्याज लागत / Interest Cost	92.36	29.73	16.25	1.68	0.56	0.01
प्रदत्त हितलाभ / Benefit Paid	(122.41)	(37.11)	—	—	—	—
बीमांकिक हानि/(लाभ) / Actuarial Loss/(Gain)	176.64	36.10	(5.30)	(0.82)	(1.66)	0.02
अंतिम दायित्व / Closing Obligation	1391.01	443.29	227.76	21.80	7.31	0.13

आ) प्रारंभिक एवं अंतिम योजना आस्ति शेष का समाधान / B) Reconciliation of opening and closing balances of plan assets:

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

	पेंशन / Pension	उपदान / Gratuity
योजना आस्ति का प्रारंभिक मूल्य / Opening Value of Plan Assets	1188.63	390.14
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल / Expected Return on Plan Assets	104.83	37.06
अंशदान / Contributions	168.12	54.19
प्रदत्त हितलाभ / Benefits Paid	(122.41)	(37.11)
बीमांकिक लाभ/(हानि) / Actuarial Gain/(Loss)	7.86	(0.99)
योजना आस्ति का अंतिम मूल्य / Closing Value of Plan Assets	1347.03	443.29

इ) समाधानकृत बीमांकिक लाभ/हानि / C) Actuarial Gain/Loss Reconciled

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical benefits to Directors
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)-दायित्व Actuarial Loss/ (Gain) for the Year- Obligation	176.64	36.10	(5.30)	(0.82)	(1.66)	0.02
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)- योजना आस्ति Actuarial Gain/(Loss) for the Year – Plan Asset	7.86	(0.99)	—	—	—	—
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	168.78	37.09	(5.30)	(0.82)	(1.66)	0.02
वर्ष में पहचान की गई बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognised in the Year	168.78	37.09	(5.30)	(0.82)	(1.66)	0.02



ई) लाभ-हानि लेखा विवरण में पहचान किए गए व्यय / **D) Expenses Recognised in Statement of Profit & Loss Account**

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical benefits to Directors
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	28.73	24.43	13.64	—	1.45	—
ब्याज लागत / Interest Cost	92.36	29.73	16.25	1.68	0.56	0.01
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Asset	(104.83)	(37.06)	—	—	—	—
वर्ष के दौरान पहचान की गई शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ) Net Actuarial Loss/ (Gain) Recognised in the Year	168.78	37.09	(5.30)	(0.82)	(1.66)	0.02
लाभ/हानि विवरण में पहचान किए गए व्यय Expenses Recognised in Statement of Profit/Loss	185.04	54.19	24.59	0.86	0.35	0.03
लाभ/हानि विवरण में पहचान की गई संशोधन-पूर्व एस-15 देनदारी से अधिक संक्रमणकालीन देनदारी की 1/5 राशि का परिशोधन Amortisation amount being 1/5 th of TL in excess of Pre-Revised AS-15 liability recognized in Statement of Profit / Loss	58.64	13.40	11.28	4.16	1.20	—

उ) संशोधन-पूर्व एस-15 देनदारी से अधिक संक्रमणकालीन देनदारी (वर्ष 2007-08 से शुरुआत कर 5 वर्षों में परिशोधित की जानेवाली)

E) Transitional Liability (TL) in excess of Pre-revised AS-15 Liability (to be amortised in 5 years commencing from the year 2007-08)

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical benefits to Directors
संशोधन-पूर्व एस-15 देनदारी से अधिक संक्रमणकालीन देनदारी Transitional Liability (TL) in excess of Pre-revised AS-15 liability	293.18	66.92	56.54	20.79	6.00	—



ऊ) तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि / F) Amounts Recognised in the Balance Sheet:

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical benefits to Directors
31.03.2010 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligations as at 31.03.2010	1391.01	443.29	227.76	21.80	7.31	0.13
31.03.2010 की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का उचित मूल्य/प्रावधान की राशि Fair Value of Plan Assets/Amount of Provision held as at 31.03.2010	1347.03	443.29	203.17	20.94	6.96	0.10
तुलन-पत्र में पहचान की गई निवल देनदारी/(आस्ति) Net Liability/(Asset) recognized in the Balance Sheet	43.98	NIL	24.59	0.86	0.35	0.03

ए) निवेश के बारे में / G) Investment Details:

क) उपादान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100% / a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%

ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियां

b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां / Central Government Securities	24.31
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां / State Government Securities	12.19
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बांड आदि / PSU Bonds etc.	55.72
विशेष जमा / Special Deposit	7.78
अन्य आस्तियां / Other Assets	शून्य / NIL
कुल / Total	100.00

ऐ) मूल बीमांकिक अनुमान / H) Principal Actuarial Assumptions:

मृत्यु दर तालिका / Mortality Rate Table	जी.बी.नि./LIC(1994-96)
अधिर्वर्षिता आयु / Superannuation Age	60 वर्ष/Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता / Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रतिहजार / 10 Per Thousand Per Annum
	45 वर्ष की आयु से अधिक के 6
	6 Above age 45,
	29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3
	3 between 29 and 45,
	29 वर्ष से कम आयु के 1
	1 below age 29
रियायती दर / Discount Rate	8.00 %
मुद्रास्फीति दर / Inflation Rate	5.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल / Return on Plan Asset	8.82 % (पेंशन हेतु / For Pension)
	9.50 % (उपदान हेतु / For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन / Remaining Working Life	9 वर्ष / Years
प्रयुक्त सूत्र / Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति / Projected Unit Credit Method



24. 31.03.2009 को समाप्त 17 माह के लिए 150.00 करोड़ रु. के तदर्थ प्रावधान को हिसाब में लेने के बाद वेतन बकाया स्वरूप 284.06 करोड़ रु. (01.11.07 से 31.3.2010 तक बकाया) में से चालू वर्ष के दौरान 134.06 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया।

Out of salary arrears of Rs.284.06 Crore (due from 01.11.07 to 31.03.2010) Rs.134.06 Crore has been provided in the current year after taking into account adhoc provision of Rs.150 Crore provided for 17 months ended 31.03.2009.

25. चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण / Disclosure of Letter of Comforts

बैंक अपने विभिन्न घटक की ओर से उनको स्वीकृत ऋण सीमा के एवज में चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की दृष्टि में बैंक द्वारा जारी एलओसी के अधीन किसी भी प्रकार का वित्तीय प्रभाव एवं संचयी वित्तीय दायित्वों का निर्धारण का पिछले वर्षों या चालू वर्ष के दौरान नहीं किया गया। बैंक द्वारा जारी एलओसी का संक्षिप्त विवरण निम्न है -

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(करोड़ रु. में) / (Rs. in Crore)

1	वर्ष 2009-10 के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2009-10	5789.82
2	वर्ष 2009-10 के दौरान परिपक्व/रद्द चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured/cancelled during the year 2009-10	2239.15
3	31.03.2010 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2010	3791.28

26. कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना-2008 (एडीडब्ल्यूडीआर -2008)

Agricultural Debt Waiver & Debt Relief Scheme-2008 (ADWDR-2008)

(क) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर योजना) के अंतर्गत अन्य कृषकों द्वारा बकाए राशि के 75% अंश के भुगतान हेतु अंतिम तारीख 30.06.2010 तक बढ़ा दी गई है। अन्य पात्र कृषक एक या एक से अधिक किस्तों में राशि की चुकौती 30.06.2010 तक कर सकते हैं। अतः अन्य कृषकों के ऋण खातों, जिसने इस योजना के लिए सहमति दी है, को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(a) Under Agriculture Debt Relief Scheme (ADWDR Scheme) the last date for payment of 75% of the overdue portion by the other farmers have been extended upto 30.6.2010. The eligible other farmers are allowed to repay the amount in one or more installments upto 30.6.2010. Hence, the loan accounts of the other who have given consent to the scheme, have been classified as standard.

(ख) कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना 2008 के कार्यावयन हेतु भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लघु और सीमांत कृषकों के लिए ऋण छूट तथा अन्य कृषकों हेतु ऋण राहत की योजना बैंक द्वारा लागू की गई थी। बैंक के केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित 531.51 करोड़ रु. का दावा भा.रि. बैंक में प्रस्तुत किया गया। 340.12 करोड़ रु. (215.36 करोड़ रु.) जो प्रस्तुत किए गए दावे का 64% (41%) है कि प्रतिपूर्ति भा.रि. बैंक द्वारा 31.03.2010 तक की गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान शिकायतों के दूर करने हेतु बैंक द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत माफी के रूप में 1855 लघु एवं सीमांत कृषकों को 4.82 करोड़ रु. का लाभ प्रदान किया गया। 2,52,351 लघु एवं सीमांत कृषकों को कुल 536.33 करोड़ रु. का ऋण राहत प्रदान किया गया। बैंक ने 19,155 अन्य कृषकों को, जिसने दिनांक 31.03.2010 के पहले अपने अंश की पूरी चुकौती कर दी है, राहत के रूप में 42.46 करोड़ रु. का लाभ प्रदान किया।

(b) In terms of the notification of Government of India for implementation of Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme – 2008, the Scheme for Debt Waiver to Small and Marginal Farmers and Debt Relief to Other Farmers was implemented in the Bank. A claim duly certified by the Central Statutory Auditors of the Bank for Rs. 531.51 crore was lodged by the Bank with RBI. Rs. 340.12 crore (Rs. 215.36 crore) being 64% (41%) of the claim lodged has been reimbursed by the RBI upto 31.03.2010. During the year 2009-10, Bank extended benefit of Rs.4.82 Crore to 1855 nos of Small & Marginal Farmers as waiver under the scheme due to redressal of grievances. Loan waiver was extended to 2,52,351 number of SF/MF aggregating Rs.536.33 Crore. Bank extended benefit of Rs.42.46 Crore to 19,155 number of 'Other Farmers' as Relief to those who have repaid their full share before 31.03.2010.



27. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा वित्तपोषित पुनर्व्यवस्थित खातों में अप्राप्त ब्याज की 101.89 करोड़ रु (शून्य) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है तथा भारिबैंक दिशानिर्देशों के अनुसार विविध लेनदार (ब्याज पूंजीकरण) लेखे में रखा गया है।

During the year an amount of Rs.101.89 Crore (Nil) being unrealized interest on restructured advances that has been funded by the Bank, has been charged to Profit & Loss Account and taken to Sundry Liabilities (interest capitalization) A/C as per RBI's guidelines.

28. तुलनपत्र में शामिल न किए गए प्रायोजित एसपीवी

बैंक ने कोई एसपीवी प्रायोजित नहीं किया है।

Off-balance Sheet SPVs sponsored

Bank has not sponsored any SPVs

29. नोस्ट्रो खातों में बकाया प्रविष्टियों का अंतरण

भारिबैंक के पत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी संख्या 133/21.04.018/2008-09 दिनांक 11 मई, 2009 में निहित दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ने अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 2002 के दौरान नोस्ट्रो मिरर खाते में पड़ी असमाधानकृत जमा प्रविष्टि के 1.13 करोड़ रु लाभ-हानि लेखे में अंतरित किए गए हैं।

Transfer of Outstanding Entries in NOSTRO ACCOUNT

Pursuant to the guidelines contained in Reserve Bank of India communication vide DBOD.BPBC.No.133/21.04.018/2008-09 dated May 11, 2009 the Bank has transferred Rs.1.13 crore to profit and loss account representing unreconciled credit entries in Nostro Mirror Accounts originated between April, 1996 and March 31, 2002.

30. बैंकाश्युरेंस से आय

बैंक जीवन बीमा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम तथा गैर जीवन बीमा के लिए रिलायेंस जेनेरल इश्योरेंस कंपनी लि का कॉर्पोरेट एजेंट है। वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने जीवन बीमा के लिए 8.11 करोड़ रु तथा गैर जीवन बीमा के लिए 2.07 करोड़ रु का कमीशन अर्जित किया।

Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance-Life and Reliance General Insurance Company Ltd for Bancassurance Non-Life business. During the year 2009-10, Bank earned a commission of Rs. 8.11 Crores and Rs. 2.07 crore from Bancassurance-Life and Non-Life business respectively. .

31. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.



अनुसूची 18 — मुख्य लेखा नीतियां

Schedule 18 — PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य /GENERAL

- 1.1 वित्तीय विवरण, जैसा अन्यथा कथित किया गया है उसके सिवाय, 'लाभकारी कारबारवाली संस्था' की संकल्पना पर परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि. बैंक) के निदेशों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, प्रचलित पद्धतियों तथा सांविधिक उपबंधों के अनुरूप होते हैं ।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost basis, except as otherwise stated, and conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, the prevailing practices and statutory provisions including directives of Reserve Bank of India (RBI).

2. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

2.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किया जाता है ।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

- ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है ।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rate.

- iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है ।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

- iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है ।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

- v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं ।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

- vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है ।

Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI Rates and the resultant gain/loss is taken to revenue at the end of each month.

2.2. विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश-स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as Non-integral Operations. Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है ।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है ।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षिति में संचित किया जाता है ।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.



3. विनिधान / INVESTMENTS

- 3.1 भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विनिधानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश में समूहित किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further grouped into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

- 3.2 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत विनिधान को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहां लागत अंकित मूल्य से अधिक होता है वहां प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर आधार पर परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit & Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account. Loss on sale is charged to the Profit & Loss Account.

- (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत विनिधान को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। स्क्रिपवार मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन वर्गवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्ग से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्ग से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाता है। इन लिखतों को तुलन-पत्र में मूल्यहास को घटाकर दर्शाया जाता है। Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These instruments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- (iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत विनिधान को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। स्क्रिपवार मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन वर्गवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्ग से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्ग से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज़ किया जाता है। इन लिखतों को तुलन-पत्र में मूल्यहास को घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These instruments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- 3.3 उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी में शामिल ऐसी प्रतिभूतियों के मामले में, जहां ब्याज / मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है, आय की पहचान नहीं की जाती और वैसे विनिधान के मूल्य पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार समुचित प्रावधान किया जाता है।

In respect of securities, included in any of the above three categories where interest/ principal is in arrears for more than 90 days, income is not recognized and appropriate provision on the value of such Investments is made as per prudential norms.

- 3.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में विनिधान का मूल्यन रखाव लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

- 3.5 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट निवेश के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध दर से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार दर पर या फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के साथ संयुक्त रूप से प्राइमरी डीलर एसोसियेशन ऑफ इंडिया (पीडीआई) द्वारा घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 3.6 ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री प्रतिलाभ से अलग रखा जाता है।

Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

- 3.7 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन प्रतिभूति रसीद के प्रतिदेय मूल्य से निम्नतर और वित्तीय परिसंपत्तियों के शुद्ध बही मूल्य पर किया जाता है। विनिधान को उपर्युक्त रूप में यथानिर्धारित मूल्य पर बहियों में आगे ले जाया जाता है और विक्रय/वसूली को, यदि कोई हो, विनिधान से घटाया जाता है तथा शुद्ध बही मूल्य दर्शाया जाता है।

Security receipts issued by securitisation / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/ RC are valued at the lower of the redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale / realization if any, is reduced from Investment and the net book value is shown.



भा.रि.बैंक द्वारा विहित गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात विनिधान में विनिधान पर लागू मूल्य,वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में बैंक के विनिधान पर लागू होते हैं।

The value, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

4. ब्याज दर स्वाप \ **INTEREST RATE SWAPS**

- 4.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वाप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा शुद्ध मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation, if any, is provided for, whereas appreciation if any is ignored.

- 4.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वाप की संविदागत शेष अवधि से कम अथवा आस्ति या देनदारी की शेष अवधि में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

- 4.3 क्रय-विक्रय स्वाप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

- 4.4 क्रय-विक्रय स्वाप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तुरंत आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

5. विदेशी मुद्रा करार \ **FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS**

बकाया विदेशी मुद्रा करार का पुनर्मूल्यांकन फेडरल दर के आधार पर किया जाता है एवं उसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को राजस्व में प्रत्येक माह के अंत में किया लिया जाता है।

Outstanding foreign exchange contracts are revalued as per FEDAI rates and the resultant gain/loss is taken to revenue at the end of each month.

6. अग्रिम \ **ADVANCES**

- 6.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त / प्राप्य दावों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा प्रावधान को घटाने के बाद अग्रिम का उल्लेख किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI. Non-Performing advances in India are ascertained as per the Prudential Norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful' and 'Loss' assets after considering the claims Received/Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

- 6.2 विदेश स्थित शाखाओं के अग्रिमों के लिए स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, इनमें से जो भी अधिक हो, प्रावधान किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of local requirements or RBI guidelines whichever is higher.

- 6.3 मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान वैश्विक पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाता है।

A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis.

- 6.4 बैंक द्वारा मांग की गई एवं वाद-दायर की गई केंद्रीय सरकार की गारंटियों के मामलों में, जहां सरकार निराकरण नहीं करती है, देयराशियों को ठीक माना जाता है।

In respect of Central Government Guarantees invoked and suit filed by the bank, wherever the Government does not repudiate, the dues are considered good.

- 6.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realisation.

- 6.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला - दर - मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.



7. अचल आस्तियां \ **FIXED ASSETS**

7.1 अचल आस्तियों का निर्धारण परंपरागत लागत आधार पर / पुनर्मूल्यित राशि में से संचित मूल्यहास को घटाकर किया जाता है। पुनर्मूल्यन से प्राप्त अधिशेष को पुनर्मूल्यन आरक्षिति में जमा किया जाता है।

Fixed assets are stated at historical cost/revalued amount less accumulated depreciation. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 अचल आस्तियों के अभिग्रहण हेतु किए गए अग्रिम भुगतान / आंशिक भुगतान अन्य आस्तियों में शामिल किए जाते हैं।

Advance payments/part payments made towards acquisition of fixed assets are included under other Assets.

7.3 भारत में परिसर (अविभाज्य / अपृथक्कृत भूमि की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों पर (कंप्यूटर को छोड़कर) मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित दरों पर मूल्यहासित मूल्य पद्धति के अनुसार किया जाता है। भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार कंप्यूटरों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है। मूल्यहास का प्रावधान 30 सितंबर तक किए गए परिवर्धन के लिए पूरी दर पर तथा उसके बाद किए गए परिवर्धन के लिए आधी दर पर किया जाता है।

Depreciation on Premises (including cost of land wherever inseparable/not segregated) and other fixed assets (excluding computers) in India is provided on written down value method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956. Depreciation on computers is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method in terms of RBI guidelines. Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

7.4 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / मूल्यहासित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

7.5 पुनर्मूल्यन से प्राप्त अधिशेष राशि पर अतिरिक्त मूल्यहास का समंजन किया जाता है।

Additional depreciation arising out of revaluation is set off against Revaluation Reserve.

7.6 पट्टाधृत संपत्तियों की बाबत पट्टा प्रीमियम को पट्टे की अवधि तक परिशोधित किया जाता है।

In respect of leasehold properties, the lease premium is amortized over the period of the lease.

8. कर्मचारी हितलाभ \ **EMPLOYEE BENEFITS**

8.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ \ **Short Term Employee Benefits**

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में 12 माह की अवधि के दौरान कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा/जमा किया जाता है।

The short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid/credited in exchange for the services rendered by employees are recognised during the 12 month period when the employee renders the service.

8.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ \ **Long Term Employee Benefits**

सेवोपरांत हितलाभ \ Post Employment Benefits

आ/अ) निर्धारित अंशदान योजना \ **Defined Contribution Plan**

भविष्य निधि आदि जैसे निर्धारित अंशदान योजना में व्यय के साथ साथ लाभ-हानि लेखों में प्रभारित किए जाते हैं। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा निर्धारित ट्रस्ट को दिया जाता है।

Contribution to Defined Contribution Schemes such as Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

आ/ब) निर्धारित हितलाभ योजना / **Defined Benefit Plan**

क. बैंक द्वारा निर्धारित हितलाभ योजना के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना का परिचालन किया जाता है।

a. The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

ख. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एक मुश्त राशि/ एक बारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है- i) 3,50,000 रु की अधिकतम सीमा के साथ प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए ii) 15 दिनों का वेतन (मूल+डीए) अथवा iii) प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल वेतन), जो भी अधिक हो। 5 वर्ष/10 वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। स्वतंत्र बाहरी बीमांकिक द्वारा नियमित अंतराल पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर बैंक संबंधित निधि में वार्षिक अंशदान करता है जो ट्रस्ट द्वारा प्रशासित है।

b. The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum/one time payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to ii) 15 days salary (Basic+DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.3,50,000 or ii) 15 days



salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years/ ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

- ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि नियमन में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में किया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रति माह की दर से अंशदान के अलावा स्वतंत्र बाहरी बीमांकिक द्वारा नियमित अंतराल पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर बैंक संबंधित निधि में वार्षिक अंशदान करता है जो ट्रस्ट द्वारा प्रशासित है।
- c. The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.
- घ. निर्धारित प्रसुविधा प्रदान करने की लागत का आकलन बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है। साधारणतया यह आकलन तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं कर तत्काल लाभ-हानि लेख में पहचान की जाती है।
- d. The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out at each balance sheet date. Net liabilities are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/सी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधा \ Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी कर्मचारी समंजित छुट्टी एवं छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र हैं। इस प्रकार के बैंक द्वारा दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. अन्य निर्धारित हितलाभ प्रदान करने की लागत का आकलन बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है। साधारणतया यह आकलन तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पिछली सेवा लागत आस्थगित नहीं कर तत्काल लाभ-हानि लेख में पहचान की जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/सी. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा निवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है। सेवा निवृत्ति के साथ साथ सेवारत निदेशकों के लिए भी यह आकलन तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि लेख में पहचान की जाती है और इसे आस्थगित नहीं-रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out at balance sheet date for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

एस-15 कर्मचारी लाभ (संशोधित 2005) के सीमित संशोधन तथा उस पर मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने संक्रमणकालीन देयता में वृद्धि को इस देयता की तुलना में परिशोधित करने का निश्चय किया है जो दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ यथा पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण, बीमारी अवकाश, एलटीसी/एलएफसी आदि से संबंधित 31.03.2007 को संशोधनपूर्व एस-15 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से सीधी रेखा आधार पर 5 वर्षों तक व्यय के कारण होने वाली थी।

In terms of Limited Revision to AS-15 Employee Benefits (Revised 2005) and guidance note thereon, the Bank has decided to amortise the increase in transitional liability over the liability that could have been recognised as per the pre revised AS-15 as on 31.03.2007 in respect of long term employee benefits like Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, etc., as an expense on a straight-line basis over 5 years from financial year 2007-08.

9. राजस्व की पहचान \ REVENUE RECOGNITION

9.1 अन्यथा कथित के सिवाय आय एवं व्यय की मदों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

Items of Income and Expenditure are accounted for on accrual basis, except as otherwise stated.

9.2 निम्नलिखित मदों के लिए आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है :

Income for the following items are recognised on realisation basis:



क/अ) भा.रि.बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक आस्तियों से आय। \ Income from non-performing assets in terms of RBI guidelines.
ख/ब) जारी किए गए साख-पत्र और गारंटियों पर अर्जित कमीशन। \ Commission earned on Letter of Credit and Guarantees issued.

10. आय पर कर \ TAXES ON INCOME

चालू कर का निर्धारण वर्ष की कर योग्य आय की बाबत देय कर की राशि पर किया जाता है और तदनुसार न्यूनतम विकल्पी कर सहित कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income for the year and accordingly provision for tax is made including Minimum Alternate Tax (MAT).

अधिसूचित लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार आस्थगित कर आस्ति या देयता की पहचान तुलन-पत्र की तारीख तक प्रदर्शित या तत्त्वतः प्रदर्शित कर की दरों का प्रयोग करके की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों देनदारियों की समीक्षा वर्ष के दौरान हुई गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है।

The deferred tax asset or liability is recognised using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date, in terms of notified Accounting Standard 22. Deferred Tax Assets/Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

11. आस्तियों की अनर्जकता \ IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तनों के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं भी हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु अस्थिर आस्तियों की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग में लाई गई आस्तियों की वसूली योग्यता किसी आस्ति की रख-रखाव राशि के साथ आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी शुद्ध बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना कर आंकी जाती है। ऐसी आस्तियों को अनर्जक होना माने जाने पर पहचान की जानेवाली अनर्जकता आस्ति के उचित मूल्य से अधिक हुए आस्ति के रख-रखाव मूल्य की राशि से आंकी जाती है।

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

12. प्रति शेयर आय \ EARNINGS PER SHARE

बैंक एस 20 – 'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर से मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात शुद्ध लाभ तथा अधिमान शेयरों पर लाभांश में वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग दे कर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

प्रति शेयर अर्जन में कमी इस संभाव्यता को प्रकट कराती है कि यदि वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु प्रतिभूतियाँ या अन्य संविदाएँ की जाती या परिवर्तित की जाती तो प्रति शेयर अर्जन में कमी होती। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

एस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभों को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण वित्तीय विवरणों में नहीं किया जाता क्योंकि इसके फलस्वरूप उस राशि का निर्धारण होगा जिसे कभी भी वसूला नहीं जा सकता।

Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realised.



लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट AUDITORS' REPORT

भारत के राष्ट्रपति को
To
The President of India,

- हमने यूको बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2010 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसके साथ उपाबद्ध उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे की लेखापरीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं नियंत्रक कार्यालयों, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1679 शाखाओं (4 सेवा शाखाओं सहित) और विदेशी स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 विदेश स्थित शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। बैंक ने हमारे द्वारा एवं अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे में ऐसी 447 शाखाओं (14 सेवा शाखाओं सहित) एवं 2 विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालय की विवरणियां भी शामिल हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

We have audited the attached Balance Sheet of UCO Bank as on 31st March, 2010 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of 20 branches and the controlling offices audited by us, 1679 branches (including 4 Service Branches) audited by other auditors and 4 foreign branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also, incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 447 branches (including 14 Service Branches) and 2 overseas representative office which have not been subjected to audit.

इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं की भागीदारी अग्रिम में 1.00%, जमा राशि में 3.92%, ब्याज आय में 0.84 % एवं ब्याज व्यय में 3.37 % है।

These unaudited branches account for 1.00% of Advances, 3.92% of Deposits, 0.84% of Interest Income and 3.37% of Interest Expenses. हमने दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखापरीक्षा की है।

We have also audited the Cash Flow Statement annexed to the Balance Sheet for the year ended 31st March, 2010.

इन वित्तीय विवरणों का दायित्व बैंक के प्रबंधन पर है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देनी है। These financial statements are the responsibility of the bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा को योजनाबद्ध रूप से इस प्रकार संपन्न करें कि हम युक्तिसंगत रूप से आश्वस्त हो सकें कि वित्तीय विवरण तात्त्विक गलत सूचना से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशि एवं प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच नमूना आधार पर किया जाना शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा संबंधी सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण करना और समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय का युक्तियुक्त आधार सन्निहित है।

We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म 'ए' एवं 'बी' में क्रमशः तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा प्रस्तुत किए गए हैं। The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की अपेक्षा के अनुसार एवं उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि -

Subject to limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject to the limitation of disclosures required therein, we report that :

- हम अंतर-बैंक लेन-देन संबंधी बकाया प्रविष्टियों के समाधान तथा उनके समायोजन के कारण लेखों पर पड़नेवाले प्रभाव के संबंध में अपनी राय देने में असमर्थ हैं। (देखें अनुसूची-17 की टिप्पणी संख्या 1)

we are unable to express an opinion on the effect on the accounts which may arise on reconciliation and adjustment of outstanding entries in inter-branch transactions (refer to Note No. 1 of Schedule 17).

- नकदी आधार पर कतिपय आय का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'राजस्व की पहचान' से संबंधित लेखा-मानक 9 के अनुसार नहीं किया गया है (देखें अनुसूची 18 की लेखा नीति संख्या 9.2 (ख))। ऐसी आय की प्रमात्रा निश्चित नहीं की जा सकी है।

accounting of certain income on cash basis which is not in accordance with Accounting Standard 9 on 'Revenue Recognition' issued by The Institute of Chartered Accountants of India (refer to Accounting Policy No. 9.2(b) of Schedule 18). The quantum of such income has not been ascertained.

- हम निम्न की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे- \ Attention is drawn to क्रेडिट लिंक्ड नोट(सीएलएन) को वित्तीय लिखत के स्थान पर ऋण एवं अग्रिम के रूप में वर्गीकृत करना। (देखें अनुसूची-17 की टिप्पणी संख्या 5)

Classification of Credit Linked Notes (CLN) as Loans and Advances instead of Investments (Refer Note No. 5 of Schedule -17)



- (iv) अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 14(1.1) में यथाउल्लिखित पूंजी पर्याप्तता और अन्य अनुपात उपर्युक्त पैरा (i) से (iii) तक की गई टिप्पणी के प्रभाव के अधधीन हैं।

Capital Adequacy and Other Ratios disclosed in Note No. 14 (1.1) of Schedule 17 are subject to the effects of the observations in para (i) to (iii) above.

5. अनुसूची 17 एवं 18 के अनुसार क्रमशः लेखे के संबंध में टिप्पणी एवं मुख्य लेखा नीतियों के साथ पठित उपर्युक्त पैरा 4 (i) से (iv) में उल्लिखित हमारी टिप्पणी के अधधीन हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

Subject to our observations in Para 4 (i) to (iv) above and read with Notes on Accounts and Principal Accounting Policies as per Schedules 17 and 18 respectively, we further report that :

- क) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए तथा बैंक की बहियों में दर्शाए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण उपर्युक्त पैरा 4(ii) में उल्लिखित कमियों को छोड़कर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुरूप हैं तथा :

- a) in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank, the financial statements are in conformity with the accounting principles generally accepted in India except to the extent stated in Para 4 (ii) above and :

- (i) तुलन पत्र एक पूर्ण एवं सुस्पष्ट तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण अंतर्विष्ट हैं और उसे समुचित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वह 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्य की सही और सुस्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है;

The Balance Sheet, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on 31st March, 2010;

- (ii) लाभ-हानि लेखा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का सही लाभ शेष प्रदर्शित करता है; और
the Profit and Loss Account, shows a true balance of Profit for the year ended on that date; and

- (iii) नकदी प्रवाह विवरण संबंधित वर्ष में नकदी प्रवाह की सही एवं सुस्पष्ट स्थिति दर्शाते हैं।
the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year.

- ख) हमने ऐसी सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

- b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

- ग) हमारी जानकारी में आए बैंक के सभी संव्यवहार बैंक की शक्तियों के भीतर हैं।

- c) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

- घ) बैंक की शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों तथा विदेश स्थित कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।

- d) The returns received from the Branches/ Controlling and Overseas offices of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

कृते ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 002744C
For A.R. & CO.
Chartered Accountants
Registration No 002744C

(सनदी लेखाकार प्रबुद्ध गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 400189
(CA PRABUDDHA GUPTA)
Partner
Membership No. 400189

कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000397N
For GOEL GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No 000397N
(सनदी लेखाकार अशोक कुमार अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 084600
(CA ASHOK KUMAR AGARWAL)
Partner
Membership No. 084600

कृते चैटर्जी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 302114E
For CHATTERJEE & CO.
Chartered Accountants
Registration No 302114E
(सनदी लेखाकार एस. के. चैटर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 03124
(CA S.K.CHATTERJEE)
Partner
Membership No. 03124

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001113N
For BANSAL & CO.
Chartered Accountants
Registration No 001113N
(सनदी लेखाकार आर. सी. पांडेय)
भागीदार
सदस्यता सं. 070811
(CA R.C.PANDEY)
Partner
Membership No. 070811

कृते डी. आर. महनोट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001388C
For D. R. MOHNOT & CO.
Chartered Accountants
Registration No 001388C
(सनदी लेखाकार विपिन कानूनगो)
भागीदार
सदस्यता सं. 072716
(CA VIPIN KANOONGO)
Partner
Membership No. 072716

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 301178E
For KOTHARI & CO.
Chartered Accountants
Registration No 301178E
(सनदी लेखाकार मनस्वी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता सं. 64601
(CA MANASWY KOTHARI)
Partner
Membership No. 64601



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010.

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
	रु.	रु.
	Rs.	Rs.
अ. परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह:		
A. Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	10491859	5703458
समायोजन /Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण हेतु / Depreciation on fixed assets	741876	836108
निवेश पर अवक्षयण हेतु / Depreciation on investments	882900	41200
अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने/ अनर्जक आस्तियों की बाबत प्रावधान हेतु Bad debts written off/ Provision in respect of non-performing assets	3538000	2690200
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु/Provision for Standard Assets	61800	135100
अन्य मदों के लिए प्रावधान हेतु/ Provision for other items	2081764	3446000
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि हेतु /(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(11110)	(549)
गौण उधार पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान हेतु (इसे अलग रखा गया) Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately)	1428731	1083779
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश हेतु (इसे अलग रखा गया) Dividend received from subsidiaries/others(treated separately)	(57088)	(50879)
टीयर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest received from Tier-II Bonds(treated separately)	(247380)	(186630)
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on IPDI (treated separately)	357550	356814
अपर टियर-2 उधार लिखतों पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments(treated separately)	942227	1022092
उप-योग /Sub-total	20221129	15076693
घटाएं : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	(2154300)	(760200)
	18066829	14316493
समायोजन : / Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(142249430)	(51392682)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(140544689)	(139909909)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	(5762082)	(2276683)
उधार में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(1735762)	3464673
जमा में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	221939840	203126239
अन्य देनदारी एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी) हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	9673338	(2322453)
परिचालन क्रियाकलाप से निवल नकदी प्रवाह (अ)		
Net cash flow from operating activities (A)	(40611956)	25005678



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010. (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010	31.03.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009
	रु.	Rs.
आ. निवेश क्रियाकलाप से नकदी प्रवाह:		
B. Cash flow from investing activities :		
अचल अस्तियों की खरीद / Purchase of fixed assets	(810287)	(879954)
अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान / Sale/disposal of fixed assets	61839	45913
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश / Dividend received from subsidiaries/others	57088	50879
टियर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज / Interest received from Tier-II Bonds	247380	186630
निवेश कार्यकलाप से निवल नकदी प्रवाह (आ)		
Net cash flow from investing activities (B)	(443980)	(596532)
इ. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
C. Cash flow from financing activities :		
पीएनसीपीएस के निर्गम से प्राप्त राशि/Proceeds from issue of PNCPs	4500000	4500000
अपर टियर-2 ऋण लिखतों के निर्गम से प्राप्त राशि		
Proceeds from issue of Upper Tier-2 Debt Instruments	5000000	0
प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	(704556)	(935211)
गौण ऋण (निवल) से प्राप्त राशि/Proceeds from Subordinated Debts (Net)	8000000	1250000
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on IPDI	(357550)	(356814)
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	(942227)	(1022092)
गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts	(1428731)	(1083779)
वित्तपोषण कार्यकलाप से निवल नकदी प्रवाह (इ)		
Net cash flow from financing activities (C)	14066936	2352104
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+ इ)		
Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)	(26989000)	26761250
विदेशी मुद्रा के घट-बढ़ के लिए समायोजन		
Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation	(502145)	737990
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि		
Net increase in cash & cash equivalents	(27491145)	27499240
क्रमशः 1 अप्रैल 2009 और 2008 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
Cash and cash equivalents as at April 1,2009 & 2008 respectively	108534453	81035213
क्रमशः 31 मार्च 2010 और 2009 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
Cash and cash equivalents as at March 31,2010 & 2009 respectively	81043308	108534453
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	1856543	2128919
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियां/Balance with Reserve Bank of India	64032002	63690242
बैंकों में जमा राशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	42645908	15216052
	108534453	81035213
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	2355086	1856543
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियां/ Balance with Reserve Bank of India	70072208	64032002
बैंकों में जमा राशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	8616014	42645908
	81043308	108534453



बासेल-II प्रकटीकरण/BASEL-II DISCLOSURES

तालिका डीएफ -2

TABLE DF-2

पूँजी संरचना
Capital Structure

गुणात्मक प्रकटीकरण
Qualitative Disclosures

(क) सभी पूँजी लिखतों की सूचना, संक्षेप में

(a) Summary information of all Capital instruments

1. टियर -1 पूँजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)

Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) eligible for inclusion in Tier-1 Capital

बैंक ने दिनांक 22.12.2008 के प्रभाव से भारत सरकार की 599.36 करोड़ रु. की कुल ईक्विटी धारिता में से 250.00 करोड़ रु. को 250.00 करोड़ रु. के बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) में संपरिवर्तित कर अपनी पूँजी की पुनर्संरचना की है। बेमीयादी प्रकृति के इन बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयरों (पीएनसीपीएस) का, जिनमें रेपो दर पर निर्धारित वार्षिक अस्थिर कूपन जोड़ 100 आधार अंक का स्प्रेड है, पुनर्निर्धारण सुसंगत तारीख को प्रचलित रेपो दर पर वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

The Bank restructured its Capital by converting Rs.250.00 crore out of Govt. of India's (GOI) total Equity holding of Rs.599.36 crore into PNCPS of Rs.250.00 crore w.e.f. 22.12.2008. These PNCPSs are in perpetual nature carrying an annual floating coupon benchmarked to Repo rate plus spread of 100 bps which will be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date.

इसके अतिरिक्त भारत सरकार, बैंक का पूँजी आधार सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान बैंक के नवोन्मेषी टियर-1 पूँजी लिखतों में करीब 1200.00 करोड़ रु. की राशि का अभिदान 450.00 करोड़ रु. और 750.00 करोड़ रु. की दो किस्तों में करने के लिए राजी हो गया है। तदनुसार बैंक ने दिनांक 30.03.2009 को 450.00 करोड़ रु. प्राप्त किए एवं 31.3.2010 को 450.00 करोड़ रु. (द्वितीय ट्रांच के 750.00 करोड़ रु. में से) और उसने भारत सरकार को बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) अबंटित किए। बेमीयादी प्रकृति के इन लिखतों का, जिनमें रेपो दर पर निर्धारित वार्षिक अस्थिर कूपन जोड़ 100 आधार अंक का स्प्रेड है, पुनर्निर्धारण सुसंगत तारीख को प्रचलित रेपो दर पर वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

GOI further agreed to subscribe a sum of around Rs.1200.00 crore in innovative Tier-1 Capital instruments of the Bank in two tranches of Rs.450.00 crore and Rs.750.00 crore during the years 2008-09 and 2009-10 to strengthen the Bank's Capital Base. Accordingly Bank has received Rs.450.00 crore on 30.3.2009 and Rs. 450.00 Crores (out of Rs. 750.00 crore of the second tranche) on 31.3.2010 and allotted PNCPS to GOI. These instruments are perpetual in nature and carry an annual floating coupon benchmarked to Repo rate plus spread of 100 bps which will be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date.

2. टियर -1 पूँजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत

Innovative Perpetual Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital

बैंक की पूँजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने तथा दीर्घावधि संसाधन में वृद्धि करने हेतु टियर-1 पूँजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने अब तक 380.00 करोड़ रुपये के वचन-पत्र की प्रकृति के अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय गौण बेमीयादी बांड जारी किए। बांडों को अमूर्त रूप में जारी किया गया और उनका श्रेणी-निर्धारण दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया गया, जो इस समय 'एए-' एवं एए स्थिर श्रेणी में रखे गए हैं। प्रति बांड अंकित मूल्य तथा निर्गम मूल्य 10,00,000/- रुपये है तथा इसके लिए न्यूनतम एक बांड और उसके बाद एक बांड के गुणजों में आवेदन किया जाना था। इसमें कोई विक्रय विकल्प नहीं था। परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से आबंटन की मान्य तारीख से 10वें वर्ष के अन्त में सममूल्य पर क्रय विकल्प है तथा आबंटन की मान्य तारीख से 10वें वर्ष के अंत में यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो 10 वर्ष के बाद स्टेप-अप कूपन का विकल्प है। भा.रि. बैंक के मानदंडों के अधधीन ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाना है। इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट में सूचीबद्ध किया गया है।

The Bank has so far raised Unsecured Non-Convertible Subordinated Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of Rs. 380.00 crores for augmenting the Tier-1 Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long-term resources of the Bank. The Bonds were issued in Dematerialized Form and rated by two rating agencies and presently carry 'AA-' and 'AA' stable. Face Value and Issue Price per bond is Rs.10,00,000/- and minimum application size was one bond and in multiples of



one bond thereafter. There was no put option, but call option is there at par at the end of 10th year from the deemed dates of allotment with the prior approval of RBI and step up coupon after ten years if call option is not exercised at the end of 10th year from the deemed date of allotment. The interest is to be paid semi-annually subject to RBI norms. These are listed on the Wholesale Debt Market (WDM) segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE).

3. टियर - 2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र गौण अपर टियर-2 ऋण लिखत

Subordinated Upper Tier-2 Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-2 Capital

बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने तथा दीर्घावधि संसाधन में वृद्धि करने हेतु टियर -2 पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने अब तक 1,620.00 करोड़ रुपये के वचन-पत्र की प्रकृति के अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण अपर टियर -2 बांड जारी किए हैं। इन बांडों को अमूर्त रूप में जारी किया गया और हाल ही में उनका श्रेणी-निर्धारण दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया गया, जो इस समय 'एए'-स्थिर एवं 'एलएए' श्रेणी में रखे गए हैं। प्रति बांड अंकित मूल्य तथा निर्गम मूल्य 10,00,000/- रुपये है तथा इसके लिए न्यूनतम एक बांड और उसके बाद एक बांड के गुणजों में आवेदन किया जाना था। इसमें कोई विक्रय विकल्प नहीं था, परंतु आबंटन की मान्य तारीख से 10वें वर्ष के अन्त में सममूल्य पर क्रय विकल्प है। ब्याज का भुगतान भा.रि. बैंक के मानदंडों के अधीन अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाना है। पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ अपर टियर-2 लिखत क्रमिक रूप से भुनाए जाने के अध्वधीन हैं, क्योंकि वे दीर्घकालीन गौण ऋण की ही भाँति परिपक्वता अवधि के अंतिम पाँच वर्षों में परिपक्व होते हैं। इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट में सूचीबद्ध किया गया है।

The Bank has so far raised Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-2 Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of Rs.1,620.00 crore for augmenting the Tier-2 Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The Bonds were issued in Dematerialized Form and recently rated by two rating agencies and presently carry 'AA' stable and 'LAA-' Face Value and Issue Price per bond is Rs.10,00,000/- and minimum application size was one bond and in multiples of one bond thereafter. There was no put option, but call option is there at par at end of 10th year from the deemed date of allotment. The interest is to be paid semi-annually subject to RBI norms. The Upper Tier-2 instruments are subjected to progressive discount for capital adequacy purposes as they approach maturity as in the case of long term subordinated debt over the last five years of their tenor. These are listed on the Wholesale Debt Market (WDM) segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE).

4. टियर-2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र गौण (लोवर टियर-2) ऋण लिखत :

Subordinated (Lower Tier-2) Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-2 Capital

बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने तथा दीर्घावधि संसाधन में वृद्धि करने हेतु टियर -2 पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने अब तक 2825.15 करोड़ रुपये के वचन-पत्र की प्रकृति के अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण टियर -2 बांड जारी किए हैं। कुल 450.15 करोड़ रु. की प्रथम तीन श्रृंखलाओं का प्रतिदान कर दिया गया है (150.15 करोड़ रु. की श्रृंखला I का दिनांक 30.06.2006 को, 150.00 करोड़ रु. की श्रृंखला II का दिनांक 7.4.2007 को और 150.00 करोड़ रु. की श्रृंखला III का दिनांक 8.5.2008 को प्रतिदान किया गया)। वकाया बांड केवल अमूर्त रूप में हैं। इन गौण बांडों श्रेणी निर्धारण दो श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किया गया और वे इस समय 'एए' +स्थिर एवं 'एल एए' श्रेणी में हैं। अन्य एक निर्धारक एजेंसी ने उन्हें 'एए'+स्थिर एवं 'एलएए' श्रेणी दी है। इसमें कोई विक्रय और क्रय विकल्प नहीं था। वकाया प्रथम तीन श्रृंखलाओं के मामले में ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर तथा शेष श्रृंखलाओं के लिए ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाना है। इनकी परिपक्वता निर्धारित होती है और जैसे ही वे परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं उनमें उत्तरांतर छूट मिलती है। पाँच वर्ष से कम की प्रारंभिक परिपक्वतावाले या एक वर्ष की बाकी परिपक्वतावाले लिखतों को टियर-2 पूंजी के अंश के रूप में शामिल नहीं किया जाना है। इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट में सूचीबद्ध किया गया है।

The Bank has so far raised Unsecured Non-Convertible Subordinated Tier-2 Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of Rs. 2825.15 crores for augmenting the Tier-2 Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The first three series aggregating Rs.450.15 have already been redeemed (Rs.150.15 crore Series I redeemed on 30.6.2006, Rs.150.00 crore Series-II redeemed on 7.4.2007 and Rs.150.00 crore Series-III redeemed on 8.5.2008 respectively). The outstanding bonds are in Dematerialized Form only. These subordinated bonds were rated by two rating agencies and presently carry 'AA+' Stable and 'LAA' rating. There was no put option and no call option. The interest is to be paid on annual basis in case of first three series outstanding and for the remaining series interest is to be paid semi-annually. These carry fixed maturity and as they approach maturity they are subjected to progressive discount. Instruments with an initial maturity of less than five years or with a remaining maturity of one year are not to be included as part of Tier-2 Capital. These are listed on the Wholesale Debt Market (WDM) segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE).



प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

(ख/b)	टियर I पूंजी / Tier-1 Capital	5011.85
	उनमें से / Of which -	
	प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	549.36
	आरक्षित निधि / Reserves :	
	शेयर प्रीमियम /Share Premium	40.00
	पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserve	277.26
	सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserve	944.13
	सामान्य आरक्षित निधि / General Reserve	399.73
	प्रतिधारित अधिशेष / Surplus Retained	1271.37
	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत /Innovative Perpetual Debt Instruments	380.00
	बेमीयादी अंसचयी अधिमानी शेयर/Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	1150.00
	टियर-I पूंजी से कटौती की गई राशि, जिसमें साख एवं निवेश शामिल है	
	Amounts deducted from Tier-I Capital including Goodwill & Investment	शून्य/Nil
(ग)	टियर-2 पूंजी की कुल राशि (टियर-2 पूंजी से कटौती किए जाने के बाद बची राशि)	
(c)	The total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier-2 Capital)	4375.99
(घ)	ऋण पूंजीगत लिखत जो अपर टियर-2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र है	
(d)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital :	
	कुल बकाया राशि	
	Total amount outstanding	1620.00
	जिनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि	
	Of which amount raised during the current year	500.00
	पूंजीगत निधि के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	
	Amount eligible to be reckoned as Capital Funds	1620.00
(ङ)	गौण ऋण जो लोअर टियर-2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र हैं	
(e)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital :	
	कुल बकाया राशि/Total amount outstanding	2375.00
	जिनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि	
	Of which amount raised during the current year	800.00
	वर्ष के दौरान प्रतिदत्त राशि/Redeemed during the year	0.00
	पूंजीगत निधि के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	
	Amount eligible to be reckoned as Capital Funds	2205.00
(च)	पूंजी से अन्य कटौतियां, यदि कोई हों	
(f)	Other deductions from Capital, if any	शून्य/Nil
(छ)	कुल पात्र पूंजी	
(g)	Total eligible Capital	9387.84



तालिका डी एफ -3

TABLE DF-3

पूंजी पर्याप्तता

Capital Adequacy

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure

(करोड़ रु. में/Rupees in crore)

- (क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है।
- (a) Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosure:

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता: मानक दृष्टिकोण के अधधीन पोर्टफोलियो	
(b) Capital requirements for Credit Risk : Portfolio subject to Standardized Approach	5387.16
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
Securitisation Exposures	Nil
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता: मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	
ईक्विटी जोखिम	
(c) Capital requirements for Market Risk :	665.21
Standardized Duration Approach	528.29
Interest Rate Risk	2.25
Foreign Exchange Risk (including Gold)	134.67
Equity Risk	
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता: बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	
(d) Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach	343.11
(ङ) योग तथा टियर -1 पूंजी अनुपात	
(e) Total and Tier-1 Capital Ratio	13.21%
	7.05%
सर्वोच्च समेकित समूह के लिए / For the top consolidated group	लागू नहीं / Not Applicable
उल्लेखनीय बैंक सहायक कंपनियों के लिए (अपने आप में स्थित या	
ढांचा जिस प्रकार लागू होता है उसके आधार पर उप-समेकित)	लागू नहीं
For significant bank subsidiaries(stand alone or	
sub-consolidated depending on how the	
Framework is applied)	Not Applicable



तालिका डीएफ -4

TABLE DF-4

ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण Credit Risk : General Disclosures for All Banks

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure :

1) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose) :

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है -

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where

- (i) मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है ।
Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- (ii) ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण के मामले में नीचे में दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'अनियमित' रहता है ।
The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- (iii) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है ।
The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- (iv) अत्यावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों की कटाई के समय तक बकाया रहता है ।
The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- (v) दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल की कटाई के समय तक बकाया रहता है ।
The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब / An account is considered out of order when -

- i. बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है,
The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.
- ii. बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है ।
The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

2) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

Bank's Credit Risk Management Policy :

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं -

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompass the following :

- i) ऋण जोखिम अधिग्रहण - कार्यनीति एवं नीतियां
Credit Risk acquisition - strategies & policies
- ii) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
Credit approval processes
- iii) ऋण जोखिम प्रक्रिया
Credit risk monitoring processes
- iv) ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया
Credit Risk control processes



ऋण जोखिम के प्रबंध हेतु समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम के विश्लेषण, निगरानी तथा नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है।

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा को लागू कराने और उसके अनुपालन की मानीटरिंग करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से भिन्न है।

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

ऋण जोखिम का मूल्यांकन ऋण खातों के श्रेणी-निर्धारण के माध्यम से किया जाता है। बैंक में 25 लाख रु. से अधिक के एक्सपोजरवाले सभी खातों के श्रेणी-निर्धारण के लिए (योजनागत ऋणादान के अधीन को छोड़कर) एक पद्धति विद्यमान है। बैंक श्रेणी-निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी-निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरों का निर्धारण स्थापित श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की चूक दरों के साथ भी किया जाता है।

Assessment of Credit Risk is done through rating of credit accounts. The bank has a system of rating all accounts (excepting those under schematic lending) having exposure of above Rs.25 lacs. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies.

बैंक, जहां कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपाश्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहयोग करते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने व्यक्ति एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से पात्र खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosure:

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non-Fund Based
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर		
(a) Total Gross Credit Exposure	83371.48	13539.61
(ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
(b) Geographical Distribution of Exposures –		
विदेशी / Overseas	5803.22	639.63
देशी / Domestic	77568.26	12899.98



(ग) ऋणों का उद्योगवार संवितरण

(c) Industry type distribution of exposures

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

उद्योग कोड	उद्योग का नाम	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	कुल
Industry Code	Industry Name	Fund based Exposure	Non-Fund based Exposure	Total
1	कोयला /Coal	59.50	29.27	88.76
2	खदान /Mining	182.62	42.08	224.70
3	लोहा एवं इस्पात /Iron and Steel	5452.46	857.21	6309.67
4	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद /Other Metal & Metal Products	597.75	167.83	765.58
5	सभी इंजीनियरिंग कार्य /All Engineering	2095.05	678.76	2773.81
5.1	इनमें से इलेक्ट्रॉनिक /Of which Electronic	1221.83	60.81	1282.64
6	विद्युत /Electricity	2645.38	334.46	2979.84
7	सूती वस्त्र /Cotton Textiles	1323.15	1249.31	2572.46
8	जूट वस्त्र /Jute Textiles	12.93	3.24	16.17
9	अन्य वस्त्र /Other Textiles	1059.99	42.43	1102.42
10	चीनी /Sugar	296.15	2.91	299.07
11	चाय /Tea	72.64	71.02	143.67
12	खाद्य प्रसंस्करण/Food Processing	849.82	253.02	1102.84
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति/Vegetable Oils and Vanaspati	107.78	51.30	159.08
14	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद/Tobacco and Tobacco Products	16.56	0.09	16.65
15	कागज एवं कागज उत्पाद/Paper and Paper Products	250.64	176.36	427.00
16	रबड़ एवं रबड़ उत्पाद/Rubber and Rubber Products	211.62	31.16	242.78
17	रसायन, डाइज, पेंट्स आदि/Chemicals,Dyes,Paints,etc.	2701.09	510.58	3211.67
17.1	इनमें से उर्वरक/Of which Fertilisers	51.13	16.59	67.71
17.2	इनमें से पेट्रो रसायन/Of which Petro-Chemicals	16.10	24.75	40.86
17.3	इनमें से औषध एवं फर्मास्यूटिकल्स/ Of which Drugs and Pharmaceuticals	758.11	46.43	804.54
18	सीमेंट/Cement	827.87	126.21	954.09
19	चर्म एवं चर्म उत्पाद/Leather and Leather Products	85.52	647.06	732.58
20	रत्न एवं जवाहरात/Gems and Jewellery	353.56	574.39	927.95
21	विनिर्माण /Construction	1663.71	820.63	2484.34
22	पेट्रोलियम/Petroleum	1282.77	83.41	1366.18
23	ऑटोमोबाइल, ट्रक सहित/Automobiles including Trucks	386.56	493.96	880.51
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/Computer Software	3.99	115.00	118.99
25	बुनियादी सुविधाएं/Infrastructure	11715.06	2178.49	13893.55
25.1	इनमें से बिजली/Of which Power	7675.44	117.22	7792.66
25.2	इनमें से दूरसंचार/Of which Telecommunications	1580.85	380.91	1961.76
25.3	इनमें से सड़क एवं बंदरगाह/Of which Roads and Ports	1456.56	988.72	2445.28
26	अन्य उद्योग /Other Industries	3570.00	1233.34	4803.35
27	एनबीएफसी एवं क्रय-विक्रय/NBFCs & Trading	5865.09	920.21	6785.30
28	सकल अग्रिमों को संतुलित करने हेतु अवशेष अग्रिम Residual Advances to balance Gross Advances	33878.99	1206.25	35085.24
	योग / TOTAL	77568.26	12899.98	90468.24



(घ)(d) आस्तियों की अवशेष संविदात्मक परिपक्वता की समाप्ति / Residual contractual maturity breakdown of assets

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 28 दिन तक 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक Over 3 months upto 6 months	6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक Over 6 months upto 1 year	1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक Over 1 year upto 3 years	3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक Over 3 years upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग Total
जमा / Deposits	408.86	2,465.15	3,151.40	4,239.22	17,826.82	16,951.35	35,318.54	12,481.48	1,488.81	28,083.92	122,415.55
अग्रिम (शुद्ध) Advances (Net)	1,153.73	1,375.28	1,507.52	1,821.33	4,717.96	4,173.42	6,127.02	11,241.43	10,393.64	39,993.21	82,504.54
निवेश (शुद्ध) Investments (Net)	331.69	1,561.48	1,979.16	1,837.29	4,443.14	6,470.97	10,507.79	3,857.63	5,511.08	7,021.20	43,521.43
ऋण (शुद्ध) Borrowings (Net)	790.74	-	-	-	-	235.90	230.70	528.10	632.89	3,845.51	6,263.84
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	581.55	237.35	199.57	327.79	1,577.22	949.93	1,187.49	1,469.56	990.96	421.91	7,943.33
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	205.94	230.40	274.16	543.84	1,445.60	1,263.27	516.92	1,836.54	352.33	1,293.53	7,962.53

(ङ) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)

(e) Amount of NPAs (Gross)	1666.43
अव मानक/Sub-standard	698.69
संदिग्ध 1/Doubtful-1	254.94
संदिग्ध 2/Doubtful-2	515.97
संदिग्ध 3/Doubtful-3	116.80
हानि/Loss	80.03

(च) कुल अनर्जक आस्तियां

(f) Net NPAs 966.28

(छ) अनर्जक आस्ति का अनुपात

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

(g) NPA Ratios

सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां / Gross NPAs to Gross Advances 1.99%

निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां /Net NPAs to Net advances 1.17%

(ज) अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ (सकल)

(h) Movement of NPAs (Gross)

अथ शेष/Opening Balance 1539.51

वृद्धि/Additions 1109.03

कटौती/Deductions 982.11

इति शेष/Closing Balance 1666.43

(झ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान की घट-बढ़

(i) Movement of Provisions for NPAs

अथ शेष / Opening Balance 704.39

इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान (प्रतिलेखन को घटाकर)

Provisions made during the period (net of write back) 353.80

बटटे खाते डालना/Write-off 370.83

किए गए अधिक प्रावधान को प्रतिलेखित करना/Write back of excess provisions -

इति शेष/ Closing balance 687.36

(ज) गैर-निष्पादक निवेश की राशि

(j) Amount of Non-performing investments

13.09

(ट) गैर-निष्पादक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि

(k) Amount of provisions held for non-performing investments

13.09

(ठ) निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान की घट-बढ़

(l) Movement of Provisions for Depreciation of investments

अथ शेष / Opening Balance 127.40

इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान /Provisions made during the period 168.95

बटटे खाते डालना/Write-off 37.26

अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिलेखित करना/Write back of excess provisions 80.66

इति शेष/Closing balance 178.43



तालिका डीएफ -5

TABLE DF-5

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभाग का प्रकटीकरण Credit Risk : Disclosures for Portfolio subject to the Standardised Approach

गुणात्मक प्रकटीकरण /Qualitative disclosures:

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भारिता हेतु किया जाता है :

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) सीएआरई/CARE
- 2) सीआरआईएसआईएल/CRISIL
- 3) एफआईटीसीएच/FITCH
- 4) आईसीआरए/ICRA

(वर्णक्रम से सूचीबद्ध/Listed in alphabetical order)

- ♦ इस प्रयोजन हेतु उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारक एजेंसियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
There has been no change in the credit rating agencies used for the purpose.
- ♦ श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है / Rating agencies have rated corporate exposures.
- ♦ ऊपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 73/21.06.011/2009-10 दिनांक 8 फरवरी 2010 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया है ।

In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India communicated vide their Master circular DBOD.No.BP. BC.73/21.06.001/2009-10 dated 8th February, 2010.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

Exposure after risk mitigation in Standardized Approach:

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

1) 100% से कम का जोखिम भार/Below 100% risk weight	46731.21
2) 100% जोखिम भार / 100% risk weight	30244.68
3) 100% से अधिक का जोखिम भार/More than 100% risk weight	4914.00
4) कटौती / Deduction	10988.52
5) योग / TOTAL :	92878.41



तालिका डीएफ-6

TABLE DF-6

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

Credit Risk Mitigation : Disclosures for Standardised Approaches

गुणात्मक प्रकटीकरण /Qualitative disclosures :

(क) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

Credit risk mitigation techniques - On Balance Sheet netting

बैंक इस शर्त के अधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी अपेक्षा की गणना करता है कि-

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank -

i) बैंक के पास इस बात पर ध्यान दिए बिना कि काउंटरपार्टी दिवालिया है या नहीं, प्रत्येक सुसंगत अधिकारिता में यह निर्णय करने का सुआधारित विधिक आधार है कि समायोजन या निर्धारण से इतर करार प्रवर्तनीय है ;

has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;

ii) बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के साथ ऋण / अग्रिम एवं जमा अवधारित करने में समर्थ है जो समायोजन व्यवस्था के अधीन हैं;

is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;

iii) बैंक निवल आधार पर सुसंगत एक्सपोजर को मानीटर एवं नियंत्रित करता है :

monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

ऋण एवं अग्रिम को एक्सपोजर माना जाता है एवं जमा राशि को संपाश्विक माना जाता है। मुद्रा असंतुलन बने रहने की स्थिति को छोड़कर मार्जिन शून्य होगा
Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals. The haircuts will be zero except when currency mismatch exists.

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - गारंटी

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

i) गारंटी प्रत्यक्ष, सुनिश्चित, अपरिवर्तनीय एवं अशर्त होनी चाहिए।

Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.

ii) प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भारवाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।

Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty.

iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।

Operational requirement for guarantees must be met.

iv) पात्र गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी।

Range of eligible guarantors (counter guarantors)

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी :

Credit protection given by the following entities will be recognized :

क/अ) सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भारवाले प्राथमिक व्यापारी;

sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, ECGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;



ख/ब) ए ए या उससे बेहतर रेटिंगवाली अन्य कंपनियां। इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।

other entities rated AA or better. This would include guarantee cover provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.

v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(ख) संपार्थिक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया

(b) Policies and processes for collateral valuation and Management

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। अतः आस्तित्व मूल्यांकन पद्धति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति/Method of valuation of various types of securities :

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन / **Valuation of Land and Building**

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांकनों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिक निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकनों से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा कराने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

All landed properties must be valued by registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा /The following points are taken into consideration:

- i) निर्माण की प्रकृति / Nature of construction
- ii) भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती /Age of the building and its present strength
- iii) किराया से होने वाली आय /Rental yield
- iv) निर्धारित/प्रदत्त कर की राशि /Tax amount assessed/paid
- v) भूमि एवं भवन का क्षेत्र /Area of land and building
- vi) निर्माण की लागत /Cost of construction
- vii) जगह का मूल्य /Value of site

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन/Valuation of Movable Properties:

दृष्टिबंधकित/गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) शेयरों का मूल्यांकन/Valuation of Shares :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है/Market value is calculated as below :

क) शेयर का विद्यमान बाजार मूल्य

a) Current market price of the share

ख) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों का, इसमें जो भी कम हो, औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्तित्व मूल्य/पुनः क्रय कीमत या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, लिया जाए।

b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) एल आई सी पालिसी का मूल्यांकन / **Valuation of LIC Policy:**

पालिसी का वर्तमान अम्यर्पण मूल्य/Present surrender value of the policy.

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.



(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपाश्विक निम्नलिखित हैं -

(c) **Main types of collateral taken by Bank are -**

- i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्यूचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन Assignment of LIC Policies
- v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना Pledge of NSCs / KVPs

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी पर जोर डालता है -

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी,
Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) कॉर्पोरेट गारंटी/Corporate Guarantee
- iii) राज्य सरकार की गारंटी/Guarantees of State Government

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(ङ) कमी के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना-

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken -

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा क्रेन्डीकृत किया जाता है।

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी-खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contracts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosure:

मानक दृष्टिकोण के अधीन हेयरकट को लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपाश्विकों द्वारा

कुल एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach-

- i) तुलनपत्र की मदें/On balance Sheet - ₹. Rs 5179.16 करोड़ Cr
- ii) तुलनपत्र के इतर/Off balance Sheet - ₹. Rs 5122.00 करोड़ Cr



तालिका डीएफ -8

TABLE DF-8

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

Market Risk in Trading Book

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure :

1. उद्देश्य एवं नीतियाँ / Objective & Policies:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अपनाई हैं।

To limit the market risk in Investment and Forex Instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया/Strategies and Processes:

यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित क्रेन्ड्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित क्रेन्ड्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. संबंधित जोखिम प्रबंध कार्य की संरचना एवं संगठन/Structure and organization of the relevant risk management function:

निवेश से संबंधित निर्णय कॉर्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक, फ्लैगशिप कॉर्पोरेट ऋण, मिड कॉर्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंध विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Flagship Corporate Credit, Mid Corporate, Finance and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. जोखिम की रिपोर्टिंग और /या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप/The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. जोखिमों से बचाव और / या उसे कम करने के लिए नीतियाँ एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं:

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s mitigants:

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाई रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिन-रात, रात-भर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रूप से बैंक के भारतीय रुपयों में रात-भर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

The Bank's policy is to maintain near square position in forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

प्रमाणात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosure:

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता / Capital requirements for :

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

ब्याज दर जोखिम/Interest Rate Risk	528.29
ईक्विटी स्थिति जोखिम/Equity Position Risk	134.67
विदेशी मुद्रा जोखिम/Forex Exchange Risk	2.25



तालिका डीएफ - 9

TABLE DF - 9

परिचालनगत जोखिम

Operational Risk

गुणात्मक प्रकटीकरण/Qualitative disclosure :

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है -

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- ♦ सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
Identification and assessment of operational risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- ♦ परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना ।
Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- ♦ महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना ।
Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

परिचालनगत जोखिम प्रबंध के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है -

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- ♦ निदेशक मंडल/The Board of Directors
- ♦ निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी)/Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- ♦ परिचालनगत जोखिम प्रबंध समिति (सीओआरएम)/Committee for Operational Risk Management (CORM)
- ♦ परिचालनगत जोखिम प्रबंध कक्ष (ओआरएमसी)/Operational Risk Management Cell (ORMC)
- ♦ कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधक (बीओआरएम)/Business Operational Risk Managers (BORM)
- ♦ परिचालनगत जोखिम प्रबंध विशेषज्ञ (ओआरएमएस)/Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- ♦ जोखिम प्रबंध विभाग/Risk Management Department

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा, और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है ।

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

जोखिम की सूचना और / या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप / Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system: संगृहीत की जानेवाली रिपोर्ट और उनकी आवधिकता निम्नानुसार है

The reports that are collected and the periodicity is as follows:

संख्या No.	रिपोर्ट का नाम Name of the Report	आवधिकता Frequency
1	कपट की वार्षिक समीक्षा Annual Review of frauds	वार्षिक Yearly
2	आर्थिक दंड लगाने का विवरण Details of levy of penalties	वार्षिक Yearly
3	समीक्षा का अनुपालन Compliance of reviews	वार्षिक Yearly
4	व्यवसाय श्रेणी-वार और बासेल इवेंट प्रकार एवं स्तर के अनुसार विश्लेषित हानि आंकड़ा Loss Data analyzed business line-wise and as per Basel event types and levels.	छमाही Half yearly
5	प्रभाव-आवधिकता विश्लेषण मैट्रिक्स Impact-frequency analysis matrix	छमाही Half yearly
6	पाई गई और वसूली गई राजस्व हानि Revenue leakage detected and recovered	तिमाही Quarterly
7	विभिन्न लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की गंभीर अनियमितताओं का सार-परिचालनगत जोखिम संबंधी Gist of serious irregularities in various audit reports – operational risk related	तिमाही Quarterly



बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

In order to provide independent assessment of adequacy of and compliance with, bank's established policies and procedures adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

सभी वित्तीय विभागों/कारबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

बैंक ने विभिन्न हानि इवेंट प्रकार कारबार लाइन एवं विभिन्न व्यवसाय श्रेणियों के अधीन (बासेल-II के अनुसार) सुसंगत परिचालन जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया है ताकि परिचालनगत जोखिम के कारण पूंजी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक मॉडल का विकास किया जा सके।

The Bank has commenced collection of relevant operational risk loss data under different loss event types as also different business lines (as per Basel-II) to develop a model to estimate capital requirement on account of operational risk.

परिचालनगत जोखिम पूंजी निर्धारण के लिए बैंक ने बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन, विषय पर उनके पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2007 में निहित है।

For operational risk capital assessment the Bank used Basic Indicator approach as envisaged by Reserve Bank of India in their communication dated 27th April, 2007 on the subject "Prudential guidelines on capital adequacy and market discipline – Implementation of New Capital Adequacy Framework".



तालिका डीएफ -10

TABLE DF-10

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

गुणात्मक प्रकटीकरण/Qualitative disclosure:

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार परिशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी वीएआर का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक की निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंध समिति/जोखिम प्रबंध समिति द्वारा की जाती है।

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest Rate Risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of Modified Duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve Bank of India and estimates Equity VaR. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

प्रमाणात्मक प्रकटीकरण (31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार)

Quantitative disclosures : (As on 31st March, 2010)

(करोड़ रु. में/Rs. In Crore)

1)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (ह्रास) Estimated increase (decline) in earnings for downward (upward) rate shock of 100 basis point	रु./Rs. 146.70 करोड़/crore
2)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास) Estimated increase (decline) in economic value for downward (upward) rate shock of 100 basis point	जोखिम पूंजी 8.19% 8.19% Risk Capital



यूको बैंक

फार्म "बी"

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे एवं हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

सातवीं वार्षिक आम बैठक

दिनांक 12 जुलाई, 2010

रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं.

(यदि अमूर्तीकृत नहीं है)

डी. पी. पहचान सं.

ग्राहक की पहचान सं.

(यदि अमूर्तीकृत है)

मैं/हम, _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, जो यूको बैंक का/के शेयरधारक हूँ / हैं, एतद्वारा श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____ को सोमवार, दिनांक 12 जुलाई, 2010 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में इस्टर्न जोनल क्लबल सेंटर, आईबी-201, साल्ट लेक, सेक्टर - III, कोलकाता-700 106 में या उसके बदले किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानेवाली यूको बैंक के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपना परोक्षी नियुक्त करता/करती/हूँ /करते हैं।

वर्ष 2010 के _____ की _____ तारीख को हस्ताक्षर किए गए

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परोक्षी फार्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने हेतु अनुदेश:

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह:
 - किसी व्यक्ति शेयरधारक के मामले में उसके या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
 - संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
 - किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
- कोई परोक्षी लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम है यदि उसका विह्वल उसपर अंकित किया जाता है तथा उसे किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है।
- परोक्षी फार्म और
 - मुख्यतारनामा या प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया है, अथवा
 - मुख्यतारनामा या प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 7 जुलाई, 2010 के कार्य-समय की समाप्ति पर या उसके पहले जमा की जाए।
- कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जबतक फार्म 'बी' के अनुसार और सम्यक रूप से स्टांपित न हो।
- बैंक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
- विकल्पतः दो अधिकारग्राहियों के पक्ष में प्रदान की गई परोक्षी लिखत के मामलों में एक से अधिक फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित है।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

1/- रु. की
रसीदी
टिकट



UCO Bank

Form "B"

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

Proxy Form (To be filled in and signed by the Shareholder) Seventh Annual General Meeting Dated July 12th, 2010

Regd. folio No.
(if not Dematerialised)

DP ID No.
Client ID No.
(if Dematerialised)

I/We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Seventh Annual General Meeting of the shareholders of UCO Bank, to be held on Monday the 12th July 2010 at 11.00 A.M. at EZCC, IB-201, Salt Lake, Sector-III, Kolkata-106 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2010

Re. 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Name :

Signature of first named / sole Shareholder

Address :

Instructions for Signing the Proxy form:

- No instruments of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Wednesday, the 7th July, 2010.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per Form "B" and is duly stamped.
- An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.



यूको बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) -अधिदेश फार्म

(डिबेंचरों पर ब्याज/प्रतिदान के भुगतान हेतु)

दिनांक:

मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
प्लॉट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर,
माधापुर,
हैदराबाद- 500081

प्रिय महोदय,

विषय : ईसीएस अधिदेश

उपर्युक्त के संदर्भ में मैं/हम सहर्ष इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के विकल्प का प्रयोग करता हूँ/करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के जरिए भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे हैं :

फोलियो सं.	
बैंक का नाम (पूरा नाम)	
शाखा का नाम	
बैंक का पूरा पता बैंक द्वारा आपूरित चेक के एमआईसीआर पट्टी पर उल्लिखित 9 अंकों की कूट संख्या	
खाते का प्रकार(बचत/चालू/नकदी ऋण)	
खाता संख्या (चेक बुक पर यथाउल्लिखित)	

(कृपया बैंक का नाम, शाखा एवं कूट संख्या की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विधिवत निरस्त किए गए अपने बैंक के चेक की एक ज़ेरोक्स प्रति संलग्न करें।)

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या असत्य सूचना के कारण लेनदेन में देर होती है तो मैं/हम कंपनी/रजिस्ट्रार को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी/ठहराएंगे। मैं/हम उक्त योजना के अधीन सहभागी के रूप में मुझसे/हमसे अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करने का करार करता/करती हूँ/करते हैं।

फोलियो सं.	रजिस्ट्रीकृत धारक का(के) नाम	प्रथम धारक के हस्ताक्षर



UCO BANK

ELECTRONIC CLEARING SERVICES (ECS) – MANDATE FORM

(For payment of interest/redemption money on the debentures)

Date :

M/S. Karvy Computershare Private Ltd
Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar,
Madhapur,
Hyderabad – 500 081

Dear Sirs,

Re : ECS Mandate

With reference to above, I/We are pleased to exercise the option for Electronic Clearing Services (ECS) and furnish hereunder the particulars of bank account to receive payments through Electronic Clearing Services :

Folio Number											
Name of the Bank (Full Name)											
Name of the Branch											
Full address of the Bank											
9 digit code number appearing on the MICR Band of the cheque supplied by the Bank	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> <td style="width: 11.11%; height: 30px;"></td> </tr> </table>										
Account Type (Savings/Current/Cash Credit)											
Account Number (as appearing on the cheque book)											

(Please attach a photo copy of a cheque of your bank duly cancelled for ensuring accuracy of the bank name, branch and code number.)

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed because of incomplete or incorrect information, I/we would not hold the Company/Registrar responsible. I/we agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the Scheme.

Folio No.	Name(s) of the Registered Holder	Signature of the First holder



यूको बैंक / UCO Bank

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani Kolkata - 700 001

वार्षिक आम बैठक के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

Attendance Slip-cum-Entry Pass for Seventh Annual General Meeting

दिनांक : सोमवार, 12 जुलाई 2010

स्थान : इजेडसीसी, आइबी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 106

Date : Monday, 12th July 2010,

Venue : EZCC, IB, 201, Salt Lake, Kolkata - 700 106

उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip

(प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)

नाम : स्पष्ट अक्षरों में/Name: in BLOCK letters सदस्य/परोक्षी/Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या/No. of Shares

नाम : स्पष्ट अक्षरों में/Name: in BLOCK letters सदस्य/परोक्षी/Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या/No. of Shares

शेयरधारकों/परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाले अंश को शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक चलने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन/जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सभा-भवन के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

दिनांक 12 जुलाई 2010

Dated 12th July 2010

शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

Signature of
Shareholder/Proxy/Authorised Representative

नोट : बैठक के समय कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं दिए जाएंगे। कृपया संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लाएं।
Note : No gift/gift coupons will be distributed at the meeting. Please bring your copy of the enclosed Annual Report.